कक्षा - 10
सामाजिक अध्ययन

प्रमुख सलाहकार

श्रीमती चित्रा रामचंद्रन IAS,
विशेष मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग, तेलंगाणा सरकार

मुख्य सलाहकार

प्रो. के. सतीश रेड्डी, डीन, फैकल्टी ऑफ सोशल साईस्स (सोवेनिवृत्त), डॉ. बी.आर.अंबेड्कर ओपन यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

प्रो. बी.श्रीनागेश, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद

डॉ. कृष्मा रेड्डी चिट्टेडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ, इकनोमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद

डॉ.रावुला कृष्णा, असिस्टेंट, प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद

श्री. मल्याला पापय्या, लेक्चरर, गवर्नेमेंट कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, नलगोंडा

श्री. गड्डामीडी रथंगा पाणी रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन), जेड्.पी.एच.एस., जनमपेट, मूसापेट(M), महबूबनगर

समन्वय और सहयोग

श्री. एम. सोमी रेड्डी,
संयुक्त निदेशक
TOSS-तेलंगाणा, हैदराबाद

श्री. सुवर्ण विनायक
समन्वयक, तेलुगु
SCERT-तेलंगाणा, हैदराबाद

श्री. वी. वेंकटेश्वरा राव,
राज्य समन्वय
TOSS-तेलंगाणा, हैदराबाद

पाठ्यपुस्तक मुद्रण परिषद्

श्रीमती. ए. देवसेना IAS
स्कूली शिक्षा निदेशक
तेलंगाणा, हैदराबाद

श्री. ए. कृष्णाराव
निदेशक,
TOSS-तेलंगाणा, हैदराबाद

श्री. वेंकटेश्वर शर्मा
निदेशक,
पाठ्यपुस्तक मुद्रण प्रेस
तेलंगाणा, हैदराबाद.

मुद्रण

तेलंगाणा मुक्त विद्यालय सोसाइटी (TOSS)

© Government of Telangana, Hyderabad

First Published 2021

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Sarvatrika Vidya Peetham, Telangana, Hyderabad.

This Book has been printed on 70 G.S.M. Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Telangana Open School Society 2021-22

Printed in India
at the Telangana Govt.Text Book Press,
Mint Compound, Hyderabad,
Telangana.

OUR NATIONAL ANTHEM

- Rabindranath Tagore

Jana-gana-mana-adhinayaka, jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Punjab-Sindh-Gujarat-Maratha
Dravida-Utkala-Banga
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga
Uchchhala-jaladhi-taranga.
Tava shubha name jage,
Tava shubha asisa mage,
Gahe tava jaya gatha,
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he
Bharata-bhagya-vidhata.
Jaya he! jaya he! jaya he!
Jaya jaya jaya, jaya he!!

PLEDGE

- Pydimarri Venkata Subba Rao

"India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country, and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness."

विषय विशेषज्ञ और समन्वयक

श्री गड्डीमिडी रथंगा पाणी रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. जनमपेट, मूसापेट (M), महबूबनगर

पाठ्यपुस्तक निर्माण समिति

श्री गड्डीमिडी रथंगा पाणी रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. जनमपेट, मूसापेट (M), महबूबनगर

श्री आयाचितुला लक्ष्मण राव, सेवानिवृत्त एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जि.एच.एस. धानगिरीवाड़ी, करीमनगर

श्रीमती बी. ललिता, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस., मंछल, रंगारेड्डी

श्री मोहन रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. गारलापाडु, महबूबनगर

श्रीमती एच. हिरण्या, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जी.एच.एस. तिरुमलगिरि, हैदराबाद

श्री एम.राजेंद्र कुमार, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र)
टी एस एम एस, काथेपल्ली, नलगोंडा

श्री ए.श्रीनिवास गौड, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. धनवाड़ा, नारायणपेट

श्री बी.संतोष कुमार, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
एम पी यू पी एस, निपानी, आदिलाबाद

श्री वेलपुर श्रीनिवास, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. बालकोंडा, निज़ामाबाद

श्री जी. वेंकटेश्वरलु, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. चंपापेट, रंगारेड्डी

श्री वी. सतीश प्रकाश, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. दुग्गोंडी, वरंगल, रूरल

श्री एन. राधाकृष्णा चारी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. रेगोंडा, जयशंकर भूपालपल्ली

श्रीमती पी. सुनीता खन्ना, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. नारायणखेड़, संगारेड्डी

श्री टी. प्रभाकर रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. शाबाद, रंगारेड्डी

डॉ. जे. येल्लय्या, पी.जी.टी. (अर्थशास्त्र)
टी एस एम एस, वल्लाला, नलगोंडा

श्री आर. विक्रम रेड्डी, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. कुसुमंची, खम्मम

श्री एम. प्रसून कुमार, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. डोंगली, कामारेड्डी

श्री अल्लूरि अशोक कुमार, एस.ए. (सामाजिक अध्ययन)
जेड़.पी.एच.एस. शानिग्राम, वरंगल अर्बन

हिंदी अनुवादक समूह

समन्वयक

श्री सय्यद मतीन अहमद, समन्वयक, हिंदी विभाग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, हैदराबाद

संपादक

श्री सय्यद मतीन अहमद, समन्वयक, एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती जी.किरण, एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती कविता, एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

अनुवादक

श्रीमती जी. किरण,
एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती कविता,
एस.आर.जी., एस.सी.ई.आर.टी., हैदराबाद

श्रीमती संगीता पाण्डेय,
कीस् हाईस्कूल, सिकंदराबाद

श्रीमती योगिता भाटिया
हिंदी लेखिका, नई दिल्ली

श्री रौशन भाटिया
हिंदी अनुवादक, नई दिल्ली

श्रीमती डॉ वै. शारदा
जेड.पी.एच.एस. बॉय्स, बाला नगर, महबूबनगर

डिज़ाइन (चित्रांकन)

मुखपृष्ठ चित्रांकन : के. सुधाकर चारी, एम पी पी एस मैलाराम, रायापर्ति(M), वरंगल रूरल

ले आऊट एवं ग्राफिक डिज़ाईन : कन्नय्या दारा, दंडमपल्ली, नलगोंडा (M), नलगोंडा
श्रीमती आरिफ़ा सुल्ताना, तेलंगाणा हिंदी अकादमी, हैदराबाद

शिक्षार्थियों के लिए सूचनाएँ

- इस पुस्तक के पठन से अपेक्षित दक्षताओं का अर्जन करें।
- प्रत्येक शिक्षार्थी को पाठ का आरंभ सीखने की संप्राप्तियों से करना चाहिए। अर्थात् पाठ पढ़ने से पहले सीखने की संप्राप्तियों को पूर्ण रूप से समझलें।
- अवधारणाओं को पूरी तरह समझ लें। तत्पाश्चात् 'अपनी प्रगति की जाँच करें' शीर्षक में दिये गये प्रश्नों के उत्तर लिखें।
- पाठ में दिये गये मानचित्रों का अवलोकन करें। ये पाठ को अच्छी तरह समझने में सहायक हैं।
- पाठ में दी गई तालिकाओं का अवलोकन करें। तालिका में दिए गए आँकड़ों की तुलना और विश्लेषण करें।
- प्रत्येक पाठ के अंत में सारांश (मुख्य बिंदु) दिया गया है। ये पाठ को अच्छी तरह समझने में सहायक है।
- पाठ के अंत में 'नमूना परीक्षा प्रश्न' दिए गए हैं। उनमें अति लघु उत्तरात्मक, लघु उत्तरात्मक, निबंधात्मक, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं।
- पाठ को अच्छी तरह समझने के लिए प्रत्येक अध्ययन केंद्र में कांटैक्ट कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। समुचित उपस्थिति को बनाये रखें और विषय अध्यापकों के साथ चर्चा करते हुए अपनी शंकाओं का निवारण करें।
- पब्लिक परीक्षाओं में प्रश्न जैसे के तैसे नहीं पूछे जायेंगे। इसीलिए प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखें। इससे आप उत्तर आसानी से लिख पायेंगे।

शिक्षकों के लिए सूचनाएँ

- अपने अवबोध के विकास के लिए सामाजिक अध्ययन की पाठ्यपुस्तक को पूरी तरह पढ़ लें।
- पाठ्य पुस्तक के आरंभ में ही 'आमुख' 'शिक्षार्थियों के लिए सूचनाएँ' और सीखने की संप्राप्तियाँ दी गई हैं।
- शिक्षार्थियों के लिए सूचनाएँ' पढ़िए। शिक्षार्थियों से हमें क्या करवाना हैं, इस बात को समझने के लिए ये उपयोगी होंगी।
- 'सीखने की संप्राप्तियों को पढ़कर हम पाठ्यपुस्तक का उद्देश्य समझ सकते हैं।
- प्रत्येक पाठ में सीखने की संप्राप्तियाँ दी गई हैं, यदि हम इन्हें समझ लेते हैं तो हमें पाठ के उद्देश्य के बारे में भी पता चल जाता है।
- छात्रों के अभ्यास और आकलन के लिए प्रत्येक पाठ 'अपनी प्रगति की जाँच करें' शीर्षक के अंतर्गत प्रश्न दिए गए हैं।
- प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर 'नमूना परीक्षा प्रश्न' दिए गए हैं। इस प्रश्नों को स्वयं लिखने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करें।
- अध्ययन केंद्र में कुल आबंटित कार्यकारी दिवसों के आधार पर प्रत्येक पाठ को भागों में विभाजित कर लें।
- शिक्षार्थियों को प्रश्नों के उत्तर लिख कर लाने के लिए करें। आप उन उत्तरों की जाँच करें तथा उन्हें सुझाव और निर्देश दें।
- प्रत्यक्ष शिक्षण कक्षाओं के साथ-साथ ऑन लाइन कक्षाओं की सुविधा है। इसीलिए शिक्षार्थियों को ऑन लाईन कक्षाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करें।
- अपने केंद्र में समकालीन और सामाजिक मुद्दों पर वाद-विवाद, भाषण और क्विज प्रतियोगिताओं का आयोजन करें। शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए मॉक पार्लियमेंट और मॉक पोल का आयोजन करें।

विषयवस्तु

क्र.सं.	पाठ का नाम	पृष्ठ सं.
1	तेलंगाणा राज्य में एक गाँव	1 - 9
2	भारत की स्थिति - भौतिक विशेषताएँ	10-18
3	भारत की जलवायु और नदियाँ	19-28
4	प्राकृतिक संसाधन	29-36
5	महाद्वीप और महासागर	37-49
6	जनसंख्या	50-65
7	भारतीय अर्थव्यवस्था - विभिन्न क्षेत्र	66-78
8	सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और बजट	79-86
9	आर्थिक सुधार - वैश्वीकरण	87-99
10	प्राचीन भारत	100-114
11	मध्ययुगीन भारत का इतिहास	115-131
12	आधुनिक भारत	132-143
13	तेलंगाणा का इतिहास	144-159
14	तेलंगाणा राज्य आंदोलन - गठन	160-170
15	तेलंगाणा राज्य का गठन - सामाजिक एवं आर्थिक विकास	171-189
16	भारत का संविधान - प्रस्तावना	190-200
17	मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्य	201-210
18	केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें	211-225
19	भारत में प्रजातंत्र - चुनौतियाँ	226-238
20	भारत में समकालीन मुद्दों से संबंधित कानून	239-248
21	सामाजिक एवं आर्थिक विकास - वंचित समूहों का सशक्तिकरण	249-257
22	अंतराष्ट्रीय संगठन	249-264

सीखने की संप्राप्तियाँ

- शिक्षार्थी भारत की विशेषताओं का वर्गीकरण करते हैं और हिमालय का वर्णन करते हैं।
- भारत के मानचित्र में पर्वतों, पठारों और मैदानों को दर्शाते हैं।
- भारत में मौसम का वर्गीकरण करते हैं और भारत मानचित्र में नदियों को दर्शाते हैं तथा उनकी व्याख्या करते हैं।
- विश्व के मानचित्र में महाद्वीपों और महासागरों को दर्शाते हैं तथा महाद्वीपों के गठन का वर्णन करते हैं।
- भारत के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताते हैं, प्राकृतिक संसाधनों में कमी होने के कारण लिखते हैं।
- जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखते हैं और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए सुझाव देते हैं।
- भारतीय अर्थ व्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं तथा कृषि, उद्देश्य और सेवा क्षेत्रों का वर्णन करते हैं।
- सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और बजट की अवधारणाओं की व्याख्या करते हैं तथा बजट का विश्लेषण करते हैं।
- भारत में आर्थिक सुधारों की व्याख्या करते हैं। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभावों का विश्लेषण करते है।
- सिंधु घाटी की सभ्यता के महत्व का वर्णन करेंगे और अशोक की महानता की प्रशंसा करते हैं।
- भारतीय इतिहास में मध्य काल में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या करते हैं।
- आधुनिक भारतीय इतिहास में 1857 के विद्रोह की व्याख्या करते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हैं।
- महान् स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन से प्रोत्साहित होते हैं और उनके महान् गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं।
- तेलंगाणा आंदोलन के विरोधों के विभिन्न रुपों की व्याख्या करते हैं। जेंटलमैन एग्रीमेंट और मुल्की नियमों के उल्लंघन का वर्णन करते हैं।
- तेलंगाणा के सामाजिक - आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व का वर्णन करते हैं।
- मौलिक अधिकारों और कर्त्तव्यों का वर्णन करते हैं।
- प्रजातंत्र की महत्वपूर्ण चुनौतियाँ जैसेः- गरीबी, निरक्षरता, महिलाओं से भेदभाव आदि पर टिप्पणी करते हैं।
- वंचित वर्गों के उद्धार के तरीके सुझाते हैं।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों की व्याख्या करते हैं।

1 तेलंगाणा का गाँव

1.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- जनमपेटा गाँव की स्थिति और जनसंख्या की विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
- गाँव के व्यवसायों के बारे में बताते हैं।
- उत्पादन के साथनों का वर्गीकरण करते हैं।
- मिट्‌टी का वर्गीकरण करते हैं और जनमपेट की फ़सलों का वर्णन करते हैं।
- कृषि और गैर-कृषि कार्यों के उदाहरण देंगे।
- जाति व्यवसायों के उद्‌धार के बारे में करपत्र तैयार करेत हैं।
- वर्तमान में कृषि गतिविधियों की वृद्‌धि के कारण बताते हैं।
- ग्राम पंचायत की चुनाव प्रक्रिया, प्रशासन और आर्थिक संसाधनों के बारे में बताते हैं।

1.1 परिचय

भारत का विकास गाँवों के विकास पर निर्भर है। यदि गाँव विकसित होंगे तो स्वतः देश का विकास भी होगा। तेलंगाणा राज्य में गाँवों की संख्या अधिक है। गाँव का प्रमुख व्यवसाय कृषि है। लोग कृषि गतिविधियों के साथ-साथ गैर कृषि गतिविधियाँ भी करते हैं। गाँवों में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं। कुछ लोग अपने जाति व्यवसायों पर निर्भर हैं। साधारणतः विभिन्न जाति और धर्म के लोग बिना किसी भेदभाव के मिलजुलकर रहते हैं। इस अध्याय में, वहाँ गाँव कैसे हैं? वे कैसे अस्तित्व में आये? लोग किस पर निर्भर हैं? कितने प्रकार की फ़सलें उगायी जाती हैं? वहाँ पर सिंचाई का व्यवस्था कैसी है? लोगों की जीवनशैली कैसी है? ग्राम पंचायत के द्‌वारा किस प्रकार के कार्य किये जा रहे हैं? इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए चलिए तेलंगाणा राज्य के महबूबनगर जिले के मूसापेट मंडल के जनमपेटा गाँव के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे।

1.2 गाँव की जनसंख्या की विशेषताएँ

जनमपेटा गाँव तेलंगाणा राज्य में है। भौगोलिक रूप से यह तेलंगाणा के पठार में स्थिर है। सामान्यत: पठार में छोटे पर्वत, पर्वतमालाएँ, पहाड़ियाँ हैं। जनमपेटा गाँव की सीमाएँ इस प्रकार हैं- इसके पूर्व में पोलक्मपल्ली, तिम्मापुर, कनकपुर, पश्चिम में तुनकीपुर, उत्तर में गाजुलापेटा, थाटीकोंडा, दक्षिण में संकल मड्डी, कामाजीपुर गाँव हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 इस गाँव से गुज़रता है। यह श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर) और कन्याकुमारी (तमिलनाडु) को जोड़ता है। यह भारत का सबसे लंबा सड़क राजमार्ग है।

1.3 गाँव की जनसंख्या की विशेषताएँ

2011 की जनगणना के अनुसार जनमपेटा की जनसंख्या 3,633. इनमें 1,800 महिलाएँ और 1,833 पुरुष हैं। गाँव में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के केवल 13 सदस्य हैं। अनुसूचित जाति के 556 लोग हैं। अन्य लोग 3,064, हैं, जिनमें पिछड़ेवर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी शामिल है।

सोचिए

- गाँव में सभी वर्गों के लोगों के रहने के क्या लाभ/उपयोग हैं?

सामान्यत: गाँवों में सभी वर्गो के लोग मिल जुलकर रहते हैं। कुछ गाँवों में अनुसूचित जनजाति के लोग अधिक संख्या में रहते हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति, अल्पसंख्य वर्ग के लोग जैसे मुसलमान, ईसाई भी रह सकते हैं।

1.4 प्रमुख व्यवसाय

गाँवों में सभी जातियाँ और धर्मों के लोग निवास करते हैं। इनके भिन्न-भिन्न व्यवसाय हैं। कुछ व्यवसाय वंशानुगत होते हैं (या) कुछ तकनीकी रूप से कुशलता प्राप्त करने वाले होते हैं।

1.4.1. कृषि

गाँव की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है। 90% लोग कृषि और उससे जुड़े कार्यों पर निर्भर हैं। कुछ लोग पशुपालन, दूध के उत्पादन पर निर्भर हैं। गाँव में चावल, जावार, मूंगफल्ली, कपास और अरंडी के बीज जैसी फ़सलों की खेती की जाती है। गाँव के छोटे क्षेत्र में रागी की खेती की जाती है।

गाँव के किसान अधिकांश फ़सलों की खेती खरीफ के मौसम में करते है। इसे वर्षाऋतु की फ़सल भी कहा जाता है। वे रबी के मौसम में भी फ़सलों की खेती करते हैं। इस मौसम को तेलंगामा में 'यासांगी' कहते हैं। ज़्याद के मौसम (ग्रीष्म ऋतु) में खेती नहीं की जाती हैं। किंतु कुछ गाँवों, जिनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ मूँगफली और धान की खेती की जाती है।

1.4.2 जातिगत व्यवसाय

इस गाँव में सभी प्रकार के जातिगत व्यवसाय हैं। किंतु कुछ परिस्थितियों के कारण केवल कुछ लोगों ने ही अपने जातिगत व्यवसायों को जारी रखा है। विशेषकर नार्यों, कटिका, गोल्ला, कुरुमा, वैश्य, कुम्मरी (कुम्हार) ने अपने व्यवसायों को ज़ारी रखा है।

मैं कुम्मरी (कुम्हार) जाति के एक व्यक्ति से मिला, उसका नाम यादय्या है। गाँव में बहुत सारे कुम्हार हैं किंतु केवल यादय्या के परिवार ने ही अपने व्यवसाय को जारी रखा है। यादय्या ने अपने व्यवसाय के बारे में बताया।

यादय्या और उसकी पत्नी बर्तन बनाने के लिए मिट्टी स्थानीय तालाब (चेरुवु) से ताले हैं। वे वर्षाऋतु के अंत में घड़े बनाने की प्रक्रिया आरंभ करते हैं। यादय्या ने बताया कि वे 20 नवंबर के बाद कार्य आरंभ करते हैं। घड़े बनाने के लिए यादय्या और उसकी पत्नी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं। वे प्रतिदिन 20-25 घड़े बनाते हैं। वे घड़ों को 8 दिनों तक घर में छाया में रखते हैं। यदि वे घड़ों को खुली हवा में रखते हैं तो घड़े टूट जाते हैं। ऐसे घड़ों का कोई उपयोग नहीं होता। सूखाने के बाद वे उसे सेंकते हैं।

यादय्या और उसकी पत्नी घड़े बनाने के लिए वर्ष में 5 महीने काम करते हैं। यदि वे एक साल कठोर श्रम करते हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये मिलते हैं। किंतु कोरोना लॉकडाऊन के कारण, पिछले वर्ष उनके घड़ों की बिक्री नहीं हुई। अभी भी घर में घड़े हैं। यादय्या ने बताया कि, उनके गाँव के लोग ही नहीं बल्कि पड़ोसी गाँव के लोग तथा जेड्चेरर्ला, नागरकर्नूल, महबूबनगर जैसे शहरों के व्यापारी भी यहाँ घड़े खरीदने के लिए आते हैं।

प्रतिवर्ष छह महीने वे अपना जातिगत व्यवसाय में लगे रहते हैं और शेष 6 महीने कृषि मज़दूरों के रूप में कार्य करते हैं।

1.4.3 अन्य व्यवसाय

गाँव के कुछ लोग अन्य व्यवसाय करते हैं। जैसे-जैसे तकनीकी का विकास हुआ, अन्य कार्यों की संख्या भी बढ़ती गई। अब उन्होंने मी सेवा, मोबाईल फोन की बिक्री और मरम्मत, ऑटो चलाना, दूध केंद्रों का निर्माण, बाईक मैकेनिक, वेल्डिंग आदि कार्य भी करना शुरु किया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. कृषि के मौसम कितने हैं? वे क्या हैं?
2. जनमपेट गाँव के महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या हैं?

1.5 उत्पादन के कारक

उत्पादन का मुख्य उद्देश्य लोगों को आवश्यक सामान उपलब्ध करवाना है। उत्पादन के कीरण किसी वस्तु या सेवा के निर्माण के लिए आवश्यक इनपुट (निविष्टियाँ) हैं। .

उत्पादन के कारकों का वर्गीकरण चार प्रकारों में किया जा सकता है। 1. भूमि, 2. श्रम, 3. पूँजी और 4. संगठन

1. भूमि : भूमि का उपयोग कृषि के लिए तथा अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। जनमपेट में अधिकांश भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। इसी तरह चावन मिल, पार्क, स्कूल, अस्पताल आदि के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इस भूमि का उपयोग करने के लिए, मालिक को भूमि या किराया देते हैं। अर्थात् भूमि के लिए भुगतान ही किराया है।.

2. श्रम: भूमि के बाद श्रम उत्पादन का महत्वपूर्ण कारक है। कृषि के लिए बहुत सारी शारीरिक गतिविधियों की आवश्यकता होती हैं। जिसके पास भूमि नहीं होती है, वे कृषि मज़दूरों के रुप में काम करते हैं। इसी तरह मज़दूर फैक्ट्रियों में वस्तुओं के उत्पादन के लिए भी कार्य करते हैं। फैक्ट्रियों के मालिक उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं और उन्हें वेतन या मज़दूरी देते हैं। तो श्रम के लिए भुगतान ही मज़दूरी है।

3. पूँजी: कच्चा माल, भूमि, भवनों, मशिनों की प्राप्ति और निर्माण के लिए तथा मज़दूरी का भुगतान के लिए उन्हें पूँजी (धन) की आवश्यकता होती है। यह पूँजी (निवेश) ये बैंक या लोगों से उधार लेते हैं या बचत से लेते हैं। उन्हें इस राशि के लिए ब्याज़ देना पड़ता है। तो पूँजी के लिए भुगतान ही ब्याज है।

4. संगठन: मालिक या आयोजक भूमि, श्रम, पूँजी का उपयोग उत्पादन के लिए करता है। माल के उत्पादन के लिए कुछ राशि खर्च करनी पड़ती है। इसी तरह, उत्पादन के बाद बाज़ारों में माल को बेचा जाता है। माल को बेचने के बाद उन्हें निश्चित राशि मिलती है। उसमें आयोजक का लाभ भी शामिल होता है। जब उत्पादन लागत से, आप अधिक होती है तो उसे लाभ होता है और जब आप से उत्पादन लागत अधिक होती है तो उसे हानि होती है। तो लाभ या हानि आयोजक/ संस्थापक/ मालिक के लिए भुगतान है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. उत्पादन के कारकों का वर्गीकरण कीजिए।
2. आयोजकों को हानी क्यों होती है?

1.6 भूमि/मिट्टी

मिट्टी कृषि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी स्थान की मिट्टी का प्रकार भूमि की प्रकृति पर निर्भर करता है। जनमपेटा गाँव में सभी प्रकारों की मिट्टी हैं। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न प्रकार की मिट्टी पायी जाती है।

1.6.1 मिट्टी के प्रकार

मिट्टी को 1) अलुवियल (जलोढ़) मिट्टी, 2) लाल मिट्टी, 3) काली मिट्टी, 4) लेटेराइट मिट्टी, 5) एरिड मिट्टी (रेतीली मिट्टी) (या) अल्कलाइन (क्षारीय) मिट्टी, 6) पर्वतीय मिट्टी, 8) दलदली मिट्टी (Marshy Soil) में विभाजित किया जा सकता है।

जनमपेटा के तालाब (चेरुवु) क्षेत्र के नीचे रेतीली, चिकनी मिट्टी है। इस मिट्टी पर अधिकतर धान की खेती की जानी है। गाँव में लाल मिट्टी भी है, यह कम उपराऊ होती है। इस मिट्टी पर जवार और कपास की खेती की जाती है। गाँव में अल्कालाइन मिट्टी भी देख सकते हैं। ये मिट्टी अधिकतम नमी को बरकरार रखती है। इन मिट्टियों में कपास, गेहूँ और जवार उगाया जाता है।

1.6.2 भूमि का वितरण

अधिकांश ग्रामीण सीमांत (हाशिए) और लघु किसान है। कुछ अर्ध-मध्यम किसान हैं, गाँव में बड़े किसान नहीं हैं। गाँव में सरकारी भूमि भी नहीं है। सरकारी भूमि गाँव के उत्तरी दिशा की ओर पहाड़ियों के रूप में स्थित है, जिस पर वन विभाग का नियंत्रण है।.

तालिका 1.1: किसानों का वर्गीकरण

क्र.सं.	किसान	एकड़
1.	सीमांत (हाशिए) किसान	2.47
2.	लघु किसान	2.48 - 4.94
3.	अर्ध-मध्यम किसान	4.95 - 9.88
4.	मध्यम किसान	9.89 - 24.77
5.	बड़े किसान	24.78 acres or more

स्त्रोत : भूमि-धारण की जनगणना पर रिपोर्ट, तेलंगाणा, 2015-16, DES, हैदराबाद.

1.6.3 भूमि का उपयोग

सामान्य तौर पर भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। किंतु प्रति व्यक्ति आय, क्रम क्षमता, नगरों में वृद्धि, सरकारी की नीतियों के कारण कृषि भूमि का उपयोग और-कृषि गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के लिए, जनमपेट में कृषि भूमि को भूखंडों में परिवर्तित कर बेचा जा रहा है। औद्योगिक विकेंद्रीकरण के एक अंश के रूप में गाँवों में भी बड़ो और लघु उद्योगों की स्थापना करने की अनुमति दी जा रही है। उदाहरण के लिए, महबूबनगर जिले के पोलेपल्ली गाँव में विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special economic zone) की स्थापना की गई है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. मिट्टी के कितने प्रकार हैं?
2. कृषि की भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए क्यों किया जाता है?

1.7 वर्षा, जल संसाधन

जनमपेट में, वर्षा ऋतु (जून-अक्तूबर) के दौरान वर्षा अनिश्चित और कम होती है। एक वर्ष में होने वाली वर्षा और अन्य वर्ष की वर्षा में बहुत अंतर होता है। इसीलिए वर्षा की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। वर्षा के न होने वाले वर्षों में सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है और फसलों सूख जाती हैं। कम वर्षा के कारण तलाब भर नहीं सकते हैं। किंतु वर्ष 2020 में, अच्छी वर्षा के कारण, जनमपेटा के सभी तालाब भर गये, भूगर्भ जल का स्तर भी बढ़ गया।

गाँव में दो प्रकार के जल संसाधन हैं। वे हैं। 1. ट्यूब वेल, 2 . तालाब (चेरुवु)। जब वर्षा अच्छी होती है, भूगर्भ जल का स्तर बढ़ जाता है, तो वहाँ ट्यूबवेलों और तालाबों द्वारा सिंचाई की सुविधा की संभावना होती है। गाँव में नागीरेड्डीपल्ली चेरुवु, गंगाराम चेरुवु, और नेरेडु चेरुवु आदि तालाब हैं। कम वर्षा के कारण ये तालाब भर नहीं पाते हैं।

तालिका -1.2: खरीफ और रबी के मौसमों (1919-1920) के दौरान फसलों का विवरण

मौसम	धान	कपास	अरंडी	रागी	रवार	मसूर कीदाल	कोर्रलू
खरीफ	171	54	74	1	120	50	3
रबी	300	`	`	`	`	`	`

खरीफ के मौसम में सभी प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। रबी के मौसम में अधिकतर धान की खेती की जाती है। किंतु कुछ गाँवों में खरीफ, रबी और जैद जैसे तीनों मौसमों में फसलें उगाई जाती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. खरीफ के मौसम में अधिकांश फसलें क्यों उगाई जाती है?
2. राज्य के महत्वपूर्ण फसल मौसम क्या हैं?

1.8 गाँव की आर्थिक गतिविधियाँ

गाँव के लोग कृषि कार्यों के साथ-साथ गैर-कृषि कार्य भी करते हैं।

1.8.1 कृषि गतिविधियाँ

गाँव में अधिकांशत : धान की खेती तलाबों और ट्बूवेलों की सिंचाई के अंतर्गत की जाती है। किसान सहकारी समितियों के द्वारा निर्धारित दरों पर अपनी फसलें बेचते हैं। कुछ गाँवों में महिलाओं के स्वयं-सेवी समूह फसलों की खरीदी करते हैं। इसके लिए, भारतीय खाद्य निगम कुछ कमीशन का भुगतान करता है। शेष फसलों को बाज़ारों में भेजा जाता है।

1.8.2 गैर-कृषि गतिविधियाँ

जनमटेट की मुख्य उत्पादन गतिविधि कृषि है। गाँव में गैर-कृषि कार्य भी किये जाते है। गाँव के कई परिवार डेयरी के लिए दूध का उत्पादन करते हैं। वर्षा ऋतु के दौरान उगायी गयी जवार, थान की भूसी और पास का उपयोग भैंसों के चारे के रुप में करते हैं।

सोचिए

- आपके क्षेत्र में प्रमुख आर्थिक गतिविधि क्या है? क्यों?

गाँव में धान का उत्पादन अधिक है। गाँव में एक चावल की मिल है। कुछ सदस्य मिल में काम करते है। सैकड़ों सदस्य, गाँव के निकर स्थित बीज कंपनी में कार्यरत हैं। गाँव के लोग मुर्गीपालन, भेड पालन, ऑटो चालक और राजमिस्त्री के काम में लगे हुए हैं। लोग गाँव के संसाधनों का उपयोग करते हैं और रोज़गार प्राप्त करते हैं।

1.9 जीवन-शैली, परंपराएँ

सभी धर्मों के लोग गाँव में मिलजुलकर रहते हैं। गाँव में हिंदू और मुसलमान हैं। हिंदू लोग उगादि, संक्रांति (पोंगल), बतुकम्मा, दीपावली त्यौहार मनाते हैं। वे पोचम्मा, मैसम्मा, वीर नागम्मा आदि देवियों की उपासना करते हैं। मुसलमान रमज़ान और बकरीद को भव्य रूप से मनाते हैं। मुहर्रम का त्यौहार सभी धर्मों के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। ग्रामवासी तेलंगाणा के सभी ग्रामवासियों की तरह भक्ति भाव के साथ बोनालू पर्व मनाते हैं।

1.10 स्थानीय स्वशासन-ग्रामपंचायत

स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र के विकेंद्रीकरण के उदाहरण हैं। निदेशक सिद्धांतों और राज्य नीतियों में स्थानीय स्वशासन के बारे में दर्शाया गया है। तेलंगाणा राज्य में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली विद्यामान है, पहली पंचायत रीज, दूसरी मंडल परिषद और तीसरी जिला परिषद है।

1.10.1 ग्राम पंचायत की चुनाव प्रक्रिया

गाँव के सभी मतदाता ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करते हैं। गाँव के सदस्यों को चुनने के लिए गाँव को वार्डों में विभाजित किया जाता है। जनमपेट गाँव को 12 वार्डों में विभाजित किया गया है। इस चुनाव में, महिलाओं, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित जातियों और जनजातियों के लिए जनसंख्या के आधार पर सीटें आरक्षित की गई हैं। जनमपेट गाँव में अनुसूचित जनजाति बहुत कम है, इसीलिए उनके लिए पृथक वार्ड आरक्षित नहीं किये गये हैं।

गाँव के सरपंच का चयन 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रुप से किया जाता है। गाँव के वार्ड सदस्य प्रत्यक्षरूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं, उनमें से एक सदस्य अप्रत्यक्ष रुप से डिप्टी सरपंच (उपसरपंच) के रूप में 5 वर्ष के लिए चुना जाता है।

1.10.2 लोक प्रशासन

सरपंच गाँव की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरपंच की अनुपस्थिति में, उप सरपंच बैठकों की अध्यक्षता करता है। गाँव के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा का आयोजन साल में दो बार होना चाहिए। यह सभा गाँव के विकास के बारे में निर्णय लेती है। सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं।

पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत का कार्यकारी अधिकारी होता है। यह गाँव का बजट तैयार करता है और ग्राम पंचायत की बैठकों में भाग लेता है।

1.10.3 वित्तीय स्त्रोत - कर्त्तव्य

पंचायत को विभिन्न स्त्रोतों से आय की प्राप्ति होती है। जैसे- पंचायत ग्रामवासियों और संपत्तियों से कर वसूल करती है, केंद्र और राज्य से अनुदान प्राप्त करती है और साप्ताधिक बाज़ारों की नीलामी करती हैं।

पंचायत के अने कर्त्तव्य हैं। सड़कें बिछाना, उनकी मरम्मत करना, बिजली लगवाना, जल की आपूर्ति करना, स्वच्छता बनाये रखना महामारी को रोकने के लिए सावधानी बरतना आदि पंचायत के कर्त्तव्यों में महत्वपूर्ण कर्त्तव्य हैं।

1.11 सारांश (मुख्य बिंदु)

- जनमपेट गाँव के अधिकतम ग्रामवासी कृषि पर निर्भर हैं।
- गाँव में कृषि के साथ, जातिगत व्यवसाय और अन्य व्यवसाय भी हैं।
- उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन के कारक बहुत महत्वपूर्ण हैं।
- भूमि उत्पादन के कारकों में से एक है। इसका उपयोग केवल कृषि के लिए ही नहीं, बल्कि अन्य उद्देश्यों के लिए भी होता है।
- तेलंगाणा में वर्षा कम होती है। इसीलिए, ट्यूबवेल और तालाब सिंचाई के स्त्रोत हैं। नहर सिंचाई में भी सुधार हुआ है।
- गाँव में विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के साथ रहते हैं।

1.12 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. ग्राम पंचायत द्वारा आयोजित कार्यों के दो उदाहरण लिखिए।
2. जल के स्त्रोतों का वर्गीकरण कीजिए।

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. जनमपेटा गाँव की फसल के मौसमों और संबंधित फसलों का उल्लेख कीजिए।
2. मिट्टी और मिट्टी में उगाई जाने वाली फसलों का वर्गीकरण कीजिए।
3. गाँव की गैर-कृषि गतिविधियों के बारे में लिखिए।
4. ग्रामवासियों की जीवनशैली का वर्णन कीजिए।
5. ग्राम पंचायत की चुनाव प्रक्रिया का वर्णन कीजिए।
6. कृषि भूमि या कृषि धारण क्षमता के आधार पर किसानों का वर्गीकरण कीजिए।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. गाँव के दो जातिगत व्यवसायों का उल्लेख कीजिए और किन्हीं दो जातिगत व्यवसायों के बारे में लिखिए।.
2. उत्पादन के कारणों का वर्गीकरण कीजिए और उनके बारे में लिखिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. काली मिट्टी इस फसल के लिए अनुकूल होती है। ( )

   A) धान B) गन्ना C) कपास D) मूंगफल्ली
2. एक वर्ष में कितनी बार ग्राम सभा की बैठकों का आयोजन होना चाहिए। ( )

   A) एक B) दो C) तीन D) चार
3. यह उत्पादन का कारक नहीं है। ( )

   A) पूंजी B) संगठन C) भूमि D) मज़दूरी (वेतन)

1.13 संदर्भ पुस्तकें:-

- NCERT पाठ्यपुस्तकें
- योजना विभाग की रिपोर्ट

2 भारत की भौगोलिक स्थिति

2.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- अक्षांशों और देशांतरों के रूप में भारत और तेलंगाणा की स्थिति की पहचान करते हैं।
- मानचित्र में भारत के पड़ोसी देशों और तेलंगाणा के पड़ोसी राज्यों की पहचान करते हैं।
- भारत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्गीकरण करते हैं।
- तेलंगाणा की भौगोलिक विशेषताओं का वर्गीकरण करते हैं।

2.1 परिचय

- जिस स्थान का संबंध हम से है क्या उसका हमारे जीवन पर कुछ प्रभाव होता है?

जिस स्थान पर हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारी जीवन शैली और व्यवहार पर पड़ता है। इसीलिए हमारे स्थान और वह कहाँ स्थित है? इसका बारे में जानना महत्वपूर्ण है। स्थान की स्थिति के द्वारा हम जलवायु, वर्षा, नदियों और अन्य स्थानों के साथ संबंध के बारे में जानने में सक्षम होते हैं। आप जानते हैं कि आप जिस स्थान (गाँव या शहर) पर रहते हैं, वह तेलंगाणा में स्थित है। तेलंगाणा भारत के राज्यों में से एक है। इस पाठ में हम भारत और तेलंगाणा की स्थिति और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।.

2.2 स्थिति

2.2.1 भारत की स्थिति

भारतीय मुख्यभूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैली हुई है। इस प्रकार उत्तर-दक्षिण का फैलाव 3214 किलोमीटर और पूर्व-पश्चिम का फैलाव 2933 किलोमीटर है। कुल विश्व भूमि का 2.42% हिस्सा भारत में है।

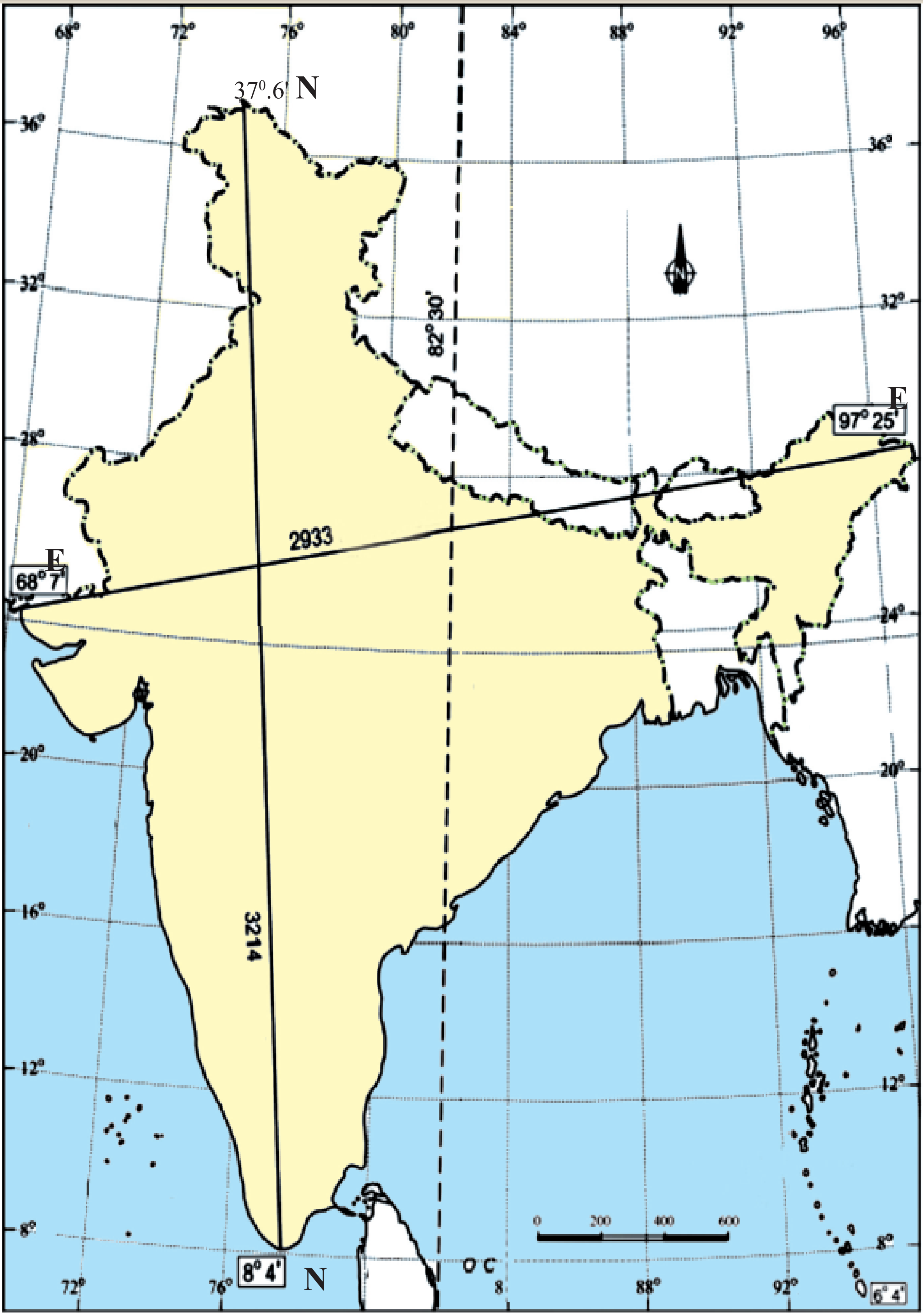

मानचित्र 2.1: भारत – उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम विस्तार और मानक मध्याह्न (मेरिडियन)

क्या आप जानते है?

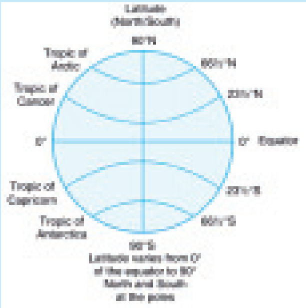

मानचित्र 2.2: महत्वपूर्ण अक्षांश

अक्षांश: अक्षांश पृथ्वी की सतह पर एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्यरेखा से उत्तर या दक्षिण में है।

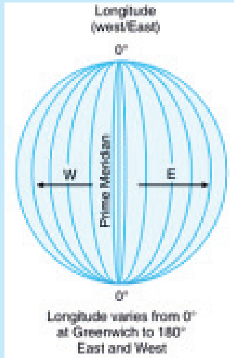

मानचित्र 2.3: देशांतर

देशांतर: देशांतर पृथी की सतह पर एक कोणीय दूरी है जिसका मापन ग्रीनविच पर मुख्य मध्याह्न से पूर्व या पश्चिम में किया जाता है।

भारत पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा ($23^o30'$ उत्तरी अक्षांश) देश के बीच से गुज़रती है। यह देश को लगभग दो समान भागों में विभाजित करती है। इस अक्षांश के उत्तरी भाग को उत्तर भारत और दक्षिणी भाग को दक्षिण भारत के नाम से जाना जााण्त है। इसी प्रकार, $82^o30'$ पूर्वी देशांतर देश के बीच में से गुज़रता है। इसे भारत का मानक मध्याह्न माना जाता है। इसी के आधार पर भारतीय मानक समय तय किया गया।

क्या आप जानते है?

पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात के बीच समय का अंतर 2 घंटे है। इसीलिए, $82^0 30'$ देशांतर को भारतीय मानक समय माना जाता है। $82^0 30'$ देशांतर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से गुज़रता है।

2.3 भारत के पड़ोसी देश

भारत एशिया में स्थित है। इसके तीन ओर समुद्र (जल निकाय) हैं। पश्चिम में - अरब सागर, पूर्व में - बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में - हिंद महासागर है। उत्तर-पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गनिस्तान है। उत्तर में चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल हैं। पूर्व में बंगलादेश, म्यांमान हैं। दक्षिण में - श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है।

भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु इंदिरा बिंदु है। यह निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांशों पर स्थित है। भारत की मुख्यभूमि का सुदूर दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी (8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश) है।

2.4 भारत की भौतिक (प्राकृतिक) विशेषताएँ

भारत भौतिक (प्राकृतिक) विभिन्नताओं वाला देश है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में बाँटा जा सकता है।

1. हिमालय, 2. इंडो-गंगा मैदान (उत्तरी मैदान), 3. प्रायद्वीपीय पठार, 4. थार रेगिस्तान, 5. तटीय मैदान, 6. द्वीप समूह।

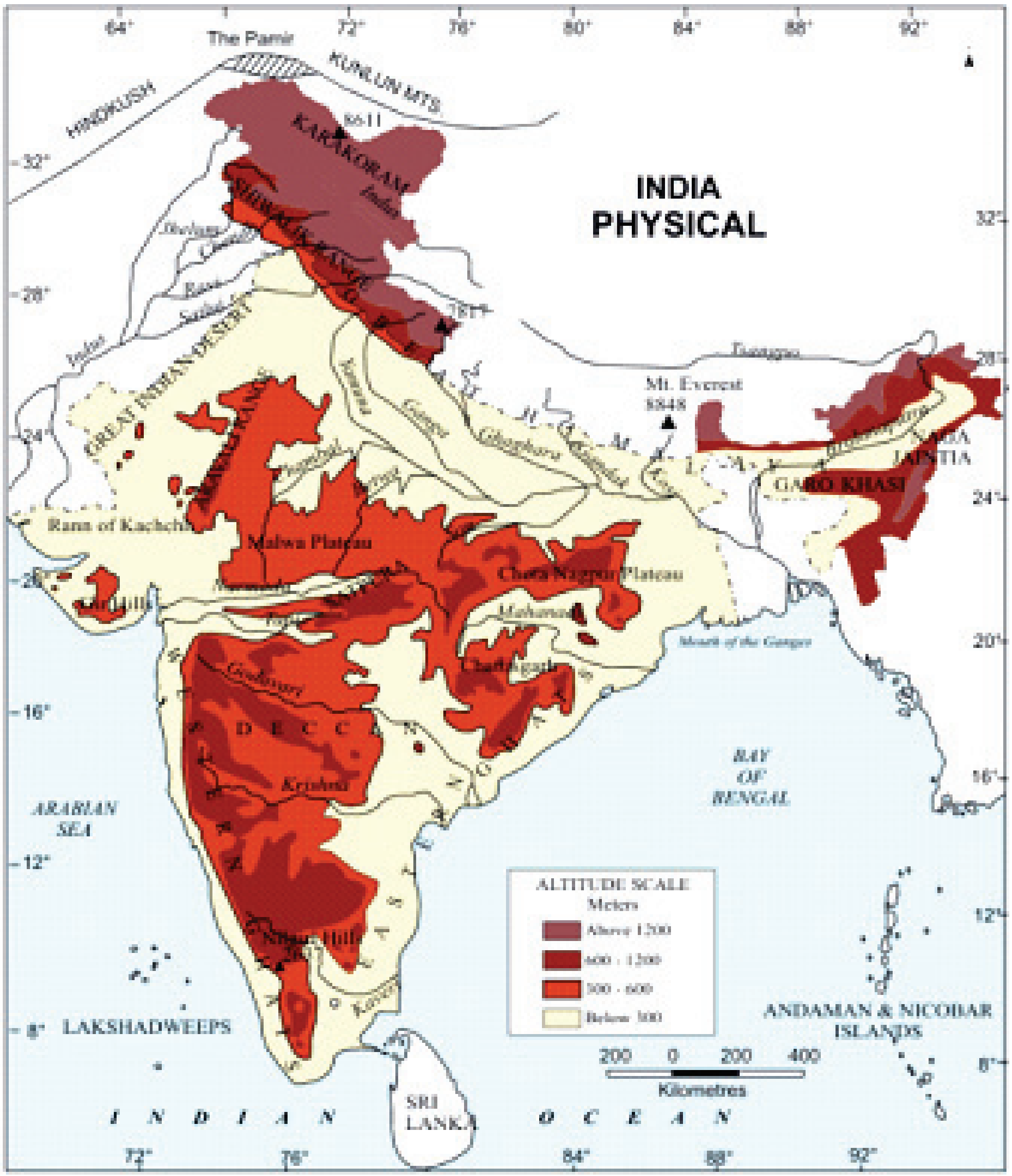

मानचित्र 2.4: भारत की भौतिक (प्राकृतिक) विशेषताएँ

1. हिमालय

हिमालय एक युवा मोड़दार पर्वत हैं। यह विश्व की उच्चतम पर्वत माला है। ये पश्चिमी पूर्वी दिशा में, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक भारत की उत्तरी सीमा 2400 कि.मी. की दूरी में फैली हुई हैं। इनकी चौड़ाई पश्चिमी में 500 कि.मी. और पूर्व में 200 कि.मी. है। हिमालय तीन समानांतर श्रेणियों में विभाजित है:

i) महान हिमालय या हिमाद्रि

ii) छोटा हिमालय

iii) बाह्य हिमालय या शिवालिक

i) महान हिमालय या हिमाद्रि: उत्तरी चरम पर्वतमालाओं को महान हिमालय कहा जाता है। इसकी औसत ऊँचाई 6100 मीटर है तथा चौड़ाई 120 से190 कि.मी. के बीच है। यह बर्फ़ से ढ़का हुआ है, कई हिमनद (glaciers) इसमें निकलते हैं। माऊण्ट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरि, नंगा पर्वत आदि इसकी ऊँची चोटियाँ हैं जिनकी ऊँचाई 8000 मीटर से अधिक हैं। माऊण्ट एवरेस्ट (8848मी.) विश्व की उच्चतम चोटी है और कंचनजंगा भारत में हिमालय की उच्चतम चोटी है। इन पर्वतमालाओं में उच्च पहड़ दर्रे भी मौजूद हैं। इनके नाम - शिपकी-ला, नाथू-ला, ज़ोजी-ला, बोमीड़ी-ला आदि हैं। गंगा और यमुना नदियों का उद्‌गम हिमालय से होता है।

ii) लघु हिमालय या हिमाचल: इस पर्वतमाला का उन्नतांश (Altitude) 4500 और 1000 मीटर के बीच और औसत 50 कि.मी. है। पीर पंजाल, धौला धार और महाभारत इस श्रेणी की प्रमुख पर्वतमालाएँ हैं। यह अनेक प्रसिद्ध पहाड़ी स्थानों जैसे-शिमला, दार्जलिंग, मसूरी, नैनीताल आदि से संकुलित है। इसमें कश्मीर, कुल्लू, कांगडा जैसी प्रसिद्ध घाटियाँ भी हैं।

iii) बाहृय हिमालय या शिवालिक : यह हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है। इसकी ऊँचाई 1100-900 के बीच और चौड़ाई 10-50 कि.मी. के बीच है। इसमें अनेक पहाड़ियाँ जैसे मयो और मिशमी पहाड़ियाँ आदि हैं। क्योंकि हिमालय के गठन में शिवालिक अंतिम है इसीलिए ये हिमालय की ऊपरी सिरे से होने वाले नदियों के प्रवाह को रोकती है और घाटियों में विशाल नहरों का निर्माण करती है। नदियों के द्‌वारा बहाकर लाई गई गाद और तलछट इन झीलों में जमा हो जाती है। जब नदियाँ शिवालिक पर्वतमालाओं से अपना रास्ता बदल लेती है, तो ये झीलें सूख जाती हैं और मैदानों का निर्माण होता है जिन्हें पश्चिम में 'दून' और पूर्व में 'दुआर' कहा जाता है। उत्तरांचल का देहरादून इस प्रकार के मैदान का सबसे अच्छा उदाहरण है जो 75 कि.मी. लंबा और 15-20 चौड़ा है।

2. इंडो-गंगा के मैदान (उत्तरी मैदान)

उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण में और प्रायद्‌वीपीय पठार के उत्तर के मध्य स्थित है। इनका निर्माण तीन मुख्य नदी व्यवस्थाओं जैसेः सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्‌वारा बहाकर लाये गये

तलछट के जमाव से होता है। पश्चिम में पंजाब से, पूर्व में असम तक यह मैदान 2400 कि.मी. लंबा है। इसकी चौड़ाई पश्चिम में 300 कि.मी. से पूर्व में लगभग 150 कि.मी. तक है। इसमें मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य शामिल हैं। यह मैदान विश्व के सबसे बड़े और उपजाऊ मैदानों में से एक है। यहाँ गेहूँ, चावल, गन्ना, दालें, तिलघन और पटसन (jute) जैसी मुख्य फसलें उगाई जाती है। उचित सिंचाई के कारण, खाद्यान्न के उत्पादन में मैदान का महत्वपूर्ण योगदान है। उत्तरी मैदान को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है:

i) सिंधु मैदान (पश्चिमी मैदान)

ii) गंगा - ब्रह्मपुत्र मैदान

i) सिंधु मैदान (पश्चिमी मैदान): इन मैदान का निर्माण सिंधु नदी व्यवस्था तथा इसकी सहायक नदियों जैसे सतलुज, झेलम, चिनाब, व्यास और रावी के द्वारा होता है। यह थार मरुस्थल के पश्चिम में स्थित है। इस मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान में स्थित है और बहुत कम भाग हमारे भारत में स्थित है।

ii) गंगा-ब्रहमपुत्र मैदान : इसका निर्माण दो नदी व्यवस्थाओं गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। प्रारंभिक सभ्यताएँ जैसे मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जिन्हें नदी घाटी सभ्यताएँ भी कहा जाता है, मैदानी क्षेत्रों में ही फैली हुई थी। नदियों के नेटवर्क (संजाल) के कारण इन मैदानों की भूमि उपजाऊ है और यहाँ पानी भी है।

3. प्रायद्वीपीय पठारः

प्रायद्वीपीय पठार एक त्रिकोणीय आकार की पठारी भूमि है। यह लगभग 5 लाख वर्ग. कि.मी. की भूमि पर स्थित है। यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाणा राज्यों में फैला हुआ है। नर्मदा नदी इसे दो भागों में विभाजित करती है। 1) केंद्रीय उच्च भूमि, 2) दक्कन पठार

i) केंद्रीय उच्च भूमि : यह नर्मदा नदी और उत्तरी मैदानों में फैला हुआ है। मालवा पठार और छोटा नागपुर पठार केंद्रीय उच्च भूमि के महत्वपूर्ण भाग हैं।

a) मालवा पठार : बेतवा नदी, चंबल और केन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं।

b) छोटा नागपुर पठारः- छोटा नागपुर पठार समृद्ध है जिसका उद्गम केंद्रीय उच्च पठार से हुआ है। छोटा नागपुर पठार खनिज संपदा से समृद्ध है।.

नर्मदा नदी विंध्य और सतपुड़ा के बीच पूर्व से पश्चिम तक बहती है और अरब सागर में मिलती है।.

ii) दक्कन पठार: दक्कन पठार नर्मदा नदी के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। इसका निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट के कारण हुआ है। दक्कन के पठार के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत हैं। दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियाँ, पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट आदि दक्कन के पठार की प्राकृतिक सीमाएं हैं। यहाँ का अधिकांश क्षेत्र काली मिट्टी से आच्छादित है।

4. थार रेगिस्तान

थार रेगिस्तान अरावली के पवन विमुखी दिशा (Leeward side) में स्थित है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ हर वर्ष 100 से 150 मि.मि. वर्षा होती है। रेगिस्तान लहराते रेतीले मैदानों और चट्टानी वनस्पतियों से घिरा हुआ है। इसका बड़ा भाग पश्चिम राजस्थान में है। यहाँ की जलवायु शुष्क होती है और वनस्पतियाँ बहुत ही कम होती है। पानी की धाराएँ यहाँ वर्षा ऋतु में ही दिखाई देती हैं और बाद में वे जल्द ही गायब भी हो जाती है। इस क्षेत्र में केवल एक ही नदी 'लूनी' है। ये अंतः प्रवाहित नदियाँ झीलों में मिल जाती हैं और समुद्र तक नहीं पहुँचती हैं।

5) तटीय मैदान

प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी भाग पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर के साथ संकुचित तटीय रेखाओं से घिरा हुआ है।

पश्चिमी तट: पश्चिमी तट कच्छ के रन से शुरु है और कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1) कोंकण तट - यह उत्तरी भाग है- यह उत्तरी भाग में है। यह महाराष्ट्र और गोवा को छूता है। 2) केनरा तट - यह मध्य भाग है। इसमें कर्नाटक के तटीय भाग शामिल हैं। 3) मलाबार तट - यह दक्षिणी भाग है। अधिकांशतः भाग केरल राज्य में है।

पूर्वी तट: बंगाल की खाड़ी के मैदान चौड़े हैं। इनकी संरचना विशाल और समतल है। इन मैदानों का निर्माण महानदी, गोदावरी, कृष्ण और कावेरी नदियों के द्वारा हुआ है। ये बहुत उपजाऊ हैं। ये सभी तटीय मैदान स्थानीय रूप से अलग-अलग नामों से जाने जाते हैं- : 1.उत्कल तट (ओड़िशा), 2. सिरकर तट (आंध्र प्रदेश), 3. कोरोमंडल तट (तमिलनाडु).

इंडो-गंगा के मैदानों के समान ही, ये डेल्टा भी कृषि के क्षेत्र में विकसित हैं। ये तटीय क्षेत्र मत्स्य संसाधनों में समृद्ध हैं। ओड़िसा की चिल्का झील तथा आंध्रप्रदेश की कोलेरू और पुलिकट झील तटीय मैदान की अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं।

6. द्वीप

यहाँ दो द्वीप समूह हैं - 1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 2) लक्षद्वीप समूह जो अरब सागर में है।

1) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह म्यांमार पर्वत अरकान योमा के जलमग्न पर्वत का एक ऊँचा भाग है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में नरकोंडम और बंजर द्वीप समूह ज्वालामुखी मूल के हैं। भारत का सुदूर दक्षिणी छोट 2004 की सुनामी के दौरान समुद्र में डूब गया था, जिसे 'इंदिरा बिंदु' के नाम से जाना जाता है।.

2) लक्षद्वीप द्वीप समूह : लक्षद्वीप प्रवाल का उद्गम क्षेत्र है। इसका भौगोलिक क्षेत्र 32 वर्ग कि.मी. है। इस प्रकार के द्वीप समूह विविध प्रकार की वनस्पति (flora) और प्राणीसमूह (fauna) के लिए प्रसिद्ध हैं।.

2.5 तेलंगाणा की स्थिति

तेलंगाणा राज्य भारत के प्रायद्वीपीय पठार में, 15 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 19 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 77 डिग्री 16 मिनट पूर्वी देशांतर से 81 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है।

2.6 तेलंगाणा - पड़ोसी देश

तेलंगाणा समुद्र से बहुत दूर है। यह भूमि से घिरा हुआ है। उत्तर में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, पश्चिम में कर्नाटक, पूर्व और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तेलंगाणा के पड़ोसी राज्य हैं।

पाठ - 15 में हम तेलंगाणा की जलवायु और भौगोलिक विशेषताओं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

मानचित्र - 2.5: तेलंगाणा - पड़ोसी राज्य

2.7 सारांश (मुख्य बिंदु)

- ❖ जिस स्थान पर रहते हैं वह हमारे जीवन को प्रभावित करता है।
- ❖ भारतीय मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैली हुई है। कुल विश्व भूमि क्षेत्र 2.42% हिस्सा भारत में है।
- ❖ $82^{o}30'$ पूर्वी देशांतर लगभग देश के मध्य में से गुज़रता है। इसे भारत का मानक मध्याह्न कहते हैं।
- ❖ भौतिक (प्राकृतिक) विशेषताओं के आधार पर भारत को 6 भागों में विभाजित किया गया है। 1. हिमालय, 2. इंडो-गंगा के मैदान (उत्तरी मैदान), 3. प्रायद्वीपीय पठार, 4. थार रेगिस्तान, 5. तटीय मैदान, 6. द्रवीय.

2.8 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. अक्षांश किसे कहते हैं?
2. देशांतर किसे कहते हैं?
3. आंध्र प्रदेश तेलंगाणा की किस दिशा में स्थित है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. भारत की सीमा पर स्थित देशों का उल्लेख कीजिए?
2. दून किसे कहते हैं?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. भारत की भौतिक (प्राकृतिक) विशेषताएँ क्या है? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।
2. भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए:

   a) हिमालय, b) थार रेगिस्तान, c) दक्कन पठार, d) इंडो-गंगा के मैदान

2.9 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT, तेलंगाणा की सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें

3 भारत की जलवायु और नदियाँ

3.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- 'जलवायु' और 'मौसम' में अंतर स्पष्ट करते हैं।
- भारत और तेलंगाणा में जलवायु, मानसून और मौसम जैसी अवधारणाओं का वर्णन करते हैं।
- भारत और तेलंगाणा की नदियों के बारे में बताते हैं।
- हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट करते हैं।
- हिमालयी नदियों के बारहमासी होने के कारणों का उल्लेख करते हैं।
- नदी जल सुरक्षा के महत्व का वर्णन करते हैं।

3.1 परिचय

'जलवायु' और 'मौसम' दोनों एक ही हैं या नहीं?

एक विशेष समय में (एक दिन, एक महीना, एक वर्ष) एक क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश, तापमान और अवक्षेपण (Precipitation), जैसे तत्वों की वातावरणीय परिस्थितियों की स्थिति को मौसम कहते हैं। मौसम की ये परिस्थितियों में, अल्पावधि में प्रायः उतार-चढ़ाव होते हैं।

एक बृहत् क्षेत्र में, इन परिस्थितियों को 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए उसी सामान्य स्वरूप में रहने की स्थिति को जलवायु कहते हैं। वर्ष दर वर्ष इसमें बदलाव हो सकते हैं किंतु बुनियादी स्वरूप एक ही रहता है। इस पाठ में हम भारत और तेलंगाणा की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे।

3.2 जलवायु

किसी क्षेत्र की जलवायु वहाँ की मानव गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। किसी क्षेत्र की कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन सभी उस क्षेत्र की जलवायु से प्रभावित होते हैं। किसी भी क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र के भूगोल, दबाव, हवा और आर्द्रता से प्रभावित होती है। .

3.2.1 भारत की जलवायु

भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक :

भारत में विभिन्न स्थानों के तापमान में बहुत अंतर है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जलवायु नियंत्रक कहा जाता है।

ये हैं : 1. अक्षांश, 2. समुद्र से दूरी, 3. ऊँचाई (उन्नतांश), 4. पर्वतमालाएँ, 5. सतही हवाओं की दिशा, 6. ऊपरी हवा तरंगें (जेट धाराएँ).

1. अक्षांश या भूमध्य रेखे से दूरी भूमध्य रेखा के समीपस्थ स्थानों का तापमान अधिक होता है। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता हैं। इसी कारण हम पृथ्वी के क्षेत्रों का विभाजित इस प्रकार हैः

1. उष्णकरिबंधीय क्षेत्र - ये भूमध्य रेखा के निकट स्थित हैं।

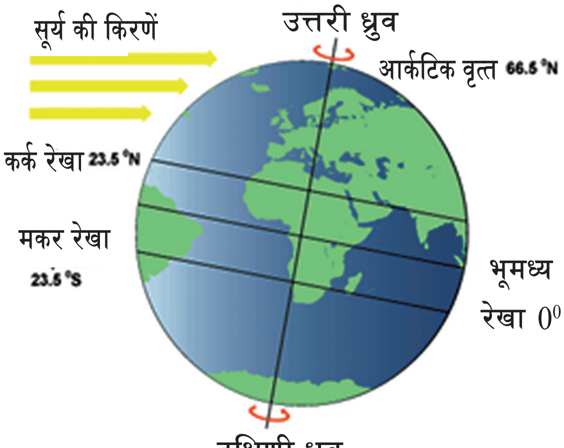

चित्र 3.1 : जलवायु पर अक्षांश का प्रभाव

2. ध्रुवीय क्षेत्र - ये ध्रुवों के निकट स्थित हैं।

3. समशीतोष्ण क्षेत्र - ये इन दो चरम क्षेत्रों के बीच स्थित हैं।.

भारतीय क्षेत्र भूमध्यरेखा के समीप 8 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से आरंभ होता है। इसके अतिरिक्त, 23.30 डिग्री (कर्क रेखा) उत्तरी अक्षांश भारत से गुज़रता है। कर्क रेखा के दक्षिणी ओर के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उत्तरी क्षेत्र को समशीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। अर्थात् कर्क रेखा के दक्षिणी ओर के क्षेत्रों में तापमान अधिक होता है और उत्तरी ओर के क्षेत्रों में तापमान कम होता है। उदाहरण के लिए हरियाणा की तुलना में तेलंगाणा में तापमान अधिक होता है।

2. समुद्र से दूरी:

भारत का दक्षिणी भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। समुद्री प्रभाव के कारण यह क्षेत्र न तो गर्मियों में गर्म होता है और न ही सर्दियों में सर्द होता है। इस क्षेत्र का तापमान सामान्य होता है। क्योंकि भारत को उत्तरी भाग समुद्र से बहुत दूर है इसीलिए वहाँ की जलवायु अति विषय होती है।

3. ऊँचाई (उन्नतांश) :

जैसे जैसे हम उच्च उन्नतांशों पर जाते हैं वैसे-वैसे ऊँचाई के साथ-साथ तापमान में कमी होती है। उदाहरण के लिए पहाड़ियों पर स्थित शिमला शहर ठंडा होता है जबकि मैदान में स्थित लुधियाना शहर की जलवायु गरम होती है।

4. पर्वत मालाएँ:

किसी क्षेत्र की जलवायु पर पर्वत मालाओं का भी वृहत् प्रभाव होता है। हिमालय पर्वत हमारे देश के उत्तरी भाग में स्थित है। इसकी औसत ऊँचाई 6000 मीटर है। यह केंद्रीय एशिया की ठंडी हवाओं से हमारे देश की रक्षा करता है। दूसरी ओर वर्षा को वहन करने वाली दषिण-पश्चिम

मानसूनी हवाओं पर नियंत्रण कर भारत में अपनी नमी को फैलाने के लिए दबाव डालते हैं। इसी तरह, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलानों पर, पश्चिमी घाटों के कारण भारी वर्षा होती है।

5. सतही हवाओं की दिशा:

वायु व्यवस्था भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। इस व्यवस्था में स्थायी हवाएँ, मानसूनी हवाएं और स्थानीय हवाएं होती हैं।

व्यापारी हवाएँ : ये हवाएँ पूरे वर्ष में समान दिशा में निरंतर प्रवाहित होती हैं।

मानसूनी हवाएँ: ये हवाएँ विशेष समय में समान दिशा में निरंतर प्रवाहित होती हैं।

स्थानीय हवाएँ: ये हवाएँ स्थानीय क्षेत्र त सीमित होती हैं। ये गर्म और ठंडी हवाएं हैं। उदाहरणस्वरूप : गर्म लू हवाएँ।.

6. ऊपरी हवा तरंगे (जेट धाराएँ):

सतही हवाओं के अतिरिक्त, वायु तरंगें भी होती हैं जिन्हें जेट धाराएँ कहा जाता है। ये भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। ये 12,000 मीटर की ऊँचाई के उच्च वायुमंडल की एक संकीर्ण पट्टी में तेज़ी से बहने वाली वायु तरंगें हैं। सर्दियों में इनकी गति 184 कि.मी. प्रति घंटा ौर गर्मियों में 110 कि.मी. प्रति घंटा होती है। पूर्वी जेट धाराएँ 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्पन्न होती हैं। ये आस-पास के वातावरण को ठंडा बनाती हैं। इस ठंडेपन के कारण वर्षा होती है।

3.2.2 तेलंगाणा की जलवायु

तेलंगाणा की जलवायु भारत की जलवायु के समान ही है। तेलंगाणा राज्य समुद्र से दूर है और भौगोलिक रूप से इसका संबंध उप शुष्क प्रकार के जलवायु क्षेत्र से है। इसीलिए यह गर्म और शुष्क है। यहाँ गर्मियों में तापमान बहुत अधिक और सर्दियों में कम होता है। गर्मी मार्च में आरंभ होती है और मई में 42 डिग्री औसत तापमान के साथ तीव्र हो जाती है। सर्दी नवंबर के आखिर में आरंभ होती है और फरवरी तक जारी हो रहती है। उस समय औसत तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड के नीच होता है। तेलंगाणा के रामगुंडम में उच्चतम औसत तापमान 40डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसका एक कारण थर्मल पॉवर प्लांट में कोयलों का ज्वलन और उस स्थान में स्थित कोयले की खानें हैं। आदिलाबाद जिले में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। इसका कारण उच्च उन्नतांश और इस क्षेत्र में स्थित वन भी हैं।

3.2.3 भारत-मौसम

भारत की जलवायु को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। 1. शीत ऋ तु 2. ग्रीष्म ऋतु, 3. वर्षा ऋतु

1. शीत ऋतु

भारत के भूखंडों में तापमान मध्य नवंबर से निरंतर कम हो जाता है। सर्दी फरवरी के मध्य तक जारी रहती है। आम तौर पर जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। देश के कई भागों में दिन

का तापमान 10^0 सेंटीग्रेड के नीचे होता है। विशेषकर उत्तर भारत में निम्नतम तापमान दर्ज किया जाता है। विशेषकर दक्षिणी भारत के तटीय क्षेत्रों में 20 डिग्री से अधिक सामान्य तापमान तथा सुहावनी जलवायु होती है।

सर्दियों के दौरान साफ आकाश, ठंडी हवाओं और कम नमी के साथ मौसम सुखद होता है। भूमध्य सागर (पश्चिमी विक्षोभ) से आने वाले चक्रवातों के कारण भारत के उत्तरी भागों में वर्षा होती है। यह वर्षा रबी के मौसम में उगाई जाने वाली गेहूँ की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है।

2. ग्रीष्म ऋतु

ग्रीष्म ऋतु के दौरान जब हम दक्षिणी भाग से उत्तरी भारत की ओर जाते हैं तो औसत तापमान के वृद्धि हो जाती है। अप्रैल से उत्तर भारत के मैदानों का अधिकतम तापमान क्रमशः 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। मध्य मई तक भारत के कई भागोंम, विशेषकर उत्तरी-पश्चिमी मैदानों और मध्य भारत में दिन का तापमान 41 डिग्री से 45 डिग्री के बीच होता है। यहाँ तक कि निम्नतम तापमान भी 20 डिग्री से कम नहीं होता है। उत्तरी मैदानों में बहने वाली शुष्क और गर्म स्थानीय हवाओं को 'लू' 'Loo' कहा जाता है। जब गर्मी का मौसम समाप्ति पर होता है, उस समय आम तौर पर दक्कन पठार में पूर्व-मानसून की बौछारें (मानसून फोड़) गिरती है। ये प्रायद्वीपीय भारत में आम और अन्य बागानी फसलों को शीघ्र पकने में मदद करती है। इसीलिए तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश में स्थानीय तौर पर इन्हें 'आम की बौछारें' कहा जाता है।

3. वर्षा ऋतु(अग्रिम मानसून)

भारत की जलवायु मानसून की हवाओं से प्रभावित है। प्राचीन काल में भारत में आने वाले नाविकों ने हवाओं का नियतकालीन फेर बदल देखा। इन्होंने भारतीय तट की ओर यात्रा करने के लिए इन हवाओं का उपयोग किया। अरब के व्यापारियों ने हवाओं के इस नियतकालीन फेरवदल को 'मानसून' का नाम दिया।.

मानसून हवाओं का निर्माण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तरी और 20डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होता है। दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी हवाएँ हिंद महासागर से गुज़रती है इसीलिए अपने साथ नमी लाती है, जब ये भूमध्यरेखा को पार कर लेती हैं तो भारतीय उप महाद्वीप में गठित कम दबाव की ओर मुड़ जाती हैं। भूमि का ताप भारतीय उप-महाद्वीप की भूमि, विशेषकर मध्य भारत और गंगा के मैदानों में निम्न दबाव उत्पन्न करता है।

क्या आप जानते है?

यदि पर्वत वर्षा उत्पन्न करने वाली मौसमीय व्यवस्था का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं तो ऊँचाई को पार करने के पूर्व ही यह ठंडी और अवक्षेपित हो जाती है। तब दूसरी ओर कोई वर्षा नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र को वर्षा छाया क्षेत्र (rain shadow region) कहते हैं।.

4. मानसून की वापसी

अक्तूबर से नवंबर तक का काल गर्म वर्षा की स्थिति से शुष्क शीत की स्थिति में परिवर्तन का काल है। साफ आकाश और तापमान में वृद्धि से मानसून की वापसी का पता चलता है। जहाँ दिन का तापमान अधिक होता है वहीं रात ठंडी और सुहावनी होती है। भूमि में अभी भी नमी होती है। उच्च तापमान, नमी के कारण मौसम दमनकारी हो जाता है। आम तौर पर इसे ''अक्तूबर गर्मी'' ('October heat') के नाम से जाना जाता है।

पहले से ही उत्तर-पश्चिमी भारत में मौजूद कम दाबाव की स्थिति नवंबर के आरंभ में बंगाल के खाड़ी पर उत्पन्न होती है। इस अवधि के दौरान चक्रवाती दबाव सामान्य होता है, जिसका उद्गम अंडमान के क्षेत्र से होता है।

चित्र 3.1: भारत-दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आरंभ

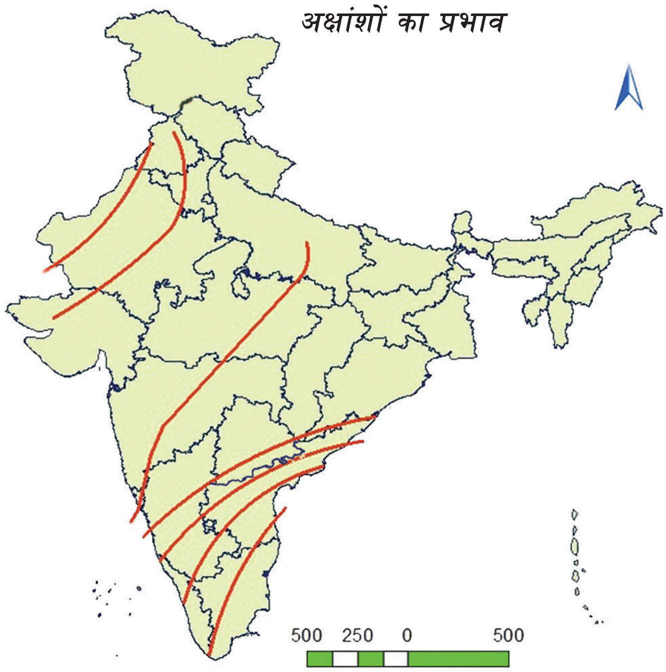

चित्र 3.2 : जलवायु पर अक्षांशों का प्रभाव

पारंपरिक भारतीय ऋतुएँ

भारतीय परंपरा में एक वर्ष में छाह द्विमासिक ऋतुएँ होती है।

ऋतुएँ	भारतीय (चंद्र) कैलेंडर के अनुसार महीने	पश्चिमी (ग्रेगोरियन) कैलेंडर के अनुसार महीने
वसंत	चैत्र – वैशाख	मार्च – अप्रैल
ग्रीष्म	ज्येष्ठ – आषाढ़	मई – जून
वर्षा	श्रावण – भाद्रपद	जुलाई – अगस्त
शरद	अश्विन – कार्तिक	सितंबर – अक्तूबर
हेमंत	मार्गशीर्ष – पौष	नवंबर – दिसंबर
शिशिर	माघ – फाल्गुन	जनवरी – फरवरी

3.3 भारत की नदियाँ

मानव जाति के इतिहास में नदियों की महत्वपीर्ण भूमिका है। प्राचीन काल में, लोग नदियों के किनारे निवास करते थे। ये निवास स्थान बाद में बड़े शहर बन गये। इसके अतिरिक्त जलस्त्रोतों का उपयोग लोगों की जीविका के साथ-साथ जल विद्युत उत्पादन और कृषि के लिए किया जाता है।

उत्पत्ति के आधार पर भारत की नदियों के वर्गीकरण 2 प्रमुख अपवाह तंत्रों या प्रवाह प्रणालियों में किया गया है। 1. हिमालय नदी प्रणाली, 2. प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली

1. हिमालय नदी प्रणाली:

- हिमालय की नदियाँ बारहमासी है, क्योंकि इनका उद्गम बर्फ़ से घिरे पर्वतों से होता है। इन्हें वर्षा का जल भी प्राप्त होता है।
- अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा ये नदियाँ घाटियों का निर्माण करती हैं।
- ये नदियाँ सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है और उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करती है।

हिमालय नदी प्रणाली को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है-

i) सिंधु नदी प्रणाली: झेलम, रावी, चिनाब, बायास, सत्लज।

ii) गंगा नदी प्रणाली : यमुना, रामगंगा, घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी आदि।

iii) ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली: डिबंगु, लोहित और टिस्टा आदि

2. प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली:

गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी महत्वपूर्ण प्रायद्वीपीय नदियाँ है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाली की खाड़ी में मिलती है। केवल नर्मदा नदी और ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में मिलती हैं।

चित्र 3.3 : भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ

क्रियाकलाप

अटलस में भारत के राजनैतिक और भौतिक मानचित्र का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए।

नदी	महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ	उद्‌गम स्थान	वे राज्य जिनमें ये बहती है	किस समुद्र/महासागर में मिलती है
गंगा				
ब्रह्मपुत्र				
सिंधु				
सतलज				
गोदावरी				
कृष्णा				

3.4 तेलंगाणा राज्य - नदियाँ

तेलंगाणा राज्य के संपूर्ण उत्तरी-पश्चिमी भाग का उठान दक्षिणी पूर्व की ओर होने के कारण तेलंगाणा की नदियाँ बंगाल की खाड़ी में प्रवाहित होते है।

तेलंगाणा की दो महात्वपूर्ण नीदयाँ हैं - 1. गोदावरी, 2. कृष्णा

1. गोदावरी-

गोदावरी नदी तेलंगाणा की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। इसे दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। इसका उद्‌गम पश्चिमी घाट में त्र्यंबकेश्वर से होता है। गोदावरी नदी तेलंगाणा के निर्मल जिले के कुंदुकुर्ती से प्रवेश करती है और लगभग 600 कि.मी. तक प्रवाहित होती है। तेलंगाणा में इस पर

श्री राम सागर, श्री पद, दुम्मुगुड़म आदि परियोजनाओं का निर्माण किया गया है जो सिंचाई और पीने के लिए जल की आपूर्ति करती हैं। ये तेलंगाणा में निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, मंचरियाल, जयशंकर भूपालपल्ली, महबूबाबाद और भद्राद्री कोत्तागुड़ेम जिलों से प्रवाहित होती है। आगे यह आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में बंगाल की खाडि में मिल जाती है। मंजीरा, प्राणाहिता, कदम, हरेद्रा, पेनगंगा, मनेरू, सबरी, किन्नरसानी और पेद्दवागु गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। नदी के किनारे पर स्थित जंगल वनस्पति (Flora) प्रायि समूह (Fauna) की जैव विविधता समृद्ध हैं। अपनी यात्रा की समाप्ति से पहले, यह कालेश्वरम में त्रिवेणी के संगम पर सरस्वती नदी से मिलती है। तेलंगाणा सरकार ने हाल ही में सि नदी पर कालेश्वरम के समीप मेडीगड्डा पर एक परियोजना का निर्माण किया है।

2. कृष्णा नदी

कृष्णा नदी का उद्‌गम महाराष्ट्र के सतारा जिले में, महाबलेश्वर पर परिचयी घाटों से होता है। यह तेलंगाणा में लगभग 416 कि.मी. तक प्रवाहित होती है। कृष्मा नदी, तेलंगाणा में नारायणपेट जिले में मकतल मंडल के तंगड़ी गाँव से प्रवेश करती है। कोइना, पंचगंगा, दूदगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, पेद्‌दावागु, हालिया, मूसी, पालेरू, मुन्नेरू आदि कृष्णा की सहायक नदियाँ है।

कृष्णा की सहायक नदियाँ

तुंगभद्रा नदी: इसका उद्‌गम कर्नाटक राज्य के पश्चिमी घाटों से होता है। यह जोगुलांबा जिले की सीमा पर कृष्णा नदी से मिलती है। यह कृष्मा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।

तुंगभद्रा नदी का निर्माण तुंग और भद्रा जैसी दो नदियों के मेल से हुआ है।

मूसी नदी: इसका उद्‌गम विकाराबाद जिले के समीप शिवरेड्डी पेट में अनंतगिरी की पहाड़ियों से होता है। यह हैदराबाद से बहती हुई नलगोंडा जिले के वाडापल्ली के समीप कृष्मा नदी से मिलती है। पहले इसे मुचकुंदा नदी के नाम से जाना जाता था। इस नदी पर गंडीपेट में उस्मान सागर बाँध बनाया गया है। यह बाँध हैदराबाद और सिकंदराबाद के लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाता है। उस्मानसागर और हिमायतसागर यहाँ के महत्वपूर्ण जलाशय हैं। हैदराबाद शहर में सीवेज फैक्ट्रियों के व्यर्थ जल और उत्प्रवाहों के कारण मूसी नदी का पानी गंभीर रूप से प्रदूषित हो गया है।

3.4 नदियों की स्वच्छता

पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 97% महासागरों का खारा पानी है। शुद्‌ध जल केवल 3% है। इस शुद्‌ध जल का 70% अंटार्किटिक, आर्कटिक और पर्वतों में पाया जाता है। 29.5% भूगर्भ जल है। अर्थात पृथ्वी के संपूर्ण शुद्‌ध जल का 0.5 प्रतिशत, तालाबों, बाँधों और नदियों में है। इनका पानी हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। विश्व की जनसंख्या इसी जल पर निर्भर करती है। पानी की लघु मात्रा सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। शुद्‌ध जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आज नदियाँ और झीलें प्रदूषित हो गई हैं जो एक खतरे की घंटी है। .

हमें हमारे जीवन में इन नदियों को सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। नदियों के किनारे अनेक शहरों और पवन स्थलों का निर्माण किया जाता है। गंगा और यमुना नदियों को करोडों लोग पवित्र मानते हैं। किंतु अब ये प्रदूषित हैं। भारतीय नदियाँ कूड़े-करकट में परिवर्तित हो गई है। इसका प्रभाव मानव के स्वास्थ्य और समुद्री जीवन पर पड़ता है। लोगों की लापरवाही के कारण प्रतिदिन नदियों में प्रदूषक प्रवाहित किए जाते हैं। नगरों से बहने वाली नदियाँ बहुत प्रदूषित होती है।

भारत की सरकार ने गंगा जल संभरण प्रबंधन योजना (Watershed Management Plan) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है किंतु समाधान अब तक नहीं हुआ है। बहुत समय से पर्यावरणविदों की माँग है कि सभी को चाहिए कि वे नदियों को अपनी समझें और नदियों के निचले भागों में रहने वाले लोगों पर ध्यान दें। जनता की भागीदारी और जन सहयोग के द्वारा जल की स्वच्छता के महत्व से अवगत कराया जा सकता है।

3.5 सारांश (मुख्य बिंदु)

- एक विशेष समय में एक क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश, तापमान और अवक्षेपण जैसे तत्वों की वातावरणीय परिस्थितियों की स्थिति को मौसम कहते हैं। एक वृहत् क्षेत्र में, इन परिस्थितियों के 30 या उससे अधिक वर्षों के लिए उसी सामान्य स्वरूप में रहने की स्थिति को जलवायु कहते हैं।
- भारत में विभिन्न स्थानों के तापमान में बहुत अंतर होता है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों को जलवायु नियंत्रक कहते हैं। ये कारक हैं- : 1. अक्षांश, 2. समुद्र से दूरी 3. उन्नतांश (ऊँचाई) 4. पर्वतमालाएँ, 5. सतही हवाओं की दिशा, 6. ऊपरी वायु तरंगे (जेट धाराएँ).
- भारत की जलवायु को तीन मौसमों में विभाजित किया गया है। 1. शीत ऋतु, 2. ग्रीष्म ऋतु और, 3. वर्षाऋतु.
- On the basis of origin, Indian rivers have been classified in to two major drainage systems. 1. हिमालयी नदी प्रणाली, 2. प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली
- हिमालयी नदी प्रणाली : इसे तीन वर्गों में विभाजित किया गया है।.

  i) सिंधु नदी प्रणाली, ii) गंगा नदी प्रणाली, iii) ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली
- गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। केवल नर्मदा और ताप्ती जो पश्चिमी घाटों की ओर पश्चिम की ओर बहती हैं अरब सागर में जाकर मिलती है।
- गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, प्राणहिता, पेनगंगा, मनेरू, सबरी, किन्नरसानी, मूसी, डिंडी, पालेर, मुन्नेरू, भीमा और पेद्दावागु तेलंगाणा की महत्वपूर्ण नदियाँ है।

- ❖ पृथ्वी के शुद्ध जल का केवल 0.5% ही तालाबों, जलाशयों और नदियों में उपलब्ध हैं।
- ❖ आज नदियाँ और झीलें प्रदूषित हैं और खतरे की घंटी बज रही हैं। इसीलिए सभी को जल संरक्षण के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है।

3.6 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. मौसम किसे कहते हैं?
2. मानसून की उत्पत्ति किन अक्षांशों पर होती है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. तेलंगाणा के किस स्थान पर अधिकतम तापमान दर्ज किया गया? इसका क्या कारण है?
2. ग्रहीय हवाओं और मानसून में अंतर स्पष्ट कीजिए?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर स्पष्ट कीजिए?
2. भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? किन्हीं दो का वर्णन कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तरी पूर्वी मानसूनी मौसम में इस क्षेत्र में चक्रवातों का निर्माण होता है। (   )

   A) लक्षद्वीप   B) अंडमान   C) तेलंगाणा   D) दिल्ली

2. पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ है-   (   )

   A) गोदावरी, कृष्णा   B) तुंगभद्रा, कावेरी

   C) नर्मदा, ताप्ती   D) महानदी, दामोदर नदी

3.7 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें.

4 प्राकृतिक संसाधन

4.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- प्राकृतिक संसाधनों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों के महत्व का वर्णन करते हैं।
- प्राकृतिक संसाधनों में कमी होने के कारणों का विश्लेषण करते हैं।
- संसाधनों के संरक्षण के लिए सुझाव देते हैं।
- हरित उर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहन देते हैं।

4.1 परिचय

12 सितंबर 2020, टाईम्स ऑफ इंडिया

जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया उन्हें सलामी दी गई।

धारवाड़: वे लोग जिन्होंने प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भारत के समृद्ध जंगलों के संरक्षण के लिए अपने जान की बाजी लगा दी, शुक्रवार के दिन उन स्लिंग नायकों का स्मरण किया गया और उन्हें श्रद्धांजली दी गई। ये तब किया गया जब धारवाड़ के वन विभाग ने वन शहीदी दिवस मनाया था। इन शहीदों की याद में तीन राऊण्ड में हवा में गोलियाँ दागी गई और दो मिनटों के लिए मौन रखा गया।

इस समारोह में भाग लेने वाले पदाधिकारियों में धारवाड़ के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश उमेश अदिगा, कमिश्नर नितिश पाटिल और चीफ प्रिसरवेटर ऑफ फारेस्ट {धारवाड़ सर्कल} मंजूनाथ आदि प्रमुख थे। इन्होंने शहीदों के सम्मान में निर्मित स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की।

"युवाओं को प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरुक किया जाना चाहिए। जिन्होंने असंरक्षित वनों के संरक्षण के लिए अपने जीवन का बलिदान किया उनकी निष्ठा और बलिदान की प्रशंसा करनी चाहिए। उमेश अदिगा ने कहा- नौकरी करते हुए स्वयं की सुरक्षा के साथ वन की सुरक्षा करना एक चुनौती है।" उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शहीदों के परिवारों को उचित क्षतिपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा करना केवल वन विभाग का ही कर्त्तव्य नहीं है बल्कि सामान्य जनता को भी प्राकृतिक संपदा की सुरक्षा के लिए कानून प्रर्वतन एजेंसियों (Law enforcement agencies) की सहायता करनी चाहिए।

- सोचिए कि यह लेख किन पहलुओं को दर्शाता है।
- इन पहलुओं में से, अपने जीवन के किसी एक पहलू का स्मरण कीजिए और उसे अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए।
- समाचार पत्रों से इसी तरह के लेखों का संग्रह कीजिए।

4.2 प्राकृतिक संसाधन

किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए आवश्यक वस्तु या स्त्रोत को संसाधन कहा जाता है। बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति में निर्मित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। ये संसाधन हमारे ग्रह का एक हिस्सा है। ये हमारे चारों ओर निर्मित हैं। इन संसाधनों का उपयोग अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए इनपुट के रूप में किया जाता है। हमारे आस-पास अनेक संसाधन हैं किंतु इनमें से कुछ ही मूल्यवान माने जाते हैं। ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि मानव अन्य संसाधनों की अपेक्षा इन संसाधनों को अधिक महत्व देता है। ये सभी संसाधन मानव जाति के स्वास्थ्य, धन और कल्याण के स्त्रोत हैं।

क्रियाकलाप

- आप जिन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग प्रतिदिन करते हैं, कभी-कभी करते हैं या कभी भी नहीं करते हैं, उनकी एक सूची बनाइए और निम्नलिखित तालिका में लिखिए।.

तालिका -1: प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग

प्राकृतिक संसाधन	प्रतिदिन	कभी-कभी	कभी उपयोग नहीं करते है।

4.3 प्रकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण

कभी सभी प्राकृतिक संसाधन समान हैं? क्या उनके बीच कोई अंतर हैं? प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है:

प्राकृतिक संसाधन

नवीनकरणीय संसाधन | अनवीकरणीय संसाधन

नवीकरणीय संसाधन: वे संसाधन जिनकी पुनः उत्पत्ति या पुनःपूर्ति की जा सकती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।

उदाहरण: ज्वार, हवा

अनवीकरणीय संसादन: वे संसाधन जिनकी पुनः उत्पत्ति या पुनःपूर्ति करना कठिन होता है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।

उदाहरण: जीवाश्म ईंधन, खनिज (कोयला, लोहा, अभ्रक आदि)

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. निम्नलिखित तालिका की पूर्ति कीजिए।

प्राकृतिक संसाधन	संसाधन के प्रकार	संसाधन के उपयोग

2. आपके आस-पास कितने प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं? उदाहरण दीजिए।

4.4 उर्जा के नवीनकरणीय स्त्रोत

जनसंख्या में वृद्धि के साथ, संसाधनों की आवश्यकता में भी उच्च वृद्धि हुई है। एक ओर अनवीकरणीय संसाधनों के निष्कर्षण को कम करने की अत्यंत आवश्यकता है तो दूसरी ओर बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मानव जाति के लिए एक बड़ी चुनौती है। इव परिस्थितियों में, क्या वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने और भावीपीढ़ियों के लिए संसाधनों के संरक्षण के लिए उर्जा के कोई वैकल्पिक स्त्रोत हैं? वर्तमान और भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उर्जा के नवीकरणीय साधनों का उपयोग करना ही इसका समाधान है। नवीकरणीय संसाधनों का तात्पर्य सूर्य के प्रकाश, हवा और ज्वार आदि से है जो अधिक समय के लिए प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। आम तौर पर उर्जा के इन स्त्रोतों को उर्जा के मनवीकरणीय स्त्रोतों के वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में माना जाता है। इन स्त्रोतों के द्वारा उत्पन्न उर्जा को हरित उर्जा कहा जाता है। उदाहरण:- जल उर्जा, सौर उर्जा, भू उष्मीय उर्जा आदि। उर्जा के नवीनकरणीय स्त्रोतों के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है:-

1) **जैव द्रव्यमान उर्जा:** पौधों और जानवरों से प्राप्त जैव सामग्री का उपयोग उर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।
2) **जल उर्जा:** जल एक ऐसा संसाधन है जिससे बिजली उत्पन्न की जाती है।
3) **भू उष्मीय उर्जा**: भूमि के आंतरिक भाग से निकलने वाली उष्मा का उपयोग उर्जा के उत्पादन के लिए जाता है।
4) **वायु उर्जा :** वायु टरबाइनों के प्रयोग करने पर जब हवा चलती है तो बिजली उत्पन्न होती है।

5) **सौर उर्जा:** सूर्य के प्रकाश का उपयोग उर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है।

6) **ज्वारीय उर्जा:** समुद्र में ज्वारों के उतार-चढ़ाव से ज्वारीय उर्जा उत्पन्न की जाती है।

अनवीकरणीय संसाधन: भारत के मानचित्र में अनवीकरणीय स्त्रोतों की उपलब्धतता का अवलोकन कीजिए।

मानचित्र 4.1: भारत - खनिज

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. हरित उर्जा के उपयोग के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक करपत्र तैयार कीजिए।
2. आप अपने दैनिक जीवन में हरित उर्जा का उपयोग किस प्रकार करते है?

4.5 प्राकृतिक संसाधनों का महत्व

पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जो जीवन की सहायक है। प्राकृतिक संसाधनों के बिना यह संभव नहीं है। जीवन अस्तित्व में है और केवल प्राकृतिक संसाधनों के कारण ही इसका अस्तित्व जारी है। पृथ्वी पर सजीव और निर्जीव संसाधनों के पारस्परिक क्रिया के कारण है। जीवन की निरंतरता है।

प्राकृतिक संसाधनों के लाभ

गरीब लोगों के लिए लाभकारी: अपनी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए गरीब लोग सामान्यतः प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहते हैं। विशेषकर जब उनके पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं होते हैं तब वे भोजन और आश्रय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों और जानवरों पर निर्भर होते हैं। छोटे घावों को ठीक करने के लिए वे औषधीय जड़ी-बूटियों का उपयोग करते है।

रोज़गार उत्पन्न करना: प्राकृतिक संसाधन विशेष रूप से ग्रामीण लौगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। कृषि आप भी कई देशों की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ है। उपजाउ मिट्टी और पानी की उपलब्धता औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में भी रोज़गार प्रदान करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये संसाधन गैर-कृषि गतिविधियों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई बार ये संसाधन प्राकृतिक पूँजी बन जाते हैं। यह देखा गया है कि औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक क्षेत्र में बहुत गिरावट आई है। हालांकि नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में रोज़गार धीरे-धीरे बढ़ रहा है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के दीर्घकालिक कार्य भी अधिक रोज़गार उत्पन्न करते हैं।

अर्थ व्यवस्था की रीढ़: प्राकृतिक संसाधनों के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पन्न और वितरण नहीं हो सकता है। इनका उपयोग अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों अर्थात् कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों में किया जाता है। वे गरीबी को कम करके और रोज़गार को बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की दो मुख्य चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इन प्रकार यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि प्राकृतिक संसाधन किसी भी देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ होते हैं और वे दीर्घकालिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य, उत्पादित वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. प्राकृतिक संसाधनों के महत्व पर एक पोस्टर तैयार कीजिए।.

4.6 प्राकृतिक संसाधनों की कमी

क्या मानव जाति प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रही है? अधिक उपयोग कर रही है? या दुरुपयोग कर रही है? यदि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उत्पादन से अधिक होता है तो

प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग उत्पादन से अधिक होता है तो प्राकृतिक संसाधन कम हो जाते हैं। यदि इस संसाधन का निरंतर निष्कर्षण किया जाता है तो वह दुर्लभ संसाधन बन जाता है और अंततः विलुप्त हो जाता है। कुछ प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर अनवीकरणीय संसाधनों को पुनर्जनन की प्रक्रिया में लाखों साल लगाते हैं। यही नहीं, इन संसाधनों के निरंतर निष्कर्षण से इनका ह्रास होता है। यदि ये संसाधन उपलब्ध नहीं होते हैं तो पृथ्वी पर जीवत के अस्तित्व के लिए यह एक बहुत बड़ा खतरा है। यदि अनवीकरणीय संसाधनों का निर्बाध निष्कर्षण जारी रहता है तो भावी पीढ़ी को ये संसाधन नहीं मिल सकते हैं और वर्तमान पीढ़ी को प्रदूषण के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण

जनसंख्या विस्फोट: जनसंख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों के उपभोग में भी वृद्धि हो रही है। बढ़ती माँगों की पूर्ति की लिए अधिक संसाधनों का निष्कर्षण किया जा रहा है जिससे संसाधनों में कमी हो रही है।

वनों की कटाई (निर्वनीकरण): बढ़ती जनसंख्या के भोजन और आश्रय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वनों के क्षेत्र की कटाई कर अधिक भूमि पर खेती की जा रही है। इसका परिस्थितिकी (ecology) और अर्थ व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

औद्योगिक क्रांति: औद्योगिक क्रांति के कारण अधिक प्रौद्योगिकी प्रगति हुई। मशीनों और प्रौद्योगिकी के उपयोग से उत्पादन में वृद्धि हुई और इससे कच्चे माल की माँग की बहुत बढ़ गई।

प्राकृतिक संसाधनों की कमी के प्रभाव

- प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक निष्कर्षण से उस स्थान की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वैश्विक ताप में वृद्धि से विश्व भर में जलवायु का नमूना बदल रहा है। इसके कारण हिमनद (ग्लेशियर) पिघलते हैं और बाढ़ आती है, जल स्तर में वृद्धि होती है और द्वीप समूह जलमग्न हो जाते हैं। इससे लोगों के समक्ष अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
- संसाधनों के अत्यधिक उपयोग से जानवरों और पेड़ों की अनेक प्रजातियाँ विलुप्त हो जाती है।
- इस प्रकार, संसाधनों की कमी से अंततः पृथ्वी पर जीवन का विनाश होता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. उन पेड़ों या पौधों, जानवरों, पक्षियों, समुद्री जीवों की एक सूची तैयार कीजिए, जो विलुप्त हो गये हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं।
2. विलुप्त होने वाले जीवों और पेड़ों की सुरक्षा के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए एक कर पत्र तैयार कीजिए।

4.7 उर्जा के नवीकरणीय स्त्रोत

सुरक्षित संसाधन ही उत्पादित संसाधन है। पृथ्वी पर जीवन को बनाये रखने के लिए संसाधनों के संरक्षण की अत्यंत आवश्यकता है। संसाधनों का संरक्षण, स्वस्थ और दीर्घकालिक विकास की ओर अग्रसर होता है।

प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों को तुरंत करने की आवश्यकता है-

- अनवीकरणीय संसाधनों का निष्कर्षण धीरे-धीरे कम करना चाहिए।
- कच्चे माल के उपयोग वैकल्पिक साधनों को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- नवीकरणीय संसाधनों का उत्पादन और उपयोग बड़े पैमाने पर करना चाहिए।
- यदि प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन में वृद्धि होगी तो संसाधनों के मूल्य में कम होगी और सभी लोग इनका उपयोग कर सकेंगे।
- संसाधनों के संरक्षण के लिए संसाधनों के उत्पादन और उपभोग के तरीकों में बदलाव लाना चाहिए।
- अपशिष्ट प्रबंधन (Waste management) को बढ़ावा देना चाहिए।
- 4 R's का सख्ती से पालन करते हुए उपयोग किए गए जल के प्रशोधन और पुनः उपयोग को बढ़ावा देना चाहिए।
- कम करना (Reduce) — संसाधनों का उपयोग कम करना चाहिए।
- पुनः उपयोग (Reuse) — अनेक बार संसाधनों का पुनःउपयोग करना चाहिए।
- पुनः चक्र (Recycle) — आगामी उपयोग के लिए संसाधनों का पुनःचक्र करना चाहिए।
- इंकार (Refuse) — यदि आपको आवश्यकता नहीं है तो संसाधनों के उपयोग से इंकार करना चाहिए।
- प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समाज के विभिन्न वर्गों में जागरुकता उत्पन्न करनी चाहिए।
- गैर-विघटित उत्पादों (nondegradable products) के उपयोग से बचना चाहिए।
- लोगों, संस्थाओं और सरकार के संयुक्त प्रयासों से ही प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में आरामी हो सकती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. पिछले छह महीने पानी के बिलों का संग्रह कीजिए, रीडिंग देखें। जल संरक्षण के बारे में अपने परिवार के सदस्यों और पड़ोसियों में जागरुकता उत्पन्न करें।
2. भूगर्भ जल के निष्कासन में कमी करने की आवश्यकता पर एक पोस्टर तैयार कीजिए।
3. अपने मुहल्ले में वर्षा जल संग्रहण गड्ढों के निर्माण की आवश्यकता के लिए जागरुकता उत्पन्न कीजिए।

इस प्रकार, प्राकृतिक संसाधनों का कोई विकल्प नहीं है। मानव जाति के पास एक मात्र विकल्प इन संसाधनों की सुरक्षा करना है। सभी लोगों, संस्थाओं और सरकार का यह मौलिक कर्त्तव्य है कि इन संसाधनों के सीमित उपयोग करने और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए मिलकर परयास करें।

4.8 सारांश (मुख्य बिंदु)

❖ बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्रकृति में निर्मित संसाधनों को प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है।

- जिन संसाधनों की पुनःउत्पतिति की जा सकती है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं।
- भारत में विभिन्न प्राकृतिक संसाधन हैं जो पूरे देश में फैले हुए है।
- प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक निष्कर्षण से प्राकृतिक संसाधनों का हास होता है और इसका प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है।
- प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।
- प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण करना देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

4.9 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. प्राकृतिक संसाधन क्या हैं?
2. जीवाश्म ईंधन को अनवीकरणीय संसाधन क्यों माना जाता है?
3. किन्हीं दो नवीकरणीय संसाधनों का उल्लेख कीजिए।

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. विभिन्न हरित उर्जा संसाधनों का वर्णन कीजिए।
2. प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. प्राकृतिक संसाधनों में कमी के क्या कारण हैं? इसका कैसा प्रभाव पड़ता है?
2. आप प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किस प्रकारकरेंगे?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इस उर्जा के स्त्रोत का उपयोग प्रत्येक परिवार आसानी से कर सकता है- (　　)

   A) ज्वारीय उर्जा　　B) वायु उर्जा

   C) सौर उर्जा　　D) भू-उष्मी उर्जा

2. गलत कथन पहचानिए- (　　)

   A) प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

   B) जिन संसाधनों की पुनः उत्पत्ति अत्यंत कठिन होती हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है।

   C) जिन संसाधनों की पुनःपूर्ति की जा सकती है उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं।

   D) प्राकृतिक संसाधनों की कमी का कारण निर्वनीकरण (वनों की कटाई) है।

4.10 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें.

5 महाद्वीप और महासागर

5.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- महाद्वीपों के निर्माण का वर्णन करते हैं।
- विश्व के मानचित्र पर महाद्वीपों और महासागरों की पहचान करते हैं।
- विभिन्न महाद्वीपों की विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
- महासागरों के विस्तार का वर्णन करते हैं।
- समुद्री संसाधनों का वर्णन करते हैं।
- महासागरों के प्रदूषण पर टिप्पणी करते हैं।

5.1 परिचय

इस पृथ्वी पर हम अरबों जानवरों, वनस्पतियों (Floro) और प्राणी समूहों (Fauna) के साथ रहते हैं। इस पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति लगभग लाखों वर्ष पूर्व हुई। अन्य प्राणियों के विपरीत मनुष्य पृथ्वी को जीने के लिए एक बेहतर स्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भूमि संसादनों की मनमानी लूट-पाट के कारण वनों, नदियों और पहाड़ों का विनाश हो रहा है।

महाद्वीपों और महासागरों को पृथ्वी के प्रथम श्रेणी की भू-आकृतिक विशेषताएँ कहा जाता है। जल के विशालतम निकाय को महासागर कहा जाता है। भूगोल केवल आंतरिक भाग की ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों की भी जाँच करता है। हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए? यदि हम यह जानना चाहते हैं कि पृथ्वी पर किस तरह मापन से रटा जा सकता है तो हमारे लिए विभिन्न महासागरों और क्षेत्रों के बारे में की जानना आवश्यक हो जाता है।

5.2 पृथ्वी का विकास

वैज्ञानिक का विश्वास था कि पृथ्वी एक ग्रह है और केवल समय के साथ पपड़ी (crust) मज़बूत बन गई। पृथ्वी का केंद्र द्रव्य रूप में अभी भी गर्म है। यदि पृथ्वी का आंतरिक भाग भी ठंडा और संकुचित होता है तो पपड़ी सिकुड़ जाती है और उच्च्व पहाड़ों, ढलानों और फिर समुद्रों का निर्माण करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न गैसों के साथ जल वाष्प भी होता

मानचित्र 5.1:

है। हालांकि रहने के लिए अनुकूल पर्यावरण के निर्माण के लिए बहुत समय लगा। पृथ्वी के इतिहास में बहुत तक कोई सजीव वस्तु नहीं थी। इसके पश्चात समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई। लाखों वर्ष पूर्व, मानव का विकास पौधों और जानवरों की वृहत् प्रजातियों में हुआ।

यदि हम पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखेंगे तो हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की गहराई 6,000 कि.मी. है। पृथ्वी की आंतरिक परतें गर्म हैं। इसी कारण पृथ्वी की पपड़ी के भीतर धातु और पत्थर द्रव्य के रूप में होते हैं। पृथ्वी के अनेक भागों में पपड़ी मध्य परत में पुनः प्रवेश करती है और द्रव बन जाती है। इस प्राकर पृथ्वी की सदा निर्मित और विनाशी परत इस तथ्य की ओर इंगित करती है कि पृथ्वी अभि भी सक्रिय है। पृथ्वी की पपड़ी की प्रक्रियाओं के कारण भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं।

मानचित्र 5.2

5.3 मानचित्र की गति और परिवर्तन

वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी के इतिहास के अनेक विचित्र घटनाएँ घटी है। 20 वीं शताब्दी के शुरुआत में जर्मन मौसम विज्ञानी अलफ्रेड वेगनर ने महाद्वीपों और महासागरों की वर्तमान स्थिति को कुछ हद तक समझाने के लिए महाद्वीपीय बहाव (continental drift) के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्होंने प्रस्तावित किया कि पैंगिया नामक भूभाग पैंथालस नामक विशाल जल निकास से घिरा हुआ है। पैंजिया एक काल्पनिक महाद्वीप है। इन्होंने पैंजिया महाद्वीप को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा। वे भाग हैः 1. लौरेसिया या अंगारा की भूमि, 2. गोंडवाना की भूमि

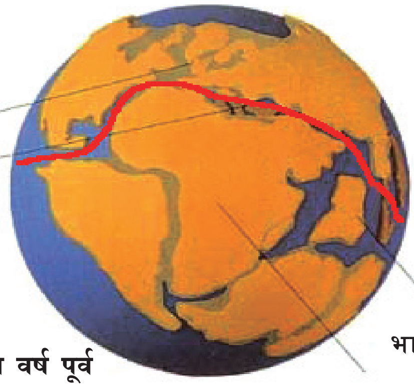

मानचित्र 5.3:

ये दोनों भाग लंबे उथले सागर जिसे टेथिस समुद्र कहा जाता है ये विभाजित होते हैं। वर्तमान महाद्वीपों को धरती पर आकार लेने के लिए कुछ लाख वर्ष लगे। कुछ महाद्वीप अभी भी धीरे-धीरे चल रहे हैं। आज का क्षेत्र इन दो प्रमुख महाद्वीपों

मानचित्र 5.4:

से बना है। भारतीय उपमहाद्वीप गोंडवाना क्षेत्र में है। 200 लाख वर्ष पूर्व गोंडवाना की भूमि के टुकड़े-टुकड़े हो गए थे तथा भारतीय प्रायद्वीप उत्तर पूर्व की ओर सटक कर बहुत बड़ी यूरेशियन पट्टी (अंगारा भूमि) से टकरा गया था। टकराव और संकुचन के कारण लाखों वर्ष पहते पर्वतों का निर्माण हुआ। उदाहरण-हिमालय

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. पैंजिया किसे कहते हैं?
2. भारतीय प्रायद्वीप किस पट्टी से टकरा गया था?

5.4 महाद्वीप

भूमि के विशाल क्षेत्रों को महाद्वीप कहते हैं। महाद्वीप, महासागरों और सागरों द्वारा अलग होते हैं। भूमि को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है। वे हैं:-

महाद्वीप: एशिया, आफ्रिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, आस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका.

महासागर: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर

विश्व के मानचित्र को देखने पर, हमें पता चलता है कि अधिकांश महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित हैं। चलिए अब हम महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे।

क्रियाकलाप

- निम्नलिखित मानचित्र में महासागरों और महाद्वीपों को दर्शाइए।

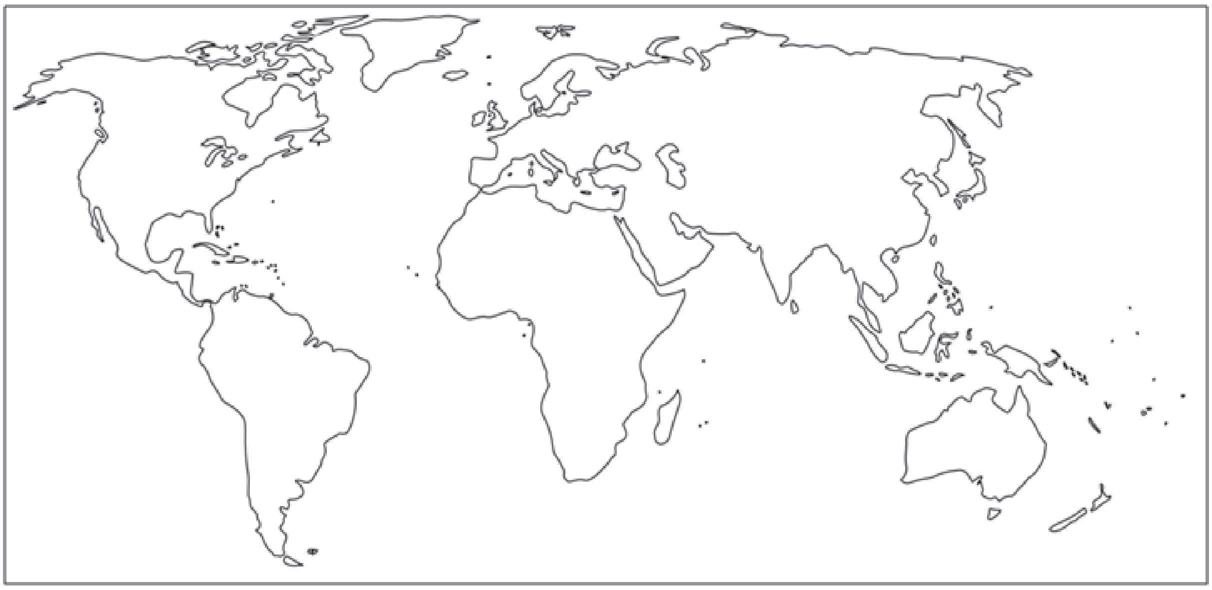

5.4.1 एशिया महाद्वीप

सभी महाद्वीपों में एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पश्चिम में भूमध्यसागर से पूर्व में प्रशांत महासागर तक फैला हुआ है। विश्व के भूमि क्षेत्र का लगभग एक तिहाई हिस्सा एशिया में है। एशिया महाद्वीप 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसकी मुख्य भूमि उत्तरी गोलार्ध में फैली हुई है। देशांतर के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप 25 डिग्री पूर्वी देशांतर से 170 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। एशिया पश्चिमी में यूराल पर्वतों, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में प्रशांत महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा हुआ है।

पर्वत, मैदान, नदियाँ:

सभी महाद्वीपों में एशिया में उच्चतम पर्वतमालाएँ हैं। एशिया में 50 से अधिक उच्चतम चोटियाँ हैं। विश्व की सबसे उच्चतम चोटी माऊण्ट एवरेस्ट है जिसकी ऊँचाई 8,848 मीटर है। काराकोरम माला में दूसरी सर्वोच्च चोटी माऊण्ट K_2 है। यह भारत की सर्वोत्तम चोटी है।

एशिया में अनेक पठार हैं। तिब्बत के पठार को विश्व के सबसे उच्चतम पठार के रूप में जाना जाता है। इसे विश्व की छत (Roof of the world) कहा जाता है। यह हिमनदों (Glaciers) का जन्म स्थान है। प्राचीनतम दक्कन का पठार एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।

गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा भारत की महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। ईराक की टिगरिस और यूपरेट्स, चीन के हांग कांग में यांगट्ज़ और म्यांमार की मेकांग और इर्रावाड्डी नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। ये नदियाँ इन देशों में विशाल मैदानों का निर्माण करती हैं। इनमें से गंगा और सिंधु के मैदान महत्वपूर्ण हैं। ये विश्व के अत्यंत उपजाउ मैदान हैं।

एशिया महाद्वीप में अनेक द्वीप हैं। फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, जापान और ताइवान प्रमुख द्वीप राष्ट्र हैं। इंडोनेशिया विश्व का विशालतम द्वीप समूह है। भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप भी द्वीप समूह हैं।

जलवायु:

महाद्वीप उत्तरी ध्रुव के साइबेरियन क्षेत्र से उष्णकटिबंधी इंडोनेशिया तक फैला हुआ है। जिसमें मौसम की स्थितियों की विशाल विविधता शामिल है। मध्य एशिया के पूर्व-पश्चिम में फैली हुई हिमालय की पर्वत मालाओं का जलवायु पर प्रभाव है। मध्य एशिया में सर्दियों अदि ठंडी होती है, और तापमान 0^0 सेंटी ग्रेड से नीचे के आसपास होता है। वर्कोयानस्क, साइबेरियन क्षेत्र (-67.68^0 C) को सबसे ठंडा स्थान है। एशिया महाद्वीप में गर्मियाँ बहुत गर्म होती हैं और हवा का दबाव निम्न होता है। गर्मियों के दौरान, भूमध्यरेखीय महासागरों में बैरोमैट्रिक दबाव सबसे अधिक होता है। साथ ही गर्मियों के दौरान देश के केंद्रीय और उत्तरी-उत्तरी पूर्वी हिस्सों की दिशा में हवाएँ बहती हैं। इसे मानसूनी जलवायु कहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित, मावसिन्राम विश्व के नम स्थानों में से एक है। मानसून में एशिया के फिलीपिन्स, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी चीन और जापान में भारी वर्षा होती है।

कृषि:

एशिया के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। उपजाउ मिट्टी, पर्याप्त अपवाह (drainage) जलवायु परिस्थितियाँ आदि कृषि के अनुकूल कारक हैं। महाद्वीप में प्राचीन कृषि पद्धतियों से लेकर आधुनिक कृषि पद्धितियों का पालन किया जाता है। खेती रूपांतरण, गहम और व्यापक प्रणालियों में की जाती है। चावल, गेहूँ, राई, ओट्स जैसी खाद्य फसलें और धान्य उगाये जाते हैं। कपास, पटसन, गन्ना, चांच, तंबाकू आदि वाणिज्यिक फसलें उगाई जाती है। लोहा, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, टिन, कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस आदि एशिया के महत्वपूर्ण प्राकृतिक खनिज संसाधन हैं।

जनसंख्या:

विश्व की 60% जनसंख्या एशिया में निवास करती है। विश्व की एक तिहाई जनसंख्या चीन और भारत में निवास करती है। एशिया में 40 से अधिक देश हैं। सारबेरिया के उत्तरी पूर्वी भागों, थार और अरेबियन मरुस्थल में जनसंख्या कम है। बंगाल देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है। मंगोलिया में जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। जनसंख्या, नदियों, मैदानों तथा डेल्टा शहरों में फैली हुई है। एशिया की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. उत्तरी गोलार्ध के महद्वीपों के नाम लिखिए।

5.4.2 आफ्रिका

लगभग 230 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर विशाल डायनोसोरों की उत्पत्ति हुई।

विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप आफ्रिका है। यह $37^0 3'$ उत्तरी अक्षांश से 35^0 दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच मध्याह्न इस महाद्वीप से गुज़रते हैं। यह महाद्वीप उत्तर में भूमध्यसागर, उत्तर पूर्व में स्वेज़ नहर तथा लाल सागर, पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है।

पर्वत, मैदान, रेगिस्तान, नदियाँ:

समूचा आफ्रिका एक विशाल पठार के जैसा दिखाई देता है। विशेषकर पठार दक्षिण और पूर्व की ओर ऊँचा है। भूमध्यरेखा के निकट पूर्वी हिस्से में पठार के असर कुछ ज्वालामुखी चोटियाँ हैं। अटलस पर्वत और ड्रेकेंसबर्ग पर्वत आफ्रिका के प्रमुख पर्वत हैं। आफ्रिका में सर्वोच्य चोटी किलीमंजारो इस क्षेत्र में स्थित है और यह पूरे वर्ष बर्फ़ से घिरी रहती है। सहारा रेगिस्तान पूर्वी आफ्रिका में फैला हुआ है। यह विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इन रेगिस्तानों में बहने वाली नदियों को विदेशी (Exotic) नदियाँ कहा जाता है। नील और आटेंज नदियाँ विदेशी नदियाँ हैं। ईजिप्त (मिस्त्र) को 'नील का उपहार' कहा जाता है। ज़ामबेज़ी, कांगो, नाइजर और लिमपोपो

नदियाँ भी इस महाद्वीप से बहती हैं। इन रेगिस्तानों में कुछ मरु उद्यान (oasis) का निर्माण भी हुआ है।

जलवायु:

यद्यपि आफ्रिका में मुख्य रुप से उष्णकटिबंधीय जलवायु है तथापि वहाँ भूमध्यसागरीय जलवायु भी है। पश्चिमी हवाओं के कारण दशिक्षण-पश्चिमी आफ्रिका में संवहनीय वर्षा (convectional rainfall) होती है। दक्षिणी पश्चिमी आफ्रिका में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। यहाँ का औसत तापमान 32^{o} सें. और महाद्वीप का कुल औसत तापमान 20^{o} C है। पूरे वर्ष में महाद्वीप का तापमान बहुत अधिक होता है। इस महाद्वीप के अल अज़ीजिया (लीबिया) में विश्व का अधिकतम तापमान (58^{o} C) दर्ज किया गया था।

कृषि:

19 वीं शताब्दी के अंत तक विश्व आफ्रिका से अनभिज्ञ था। इसीलिए इस महाद्वीप को 'अंध महाद्वीप' (Dark continent) कहा जाता था।

आफ्रिका में 10% भूमि ही फसलों के लिए उपयुक्त है। पूर्वी आफ्रिका की ज्वालामुखी मिट्टी, नील घाटी की उपजाऊ मिट्टी और सवाना भूमि के कुछ हिस्से जो कृषि के उपयुक्त हैं, वे भी इसमें शामिल हैं। आफ्रिका महाद्वीप जलवायु परिस्थितियों और मिट्टी कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। किंतु मध्य आफ्रिका का भाग घने वनों से घिरा है और अच्छे प्राकृतिक संसाधन प्रदान करता है। यहाँ मुख्य रुप से बदलाव कृषि (shifting agriculture) की जाती है। इस महाद्वीप में गेहूँ, चावल, मक्का और खजूर आदि उगाये जाते हैं। गुयाना के तट पर रबड़ के बागान हैं।

जनसंख्या:

आफ्रिका में 50 से अधिक देश हैं। किंतु विश्व की केवल 14 प्रतिशत जनता ही यहाँ निवास करती है। यहाँ के लोग, प्राचीन समय से पशुओं का शिकार करके, पशु धन और खेती द्वारा जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग 70 प्रतिशत आफ्रिका काले हैं और शेष लोग यूरोप और एशिया जैसे अन्य महाद्वीपों से आए हैं। यहाँ साजातीय समूह हैं। कांगो क्षेत्र में पिग्मी, सहारा रेगिस्तान में बेडूईन जनजाति, कालाहारी रेगिस्तान में बुरामैन, हट्टन टैट्स पूर्वी आफ्रिका में मसाई, सहारा के उत्तरी भाग में सेमाइट्स, सूडान और पश्चिमी आफ्रिका में हेमटाइटिस आदि है। आफ्रिका के नाइजीरिया देश में सबसे अधिक जनसंख्या है।

5.4.3 उत्तरी अमेरिका महाद्वीप

उत्तरी अमेरिका महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में है। यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका 7^{o} उत्तरी अक्षांस से 83 'उत्तरी अक्षांस, 20° परिचयी देशांतर से 120° परिचयी देशांतर तक फैला हुआ है। आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुज़रते हैं। इस महाद्वीप

के पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर और दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल भारत से लगभग 8 गुणा अधिक है।

पर्वत, मैदान नदियाँ

पश्चिमी उत्तरी अमेरिका के विशाल पर्वतीय क्षेत्रों को कोर्डिलेटा (Cordillera) कहा जाता है। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण तक फैले हुए हैं। अलास्का की 'मैककिनले' चोटी सबसे ऊँची है। पश्चिमी कोर्डिलेटा की अनेक समानांतर श्रेणियाँ हैं। पूर्वी मैदानों में अप्पालाचियान पर्वत, लेव्हाडोर से न्यूफाऊंड लैण्ड तक फैले हुए हैं। विशाल मध्य मैदान पश्चिमी कोर्डिलेटा और पूर्वी मैदानों के बीच फैले हुए हैं। मिस्सीसिपी नदी, मैदान के मध्य और पूर्वी मैदानों के बीच फैले हुए हैं। मिस्सीसिपी नदी, मैदान के मध्य और दक्षिणी हिस्सों के चौड़े और समतल क्षेत्रों में बहती है। मिस्सीसिपी, मिस्सूरी, सेंट लारेंस और मैकनज़ी उत्तरी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हैं।

जलवायु:

उत्तरी अमेरिका की जलवायु पश्चिमी उच्चभूमि और अप्पालाचियान पर्वतों पर आधारित है। विशाल मध्य मैदान उत्तर से बहने वाली ठंडी हवाओं और दक्षिण से बहने वाली गर्म हवाओं से प्रभावित है। संयुक्त राज्य के उत्तरी मैक्सिको और दक्षिण पश्चिमी भागों में मुख्य रुप से मरुस्थलीय जलवायु पायी जाती है। उत्तरी हवाएं सर्दियों को सर्द बनाती हैं। गर्मियों में, सागर की निकटता महाद्वीप के पश्चिमी तट को ठंडा और मध्य भाग को गर्म बनाती है। उत्तरी अमेरिका में सभी प्रकार की जलवायु है। तट के अंतरमहाद्वीपीय क्षेत्र में वर्षा कम होती है। इन क्षेत्रों में मरूस्थल हैं।

कृषि:

जबकि कुल क्षेत्रफल का 12% कृषि के अंतर्ग है, केवल 2% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है। अपने उपजाऊ और सुजलीय मैदानों के कारण कृषि के क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका का ऊँचा है। यहाँ मुख्य रूप से गहन (Extensive) कृषि की जाती है। खेतों के विशाल आकार के कारण मशीनों की सहायता से खेती करने में आसानी होती है। उच्च पैदावार के कारण अधिशेष उत्पादों का निर्यात किया जाता है। मकई, गेहूँ, कपास, तंबाकू, ओट्स, बार्ली, सोयाबीन आदि उत्तरी अमेरिका की महत्वपूर्ण फसलें हैं।

जनसंख्या:

जनसंख्या का घनत्व केवल 15 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। महाद्वीप के पश्चिमी भाग के अधिकांश हिस्सों में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर में 2 से भी कम है। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर झीलों के चारों ओर के क्षेत्र में घनी आबादी है। पूर्वी तट पर 15 बड़े शहर हैं। इस क्षेत्र की जलवायु ठंडी है। यहाँ ईंधन, खनिज और अनेक उद्योग हैं। इस क्षेत्र में परिवहन की बेहतर सुविधा है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. उत्तरी अमेरिका की स्थिति के बारे में लिखिए।
2. उत्तरी अमेरिका में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं?

5.4.4 दक्षिण अमेरिका

दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अधिकांशतः दक्षिणी गोलार्ध और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में है। इसके पश्चिमी में प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका और उत्तर-पूर्व में अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिम में कैरीबियन सागर है। महाद्वीप 12^{o} उत्तरी अक्षांस से 55^{o} दक्षिणी अक्षांश, 35^{o} पूर्वी देशांतर से 81^{o} पश्चिमी देशांतर तक फैला हुआ है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का आकार त्रिकोणीय है।इसका उत्तरी हिस्सा चौड़ा है, दक्षिण की ओर बढ़ने पर यह संकरा होता जाता है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों के बीच यह पत्ते के समान दिखाई देता है।

पर्वत, मैदान, नदियाँ:

पश्चिमी पर्वतमालाएँ, पश्चिमी तट के समानांतर कुछ हज़ार किलोमीटर तक फैली हुई हैं। इन्हें एंडेस पर्वतमालाएँ कहा जाता हैं। हिमालय के बाद ये सबसे लंबी पर्वतमालाएँ हैं। अपने उच्च उन्नतांश (high altitude) के कारण एंडेस पर्वतमालाओं की अधिकांश चोटियाँ वर्ष भर बर्फ़ से ढकी रहती है। इस पर्वतीय क्षेत्र में भूकंप और ज्वालामुखी प्रचुर मात्रा में होते हैं। कोटोपाक्सी का इक्योडोर विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। वेनेजुएला का एंजेल जल प्रपात विश्व का सबसे ऊँचा जलप्रपात है। इसे केवल हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, पश्चिमी तट एक संकय तटीय मैदान है जो उत्तरी छोर से दक्षिण तक फैला हुआ। केंद्रीय मैदान एंडेस पर्वतों और पूर्वी मैदानों के बीच स्थित हैं। जल के परिमाण के आधार पर अमेजोन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। इस नदी का उद्गम एंडेस पर्वतों से होता है और यह अटलांटिक महासागर में मिलती है। अमेजोन, आरिनोको और पराना दक्षिणी अमेरिका की प्रमुख नदियाँ हैं।

जलवायु:

महाद्वीप का अधिक भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी अधिक होती है। वर्ष भर इस क्षेत्र में तापमान उच्च होता है और वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका में वर्षा, सूर्य का अनुकरण करती है। जब सूर्य उत्तर में होता है तो उत्तर में वर्षा होती है और जब सूर्य दक्षिण में होता है तो दक्षिण में वर्षा होती है। दक्षिण अमेरिका में सभी प्रकार की जलवायु होती है।

कृषि:

मकई, गेहूँ, कॉफी, गन्ना और कपास आदि मुख्य फसलें दक्षिण अमेरिका में उगाई जाती है। इनमें से, मकई और गेहूँ खाद्य फसलों के रूप में उगाये जाते हैं। अर्जेंटीना गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ब्राजील कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। ब्राजील कपास के सबसे बड़े

उत्पादकों में से एक है। कॉफी और गन्ना दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नगदी फसलें हैं। क्यूबा गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है।

जनसंख्या:

दक्षिण अमेरिका के लोगों का संबंध तीन प्रमुख जातियों से हैं। अमेरिकी भारतीय, काले और यूरोपिलन। अब वहाँ अनेक मिश्रित प्रजातियाँ है। इन प्रजातियों में अधिकांश मेस्टिजो हैं। अधिकांश जनसंख्या बंदरगाह शहरों और राजधानी शहरों में रहती हैं। दक्षिण अमेरिका में जनसंख्या का घनत्व 13 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।

5.4.5 अंटार्कटिका

अंटार्कटिका महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध में, अंटार्कटिक वृत्त के भीतर दक्षिण ध्रुव को घेरता है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत महाद्वीप को दो प्राकृतिक क्षेत्रों में विभाजित करते हैं जिन्हें पूर्व अंटार्कटिक और पश्चिम अंटार्कटिक कहा जाता है। अंटार्कटिका में कोई भी देश नहीं है। अंटार्कटिक लगभग 98 प्रतिशत बर्फ़ की चादर से ढका है। दुनिया के 90% बर्फ़ यहाँ मौज़ूद है। दुनिया के ताज़ें पानी का लगभग 70% हिस्सा यहाँ है। विश्व के सबसे बड़े हिमनद (glaciers) लोम्बार्ड और बियर्डमोर इस महाद्वीप में स्थित हैं।

जलवायु:

यह अत्यंत ठंडा महाद्वीप है। सर्दियों में औसत तापमान -80°C और गर्मियों में 5° C के बीच मॉडराता है। वर्ष के समय को, प्रकाश और अंधकार जैसे दो भागों में विभाजित किया गया है। दक्षिणी ध्रुव पर सूर्योदय 23 सितंबर को और सूर्यास्त 21 मार्च को होता है। प्रतिवर्ष अवक्षेपण (Precipitation) का औसत 10 मि.मि. से भी कम होता है। विश्व के सबसे बेकार तूफान (हरिकेन्स) इस महाद्वीप में ही आते हैं।

कृषि:

अंटार्कटिक की जलवायु कृषि के लिए उपर्युक्त नहीं है। इसी कारण अंटार्कटिक को 'विश्व का एकमात्र वृक्षहीन महाद्वीप' कहा जाता है। यहाँ कई प्रकार के 'पेंगुइन पक्षी' हैं. ये अंटार्कटिक पक्षी वंश के प्रतीक हैं। जिन क्षेत्रों में परिस्थितियाँ इनकी अनुकूल होती हैं, वे वहाँ अधिक पाये जाते हैं। ऐसे समूहों को 'रुकीस' कहा जाता है।

जनसंख्या:

यहाँ स्थायी मानव आबादी नहीं है। विभिन्न देशों ने इस महाद्वीप पर स्थायी मानव अनुसंधान केंद्र बनाये रखे हैं। ये केंद्र महाद्वीप और इसके आस-पास के द्वीपों में वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य कार्य करते हैं। सर्दियों में इनके सहायकों की संख्या 1,000 और गर्मियों में 5,000 तक होती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका में रहने और अनुसंधान के लिए 'दक्षिणी गंगोत्री' में 'मैत्री' अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है।

5.4.6 यूरोप

विश्व के भूमि क्षेत्रफल 7 प्रतिशत भाग यूरोप में है। यूरोप 35° - 72 'उत्तरी अक्षांश, 10° पश्चिमी देशांतर और 60° पूर्वी देशांतर के बीच फैला हुआ है। 0' ग्रीनवीच मध्याह्न समय, इस महाद्वीप में लंदन से होकर गुज़रता है। इस महाद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, दक्षिण में – भूमध्यसागर, पूर्व में यूराल पर्वत और पश्चिम में अटलांटिक महासागर इसकी सीमाएं हैं।

पर्वत, मैदान, नदियाँ:

आलप्स ड्रम महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध पर्वत माला है। फ्रेंच आलप्स और कॉकेसस में उच्चतम बिंदु एलब्रेस की चोटी (5,642 मी) है। यूरोप के पश्चिम के मैदानों को पश्चिमी यूरोप के मैदान तथा पूर्व के मैदानों को 'रुस के प्लेटफॉर्म' कहा जाता है। यूरोप में आलप्स कई नदियों के मुख्य स्त्रोत हैं। वोल्गा, डेन्यूब, राइन, सीन, गेगेन और पो यूरोप की प्रमुख नदियाँ हैं।

जलवायु:

यूरोप महाद्वीप उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध में है। अटलांटिक महासागर की गहरी धाराएँ, यूरोप की जलवायु को बहुत प्रभावित करती है। इनके कारण तापमान अधिक होता है। भूमध्यसागर के इलाके सर्दियों में ठंडे होते हैं और इनमें गर्मियों में शुष्क हवाएँ चलती हैं। इस क्षेत्र में सर्दियों में वर्षा होती है। वर्षा लगभग 80 - 130 से.मी. तक होती है। गर्मियों में वर्षा नहीं होती है।

कृषि:

यूरोप का लगभग 30 प्रतिशत, भूक्षेत्र में जलीय कृषि की जाती है। यहाँ अधिकांशतः मिश्रित कृषि की जाती है। गेहूँ, मकई, राई, जौ और जैतून यहां की मुख्य फसलें हैं। भूमध्यसागरीय जलवायु जैतून के तेल के उत्पादन के लिए अनुकूल होती है।

जनसंख्या:

विश्व की जनसंख्या का 1 / 5 भाग यूरोप में निवास करता है। आइसलैंड, उत्तरी यूरोप में स्कैडिनेविया और उत्तरी रूस के टुंड्रा क्षेत्रों में प्रति वर्ग किलोमीटर में 10 से कम लोग हैं। मध्य मैदानों में फ्रांस से मास्को तक इटली है। नदी घाटियों में लोग 50 से 100 वर्ग किलोमीटर तक रहते हैं।

5.4.7 आस्ट्रेलिया

प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच दक्षिणी गोलार्ध में आस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। आस्ट्रेलिया 9 "और 44" दक्षिणी अक्षांश और 112 "और 154 'पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

पर्वत, मैदान, नदियाँ:

ग्रेट डिवाडिंग रेंज या पूर्वी हाईलैंड आस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत माला है। यह विश्व की

पाँचवी सबसे लंबी पर्वतमाला है। माऊंट कोसकियज़्को आस्ट्रेलिया का सबसे ऊँचा पर्वत है। आस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियाँ मुर्रे और डार्लिंग हैं। आयर झील इस क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है।

जलवायु:

आस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थि है। उत्तरी गोलार्थ में जब गर्मी होती है तो आस्ट्रेलिया में सर्दी होती है और जब उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है तो आस्ट्रेलिया में गर्मी होती है। आस्ट्रेलिया की मुख्यभूमि का 55% मरुस्थल है। आस्ट्रेलिया के उत्तरी भाग में मानसून के प्रभाव के कारण गर्मी में वर्षा होती है।

कृषि:

अधिकांश क्षेत्रों में अपर्याप्त वर्षा के कारण आस्ट्रेलिया की केवल 4% भूमि पर ही खेती की जाती है। गेहूँ, जौ, ओट्स और मकई यहाँ की महत्वपूर्ण फसलें हैं। गन्ना, तंबाकू और कपास नगदी फसलें हैं।

जनसंख्या:

आस्ट्रेलिया एक शहरी महाद्वीप क्योंकि 85% से अधिक जनसंख्या शहरों में निवास करती है। अधिकांश आस्ट्रेलियाई मुख्य भूमि के दक्षिण और पूर्वी तटों के साथ शहरों में रहते हैं। पर्थ, सिडनी, ब्रिसबेन, मेलबार्न, केनबेरा और एडिलेड प्रमुख शहर हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. स्थायी मानव जनसंख्या से रहित महाद्वीप कौनसा है?
2. दक्षिण अमेरिका किस जलवायु क्षेत्र में स्थित है?

5.5 महासागर

भू वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर जल निकायों को पाँच भागों में विभाजित किया है। वे हैं- प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर (अंटार्कटिक) और आर्कटिक महासागर। इन सभी महासागरों ने मिलकर अरबों साल पहले एकल महासागर का निर्माण किया था। इसे ही पंथालस कहा जाता है। इनमें से प्रशांत महासागर सतही क्षेत्रफल और आकार में सबसे बड़ा है।

5.6 समुद्री संसाधन

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकांश माला का परिवहन समुद्र द्वारा किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले अनेक लोग मत्स्थ पालन पर निर्भर हैं। जिस प्रकार पृथ्वी पर अनेक प्रकार के पौधे, पशु जीवन और खनिज संसाधन हैं, उसी प्रकार महासागरों में भी जीवन और संसाधनों के अनेक स्त्रोत हैं। अनादि काल से मानव अपने भोजन और जीविका के लिए समुद्र पर निर्भर है। नमक, मैगनीशियम, मैगनीज़ और पेट्रोलियम जैसे खनिज महासागरों से प्राप्त होते हैं। हमने देखा है कि

समुद्र की लहरों की गति बहुत उच्च होती है। मज़बूत लहरों के टकराने से उर्जा उत्पन्न होती है। समुचित उपकरणों के साथ लहरों की गति से विपत्ती का उत्पादन किया जा सकता है। इस पर अभी अनुसंधान किया जा रहा है। इस प्रकार समुद्र मानव के लिए संसाधन केंद्र बन गए हैं।

5.6.1 महासागरों का प्रदूषण

औद्योगिक, कृषि और आवासीय अपशिष्टों के अपवहन(Disposal) से समुद्री प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। लगभग आठ प्रतिशत समुद्री प्रदूषण भूमि से होता है। कीटनाशकों के अवशेष सागर में बहाये जाते हैं। प्लास्टिक की समुद्री जीवन के लिए हानिकारक माना जाता है। कीटनाशकों के अवशेष समुद्री पास्थितिकी तंत्र में प्रवेश करते हैं और समुद्री जीवन की वृद्धि में अवरोध उत्पन्न करते हैं। प्लास्टिक और अन्य विषैले पदार्थ समुद्री जीवों के शरीर में प्रवेश करते हैं। जब मछली और झींगे जैसे समुद्री उत्पादों का भक्षण किया जाता है तो उनके अवशेष मानव शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण बिमारियाँ होती हैं। कभी-कभी जहाज़ों से भेजा जाने वाला कच्चा तेल समुद्र में फैल जाता है और प्रदूषित हो जाता है। कई मामलों में जहाज़ आनावश्यक कचरा फैलाते हैं। खनन के कारण भी समुद्री प्रदूषण होता है।

> पृथ्वी दिवस (22अप्रैल) का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरुकता उत्पन्न करना है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. महासागर किसे कहते हैं?
2. महासागरों में प्रदूषण के कोई दो कारण बताइए।

5.7 सारांश (मुख्य बिंदु)

- पृथ्वी एक सजीव ग्रह है।
- वैज्ञानिकों ने प्रस्तावित किया कि वर्तमान महाद्वीपों का गठन 'महाद्वीपीय वहान के सिद्धांत' के आधार पर किया गया है।
- पैंगिया एक काल्पनिक महाद्वीप है।
- पंथलस्सा एक महासागर है जो लाखों वर्ष पूर्व विद्यमान था।
- पृथ्वी की पपड़ी की गति के फलस्वरूप पृथ्वी पर अनेक भिन्न-भिन्न स्वरूपों का निर्माण हुआ।
- पृथ्वी की सतह का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा जल से घिरा हुआ है और शेष भाग में महाद्वीप हैं। पृथ्वी के सबसे बड़े भू भाग को 7 महाद्वीपों में विभाजित किया गया है।
- महासागरों में नमक, मैगनिशियम और मैंगनीज़ जैसे खनिज होते है।

5.8 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. वर्तमान में उत्तरी गोलार्ध में कौनसे महाद्वीप हैं??
2. पैंगिया महाद्वीप को किन दो महाद्वीपों में विभाजित किया गया है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. एशिया के किस भाग में मानसूनी वर्षा होती है?
2. आफ्रिका में कितने प्रकार की जलवायु है?
3. दक्षिणी आफ्रिका की प्रमुख फसलें क्या हैं?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. पृथ्वी के विकास का वर्णन कीजिए।
2. महासागरों के प्रदूषण और उसके परिणामों के बारे में लिखिए।
3. उत्तरी अमेरिका की जनसंख्या के विस्तार के बारे में लिखिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ग्रेट डिवाइडिंग रेंज-इस महाद्वीप में है- ( )

   A) एशिया B) आफ्रिका C) आस्ट्रेलिया D) अंटार्कटिका

2. मेडागास्कर इस महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है- ( )

   A) अटलांटिक महासागर B) हिंद महासागर

   C) प्रशांत महासागर D) आर्कटिक महासागर

5.9 संदर्भ पुस्तकें

1. SCERT सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें.
2. NCERT की 6वीं से12वीं तक पाठ्यपुस्तकें

6 जनसंख्या

6.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- जनगणना के महत्व के बारे में बताते हैं।
- जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्ांत का विश्लेषण करते हैं।
- भारत की आयु संरचना का विश्लेषण करते हैं।
- लैंगिक भेदभाव पर टिप्पणी करते हैं।
- भारत में जनसंख्या के घनत्व में अंतर के कारण बताते हैं।
- विकास में मानव संसाधनों के महत्व का वर्णन करते हैं।

6.1 परिचय

क्या हम मनुष्यों के बिना इस दुनिया की कल्पना कर सकते हैं? कौन इन संसाधनों का उपयोग नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर निश्चित ही यह होगा की हम मनुष्यों के बिना समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। एक विशेष स्थान में निवास करने वाले लोगों के समूह को 'जनसंख्या' कहते हैं। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए जनसंख्या की आवश्यकता होती है। मानव एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य अन्योन्याश्रित रूप से रह रहे हैं। प्रकृति में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर मनुष्य न्यूनतम और कुछ हद तक आरामदायक जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं।

यह समुदाय के आपसी सहयोग से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए जनसंख्या एक महत्वपूर्ण कारक है। जनसांख्यिकीय अध्ययन के द्वारा हम देश में लोगों की संख्या के बारे में जान सकते हैं और जीवन की गुणवत्ता का विश्लेषण कर सकते हैं। किसी विशेष समय में देश की जनसंख्या, उनकी विकास दर, संरचना और वितरण और उनके जीवन की गुणवत्ता की जांच की जा सकती है। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या के कारण गरीबी और बेरोज़गारी में वृद्धि होती है। इसके परिणामस्वरूप विकास शील भारत आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है।

विकास के लिए इस बढ़ती आबादी का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? क्या जनसंख्या को एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है और कैसे जनसंख्या वृद्धि को एक समस्या के बजाय एक संसाधन के रूप में देखा जा सकता है? आए, इस पाठ में ऐसे और अन्य मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे।

6.2 जनसांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत

जनसंख्या वृद्धि की प्रकृति का विश्लेषण करते हुए यह सिद्धांत जन्म और मृत्यु दर तथा वृद्धि दर में परिवर्तनों के प्रभाव का वर्णन करता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक देश जन्म और मृत्यु दर के संबंध में तीन अवस्थाओं से गुज़रता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। आइए, हम सिद्धांत के अनुसार मौजूद तीन अवस्थाओं का विश्लेषण करें।

6.2.1 पहली अवस्था

जन्म और मृत्यु दर दोनों अधिक होती है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर के कारण, जनसंख्या में अधिक वृद्धि नहीं होती है। उचित चिकित्सा सुविधाओं में कमी, निम्नस्तरीय जीवन, उचित पोषक मूल्यों से रहित आहार आदि के कारण मृत्यु दर अधिक है। निरक्षरता, अंधविश्वास और कुछ सामाजिक नियम उच्च जन्म दर के कारण हैं। भारत में 1921 के पहले पहली अवस्था थी।

6.2.2 दूसरी अवस्था

आर्थिक विकास, जीवन स्तर में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाओं का निर्माण, संक्रमित रोगों की जाँच के लिए किये गये विशेष प्रयासों ने दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में कमी की। किंतु लोगों के पिछड़ेपन के कारण अंधविश्वासों, उचित शिक्षा की कमी, सामाजिक कारकों के कारण पहली अवस्था के समान ही जनसंख्या में वृद्धि हुई। अर्थात् मृत्यु दर से जन्म दर अधिक है और जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। उच्च जनसंख्या वृद्धि दर को 'जनसंख्या विस्फोट' (population explosion) कहा जाता है। भारत में 1921-1951 के बीच के साल को दूसरी अवस्था के रूप में देखा जाता है।

6.2.3 तीसरी अवस्था

आर्थिक वृद्धि, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय परिवर्तन और व्यवसायों में परिवर्तन, शाहरीकरण, सेवा क्षेत्रों में तीव्र औद्योगिक विकास आदि तीसरी अवस्था की विशेषताएँ हैं। शहरीकरण के परिणामस्वरूप और लघु कल्याणकारी परिवार के उपाय के कारण, विश्व में जन्म दर में काफी कमी हुई है। चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि के कारण मृत्यु दर में भी कमी हुई है। इस अवस्था में जन्म और मृत्यु दर कम है। इसीलिए जनसंख्या वृद्धि भी कम है। भारत इस समय इस अवस्था में है।

जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की तीनों अवस्थाओं को ग्राफ 6.1 के माध्यम से समझाया गया है। ग्राफ 6.1 में लाल रेखा मृत्यु दर की सूचक है और नीली रेखा जन्म दर की सूचक है। OX अक्ष अवधि को दर्शाता है। OY अक्ष पर प्रति 1000 जनसंख्या पर वार्षिक जन्म-मृत्यु दर को दर्शाया गया है।

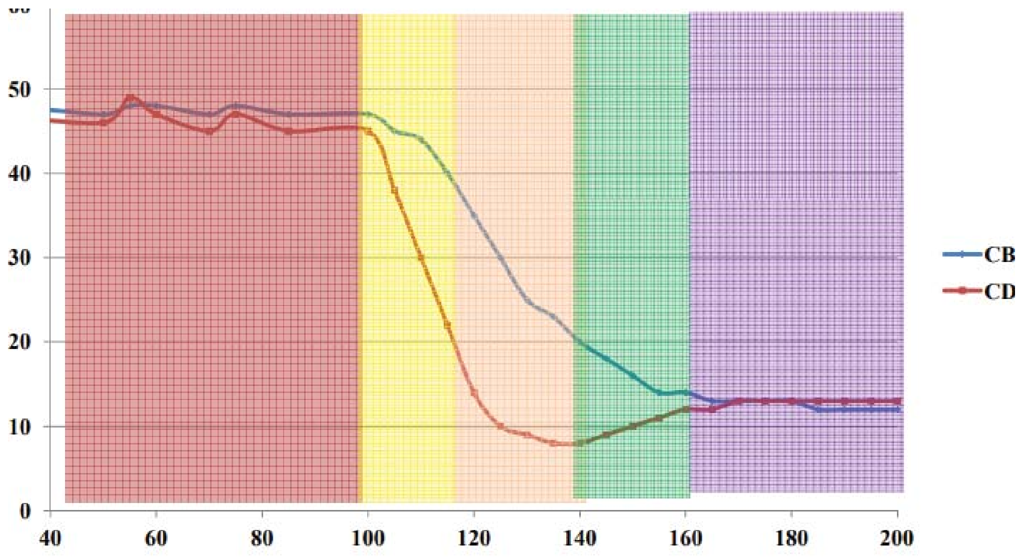

ग्राफ-6.1: जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धांत की अवस्थाएँ

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में मृत्यु दर में कमी के कारणों को सूचित कीजिए।
2. अभी भारत जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की कौनसी अवस्था में है?
3. किस अवस्था में, जनसंख्या विस्फोट होता है?

क्या आप जानते है?

भारत में, पहली जनगणना 1872 में हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर 1881 से प्रत्येक 10 वर्षों में जनगणना का आयोजन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तथा भारत के रजिस्ट्रार जनरल के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त द्वारा किया गया है।

6.3 भारत में जनसंख्या की वृद्धि और विस्तार

सामान्यतः जनसंख्या में परिवर्तन जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवासन पर आधारित होता है। भारत में जनसंख्या परिवर्तन पर प्रवासन का प्रभाव बहुत कम है। प्रत्येक दशक में, जोड़े गए अतिरिक्त लोगों की संख्या जनसंख्या वद्धि का संकेत देती है। यदि हम दस वर्षों के पहले की जनसंख्या को वर्तमान जनसंख्या में से घटाते हैं और यदि यह धनात्मक होता है तो इसका अर्थ है कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है और यदि यह ऋणात्मक होता है तो इसका अर्थ के जनसंख्या में कमी हुई है।

विश्व के भू-भाग का 2.4 प्रतिशत हिस्सा भारत में है। किंतु विश्व की कुल जनसंख्या17.6 हिस्सा प्रतिशत भारत में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमारा देश 1210 मिलियन जनसंख्या के साथ चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। 1901 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 236 मिलियन और 2017 में 1.3 बिलियन थी। अर्थात् 116 वर्षों के अंतराल में 1,064 मिलियन की वृद्धि हुई है।

यदि हम जनसांख्यिकीय संक्रमण के आधार पर भारत की जनसंख्या वृद्धि के पैटर्न को देखते हैं तो पता चलता है कि 1921 के पहले का समय पहली अवस्था का था। 1881 से 1921 तक केवल 15 मिलियन की वृद्धि हुई। 1881 में जनसंख्या 236 मिलियन थी. जबकि 1921 में जनसंख्या 251 मिलियन थी। इस अवस्था में उच्च मृत्यु और जन्मदर देखी गई थी।

1921-1951 के बीच 110 मिलियन की वृद्धि हुई। 1921 जहाँ आबादी 251 मिलियन थी वहीं 1951 में बढ़कर 361 मिलियन हो गई। जनसांख्यिकीय संक्रमण में इसे दूसरी अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान मृत्यु दर कम होकर प्रति 1000 लोगों पर 40 से 27 पर आ गई थी। इसका अर्थ यह है कि जन्म दर मृत्यु दर की तरह उस स्तर तक कम नहीं हुई थी। इसीकारण जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में कमी होने के कारण 1921 के वर्ष को 'महान विभाजन वर्ष' माना गया। उस दशक में हुई महामारी और अकाल इसका कारण थे।

1951 से 1981 तक के समय को तीसरी अवस्था माना जाता है। 1951में जो जनसंख्या 361 मिलियन थी वह बढ़कर 1981 में 683 मिलियन हो गई। इस तीस वर्षों में 322 मिलियन की जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई। इस अवस्था में जनसंख्या विस्फोट हुआ। इस अवस्था में मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 पर 27 से 15 हो गई। जबकि जन्म दर में 40 से 37 तक की मामूली गिरावट हुई। इसका मतलब यह है कि जन्म दर और मृत्यु दर में बहुत बड़ा अंतर था। इसी कारण, जनसंख्या वृद्धि दर उच्च थी। 1981-2011 के बीच जनसंख्या 685 मिलियन से बढ़कर 1,210 मिलियन हो गई। अर्थात् औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.8 प्रतिशत थी। यद्यपि जनसंख्या में वृद्धि देखी गई तथापि कम वृद्धि भी देखी गई। 1951-1981 के बीच वृद्धि दर 2.14 प्रतिशत थी। उपरोक्त आँकड़ों के आधार पर यह माना जा सकता है कि जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत अनुसार भारत तीसरी अवस्था में है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारत में जनसंख्या का विभाजन वर्ष कौन सा है?
2. 1951-1981 के बीच जनसंख्या वृद्धि कितनी थी?
3. विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है?

6.4 जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर

हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जनसंख्या में परिवर्तन की गणना जन्म दर, मृत्यु दर और किसी क्षेत्र या देश के प्रवासन के आधार पर की जाती है।

1. जन्म दर: एक वर्ष के अंतराल में प्रति एक हज़ार लोगों पर जन्मों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है।.

$$\text{जन्म दर} = \frac{\text{एक क्षेत्र में एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या}}{\text{उस क्षेत्र की मध्य-वर्ष की जनसंख्या}} \times 1000$$

उदाहरण: यदि, किसी वर्ष में, जीवित जन्मों की संख्या, एक वर्ष में 1,000 है और मध्य वर्ष में जनसंख्या 25,000 है तो,

$$\text{जन्म दर} = \frac{1000}{25000} \times 1000 = 40 \text{ (मृत्यु प्रति 1000)}$$

2. मृत्यु दर: एक वर्ष के अंतराल में, किसी क्षेत्र में प्रति एक हज़ार लोगों पर मृत्यु की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है।

$$\textbf{मृत्यु दर} = \frac{\text{किसी क्षेत्र में एक वर्ष में मृत्यु की संख्या}}{\text{उस क्षेत्र की मध्य-वर्ष की जनसंख्या}} \times 1000$$

वृद्धि दर = जन्म दर - मृत्यु दर

उदाहरण: यदि, किसी क्षेत्र में मध्य वर्ष की जनसंख्या 25,000 है और वर्ष में मृत्यु की संख्या 500 है तो

$$\textbf{मृत्यु दर} = \frac{500}{25000} \times 1000 = 20 \text{ (मृत्यु प्रति 1000)}$$

उपर्युक्त उदाहरण को देखने पर हमें पता चलता है कि जन्म दर 40 और मृत्यु दर 20 है। अर्थात् प्रति 1000 लोगों पर जनसंख्या वृद्धि दर 20 है।

हमने जान लिया है कि जन्म और मृत्यु दर की गणना किस प्रकार की जाती है। आइए, अब भारत की जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जानेंगे।

हम यह चर्चा पहले ही कर चुके हैं कि, 1921 के पहले उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर के कारण, जनसंख्या वृद्धि उच्च नहीं थी। आइए अब तालिका 6.1 के द्वारा इस शताब्दी में हुए परिवर्तनों का विश्लेषण करें।

1901 से 1921 के बीच इंफ्लुएंजा और अन्य संक्रमणों के कारण मृत्यु दर अधिक थी। 1918 में इंफ्लुएंजा के कारण 15 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई। 1921 की तुलना में, स्वातंत्रोत्तर भारत में, अकाल के प्रभावों में कमी और संक्रमित रोगों पर नियंत्रण के कारण मृत्यु दर में उल्लेखनीय ढंग से कमी हुई। यदि हम तालिका-6.1 का विश्लेषण करें तो हम देखते हैं कि 1911-20 में मृत्यु का जो प्रतिशत दर्ज किया गया था, वह 2010-11 में प्रति 1000 पर 48.6 से घटकर 7.1 हो गया। इसी तरह का विश्लेषण यदि हम जन्म दर के संबंध में करें तो देखेंगे कि 1911-20 में जन्म दर प्रति 1000 पर 49.2 थी। 2001-11 में यह घटकर 21.8 प्रतिशत हो गई। यहाँ हम यह देखते हैं कि वृद्धि दर में उतनी कमी नहीं हुई जितनी मृत्यु दर में हुई है।

तालिका-6.1: जन्म और मृत्यु दर

दशक	जन्म (प्रति 1000)	मृत्यु (प्रति 1000)
1891-1900	45.8	44.4
1901-1911	48.1	42.6
1911-1920	49.2	48.6
1921-1930	46.4	36.3
1931-1940	45.2	31.6
1941-1950	39.9	27.4
1951-1960	40.0	18
1961-1970	41.2	19.2
1971-1980	37.2	15.0
1981-1990	29.5	9.3
1991-2000	25.4	8.4
2001-2011	21.8	7.1

3. शिशु मृत्यु दर (IMR): यह भी जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करती है। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर, एक वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु की संख्या ही शिशु मृत्यु दर है। 20वीं सदी के दूसरे अर्धांश में, शिशु मृत्यु दर 2018 थी जो 2010-11 में घटकर 47 हो गई। चिकित्सा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार पोषक योजनाओं और इसी तरह अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन के कारण शिशु मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी हुई है। किसी भी देश का आर्थिक विकास शिशु मृत्यु दर पर निर्भर करता है। यदि शिशु मृत्यु दर अधिक होती है तो भविष्य में कार्यकारी जनसंख्या में कमी हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप अर्थ व्यवस्था की वृद्धि दर में गिरावट आती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आप मृत्यु दर का वर्णन किस प्रकार करेंगे?
2. अब तक किस दशक में निम्नतम जन्म दर दर्ज की गई?

6.5 लिंग अनुपात

मानव संसाधन के रूप में देश की जनसंख्या की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले मुख्य सूचक को ही लिंग संघटन या लिंग अनुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। एक समय के अंतराल में पुरुष और महिलाओं की समानता को मापन करने वाला प्रमुख सूचक ही लिंग अनुपात है। हमारे देश में लिंग अनुपात महिलाओं के लिए सदा नकारात्मक रहा है और क्रमशः इसमें कमी हो रही है। 1901 में प्रति 1000

पुरुषों दर 972 महिलाएँ थीं। यह संख्या 1951 में 946 थी जो 2001में घटकर 933 हो गई। 2001-2011 के दौरान थोड़ी वृद्धि रखी गई। 2011में प्रति 1,000 पुरुषों पर 940 महिलाएँ थीं।

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{\text{किसी क्षेत्र में महिलाओं की कुल संख्या}}{\text{उस क्षेत्र में पुरुषों की कुल संख्या}} \times 1000$$

उदाहरण: यदि किसी क्षेत्र में, दी गई अवदि में महिलाओं की संख्या 30,000 है और पुरुषों की संख्या 36,000 है, तब

$$\text{लिंग अनुपात} = \frac{30000}{36000} \times 1000 = 833.3$$

2011 की जनगणना में 1210.6 मिलियन लोगों में 623.1 मिलियन पुरुष और 587.5 मिलियन महिलाएँ थीं। अर्थात् लिंगानुपात 940 था।

राज्यों में, केरल (1084) और पुडुचेरी (1038) के लिंगानुपात की स्थिति बेहतर है। हरियाणा और पंजाब क्रमश 877 और 893 के साथ सर्वकालिक निचले स्तर पर है।

महिला शिशु के जन्म की चाह के रूप में लिंग भेदभाव आज भी भारत में प्रचलित है। शिशु मृत्युदर में, महिला शिशु की मृत्यु दर अधिक है। लिंगानुपात नकारात्मक है क्योंकि जन्म से महिलाओं के साथ भेदभाव किया जाता है। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जिन देशों का लिंगानुपात अनुकूल है उन देशों में आर्थिक वृद्धि तीव्रता से हो रही है। संयुक्त राज्य और यूरोप इसके उदाहरण हैं।

पोषक भोजन प्रदान करने तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने में महिला शिशुओं को कम महत्व दिया जाता है। बालिका शिशुओं की भ्रूण हत्या का प्रचलन अभी भी है। कई परिवार लड़कियों को बोझ समझते हैं। यदि लिंग भेदभाव इसी तरह जारी रहेगी तो आर्थिक वृद्धि की प्राप्ति कठिन होगी। समाज में महिला बच्चों के खिलाफ होने वाले भेदभाव में निश्चित रूप से बदलाव की आवश्यकता है।

तालिका-6.2: भारत की शिशु जनसंख्या (0–6 वर्ष): 2001, 2011

	2001	2011	अंतर	अंतर (प्रतिशत)
शिशु	163819589	164478150	658561	+0.4
लड़के	84999186	85732470	733284	+0.8
लड़कियाँ	78820403	78745680	-74723	-0.09

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आप लिंग अनुपात का मापन किस प्रकार करेंगे?
2. किन राज्यों में उच्चतम लिंग अनुपात है?

लिंग भेदभाव का वर्णन करते हुए एक कर पत्र तैयार कीजिए।

6.6 जनसंख्या विस्फोटः अवधारणा, कारण, निवार उपाय

6.6.1 अवधारणा

माल्थस जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि बहुत अधिक है तथा खाद्यान्न तथा अन्य आवश्यकताओं की वृद्धि जो न्यूनतम आवश्यकताएँ हैं, कम हैं। परिणामस्वरूप, गरीबी अधिक है। इस सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या वृद्धि ज्यामितीय श्रेणी (2, 4, 8, 16, 32, …..) और फसल उत्पादन अंकगणितीय श्रेणी (1,2,4,6, ...) में है, इसीलिए लोगों गरीबी भोग रहे हैं। केवल जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना ही गरीबी उन्मूलन का उपचार है। इससे आर्थिक विकास होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण सिद्धांत की दूसरी अवस्था में हमने जनसंख्या के विस्फोट को देखा था। मृत्यु दर में पर्याप्त कमी और जन्म दर में तदनरुपी, कमी न होने के कारण जनसंख्या अधिक हो गई। भारत में 1951-1991 के बीच इस स्थिति का अनुभव किया। यदि जनसंख्या वृद्धि पर रोक नहीं लगाई जाती है तो इससे भोजन की कमी, गरीबी, बेरोज़गारी आदि गंभीर समस्ताएँ उत्पन्न हो सकती है।

6.6.2 भारत में जनसंख्या विस्फोट के कारण

भारत में जनसंख्या विस्फोट के तीन मुख्य कारण हैं। वे हैं:- 1) निम्न मृत्यु दर 2) उच्च जन्म दर 3) प्रवासन। प्रवास का प्रभाव कम होता है।

1) निम्न मृत्यु दर के संभावित कारणः

a) सूखा नियंत्रणः ब्रिटिश शासन के बाद भारत में फसल के स्वरूपों में बदलाव, फसल सिंचाई की सुविधाओं, सूखे की स्थिति में प्रभावी कमी से मृत्यु दर में कमी आई।

b) रोग नियंत्रण : स्वतंत्रता के बाद से स्वास्थ्य क्षेत्र में विकास के कारण हैजा, मलेरिया और चेचक जैसे संक्रमणों से होने वाली मृत्यु को रोका गया है। इससे मृत्यु दर में कमी आई है। विशेष रूप से हम शिशु मृत्यु दर को कम करने में सक्षम हो गये हैं।

c) अन्य पहलू : चिकित्सा सुविधाओं में सुधार, पेयजल की व्यवस्था, स्वच्छता, शैक्षिक सुविधाओं के प्रावधान, टीकाकरण, गरीबी उन्मूलन योजनाओं ने उल्लेखनीय रूप से मृत्यु दर में कमी की है।

2) उच्च जन्म दर के कारण

I. आर्थिक कारण

a) कृषि क्षेत्र का प्रभुत्व : कृषि करने वाले परिवारों में बच्चों को आर्थिक बोझ नहीं समझा जाता है। जबकि कृषि के लिए श्रमिकों की अधिकांश संख्या की आवश्यकता में आवश्यकता होती है इसीलिए वे जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नहीं सोचते हैं। इसी कारण किसानों के परिवार भी संयुक्त परिवारों के समान विशाल होते हैं।

b) शहरीकरण: औद्योगिकीकरण निष्क्रियता कारण शहरीकरण तीव्रता से नहीं होता है। व्यवसायों में बड़े बदलावों के कारण जन्म दर अधिक थी।

c) गरीबी: जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण गरीबी है। गरीब लोग अपने बच्चों को बोझ नहीं बल्कि आर्थिक संसाधन समझते हैं। इसीलिए वृद्धि अधिक होती है।

II. सामाजिक कारणः

a) चूँकि विवाह प्रणाली भारतीय समाज में एक सार्वभौमिक सहमति है यह अनिवार्य रूप से जनसंख्या वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करती है। विवाह के प्रति यह झुकाव इस धारणा के कारण है कि विवाह अनिवार्य है। इसी कारण जनसंख्या वृद्धि स्वाभाविक है।

b) कम उम्र में शादी करने के कारण जन्म दर अधिक होती है। भारतीय महिलाओं के लिए विवाह की औसत आयु 18.3 वर्ष और पुरुषों के लिए 22.6 वर्ष है। क्योंकि कम उम्र में महिलाओं की शादी हो रही है और प्रजनन दर अधिक है इस तथ्य के कारण पहले से ही समूचे विश्व में जन्म दर में नाटकीय रूप से कमी हुई है।

c) धर्म, अंधविश्वास और पिछड़ापन जैसे कारक भी उच्च जन्म दर में योगदान देते हैं।

d) संयुक्त परिवार प्रणाली में बच्चों के होने को आर्थिक बोझ के रूप में नहीं देखा जाता है। अधिक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं। वर्तमान में संयुक्त परिवार प्रणाली तेज़ी से गायब हो रही है।

e) श्रेष्ठ शैक्षिक पद्धतियों के अभाव के कारण समाज में जनसंख्या नियंत्रण सोच की प्रवृत्ति में बदलाव नहीं हो रहा है।

f) परिवार नियोजन के तरीकों का पालन न करने से जनसंख्या वृद्धि दर को कम नहीं किया जा सकता है। धर्म और रीति-रिवाज़ों के कारण परिवार नियोजन अभियान सफल नहीं हुआ है।

6.6.3 जनसंख्या वृद्धि में नियंत्रण के उपाय

I. आर्थिक उपाय

a) औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार: श्रमिकों में कुछ वित्तीय जागरुकता होती है। वे नौकरी प्राप्त करने की कठिनाइयों को जानते हैं। इसीलिए वे अपनी परिवार की वृद्धि पर नियंत्रण रखते हैं। वे अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण जीवन देना पसंद करते हैं। इसीलिए सुरक्षित रहने के लिए वे कम बच्चे पसंद करते हैं। फलस्वरूप अत्यधिक जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित होती है।

b) **नौकरी का सृजन**: औद्योगिकीकरण अधिक रोज़गार के अवतार प्रदान कर सकता है। इससे शहरी करण भी होता है। शहरीकरण और नौकरी के सृजन से, लोग वित्तीय रूप से समझदार हो जाते हैं और छोटे परिवार के ओर अभिमुख होते हैं। इस तरह से जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित होती है।

c) **गरीबी उन्मूलन**: जो गरीब हैं वे अपने बच्चों को आर्थिक संसाधन मानते हैं। यदि गरीबी का उन्मूलन किया जाता है तो कुछ हद तक जनसंख्या पर नियंत्रण किया जा सकता है।

II. सामाजिक उपाय

a) साक्षरता: साक्षरता मनुष्य के व्यवहार को परिवर्तित कर देती है। यह जीवन की समझ को बेहतर बनाती है। इसीलिए शिक्षित युवा पुरुष और महिलाएँ परिवार की भलाई के बारे में जानते हैं। वे अंविश्वासों को छोड़ देते हैं और उनके परिवार छोटे या कम बच्चों वाले होते हैं। शिक्षा और रोज़गार के कारण विवाह की उम्र को स्थगित कर दिया जाता है। इसके द्वारा जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण देखा जा सकता है।

b) विवाह की आयु: बाल विवाह से बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। भारत में पुरुषों के लिए विवाह की निम्नतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए यह 18 वर्ष है। विवाह की उम्र जितनी अधिक होगी, प्रजनन दर उतनी ही कम होगी और जनसंख्या पर नियंत्रण भी होगा।

c) परिवार नियोजन: इन पद्धतियों को प्रचारित करना अव्यावश्यक हो गया है। सरकारी और गैर सरकारी संगठनों को इसके लिए योजनाएँ बनानी चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक कारण क्या हैं?
2. जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए कौन से सामाजिक उपया किए जाने चाहिए?
3. भारतीय महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्या है?

चर्चा करें

जनसंख्या वृद्धि और साक्षरता के बीच संबंध। इस पर चर्चा करें।

6.7 जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या का विस्तार घनत्व को इंगित करता है। जनसंख्या की गणना दिए गए क्षेत्र की जनसंख्या पर आधारित होती है।

$$\text{जनसंख्या घनत्व} = \frac{\text{विशेष क्षेत्र की जनसंख्या}}{\text{क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)}}$$

उदाहरण के लिए, मान ले कोई क्षेत्र 10 वर्ग किलोमीटर का है। यदि उस क्षेत्र की जनसंख्या 25,000 है तो जनसंख्या का घनत्व 25,000 / 10 = 2,500 होगा। इसका अर्थ यह है कि उस क्षेत्र में प्रति वर्ग कि.मी. में रहने वाले लोगों की संख्या 2,500 है। हम जनसंख्या के घनत्व के बारे में क्या जानते है?

यदि किसी स्थान में आबादी अधिक होती है तो इसका अर्थ यह है कि उस क्षेत्र के इलाके, बुनियादी ढाँचथे आदि रहने के लिए उपयुक्त है।

उदाहरण के लिए बिहार में जनसंख्या का घनत्व 1,102 है। इसका मुख्य कारण है मैदानी क्षेत्र जो फसलों, उद्योगों, परिवहन सुविधाओं के लिए उपयुक्त है। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व 17 है। इसका मुख्य कारण है कि राज्य पूरी तरह पहाड़ी और निर्जन है। इसीलिए जनसंख्या का घनत्व कम है।

भारत में जनसंख्या का घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। यदि हम इसका अवलोकन राज्यवार करेंगे तो हमें इसमें बहुत अंतर दिखाई देगा। मानचित्र -6.2 देखें।

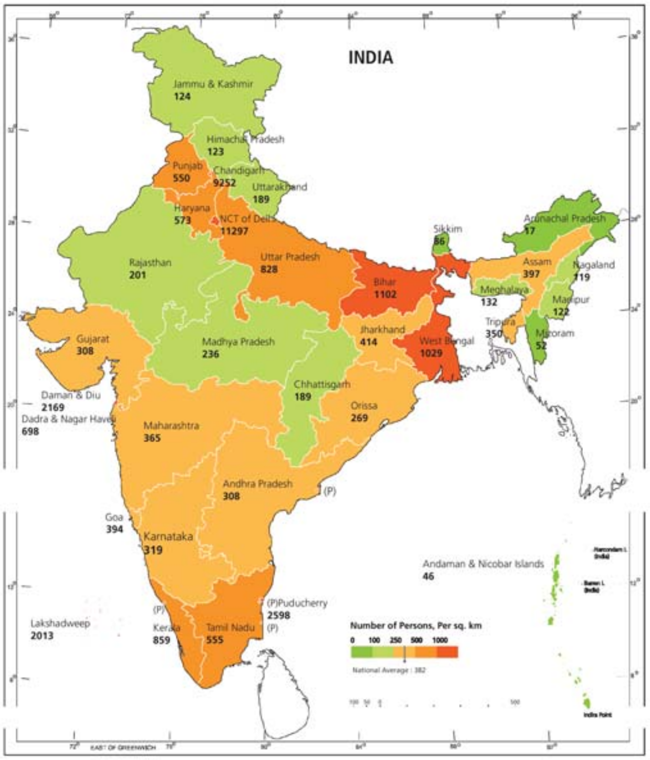

मानचित्र 6.2: भारत में राज्यवार जनसंख्या का घनत्व

क्या आप जानते हैं?

बंगला देश में जनसंख्या का घनत्व भारत से अधिक है?

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. जनसंख्या का घनत्व किन कारणों पर निर्भर करता है?
2. पर्वतीय क्षेत्रों में घनत्व अधिक होता है: गलत / सही

पता कीजिए

दक्षिण एशिया के देशों की जनसंख्या के घनत्वों का पता कीजिए।

6.8 आयु संरचना

आयु के द्वारा देश की जनसंख्या को तीन मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है।

6.8.1 बच्चेः–

प्रायः 15 वर्ष से कम उम्र के लोगों की पहचान बच्चों या शिशुओं के रूप में की जाती है। इन लोगों की देखभाल परिवार के द्वारा की जाती है। उन्हें शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने की आवश्यकता होती है। वे अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों के पैसों पर निर्भर होते हैं। किंतु वित्तीय उद्देश्यों के लिए उन्हें काम पर भेजना सही नहीं है। भविष्य में वे देश के लिए एक आर्थिक संसाधन बन सकते हैं।

6.8.2 कार्यशील जनसंख्या

देश की जनसंख्या में 15 से 60 वर्ष की आयु के लोगों का वर्गीकरण कार्यशील आयु के रुप में किया जा सकता है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए यह वर्ग महत्वपूर्ण है। विकास उन लोगों की कार्यक्षमताओं पर निर्भर करता है जो वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं। बच्चे और बूढ़े अपनी ज़रूरतों और खर्चों के लिए इस वर्ग के लोगों पर निर्भर रहते हैं।

6.8.3 वृद्ध

60वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्ध माना जाता है। कुछ अपनी पेंशन पर निर्भर करते हैं। अन्य अपनी संतान पर निर्भर करते हैं। हालाँकि, हमारे देश में ये लोग असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। प्रायः चिकित्सा की आवश्यकताओं के लिए इन्हें अधिक धन की आवश्यकता होती है। यदि सरकार अनिवार्य पेंशन योजना को लागू करती है तो वे आनंदित होते हैं।

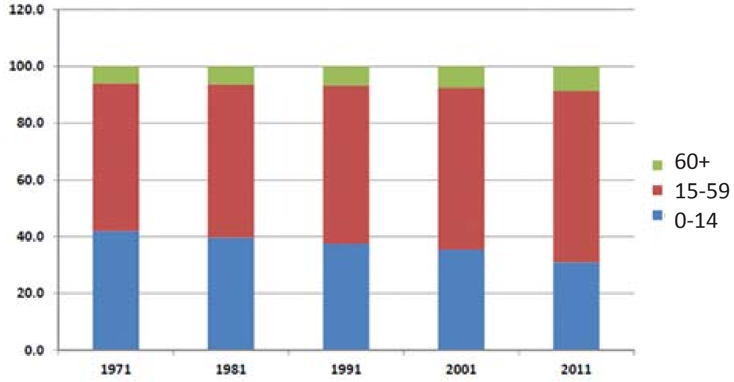

मानचित्र 6.3: भारत में आयु विभाजन की प्रकृति 1971 - 2011

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आर्थिक विकास के कार्यशील आयु की श्रेणी है? (वार्षो में)

   A) 10-15 C) 6-14 B) 15-60 D) 60-80

6.9 व्यावसायिक और क्षेत्रीय वितरण

जिस देश को विकास की जरूरत होती है उसे मानव शक्ति की भी ज़रूरत होती है। उत्पादन के कारकों में श्रमिक महत्वपूर्ण कारक है। व्यावसायिक विभाजन एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न व्यवसायों में कार्यशील आयु की जनसंख्या का विभाजन है। हम व्यवसाय के तीन प्रमुख प्रकारों का अवलोकन कर सकते हैं। वे हैं:

1. प्राथमिक व्यवसाय: कृषि, पशुपालन, वन, मत्स्य पालन आदि को मूलभूत व्यवसाय कहा जाता है।.

2. माध्यमिक व्यवसाय: लघु, मध्यम और बड़े पैमाने के उद्योगों में व्यवसायों को माध्यमिक व्यवसाय कहते हैं।

3. तृतीयक व्यवसाय: परिवहन, संचार, बैंकिंग, वित्त आदि व्यवसायों या सेवाओं को तृतीयक व्यवसाय कहा जाता है।

2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ की जनसंख्या में से, 40 करोड़ कार्यशील लोग हैं, अर्थात् वे लोग हैं जो उत्पादकीय गतिविधियों में शामिल हैं। यह करा जा सकता है कि भारतीय रोज़गार क्षेत्र में अधिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। कृषि अभी भी रोज़गार का प्रमुख क्षेत्र है। औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों में अधिक रोज़गार उत्पन्न करने की असमर्थता के कारण अधिक से अधिक लोग कृषि के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

यद्यपि देश का लगभग आधा श्रमबल कृषि में है, तथापि सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इसका हिस्सा बहुत कम है। जहाँ कृषि क्षेत्र में कार्यबल का हिस्सा 50 प्रतिशत है वहीं GDP में इसका हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है। GDP में कृषि क्षेत्र के हिस्से में उल्लेखनीय रूप से कमी हुई है। इसका अर्थ है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक मज़दूर है। कुछ लोगों को कृषि के काम से हटा दिया जायेगा तो भी कृषि के उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसे प्रच्छन्न बेरोज़गारी ('disguised unemployment') कहते हैं। ग्रामीण कृषक परिवारों में हम इस प्रकार की स्थिति को स्वाभाविक रूप से देख सकते हैं। पूरा परिवार उनकी स्वयं की लघु कृषि भूमि पर निर्भर करता है। यदि अन्य क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है तो इतने लोगों के लिए कृषि के क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता नहीं होती है।

पता कीजिए

आपके मुहल्ले में एक परिवार के कितने लोग कृषि पर निर्भर हैं? केवल कृषि के क्षेत्र में ही काम करने की उनकी रुचि क्यों है?

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सेवा क्षेत्र के कुछ उदाहरण लिखिए।
2. किस क्षेत्र में लोग आज भी काम कर रहे हैं?

6.10 क्षेत्रवार रोज़गार और उत्पादन विभाजन

2015-16 में भारत के क्षेत्रवार रोज़गार में भारत का हिस्सा कृषि में 47 प्रतिशत, उद्योग में 22 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र में 31 प्रतिशत है। यदि हम तीनों में GDP को देखें तो पता चलेगा कि कृषि का हिस्सा 19 प्रतिशत, उद्योग का हिस्सा 28 प्रतिशत और सेवा का हिस्सा 53 प्रतिशत है।

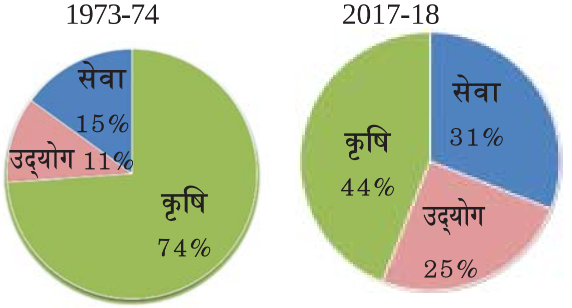

चित्र -6.4: तीनों क्षेत्रों में रोज़गार का हिस्सा

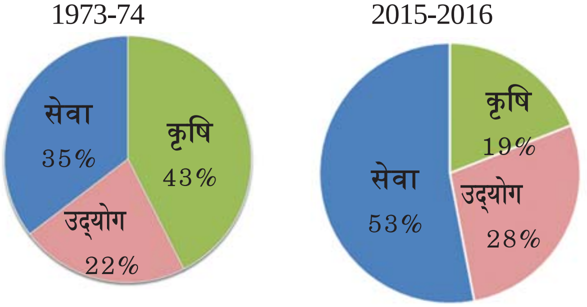

चित्र -6.5: तीनों क्षेत्रों में सकल घरलू (GDP)हिस्सा

मानचित्र 6.4 और 6.5 स्पष्ट रूप से रोज़गार क्षेत्र और निर्माण क्षेत्र के बीच अंतर दर्शाता हैं। कृषि क्षेत्र, जो 47 प्रतिशत लोगों को रोज़गार देता है उसका हिस्सा केवल 19 प्रतिशत है, जबकि सेवा क्षेत्र जो 31 प्रतिशत लोगों को रोज़गार देता है कुल उत्पादन में उसका हिस्सा 53 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में विशाल श्रमबल है जिसका स्थानांतरण औद्योगिक और सेवाक्षेत्र में करने की ज़रूरत है।

यह पहले से ही देखा गया है कि हमारे देश में रोज़गार के स्वरूप में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं। संगठित और असंगठित, रोज़गार के प्रमुख क्षेत्र है। कंपनियों के श्रामिक जो फैक्ट्री अधिनियम और न्यूनतम वेतन अधिनियम पैसे सरकारी निधनों के आदेशानुसार व्यवस्थित प्रक्रियाओं और नीतियों का पालन करते हैं उनकी पहचान संगठित क्षेत्र के रुप में की जाती है। किंतु इन क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर बहुत कम हैं, और विकास की गति धीमी है।

असंगठित क्षेत्र में छोटी कंपनियाँ हैं। ये सरकारी नियमों का अनुपालन नहीं करती हैं। कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता है और उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी। इसमें काम अधिक होता है, वेतन कम होता है और नियोक्ता किसी भी समय कर्मचारी को काम से हटा सकता है। सेवा क्षेत्र में स्व-रोज़गारी लोगों की बड़ी संख्या है जो अपने जीवनयापन के लिए बाज़ारों में सब्जियाँ, फल और छोटी वस्तुएँ बेचते हैं। इस प्रकार अधिकांश कार्यशील लोग असंगठित क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. GDP में किस क्षेत्र की हिस्सेदारी अधिक है?
2. असंगठित क्षेत्रों के उदाहरण लिखिए।
3. अधिकांश कृषि श्रामिक इसमें हैं - शहर / गाँव

आपके मुहल्ले में कार्यशील लोगों पर एक सर्वेक्षण का आयोजन कीजिए। इस सर्वेक्षण के आधार पर संगठित और असंगठित क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों का विश्लेषण कीजिए।

नाम	आयु	व्यवसाय	संगठित / असंगठित

6.11 ग्रामीण-शहरी जनसंख्या

भारत गाँवों का देश है। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या 833.5 मिलियन और शहरी जनसंख्या 377.1 मिलियन है। इसका अर्थ यह है कि 68.8 प्रतिशत जनसंख्या गाँवों में रहती हैं। शहरों में 31.2 प्रतिशत जनसंख्या रहती है। 2001 की तुलना में जो शहरी आबादी 27.8 प्रतिशत थी वह अब 31.2 प्रतिशत है। इसी प्रकार ग्रामीण जनसंख्या 72.2 प्रतिशत से घटकर 68.8

प्रतिशत हो गई है। जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय राज्यों में दिल्ली में अधिकतम शहरी जनसंख्या 97.5 प्रतिशत है। गोवा(62%), मिज़ोरम (52%), तमिलनाडु(48%), केरल (47%) और महाराष्ट्र (45%) अगले स्थान पर हैं। अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हिमाचल प्रदेश (90%), बिहार (89%), असम (86%), मेघालय (80%) और उत्तर प्रदेश (78%) हैं।

शहरीकरण में वृद्धि के बावजूद भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। सड़कें, मल-व्यवस्था, बिजली, पेयजल तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाएँ आवश्यक हैं। शहरी बुनियादी ढाँचे में सुधार विशेषकर सड़क परिवहन में, सरकार के हस्तक्षेप से अनेक परिणाम दृष्टिगोचर हुए हैं। हालाँकि बिजली, पेयजल, चिकिस्ता आदि की स्थिति बदतर है।

शहरीकरण और शहरों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में गरीबी का स्तर कम हैं फिर भी उच्च आय ओर निम्न ाय वाले परिवारों के बीच की खाई आज भी बहुत अधिक है। इस अंतर में अभी भी वृद्धि हो रही है। नगरों और शहरों में जनसंख्या में वृद्धि का कारण स्वाभाविक वृद्धि है। समय के साथ इन नगरों की जनसंख्या में वृद्धि हुई हैं। देश के आस-पास के इलाकों को शामिल करने के लिए इन नगरों और शहरों का विस्तार किया गया। केवल 1/5 जनसंख्या में वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवासन के कारण हुई है। भूमि पर अजैविक सामग्रि के उपयोग में वृद्धि शहरीकरण की प्रमुख समस्या है। बढ़ती शहरी जनसंख्या को आवास, जल की आपूर्ति, मल-प्रवाह और अन्य अपशिष्टों के निपटारे के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता हैं। अन्यथा इन वस्तुओं के कारण अनेक महावास्थियाँ हो सकती है। इस प्रकार ये केवल शहरी विकास का ही नहीं बल्कि समस्याओं का भी घर बन जायेंगे।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारत में ग्रामीण जनसंख्या अधिक क्यों हैं?
2. दिल्ली राज्य में अधिक प्रतिशत लोगों के शहरी क्षेत्रों में रहने के कारण क्या हैं?

6.12 सारांश (मुख्य बिंदु)

- जन्म और मृत्यु दर के संदर्भ में प्रत्येक देश प्रायः तीन अवस्थाओं से गुजरता है।
- यदि मृत्यु दर में जन्म दर अधिक होती है तो जनसंख्या वृद्धि दर भी अधिक होती है। इस स्थिति को 'जनसंख्या विस्फोट' कहते हैं।
- जनसंख्या में परिवर्तन जन्मदर, मृत्यु दर और प्रवासन पर निर्भर करता है।
- 1881 से भारत में प्रति 10 वर्षों में जनगणना का आयोजन किया जाता है।
- हमारे देश में, लिंगानुपात स्त्रियों के लिए केवल नकारात्मक ही नहीं है बल्कि इसमें वृद्धि भी हो रही है।
- भारत में मृत्यु दर में कमी होने के अनेक कारण हैं। सूखे पर नियंत्रण, बिमारियों पर नियंत्रण तथा चिकित्सा सुविधाओं में सुधार आदि इसके कारण हैं।

- कृषि प्रभुत्व, तीव्र शहरीकरण, गरीबी, बाल विवाह, निम्न महिला साक्षरता दरों और घटिया परिवार नियोजन प्रथाओं ने उच्च जन्म दर में योगदान दिया है।
- यदि हम जनसंख्या घनत्व को राज्यों के आधार पर देखते हैं तो पता चलता हैं कि इसमें अनेक अंतर है।
- देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कार्यशील जनसंख्या अत्यंत महत्वपूर्ण है। बच्चे और बूढ़े सामान्यतः इन पर ही निर्भर रहते हैं।
- भारत में अधिकांश लोग गाँवों में रहते हैं और उनमें अधिकांश लोग कृषि में शामिल है। हमारे देश में अभी भी बहुत सारे श्रमिक असंगठित क्षेत्रों में काम कर रहे हैं।

6.13 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. जनसंख्या का घनत्व किसे कहते हैं?
2. मूलभूत व्यवसाय क्या हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. जन्म, मृत्यु और शिशु मृत्यु दरें क्या हैं?
2. भारत में जनसंख्या की आयु संरचना को दर्शाइए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. जनसांख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए।
2. पिछले दशकों में भारत में जन्म और मृत्यु दर में होने वाले परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए।
3. लिंग अनुपात की अवधारण की व्याख्या कीजिए। भारत में यह इतना प्रतिकूल क्यों है?
4. जनसंख्या विस्फोट के संभावित कारणों का वर्णन कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. हम भारत में इस क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी देख सकते हैं। ( )

   a) कृषि क्षेत्र b) औद्योगिक क्षेत्र c) सेवा क्षेत्र d) कोई नहीं

2. निम्न में से कम जनसंख्या वाला राज्य है ( )

   a) दिल्ली b) महाराष्ट्र c) तेलंगाणा d) अरुणाचल प्रदेश

6.14 संदर्भ पुस्तकें

1. अर्थशास्त्र, इंटरमिडियेट द्वितीय वर्ष की पाठ्यपुस्तकें, तेलुगु आकादमी.

7 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र

7.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- आर्थिक गतिविधियों को वर्गीकृत और श्रेणीबद्ध करते हैं। तीनों क्षेत्रों में शामिल गतिविधियों के उदाहरण देते हैं।
- राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्रों के योगदान का वर्णन करते हैं।
- कार्यशील जनसंख्या के एक बड़े हिस्से का कृषि पर निर्भर होने के कारणों का विश्लेषण करते हैं।
- राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र के बड़े हिस्से के योगदान के कारणों का विश्लेषण करते हैं।
- तीनों क्षेत्रों में रोज़गार के अवसरों में वृद्धि के उपाय सुझाते हैं।
- कृषि और औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़े पन के कारणों का विश्लेषण करते हैं तथा इन क्षेत्रों में विकास के उपाय सुझाते हैं।

7.1 परिचय

स्वतंत्रता के पश्चात्, भारत ने अर्थव्यवस्था में अनेक संरचनात्मक परिवर्तनों और क्रमिक रुपांतरणों का अनुभव किया। अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादन की आधुनिक और उन्नत तकनीकों का उपयोग किया गया। इतनी विशाल जनसंख्या के बावजूद भी आज भारत विश्व की तीव्रता से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र की भूमिका घट रही है तथा माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्र की भूमिका में क्रमशः वृद्धि हो रही है। लेकिन अभी भी अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जा सकता है? राष्ट्रीय उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है? इस प्रश्नों का उत्तर देने के लिए, हमें अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के बारे में समझने की आवश्यकता है। इस इकाई में हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के महत्व, राष्ट्रीय आय में उनके योगदान और इन क्षेत्रों में प्रगति के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।

7.2 भारतीय अर्थ व्यवस्था : तीन क्षेत्र

7.2.1 भारत में योजना निर्माण

भारत सरकार ने स्वतंत्रता के पश्चात् मार्च1950 में योजना आयोग की स्थापना की तथा नियोजित अर्थव्यवस्था का गठन किया। भारत की सरकान ने आर्थिक वृद्धि, आत्म पर्याप्तता, आत्म-निर्भरता, समावेशी विकास दीर्घकालिक विकास, रोज़गार के अवसरों में वृद्धि, गरीबी का

उन्मूलन, आय की असमानताओं में कमी करने के उद्देश्य से 12 पंचवर्षीय योजनाओं को लागू किया। इनमें से कुछ उद्देश्य की प्राप्ति हुई और कुछ उद्देश्यों को प्राप्ति नहीं हुई। 1 जनवरी, 2015 को भारत सरकार द्वारा, योजना आयोग के विस्थापन के रुप में राष्ट्रीय इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफार्मिंग आयोग (NITI) नीति आयोग की स्थापना की गई। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

7.2.2 मिश्रित अर्थव्यवस्था

भारत की अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जा सकता है क्योंकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र अपनी आर्थिक गतिविधियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। 1991 में प्रस्तावित प्रमुख आर्थिक सुधारों तक सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका ही महत्वपूर्ण थी। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के कारण निजी क्षेत्र के महत्व में वृद्धि हो रही है। इकाई-8 में प्रमुख आर्थिक सुधारों का वर्णन किया गया है।

7.2.3 भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन प्रमुख क्षेत्र

भारतीय अर्थव्यवस्था को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वे हैं- प्राथमिक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र

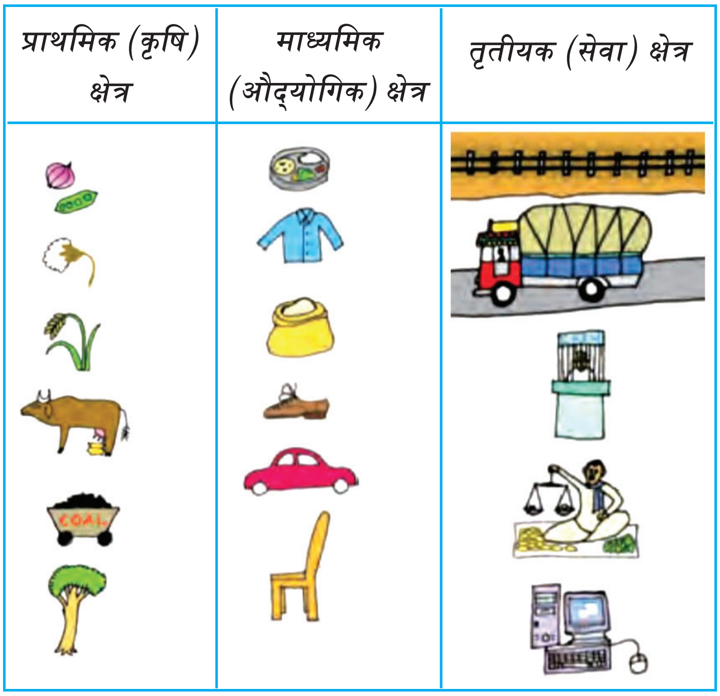

Chart-7.1: Sectors in Indian Economy

1) प्राथमिक क्षेत्र (कच्चे माल का निष्कर्षण): जब प्राकृतिक संसाधन के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है तो यह प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि मानी जाती है। यह सभी अन्य उत्पादों के लिए आधार का निर्माण करता है। इसे 'कृषि और संबद्ध क्षेत्र' भी कहा जाता है क्योंकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन हमें कृषि, वनिकी, मत्स्यपालन, डेयरी, खनन आदि से प्राप्त होते हैं।

2) माध्यमिक क्षेत्र (निर्माण क्षेत्र): कच्चे माल और मध्यवर्ती सामाग्रियों का रूपांतरण इसमें शामिल होता है। स्टील का रूपांतरण मोटरकार में, कपड़े का रूपांतरण वस्त्रों में किया जाना इसके कुछ उदाहरण हैं। यह अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा है जो कच्चे माल के उत्पादन के बजाय वस्तुओं का निर्माण करता है। विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़े होने के कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है।

3) तृतीय (Tertiary) क्षेत्र: उपभोक्ताओं तथा व्यापारियों के लिए निर्मित उत्पादों और वस्तुओं के उपयोग और अर्जन की सुविधाएँ प्रदान करना इसमें शामिल होता है। यहाँ सेवाओं को उत्पन्न की जाती है इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। परिवहन, भंडारण, संप्रेषण, बैंकिंग, बीमा, व्यापार, होटल और रेस्तराँ, वित्तीय, रियलस्टेट, व्यापार सेवाएँ, पर्यटन, जन प्रशासन, सूचना प्रौद्योगिकी आदि सेवा क्षेत्र में शामिल कुछ गतिविधियाँ हैं।

7.3 सकल घरेलू उत्पादन (GDP) में क्षेत्रीय योगदान

किसी देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि का मापन सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के द्वारा किया जाता है। प्रायः एक वर्ष में, एक विशिष्ट समय के लिए, किसी देश के द्वारा उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद GDP कहा जाता है। 1950-51 के दौरान क्रमशः इसका योगदान 2018-19 में घटकर 16.1% रह गया। उद्योग क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद में 1950-51 में अनेक 15% योगदान को 2018-19 में धीरे-धीरे बढ़ाकर 29.6% कर दिया। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार सेवा क्षेत्र में भी 1950-51 में अपने 25% के योगदान में सुधार कर 2018-19 में इसे लगभग 54.32 कर दिया। कृषि के हिस्से में गिरावट के मुख्य कारण वर्षों से हो रही औसत की प्रतिकूल परिस्थितियाँ और संरचनात्मक बदलाव थे। कुछ संरचनात्मक परिवर्तन मूलभूत सुविधाओं, सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के उपयोग वित्तीय संस्थानों बैंकिंग में विकास तथा अन्य सेवाओं का विस्तार है।

7.4 जनसंख्या का क्षेत्रीय वितरण

जनसंख्या में बढ़ोत्तरी के साथ सभी कार्यशील जनसंख्या को रोज़गार के अवसर प्रदान करना देश के लिए अनिवार्य है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के कुल 1.2 बिलियन लोगों में, 481.9 मिलियन लोग पूर्ण श्रमिक और 263.1 मिलियन लोग कृषि श्रमिक हैं। 1951 में 361.1 मिलियन जनसंख्या में पूर्ण श्रमिक 139.5 और कृषि श्रमिक 97.2 मिलियन थे। तालिका 7.1 भारत के श्रमिकों के बारे में कुछ मूलभूत तथ्यों को दर्शाती है।

तालिका-7.1: 1951 और 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या और कृषि श्रमिक (सं. मिलियन में)

वर्ष	कुल जनसंख्या	औसत वार्षिक घातांकी वृद्धि दर	ग्रामीण जनसंख्या	कुल श्रमिक	कृषि श्रमिक		
					किसान	कृषि श्रमिक	कुल
1951	361.1	1.25	298.6	139.5	69.9	27.3	97.2
2011	1210.9	1.50	833.7	481.9	118.8	144.3	263.1

स्त्रोत: *भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त*

उद्योग और सेवा क्षेत्र में पर्याप्त नौकरियों के न होने के कारण कृषि क्षेत्र निरंतर सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ था। रोज़गार की तब्दीली कृषि क्षेत्र से न हो पाने के परिणामस्वरूप देश के लगभग आधे श्रमिक कृषि क्षेत्र में ही काम करते हुए GDP में केवल 1/6 वें भाग का योगदान दे रहे हैं। इसके विपरीत उद्योग और सेवा क्षेत्र लगभग केवल आधे अनुपात में श्रमिकों की नियुक्ति कर, GDP के 4/5वें भाग का उत्पादन कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि अधिकांश लोग कृषि कर रहे हैं। यदि कुछ लोग खेती के काम से बाहर भी आ जाते हैं तो भी उत्पादन कर किसी प्राङ्कर का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

7.5 कृषि क्षेत्र

खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के आँकड़ों के अनुसार दूग्ध उत्पादों, जूट, दालों और पशुधन में भैंसों के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की मुख्य भूमिका है। दश की खाद्य सुरक्षा कृषि पर निर्भर करती है। भोजन उपलब्ध कराने के अतिरिक्त यह बड़े उद्योगों को कच्चा माल जैसे-कपास, जूट, शक्कर, तंबाकू कागज़ आदि भी उपलब्ध कराते है। कृषि उत्पादों जैसे - चाय, कॉफी, कच्चा तंबाकू, वनस्पति तेल, कच्चा कपास, फल आदि हमारे निर्यात व्यापार की महत्वपूर्ण वस्तुएँ है जिनके द्वारा सार्थक रूप से विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। भारत की वृहत् पशुधन जनसंख्या दूध, अंडे, मांस, ऊन आदि की मांगों की पूर्ति में आश्चर्यजनक रूप से सक्षम हैं।

7.5.1 स्वतंत्रता के बाद भारत में कृषि में परिवर्तन

भारत में कृषि का वर्णन तीन चरणों के द्वारा किया जा सकता है। पहले चरण को पूर्व हरित क्रांति चरण कहा जा सकता है। यह भू सुधारों, ग्रामीण ऋणों औ सिंचाई सुविधाओं पर ध्यान देता है। दूसरा चरण सिंचित क्षेत्र में इनपुट की उपलब्धता जैसेः- कीटनाशकों, कृमिनाटकों रासायनिक उर्वरकों, अधिक उपज देने वाली बीज़ों को किस्मों के साथ-साथ जल प्रबंधन को प्राथमिकता देता है। तीसरा चरण नई आर्थिक नीति, 1991 का काल है। यह प्रेरकों (incentives) को उपलब्ध कराने तथा कृषि में सार्वजनिक निवेश को प्रोत्सारित करने पर बल देता है। दुर्भाग्यवश, पहले चरण में खाद्यान्नों के उत्पादन का विकास, बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं था। दूसरे चरण के परिणामों के रूप में जहाँ प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई वहीं तीसरे चरण में कृषि में जन निवेशों में कमी हुई। इसके अलावा, कृषि के विकास के लिए भारत सरकार ने अनेक नीतियों और योजनाओं को भी लागू किया। परिणामस्वरूप, कुछ वर्षो से भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई।

7.5.2 हरित क्रांति और कृषि उत्पादकता

1. हरित क्रांति: हरित क्रांति की दो अवस्थाएँ हैं। हरित क्रांति की पहली अवस्था (लगभग 1960 के मध्य से 1970 के मध्य तक) का उद्देश्य उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों(HYV), सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों की खरीदी के लिए वित्तीय साधनों के प्रावधानों का उपयोग करता है। किंतु यह पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों तक ही सीमित था।

इसके अतिरिक्त, अधिक उपज देने वाली बीज़ों की किस्मों के उपयोग में गेहूँ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को मुख्य रुप से लाभान्वित किया। हरित क्रांति की दूसरी अवस्था (1970 के मध्य से 1980 के मध्य तक) ने उच्च उपज देने वाली बीजों की किस्मों HYV की तकनीकी का विस्तार अनेक राज्यों में किया जिससे वे विभिन्न प्रकार की फसलों से लाभान्वित हुए। हरित क्रांति तकनीकी के प्रसार ने खाद्यान्न और विपफित अधिशेष (market surplus) में भारत को आत्म-निर्भरता की प्राप्ति में सक्षम बनाया।

2. कृषि उत्पादकता: कृषि उत्पादों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। खाद्यान्न और गैर-खाद्यान्नों में तिलहन, गन्ना, कपास सोयाबीन आदि शामिल होते हैं। कृषि में उत्पादकता भू-भाग के आकार और तकनीकी के स्तर पर निर्भर करती है। मिट्टी, बाढ़ नियंत्रण। संरचनाएँ, सिंचाई, शीत भंडारण जैसी गुणवत्तापूर्ण संरचनात्मक सुविधाएँ अन्य पहलू हैं। यह देखा गया है कि भारत में अधिकांश किसान आकार में 2 एकड़ से भी कम के भूमि के छोटे हिस्से में कृषि करते हैं। इसी कारण अधिकांश किसान उत्पादन के बेहतर पद्धतियों का उपयोग करते हुए अधिकतम लाभार्जन के लिए गहन खेती कर रहे हैं। वर्षों से खाद्य फसलों और गैर खाद्य फसलों के खेती के अंतर्गत क्षेत्रों में विशेष प्रगति हुई है। भारत में विभिन्न फसलों की प्रति हेक्टर पैदावर में अनुकूल प्रगति हुई है।

3. कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के आवश्यक उपाय:

a) मध्यवर्तिता का उन्मूलन और किरायेदारी में सुधार के मेल से गठित भू सुधार।

b) गुणवत्तापूर्ण बीजों और उर्वरकों का वितरण।

c) वित्तीय (Financing) के लिए संस्थागत प्रबंधन।

d) पर्याप्त मार्केटिंग और भंडारगृहों (ware houses) की सुविधाओं का प्रावधान।

e) आधारभूत संरचनाओं और सिंचाई सुविधाओं का विस्तार।

f) निम्नतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ोत्तरी।

g) कृषि इनपुटों (inputs) और फसल बीमा सुविधाओं के लिए सब्सिडी प्रदान करना।

h) किसानों को उन्नत तकनीकी के उपयुक्त प्रयोग द्वारा अधिकतम संसाधनों के उपयोग के लिए शिक्षित करना।

7.5.3 कृषि ऋण

किसानों के लिए उपलब्ध कृषि ऋण के स्त्रोत के दो प्रकार है:

A) गैर संस्थागत ऋण

B) संस्थागत ऋण

A) गैर संस्थागत ऋण: गैर-संस्थागत स्त्रोतों में महाजन, जमींदार, व्यापारी, मित्र, रिश्तेदार आदि शामिल होते हैं। ये स्त्रोत किसानों के लिए किसी भी समय पर उपलब्ध रहते हैं। किंतु इसमें अनेक कमियाँ हैं। जैसे उच्च ब्याज दर, जमींदारों द्वारा शोषण आदि।

B) संस्थागत ऋण: संस्थागत ऋण स्त्रोतों द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले ऋण में सहकारी समितियाँ, वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रीय और ग्रामीण बैंक शामिल हैं। कृषि की प्रक्रिया में आवश/यक इनपुटों (inputs) की खरीदी के लिए ये विकानों को सस्ते और पर्याप्त ऋण उपलब्ध करवाता है। आगतों में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, ट्रेक्टर्स और बोरवेल होते हैं। ऋण की आपूर्ति करने वाली ऋण संस्थाओं की जानकारी के अभाव, ऋण स्वीकृत करने की जटिल प्रक्रियाओं और ऋण की स्वीकृति के बाद ऋण के वितरण में होने वाली देरी के कारण ये ऋण किसानों तक पहुँच नहीं पाते हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1) भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के महत्व के बारे में 4, 5 पंक्तियों में लिखिए।

2) स्वतंत्रता से कृषि उत्पादन की वृद्धि के तीन विशिष्ट चरणों की पहचान कीजिए।

7.6 औद्योगिक क्षेत्र

उद्योग उन मशीनों और इनपुटों का निर्माण करते हैं जिनकी आवश्यकता कृषि और सेवा क्षेत्र में होती हैं। उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के दो प्रकार हैंः- कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग। भारत एक कृषि आधारित देश है। इसीलिए कृषि आधारित उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वस्त्र, शक्कर, तंबाकू, वनस्पति तेल, प्राकृतिक रबड़, मसाले, डेयरी और चमड़ा आदि महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग हैं। लोहा और इस्पात, सिमेंट, उर्वरक, पैट्रो-रसायन और भारी इंजीनियरिंग और मशीन उपकरण आदि खनिज आधारित उद्योग हैं।

औद्योगिक गतिविधियों में मुख्यतः निर्माण शामिल होता है। निर्माण उप-क्षेत्र के दो व्यापक उप-विभाजन हैं। एक फैक्ट्री क्षेत्र है जिसमें सभी निर्माण उद्यम शामिल होते हैं। अन्य गैर-फैक्ट्री क्षेत्र है जिसमें घरेलू उद्यम और छोटे पैमाने के गैर-घरेलू उद्यम शामिल होते हैं। वे तुलनात्मक रूप से कम पूँजी लागत में रोज़गार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्षेत्रीय असंतुलन में कमी करते हुए तथा राष्ट्रीय आय और धन के समान वितरन को सुनिश्चित करते हुए वे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिकीकरण में मदद करते हैं। देश का सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत हद तक इन उद्योगों पर ही निर्भर करता है।

7.6.1 उद्योगों की संरचना या उद्योगों के प्रकार

स्वामित्व के संदर्भ में, उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र के उपक्रमों में विभाजित किया जा सकता है। निवेश के आधार पर उद्योगों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया हैः

a) **बड़े उद्योग :** इन उद्योगों में निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक और 100 करोड़ रुपये से अधिक होता है।

b) **मेगा (महा उद्योग) :** निवेश की सीमा 100 करोड़ रुपये से अधिक होती है।

c) **कुटीर उद्योग:** ये गृह आधारित असंगठित उद्योग हैं जो लघु उद्योगों की श्रेणी में आते हैं।

d) **अनुषंगी उद्योग:** ये उद्योग बड़े उद्योगों द्वारा उपयोग किये जाने वाले इनपुटों का निर्माण करते हैं। इनका निवेश 1 करोड़ से अधिक नहीं होता है।

e) **अति लघु (Tiny) उद्योग:** संयंत्र और मशीनरी पर इनके निवेश की सीमा 25 लाख होती है।

f) **घरेलू उद्योग (Household):** ये उद्योग कारीगरों, कुशल शिल्पकारों और तकनीशियनों द्वारा 3000 वर्ग फीट से कम जगह पर तथा 1 कि.वा से कम बिजली से चलाये जाते हैं। इसमें 5 से अधिक श्रमिक नहीं होते हैं।

भारत सरकार ने जून, 2020 में निवेश के टर्नओवर के आधार पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम (MSME) उद्यम की परिभाषाओं को संशोधित किया।

i) **सूक्ष्म उद्यम:** इन उद्यामों में निवेश 1 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।

ii) **लघु उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या लघु उद्यमों के उपकरणों पर निवेश 10 करोड़ रुपये से अधिक और टर्न ओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होता है।

iii) **मध्यम उद्यम:** संयंत्र और मशीनरी या लघु उद्यनों के उपकरणों पर निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक तना टर्न ओवर 250 रुपये करोड़ से अधिक नहीं होता है।

7.6.2 भारत में औद्योगिक विकास

स्वतंत्रता के बाद से भारत में औद्योगिक विकास समानरूप से नहीं हुआ है। 1950 और 1960 के दौरान तीव्र वृद्धि हुई। पहले बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों और बाद में मध्यवर्ती और उपभोक्ता वस्तु उद्योगों पर ज़ोर दिया गया। 1965 के बाद, मांग और आपूर्ति की बाधाओं के कारण विकास में कमी हुई। 1970 के उत्तरार्ध से, 1980 तक तीव्र वृद्धि द्वारा औद्योगिक विकास का पुनरुद्धार हुआ। 1980 की औद्योगिक नीति ने विनिर्माण क्षेत्र को आधुनिक बताने के लिए प्रौद्योगिकी और विदेशी निजी पूँजी के आयात के दरवाज़े खोले। इसके पश्चात् आपातों की लाइसेंसिंग और छूट, पूँजी प्रवाह में नियंत्रण ने औद्योगिक प्रगति के उन्नयन में योगदान दिया। 1990 के दौरान नई आर्थिक नीति ने घरेलू मांग और विदेशी मांग दोनों को मिलाकर औद्योगिक वस्तुओं की मां ग पोषण किया।

7.6.3 औद्योगिक नीतियाँ

भारत सरकार की औद्योगिक नीतियों के प्रमुख उद्देश्य हैं:

1. प्रमुख उद्देश्य:

i) औद्योगिक उत्पादकता में सतत विकास को बनाए रखना।

ii) रोज़गार के बड़े अवसर प्रदान करना।

iii) मानव संसाधनों और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना।

iv) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को हासिल करना।

v) वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भारत को रूपांतरित करना।

2. औद्योगिक नीति संकल्प:

1948 के औद्योगिक नीति संकल्प ने बुनियादी और पूंजीगत वस्तु उद्योगों की स्थापना, सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक सट निजी क्षेत्र के माध्यम से सड़क, रेल्वे जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। इसके स्थानीय संसाधनों का उपयोग करने और रोज़गार के बड़े अवसरों को प्रदान करने के लिए लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित किया। 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने रोज़गार के अवसरों में वृद्धि और आर्थिक शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्रों के विस्तार तथा घरेलू और लघु उद्योगों के विस्तार की आवश्यकता पर बल दिया। नई औद्योगिक नीति 1991 ने विनिवेश (disinvestment) के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण में वृद्धि की। अध्याय - 8 में नये आर्थिक सुधारों का वर्णन किया गया है।

7.6.4 औद्योगिक पिछड़ापन : कराण और सुझाव

1. भारत के औद्योगिक पिछड़ेपन के मुख्य कारण: पूंजी की कमी, उद्योगियों की कमी, श्रम की कमी, प्रबंधन की कमियाँ, कच्चे माल की कमी, बिजली संकट, परिवहन और विपणन (Marketing) की समस्याएँ, विदेशी मुद्रा की कमी, तकनीकी विशेषज्ञता की कमी, राजनीतिक संकट, सरकार की परिवर्तित नीतियाँ और लाइसेंस संबंधी मुद्दे तथा अनुसंधान और विकास में ध्यान की कमी आदि भारतीय औद्योगिक क्षेत्र के पिछड़ेपन के प्रमुख कारण हैं।

2. उद्योगों के विकास के लिए सुझाव: औद्योगिक संगठन का वर्णन करने, लघु उद्योगों के लिए धन जुटाने, कौशल विकास कार्यक्रम कौ उपलब्ध बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्था के लिए औद्योगिक क्षेत्र का विकास करने के लिए औद्योगिक विवादों का समाधान करने, सड़कमार्ग, रेलमार्ग, जनमार्ग जैसी मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान, अनुसंधान और दूस संचार प्रणाली, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, सरकारी हस्तक्षेप पर प्रतिबंध, पूंजी निर्माण को प्रोत्साहन, विदेशी विनिमय का आकर्षण, निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन, उचित कराधान नीति की आवश्यकता होती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1) कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग का एक-एक उदाहरण लिखिए।

2) भारत की औद्योगिक नीति के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए।

7.7 सेवा क्षेत्र और अवसंरचना क्षेत्र

सेवा क्षेत्र का विभाजन इन क्षेत्रों में किया जा सकता है। a) व्यावसायिक सेवाएँ: उदाहरण बैंकिंग, बीमा, परिवहन, भंडार गृह (ware house) b) सामाजिक सेवाएँ : उदाहरण : शिक्षा, स्वास्थ्य और c) निजी सेवाएँ : उदाहरण पर्यटन, रेस्तरां, मनोरंजक और अन्य सेवाएँ। राष्ट्रीय आय में योगदान के संदर्भ में सेवा क्षेत्र कृषि क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र को निरंतर मात दे रहा है। भारत की GDP में इसका योगदान 50 प्रतिशत से भी अधिक है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2019 के अनुसार, सेवा क्षेत्र बारतीय अर्थव्यवस्था में भारत आने वाले कुल विदेशी डायरेक्टोर निवेश (FDI) के 2/3 वें भाग का योगदान दे रहा है। बारत रोज़गार प्रदान करने में कुछ वर्षों से सेवा क्षेत्र का हिस्सा बढ़ रहा है। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा धीरे-धीरे और मामूली रूप से कम हो रहा है। स्वास्थ्य, शिक्षा IT और IT सक्षम सेवाएँ हमारे देश मं मानव विकास के लिए उत्तरदायी हैं। मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और प्रबंधन में भी सेवा क्षेत्र एक बड़े हद तक योगदान दे रहा है। IT और IT सक्षम सेवाएं, GDP के हिस्से और निर्यात दोनों के संदर्भ में देश की अर्थव्यवस्था में मदद कर रहीं हैं। निर्यातों ने भारत का रूपांतरण वैश्विक अर्थव्यवस्था के एक बड़े साझेदार के रूप में किया है।

अवसंरचना, भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के लिए प्रेरक बल है। अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्रों की वृद्धि में योगदान देने के कारण देश का संपूर्ण विकास अवसंरचना (Infrastructure) पर निर्भर करता है। परिवहन, बिजली, जल, संप्रेषण आदि को 'आर्थिक अवसंरचनाएँ ('economic infrastructure') कहा जाता है। शिक्षा और स्वास्थ्य को 'सामाजिक अवसंरचनाएँ' कहा जाता है। अवसंरचनाएँ बाज़ारों में कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति में मदद करती हैं। अवसंरचना परियोजनाएँ केवल रोज़गार के अवसर ही प्रदान नहीं करती है बल्कि जीवन को भी सुगम बनाती है।

7.7.1 परिवहन

अच्छी तरह से जुड़ी परिवहन सुविधाएँ विज्ञापन पद्धति की सुविधा तो देती ही है साथ ही आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देती है। यह विदेशी विनिमय का एक महत्वपूर्ण स्त्रोत है। परिवहन सेवाएँ हमारे देश की GDP में तो सहयोद दे रही हैं साथ ही ये अधिकांश स्ख्या में रोज़गार के अवसरों को उत्पन्न करने में भी सहायता प्रदान कर रही हैं। आपदाओं और आपात स्थितियों में भी परिवहन की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। परिवहन पद्धति का विभाजन सड़क मार्ग, रेलमार्ग, जलमार्ग और वायुमार्ग में किया गया है। भारत में सड़क यातायात हमारे देश में लगभग 80% यात्री यातायात और 60% माल यातायात के लिए उत्तरदायी है। भारतीय रेलमार्ग विश्व के विशालतम रेल नेटवर्कों में से एक है। रेल और सड़क परिवहन के बाद अगला स्थान शिपिंग परिवहन और नागरिक उड्डयन का है। शिपिंग परिवहन, परिवहन का सबसे सस्ता और कम प्रदूषण फैलाने वाला साधन है। भारत संसार में नागरिक उड्डयन (civilaviation) तीसरा और सबसे बड़ा घरेलू बाज़ार है।

7.7.2 आतिथ्य और पर्यटन

भारत में पर्यटन हमारे देश के सामाजिक, आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह समाज के विभिन्न वर्गों के लिए रोज़गार के बड़े अवसर पैदा करता है। यह देश के लिए विदेशी मुद्रा का महत्वपूर्ण स्त्रोत हैं। भारत ने पर्यटन की वृद्धि के लिए आवश्यक बेहतर गुणवत्ता और सस्ती सुविधाओं को बनाये रखा है। कैलेंडर वर्ष 2019 में यात्रा और पर्यटन के GDP में लगभग 7% का योगदान दिया है।

7.7.3 शिक्षा और स्वास्थ्य

1. शिक्षा: शिक्षा ज्ञान और कौशल प्रदान करती है। रोज़गार के अवसर उत्पन्न करती है। आप के स्तरों में बढोत्तरी के लिए मदद करती हुए जीवन स्तरों में सुधार करती है। यह उत्पादन की तकनीकों को बढ़ाने में भी मदद करती है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। र्क वर्षों से भारत में शिक्षा की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र की सुधारवादी नीतियों ने संपूर्ण साक्षरता दर की वृद्धि में योगदान दिया है। शिक्षा पर खर्च की सतत् वृद्धि के फलस्वरूप, सभी स्तरों पर शैक्षिक संस्थानों की संख्या में वृद्धि हुई है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर स्तरों पर नामांकन में भी वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग, चिकित्सा, प्रबंधन, कृषि और विज्ञान के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। परिणामस्वरूप विश्व में शिक्षित और कुशल विशाल जनशक्ति प्रदान करने में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है।

2. स्वास्थ्य: चिकित्सा देखभाल में अस्पताल, चिकित्सा उपकरण, नैदानिक परीक्षण, आऊट सोर्सिंग, टेली मेडिसिन, चिकित्सा पर्यटन, चिकित्सा बीमा और चिकित्सा उपकरण होते हैं। भारत में चिकित्सा क्षेत्र सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों द्वारा सुदृढ़ है। उत्तम स्वस्थ्य से उत्तम गुणवत्ता पूर्ण जनशक्ति की प्राप्ति होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार और चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। विभिन्न योजनाओं और स्कीमों के अंतर्गत स्वास्थ्य मानकों में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार ने महामारियों पर नियंत्रण, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रित किया है। इसके परिणामस्वरूप, जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनन दर जैसे स्वास्थ्य सूचकों में सुधार हुआ है।

7.7.4 बैंकिंग और बीमा

बैंकिंग और बीमा कंपनियाँ राष्ट्रीय आय में वृद्धि के लिए योगदान देने वाले उत्पादकीय उद्देश्यों के लिए धन जुटाती हैं।

1. बैंकिंग: भारतीय रिजर्व बैंक, देश का केंद्रीय बैंक और निगरानी प्राधिकरण है। यह देश में धन और ऋण के प्रवाह को नियंत्रित और नियमित करती है। हाल में लागू किए गए विज्ञीय विनियामक सुधारों (financial regulatory reforms) की श्रृंखला जैसे उधार देने में लचीलापन, सार्वजनिक क्षेत्रों में प्रतिबंधों पर ढील से बैंकिंग क्षेत्र में मज़बूरी आई है। भारत की बैंकिंग प्रणाली का गठन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और सहकारी ऋण संस्थाओं से होता है।

2. बीमा: भारत में बीमा क्षेत्र का विभाजन : (i) जीवन बीमा और (ii) साधार बीमा (गैर-जीवन बीमा) में किया गया है। बीमा कंपनियाँ अपने ग्राहकों के लिए वित्तीय जोखिमों (बाढ़, दुर्घटनाएँ, चोरी इत्यादि) की वृहत् श्रेणी को शामिल करते हुए विभिन्न योजनाएँ या स्कीमें पेश करती हैं। बीमा कंपनियाँ केवल जोखिमों को ही शामिल नहीं करती हैं बल्कि विभिन्न वर्गों के ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों (बचत को बढ़ाने के लिए आकर्षक बोनस देा, लाभ में बढ़ोत्तरी करना आदि) की भी आपूर्ति करती है। दी इंश्यूरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया(IRDA) भारत में बीमा कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती है। भारत में इतनी बड़ी आबादी के होने पर भी जीवन बीमा कवरेज बहुत कम है। भारतीय बीमा बाज़ार में बहुत कम प्रगति हुई है। भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की स्थापना भारत में 1956 में हुई। LIC एक सामाजिक क्षेत्र की कंपनी हैं जिसकी स्थापना पॉलिसी धारकों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। कुछ LIC बीमा योजनाओं में पेंशन योजना, स्वसास्थ्य बीमा, समूह बीमा आदि शामिल होती हैं। निजी बीमा कंपनियों ने 2000 में बाज़ार में प्रवेश किया।

7.7.5 उर्जा

उर्जा किसी देश के सतत आर्थिक किसान के निर्धारण का प्रमुख कारक है। 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा उर्जा का उपभोक्ता है। उर्जा एक आवश्यक घटक है जिसकी ज़रूरत कृषि, उद्योग, परिवहन और घरेलू क्षेत्रों में होती हैं। उर्जा के स्त्रोत के दो प्रकार हैं - आवीकरणीय और नवीकरणीय। कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस (जीवारम ईंधन), परमामु ईंधन आदि उर्जा के अवीकरणीय स्त्रोत हैं। सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, ज्वार, भूताज, बायोमास आदि ऐसे नवीकरणीय संसाधन हैं जिनका बार-बार पुनः नवीनीकरण या पुनः उपयोग किया जा सकता है। कभी-कभी नवीकरणीय स्त्रोतों को उर्जा के गैर-पारंपरिक स्त्रोत भी कहा जाता है। उर्जा के पारंपरिक स्त्रोतों में कोयला, कच्चा माल और प्राकृतिक गैस आदि शामिल हैं।

7.7.6 संप्रेषण और सूचना प्रौद्योगिकी

1. दूरसंचार सेवाएँ (Telecommunication Services): इसमें टेलीफोन सेवाएं, टेलेक्स सेवाएँ, टेलीग्राम, फैक्स सेवाएँ, इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा, डाक सेवाएं, रेडियो और टेलिविजन नेटवर्क आदि शामिल हैं। भारतीय टेलीकॉम नेटवर्क का विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा स्थान है। 2019 में भारत विश्व के विशालतम टेलीकम्युनिकेशन बाज़ारों में एक था। डाऊनलोड किए गए ऐप्स की संख्या में, भारत संयुक्त राज्य को पछाड़ कर दूसरा विशालतम बाज़ार बन गया है। इंटरनेट के उपभोक्ताओं के संदर्भ में भारत का दूसरा विशालतम बाज़ार है। भारत में विश्व का

दूसरा सबसे बड़ा टेलिकम्युनिकेशन मार्केट (डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड-DPIIT) है। भारत सरकार ने डिजिटल भारत प्रोग्राम की शुरुआत की जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं जैसे सभी क्षेत्रों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा।

2. सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र : 2019 के भारत के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी और व्यवसाय प्रक्रिया प्रबंधन (IT-BPM) उद्योग पिछले दो दशकों से भारत का विशालतम निर्यातक रहा है। यह क्षेत्र रोज़गार, विकास और मूल्य वर्धन के संदर्भ में, भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। IT उद्योग में सॉफ्टवेर, हार्डवेयर, एप्लीकेशन्स और बहुत कुछ शामिल होता है। IT-BPM सेवाओं में सृजन, संग्रहण, प्रक्रियाएँ, उद्योगों की सीमाओं से परे सभी संभव बनाने वाली सूचनाओं का प्रतिपादन शामिल होता है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेर एंड सर्विस कंपनिस् (NASSCOM), IT क्षेत्र का विभाजन (i) IT सेवाओं, (ii) सॉफ्टवेर उत्पादों और इंजीनियरिंग सेवाओं, (iii) BPM और (iv) हार्डवेर में किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेल ट्रेड (DPIIT) के अनुसार FDI के प्रवाह में इस क्षेत्र को 2nd रैंक प्राप्त है। IT उद्योग के निर्यातों में सॉफ्टवेर सेवाएँ (IT सेवाएँ) और IT सक्षम सेवाएँ शामिल हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. परिवहन प्रणाली के प्रमुख प्रकार क्या है?
2. नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्त्रोतों के उदाहरण लिखिए।

7.8 सारांश (मुख्य बिंदु)

- भारतीय अर्थव्यवस्था का विभाजन तीन प्रमुख क्षेत्रों में किया गया है- कृषि उद्योग और सेवाएँ।
- भारत में अधिकांश लोग जीविकोपार्जन के लिए अभी कृषि पर निर्भर हैं।
- GDP में कृषि का हिस्सा कम हो रहा है जबकि सेवा क्षेत्र के हिस्से में बढ़ोत्तरी हो रही है।
- कृषि की उत्पादकता, भू स्वामित्व, प्रौद्योगिकी के स्तर आदि पर निर्भर करती है।
- हरित क्रांति ने कृषि की उच्च वृद्धि दर में योगदान दिया है।
- भारतीय उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र शामिल हैं।
- मूलभूत और पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में आत्म निर्भरता से उद्योगों में विविध प्रकार का विकास हुआ है।
- सेवा क्षेत्र में परिवहन, संप्रेषण, IT, बैंकिंग, बीमा, रियल स्टेट, प्रशासन और अन्य सेवाएँ शामिल हैं।

- सामाजिक अवसंरचना में शिक्षा और स्वास्थ्य शामिल हैं।
- आधुनिक समय में सेवा क्षेत्र की मदद ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय को आसान बना दिया है।

7.9 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. हरित क्रांति किसे कहते हैं?
2. किसी देश के विकास में अवसंरचना का क्या योगदान होता है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. कृषि औद्योगिक विकास को कैसे बढ़ावा देती है?
2. औद्योगिक विकास के लिए उपाय सुझाइए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए।
2. भारत में तृतीय क्षेत्र में इतनी तीव्रता से वृद्धि क्यों हो रही है?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत में GDP के संदर्भ में, सबसे अधिक योगदान देने वाला क्षेत्र.........है।( )

   A) तृतीयक क्षेत्र B) माध्यमिक क्षेत्र

   C) प्राथमिक क्षेत्र D) विनिर्माण क्षेत्र

2. जीवन बीमा निगम .... के स्वामित्व में है। ( )

   A) निजी क्षेत्र B) सार्वजनिक क्षेत्र

   C) सार्वजनिक सह निजी क्षेत्र D) कॉर्पोरेट कंपनी

3. निम्न से यह गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। .... ( )

   A) मछली पकड़ना B) वानिकी C) खनन D) बैंकिंग

4. यह औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण नहीं है .... ( )

   A) पूँजी की कमी B) बिजली संकट C) कौशलों की प्रचुरता D) लाइसेंसिंग मुद्दे

7.10 संदर्भ पुस्तकें

1. तेलुगु आकादमी. अर्थशास्त्र, इंटरमिडियेट द्वितीय वर्ष 2020. की पाठ्यपुस्तकें,
2. रुद्र दत्त और के.पी.एम. सुंदरमः भारतीय अर्थव्यवस्था, एस.चंद, नई दिल्ली, नवीनतम संस्करण

8 आर्थिक सुधार - वैश्वीकरण

8.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- आर्थिक सुधारों की आवश्यकता और महत्वपूर्ण बिंदुओं का वर्णन करते है।
- उदारीकरण, निजीकरण का वर्णन करते हैं।
- वैश्वीकरण की आवश्यकता और लाभों का विश्लेषण करते हैं।
- विश्व व्यापार संगठन पर टिप्पणी करते हैं।

8.1 परिचय

स्वतंत्रता के पश्चात् में देश में आर्थिक असमानता, गरीबी और बेरोज़गारी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों के सुलझाव के लिए सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के महत्व में वृद्धि हुई है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने निर्णय लिया कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही, 1956 के औद्योगिक संकल्प ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया। सार्वजनिक क्षेत्र के विस्तार के एक अंश के रुप में सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों में वृद्धि हुई है। वहाँ पर निजी क्षेत्रों पर अधिक प्रतिबंध होते हैं। निजी क्षेत्र को लाइसेंस, परमिट्स और कोटास जैसी नीतियों के द्वारा नियमित किया गया।

इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस अध्याय में पहले 1991 आर्थिक सुधारों की शुरुआत की आवश्यकता पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे आर्थिक सुधारों के प्रमुख घटकों का विश्लेषण करेंगे। हम विश्व व्यापार संगठन का भी संक्षिप्त अध्ययन करेंगे।

8.2 आर्थिक सुधार : स्त्रोत, आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करने वाली परिस्थितियाँ, अवधारणा

8.2.1 आर्थिक सुधारों के स्त्रोत

नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1985 में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य निजीकरण और उत्पादकता में वृद्धि के द्वारा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करना है। कराधानों में सुधार, लाइसेंसिंग, तथा-निजी क्षेत्र में निजी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए विदेशी व्यापार नीतियाँ को आरंभ किया गया। नियामकों और प्रतिबंधों की समाप्ति, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और बहुराष्ट्रीय नियमों को आकर्षित करने के लिए सरकारी प्रशासन का सरलीकरण जैसे परिवर्तनों को लागू किया गया।

8.2.2 आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करने वाली परिस्थितियाँ

1990-91 का आर्थिक संकट अचानक नहीं हुआ था। 1980 के दशक की स्थितियों ने असंतुलन पैदा किया था। सरकारी राजस्व और व्यय तथा राजकोषीय घाटा (fiscal deficit) के बीच अंतर था। 1990-91 तक राजकोषीय घाटा 7.8 प्रतिशत तक पहुँच चुका था। घाटा विदेशी व्यापार भुगतान के चालू खाते में और भी अधिक हो गया था। सरकारी विदेशी ऋण का GDP में 23 प्रतिशत हिस्सा था। मुद्रा स्फीति (Inflation) 10.3 प्रतिशत तक बढ़ गई थी। खाड़ी संकट के कारण विदेशी विनिमय रिज़र्व में आयातों के साप्ताहिक मूल्य तक गिरावट हो गई थी। विदेशी विनिमय रिज़र्व में आयातों के साप्ताहिक मूल्य तक गिरावट हो गई थी। परिणामस्वरूप देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय तौर क्षतिग्रस्त हो गई थी।

8.2.3 आर्थिक सुधार : अवधारणा

सुधार देश को वर्तमान स्थिति से सर्वोच्च स्थिति तक ले जाने वाली प्रक्रिया है। आर्थिक सुधार वे सभी कार्य हैं जो व्यवस्थित रूप में नई नीतियों और नीतियों को लाते हैं क्योंकि इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार देश का विकास किया जा सकता है और किस प्रकार देश के लोगों को आर्थिक लाभ पहुँचाया जा सकता है।

वित्तीय संकट से बाहर निकलने के लिए 1991 में केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की शुरुआत की। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का कार्यान्वयन इसी का हिस्सा ते।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आर्थिक सुधारों के स्त्रोत क्या हैं?
2. आर्थिक सुधारों का नेतृत्व करने वाली परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

8.3 उदारीकरण

घरेलू और विदेशी व्यापार में सरकारी नियंत्रण में ढील दी जाती है अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप में कमी हो जाती है, निजी निवेश पर प्रतिबंधों को हटा दिया जाता है और निवेश को बढ़ावा दिया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण, वित्त, मौद्रिक और विदेशी नीति में सरकारी प्रतिबंधों और नियंत्रणों पर आवश्यकता के अनुसार ढील दी जाती है। इस प्रकार के सरकारी नियामकों में ढिलाई को उदारीकरण कहा जाता है।

8.3.1 औद्योगिक क्षेत्र

असरकारी नियंत्रण के कारण उद्योगों में निवेश और विस्तार में कमी होने से सरकार ने 1991 में नई औद्योगिक नीति का प्रस्तावना रखा। इसमें निम्नलिखित पहलुओं में परिवर्तित हुए।

लाइसेंसिंग की प्रक्रिया में परिवर्तन हुए। लाइसेंसिंग को सभी किंतु 18 उद्योग समूहों (रक्षा क्षेत्र, सामरिक, सामाजिक लाभों के साथ खतरनाक रसायन, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग) में रद्द कर दिया गया। इस परिवर्तनों ने उद्योगों की स्थापना और उत्पादन परिमाण के विस्तार में योगदान

दिया। उद्योगों की स्थापना सभी क्षेत्रों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को छोड़कर, सरकारी स्वीकृति के बिना की जा सकती है।

8.3.2 विदेशी निवेश

विदेशी निवेश वह धन है जिसे बहुराष्ट्रीय निगम उत्पादन के कारकों (भूमि, इमारतें, मशीनें, अन्य उपकरण) पर खर्च करती है। 1990 के पहले, आर्थिक नीति और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने बड़े पैमाने पर निवेश को प्रतिबंधित कर दिया था।

सरकार की नई आर्थिक नीति ने प्रतिबंधों में ढील दी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से पूंजी, प्रौद्योगिकी, उन्नत उत्पादन तकनीकी तथा बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक नवोन्मेव प्रबंधन रणनीतियों को उपलब्ध करवाने के साथ-साथ उद्योगों पर ऋण भार को भी कम करने की अपेक्षा की गई। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए।

1. विदेशी निवेश को बढ़ाने की अनुमति दी गई। वर्तमान में बैंकों, बीमा, दूरसंचार और विमानन (aviation) को छोड़कर FDI को 100 प्रतिशत की अनुमति दी गई।
2. निर्यात गतिविधियों का निर्वाह करने वाले व्यापारी संगठन 51% पूंजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रवेश कर सकते हैं।
3. योग्य उद्योगों के अनुमोदन में तेज़ी लाने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया गया।

8.3.3 विदेशी तकनीक

प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विदेशी प्रौद्योगिकी को स्वतः अनुमति दी गई।

8.3.4 सार्वजनिक क्षेत्र की नीति

सार्वजनिक क्षेत्र को सौंपे गये उद्योगों की संख्या में कमी की गई। जांच के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में गंभीर रूप से बीमार उद्योगों की रिपोर्टिंग की गई। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ अपनी पूंजी 20 प्रतिशत की वृद्धि म्युचल फंडों के माध्यम से करती हैं। एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार कार्यप्रणाली अधिनियम (Monopoly and Restricted Trade Practices Act) के अनुसार अधिकतम सीमा 100 करोड़ रू. से अधिक की गई। बड़ी कंपनियों की सीमा यदि 100करोड़ रू. से भी अधिक होती है तो भी उन्हें MRTP कमीशन के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. लाइसेंसिंग प्रक्रिया में होने वाले परिवर्तन क्या हैं?
2. विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कौन से कदम उठाये गये?

8.4 निजीकरण

राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों के स्वामित्व और प्रबंधन के निजीकरण की प्रक्रिया को निजीकरण कहा जाता है। 1991 में पेश किए गए नए आर्थिक सुधारों ने निजीकरण की नींव रखी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के स्वामित्व और परिसंपत्तियों के निजीकरण ने कंपनियों की प्रबंधन क्षमता में सुधार किया। सार्वजनिक उद्यमों को निजी संस्थानों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया दो तरह से की जाती है।

1. सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से अपने निवेश और स्वामित्व को खत्म कर देती है।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की पूर्ण बिक्री

8.4.1 विनिवेश

1991 में सरकार ने नए औद्योगिक संकल्प के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की विनिवेश का आरंभ किया। विनिवेश एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा सरकार अपनी पूरी परिसंपत्तियों या उसके कुछ हिस्सों, स्वामित्व, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई के शेयरों (equity) को निजी क्षेत्र को बेच देती है।

8.4.2 सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की बिक्री

1991 को सार्वजनिक क्षेत्र को आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था। नई आर्थिक नीति के द्वारा निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। कुछ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण किया गया। सरकार और भी कुछ कंपनियों का निजीकरण करने का प्रयास कर रही है।

8.4.3 निजीकरण के लाभ

- निजी क्षेत्र तीव्र आर्थिक वृद्धि को प्राथमिकता देता है।
- नए उद्देयों की स्थापना के द्वारा रोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाये जाते हैं।
- विशेषकर उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में, आधुनिक उद्योगों की स्थापना की गई। इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिकल, मोटर वाहन उद्योगों का तीव्र विस्तार हुआ।
- अवसंरचनात्मक सुविधाओं में - सड़क निर्माण, बिजली उत्पादन, संप्रेषण आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्रों की भूमिका में वृद्धि हुई।
- सेवा क्षेत्र - बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मनोरंजक सेवाओं परिवारिक सेवाओं और व्यावसायिक सेवाओं में निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सार्वजनिक उद्योगों में निजी उद्यमों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के प्रकार है?
2. निजीकरण के गुणों और अवगुणों की व्याख्या कीजिए।

8.5 वैश्विकरण

8.5.1 वैश्वीकरण अवधारणा

वैश्वीकरण का तात्पर्य है- किसी देश की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था से एकीकृत करना। इसका संबंध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अल्पकालिक पूंजी प्रवाह, मानव संसाधनों के प्रवाहों और प्रौद्योगिकी से होता है। यह वस्तुओं और सेवाओं में विदेशी लेन देन के परिमाण में वृद्धि के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी प्रवाह और प्रौद्योगिकी के भी व्यापक प्रचार-प्रसार के द्वारा, समूचे विश्व में देशों की बढ़ती अर्थव्यवस्था और बढ़ती आत्मनिर्भरता को भी दर्शाता है, विश्व की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण एक बड़ा बदलाव है जिसमें 20वीं सदी के अंतरर्राथ में समूचे गोलक में अमूतपूर्व वृद्धि हुई।

8.5.2 वैश्वीकरण के निर्भर कारक

1. व्यापार की बाधाओं को दूर करना, विश्व और विश्व के देशों के बीच सेवाओं के प्रवाह से संबंधित बाधाओं को समाप्त करना।
2. विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपायों के मुक्त प्रवाहों के लिए वातावरण का निर्माण करना।
3. देशों के बीच पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति देना।
4. कानून के दायरे में श्रम की गतिशीलता को प्रोत्साहित करना।

8.5.3 वैश्वीकरण का समर्थन करने वाले कारक

1. राष्ट्रीय बाज़ारों के साथ विदेशी बाज़ारों का एकीकरण करना।
2. विकासशील देश नई प्रौद्योगिकी का उपयोग कर सकते हैं।
3. बड़े पैमाने वाले भारी उद्योगों के लिए उन्नत मशीनों और प्रौद्योगिकी को विकासशील देशों से आयात किया जा सकता है।
4. अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उत्पादन की तकनीकों के बढ़ावा दिया जा सकती है।
5. विकासशील देश वस्तुओं का निर्यात अन्य देशों को कर सकते हैं तथा विकसित देशों से उपभोगी वस्तुओं का आयात कर सकते हैं।

8.5.4 वैश्वीकरण के प्रतिकूल कारकः-

1. वैश्वीकरण के कारण विकसित देशों ने, विकासशील देशों से अधिक लाभ अर्जित किए।
2. विकासशील देशों की सरकारों ने जन कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अपने व्यय को कम कर दिया।

8.5.5 बाज़ारों का विदेशी व्यापार से परस्पर संबंध

लंबे समय से व्यापार, देशों को जोड़ने के लिए एक चैनल के रूप में कार्य कर रहा है। विदेशी व्यापार, उत्पादकों को घरेलू बाज़ाये की परिधि से बाहर जाने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों में बाज़ारों का एकीकरण होता है।

8.5.6 बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs)

बहुराष्ट्रीय कंपनी (MNC) वह कंपनी है जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व या नियंत्रण करती है। MNC अपनी फैक्ट्रियाँ और ऑफिस वहाँ बनाती हैं जहाँ उन्हें सस्ता श्रम और अन्य संसाधन मिल सकते हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी होती है और MNC को अधिकतम लाभ मिल सकता है। इन देशों में विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार में वृद्धि हो रही है। ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विदेशी व्यापार के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करती है।

8.5.1 विश्व व्यापार संगठन (WTO)

विदेशी व्यापार की बाधाओं का हल करने के लिए विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापनी की गई थी। 1947 में अतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए अनेक देशों के बीच GATT पर हस्ताक्षर किए गए। भारत GATT पर हस्ताक्षर करने वाले 23 अनुबंधित सदस्यों में से एक है। GATT 1 जनवरी, 1948 से लागू हुआ। GATT के तहत, 1947 से 1994 तक बहुपार्शिवक व्यापार बार्ताओं के 8 दौर आयोजित किये गये। 8वें उरुग्वे का मुख्य उद्देश्य व्यापार और प्रशुल्क (Tariff) संबंधी बाधाओं को दूर कर आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। 1994 के डंकल प्रस्ताओं के आधार पर WTO ने GATT की जगह ले ली। इसका मुख्यालय स्वीट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, जिसे 1 जनवरी 1995 को लागू किया गया।

8.5.8. भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव

1991 में अर्थव्यवस्था को स्थिर बनाने के लिए भारत में नये आर्थिक सुधार पेश किये गये। भारत में MNC के निवेशों में वृद्धि होने लगे। MNC की सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, इलेक्ट्रानिक ऑटोमोबाइल्स और सेलफोन जैसे उद्योगों में रुचि थी। इन उटपादों के खरीददारों की संख्या अधिक थी। इन उद्योगों को कच्चा माल की आपूर्ति करने वाली कंपनियाँ भी समृद्धि थी।

वैश्वीकरण ने सेवा प्रदान करने वाली केपनियों, विशेषकर IT क्षेत्र के लिए नये अवसर पैदा किये। कॉल सेंटर, डेटा एंट्री, लेखांकन जैसी सेवाओं की मेज़बानी के साथ अब प्रशासनिक कार्य, इंजीनियरिंग कार्य भी किये जा रहे हैं। भारतीय कंपनियों में उत्पादन के तरीकों में बदलाव हुए हैं। विदेशी कंपनियों के साथ काम करने से प्रौद्योगिकी में वृद्धि और उत्पादन मानकों में बढ़ोत्तरी आरंभ हुई। कई भारतीय कंपनियों ने धीरे-धीरे और निश्चित रूप से वैश्विक पथ पर बढ़ना शुरु किया और भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उद्भव का मार्ग प्रशस्त किया। टाटा मोटर्स (ऑटोमोबाईल्स), इंफोसिस (IT), रैनबैक्सी (औषधि), एशियन पेंट्स(रंग), सुंदरम फास्टनर्स (नट और बोल्ट) आदि कुछ उदाहरण हैं जिसका प्रसार दुनिया भर में हो रहा है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. वैश्वीकरण के प्रतिकूल कारक क्या हैं?
2. WTO का अर्थ क्या है?

8.6 सारांश (मुख्य बिंदु)

- 1947 में भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति संकल्पों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का झुकाव मिश्रित आर्थिक प्रणाली की ओर कर दिया।
- 1980 के दशक में नये आर्थिक सुधारों के लिए प्रारंभिक कदम उठाये गये और केंद्र सरकार ने इनका समर्थन किया।
- दोषपूर्ण फैसलों की वजह से 1990 में आर्थिक संकट हुआ।
- 1990-91 में राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा, मुद्रास्फीति में वृद्धि के परिणामस्वरूप आर्थिक संकट पैदा हो गया।
- निजीकरण - उदारीकरण - वैश्वीकरण का प्रारंभ 1991 से हुआ।
- सरकारी हस्तक्षेप में कमी के द्वारा अर्थव्यवस्था के उदारीकरण, निजी निवेश पर प्रतिबंधों की छूट और समाप्ति के लिए उदारीकरण का आरंभ हुआ।
- निजीकरण दो तरह से होता है। a) सरकार सार्वजनिक क्षेत्र से अपने स्वामित्व और प्रबंधन को खत्म कर देती है। b) सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों की पूर्ण बिक्री।
- वैश्वीकरण के कारण विकसित देश, विकासशील देशों की तुलना में अधिक समृद्ध हुए।

8.7 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. उदारीकरण किसे कहते है?
2. निजीकरण के प्रमुख रूप क्या है?
3. MNC क्या है?

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. भारत में नये आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने वाले कारक कौन से थे?
2. निजीकरण के लाभों का वर्णन कीजिए।
3. वैश्वीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. भारत में वैश्वीकरण के लिए अनुकूल कारकों और बाधाओं की चर्चा कीजिए।
2. 1991 के नये आर्थिक सुधारों की जाँच कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. निम्न में कौनसा विश्व प्रशासन संगठन है?

   A) SBI B) LTD C) MRTP D) MNC

2. 1991 के आर्थिक सुधारों का महत्वपूर्ण पहलु है-

   A) उदारीकरण B) निजीकरण

   C) वैश्वीकरण D) उपर्युक्त सभी

3. MNC का उदाहरण है

   A) BSNL B) भारतीय सिमेंट C) भारतीय रेलमार्ग D) कोका कोला

8.8 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय अर्थव्यवस्था - इंटरमिडियेट द्वितीय वर्ष की पुस्तक, तेलुगु आकादमी, हैदराबाद
2. भारतीय अर्थव्यवस्था - डिग्री - तेलुगु आकादमी, हैदराबाद

9 सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और बजट

9.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- सार्वजनिक वित्त की व्याख्या करते हैं।
- वस्तुओं और सेवा कर के उपयोगों की व्याख्या करते हैं।
- वस्तुओं और सेवा कर के उपयोगों की व्याख्या करते हैं।
- सार्वजनिक व्यय के महत्व का वर्णन करते हैं।
- बजट के प्रकारों का वग्रीकरण करते हैं।
- भारत में राजकोषीय घाटे में वृद्धि के कारणों का विश्लेषण करते हैं।

9.1 परिचय

हम अपने दिन-प्रतिदिन के जीवनद में पैसे के बिना कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम बिना खर्च के कोई आर्थिक गतिविधि भी नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने, विभिन्न वस्तुओं की खरीदी, शिक्षा, आवश्यक वस्तुओं की खरीदी, भूमि और इमारतों की खरीदी आदि के लिए पैसा खर्च करते हैं। आधुनिक सरकारें, अपने प्रशासन के एक हिस्से के रूप में, अनेक लोगों के लिए, राशन की दुका ों के माध्यम से चावल का वितरण, स्कूलों और अस्पतालों का प्रबंधन, सड़कों, बिजली, जन प्रशासन, पेंशन, कानून और व्यवस्था जैसे कल्याणकारी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। इसके परिणामस्वरूप धीरे-धीरे सार्वजनिक व्यय की मात्रा में वृद्धि हो रहीं है।

इसीलिए सरकार अपने लगातार बढ़ते खर्च की पूर्ति के लिए अधिक राजस्व प्राप्ति के स्त्रोतों का पता लगाती है। सरकार विभिन्न करों को लागू करने के माध्यम से राजस्व जुटाती है। वह उचित योजना के द्‌वारा राजस्व का खर्च करती है। सरकार विभिन्न लक्ष्यों और उद्‌देश्यों के साथ अनेक जन उपयोगी कार्यक्रमों का निर्माण करती है। इसके लिए उसे बजट की आवश्यकता होती है।

बजट कुछ नहीं बल्कि आय और व्यय की एक योजना है। इसमें राजस्व (क्रेडिट) और व्यय(ऋण) के विषय शामिल हैं। इस अध्याय में हम सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक खर्च और बजट के बारे में पढ़ेंगे।

9.2 सार्वजनिक वित्त : अवधारणा, महत्व और मुख्य विशेषताएँ

9.2.1 सार्वजनिक वित्त की अवधारण

सार्वजनिक वित्त की अवधारणा का आकलन इसके क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है। पारंपरिक दृष्टिकोण के अनुसार, इसका संबंध सरकार की आय और व्यय के विश्लेषण से है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रियों ने सार्वजनिक वित्त के विषयों को तीन घटकों में उप विभाजित किया है। वे हैं- राजस्व, खर्च और ऋण।

9.2.2 सार्वजनिक वित्त का महत्व

1. सरकार का महत्वपूर्ण कार्य समाज की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का आबंटन करना है। समाज की प्रमुख आवश्यकताओं में सामाजिक इच्छाएँ, ज़रूरतें, राष्ट्र की संप्रभुता या राष्ट्र की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था सामाजिक न्याय आदि शामिल होण्त हैं। इन सेवाओं को प्रदान के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है। सार्वजनिक वित्त का संबंध इन विषयों से हैं।
2. लोक कल्याण, अमीर और गरीब के बीच की असमानताओं को दूर करना, गरीब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन, बेरोज़गारी में कमी, सामाजिक न्याय का प्रावधान, आर्थिक विकास की उपलब्धि आदि आधुनिक सरकारों के मुख्य कार्य हैं।
3. सड़कों, सैन्य सेवाओं, स्ट्रीट लाइटों आदि जन उपयोगिता को उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता होती है। निजी व्यावसायिक कर्म ऐसी सेवाएँ प्रदान नहीं करती है।
4. अमीर लोगों पर कर लगाने के द्वारा अमीरों और गरीबों के बीच आप संबंधी असमानताओं को दूर करने के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता है।
5. सामाजिक कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे लोग कल्याण कारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता है।

9.2.3 सार्वजनिक वित्त की मुख्य विशेषताएँ

सार्वजनिक वित्त में मुख्य रूप से सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण शामिल होते हैं। सरकार अपनी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ का निर्माण करती हैं। इसमें करों से आय तथा राजस्व के अन्य स्त्रोत शामिल होते है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों द्वारा सरकार को कर राजस्व प्राप्त होता है। सरकार के अन्य स्त्रोत शुल्क और पुर्माना है। सरकार गरीब लोगों के कल्याण के लिए विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर अपने राजस्व का व्यय करती है। यदि सरकार के द्वारा जमा किया गया राजस्व अपर्याप्त होता है तो यह घरेलू रूप से लोगों और फर्मों से तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप में अन्य देशों की सरकारों से उधार लेती है। इस की गतिविधि को सार्वजनिक ऋण कहा जाता है। इसीलिए, यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक वित्त के तीन मुख्य घटक हैं।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सार्वजनिक वित्त का महत्व क्या है?
2. सार्वजनिक वित्त के तीन मुख्य घटकों की पहचान कीजिए।

9.3 सार्वजनिक राजस्व

सरकार निजी फर्मों के समान लाभ और हानि के संदर्भ में प्रत्येक वस्तु और सेवा का मूल्य निर्धारित नहीं करती है। सरकार गरीब, आर्थिक और सामाजिक रुप से पिछड़े वर्ग के लोगों को कुछ वस्तुएँ और सेवाएँ मुप्त में उपलब्ध कराती हैं। विभिन्न करों को लागू करने के माध्यम से यह सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि करती है। इसीलिए, जनता से राजस्व संग्रह के लिए निर्णय लेते समय सरकार को संग्रह की मात्रा और तरीके का उचित ध्यान रखना पड़ता है।

9.3.1 सार्वजनिक राजस्व के स्त्रोत

आज सरकार विभिन्न स्त्रोतों से राजस्व जुटाने में सक्षम है। इनमें से, सार्वजनिक राजस्व के स्त्रोत निम्नलिखित हैंः-

1. विभिन्न प्रकार के कर
2. जुर्माने
3. अनिवार्य ऋण
4. सरकारी संपत्तियों के द्वारा आय
5. सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों से लाभ
6. सरकारी सेवाओं से संग्रहित शुल्क

9.3.2 कर

सार्वजनिक राजस्व के महत्वपूर्ण स्त्रोत कर हैं। सरकारी आय का बड़ा हिस्सा केवल करों से ही प्राप्त होता है। कर सरकार के सार्वजनिक स्त्रोत के मुख्य स्त्रोत के ही रूप में ही कार्य नहीं करते हैं बल्कि कुछ आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उपयोगी उपकरण के रूप में भी काम करते हैं।

मोटे तौर पर, करों का दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैः प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर

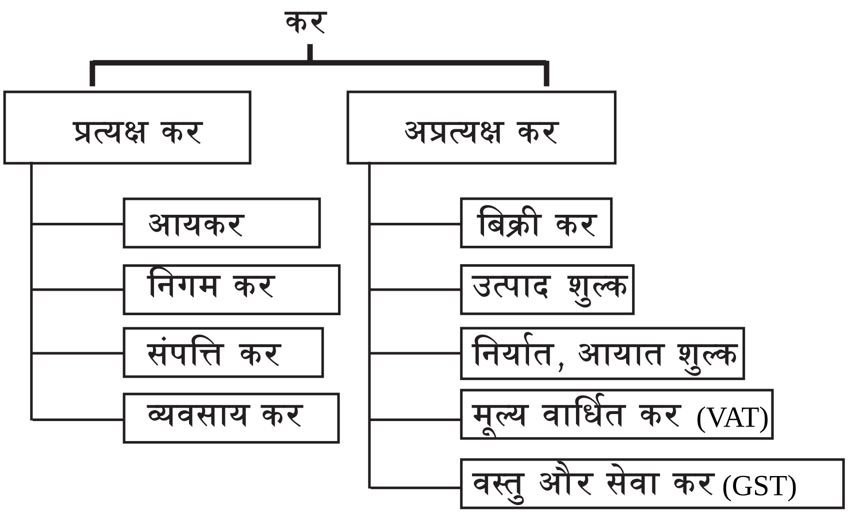

9.3.3 प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भुगतान उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जिस पर यह लगाया जाता है। इसे, दूसरों को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कर का पूरा भार करदाता को ही वटन करना पड़ता है। उदाहरण के लिए 1) आयकर 2) निगम कर

1. आयकर

व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय कर लगाये जाने वाले कर को आयकर कहते हैं। व्यक्ति की आय में वेतन आय, बैंक जमा पर ब्याज, इमारतों के किराये आदि ामिल होते हैं। हमारे देश में, सरकार द्वारा तय किये गये न्यूनतम स्तर से अधिक व्यक्तिगत अर्जित आय पर, आयकर लगाया जाता है। हमारे देश में प्रगतिशील (आरोही) कराधन का प्रचलन है। प्रगतिशील कर का अर्थ है आय की वृद्धि के साथ कर प्रतिशत में भी वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए मान लें कि एक व्यक्ति 'A' की वार्षिक आय 5 लाख रू. है। उस पर 5 प्रतिशत कर लगाया जाता है तो इसका अर्थ यह है कि उसे कर के रुप में 25,000 रुपयों का भुगतान करना होगा। इसीतरह, मान लें कि किसी व्यक्ति 'B' की वार्षिक आय 10 लाख रू. है और उस पर 15 प्रतिशत कर लगाया गया है तो 1.5 लाख रू. का भुगतान कर के रूप में करना होगा। यदि एक व्यक्ति 'C' की वार्षिक आय 50 रूपये है और उस पर 30 प्रतिशत कर लगाया गया है तो उस कर के रूप में 15 लाख रूपयों का भुगतान करना होगा। इस प्रकार, इस काल्पनिक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जब कराधार अर्थात् लोगों की आय में वृद्धि होती है तो कर की दर में भी वृद्धि होती है। कराधान की इस विधि को 'प्रगतिशील (आरोही) कराधान ('progressive taxation') के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 2020-21 में, आयकर के स्लेबों और करों की दरों को तालिका-9.1 में दर्शाया गया है।

तालिका - 9.1: आयकर स्लैब और कर दर (वित्तीय वर्ष 2020-21)

वार्षिक आय (रू.में)	कर
2,50,000 तक	शून्य
2,50,001 to 5,00,000	5%
5,00,001 to 7,50,000	10%
7,50,001 to 10,00,000	15%
10,00,001 to 12,50,000	20%
12,50,001 to 15,00,000	25%
5,00,000 से अधिक	30%

2. निगम कर

व्यावसायिक फर्म और कंपनियाँ अपने माल और सेवाओं की बिक्री के माध्यम से राजस्व अर्जित करती है। बिक्री मूल्य में से, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के उनके खर्च को घटाने के बाद जो राजस्व या आमदानी बचती है वही (corporate tax) कहा जाता है।

9.3.4 अप्रत्क्ष कर

यदि किसी व्यक्ति पर लगाये गये कर का आंशिक रूप से पूर्णरूप से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाता है तो उस कर को अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर को अन्यों में स्थानांतरित किया जा सकता है। उदाहरणः जब एक निर्माता वस्तु का उत्पादन करता है तो उस पर कर लगाया जाता है। किंतु इस वस्तु का खरीददार जब कर का भुगतान करता है तो उसे अप्रत्यक्ष कर के रूप में जाना जाता है। बिक्री (Sales tax) उत्पाद सुल्क (excise duty) सीमा शुल्क (आयात, निर्पात शुल्क) मूल्य वर्धित कर (VAT) माल और सेवा कर (GST) आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। अप्रत्यक्ष करों में बिक्री कर बहुत महत्वपूर्ण है। यह कर वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। इसीलिए टेलीकॉम, बैंक, बीमा कंपनियों की सेवाओं पर भी बिक्री कर लगाया जाता है। विनिमित वस्तुओं पर लगाये गये कर को उत्पाद शुल्क कहा जाता है तथा निर्यात और आयात पर लगाये जाने वाले कर को सीमा शुल्क (customs duty) कहा जाता है।

1. मूल्य वर्धित कर - VAT

मान लीजिए कि रामू एक टी.वी. के शो रूम में जाता है और अपनी पसंद का टी.वी. खरीदता है। टी.वी. की खरीदी के बाद जब उसे बिल प्राप्त होता है तो वह देखता है कि टी.वी. के वास्तविक मूल्य के साथ VAT के रूप में उससे अतिरिक्त राशि की भी वसूली की गई है। आइए हम समझने की कोशिश करें VAT क्या है?

VAT का अर्थ है - मूल्य वर्धित कर। VAT का आकलन उत्पादों पर, उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर अर्थात् श्रम और सच्चे माल से लेकर अंतिम उत्पाद की बिक्री पर किया जाता है। उत्पादन प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर वैट का आकलन वृद्धिशील रुप से किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लें कि टी.वी. निर्माता, खुदरा व्यापारी (वितरक) को टी.वी. 3, 000 रू. में बेचता है। किंतु टी.वी. के बिल में 12.5 प्रतिशत उत्पाद शुल्क (excise duty) लगाया जाता है तो बिल में टी.वी. का कुल मूल्य 3,375 दर्शाया जाता है। फिर से बिल में वैट का 14.5 प्रतिशत अर्थात 490 रू. लगाये जातेहैं। इसके फलस्वरूप अंत में ग्राहक को इस टी.वी. की खरीदी के लिए 3,865 रू. का भुगतान करना पड़ता है। इस उदाहरण को देखने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मात्रा में कर का बोझ वहन करना पड़ता है। इस कमी को दूर करने के लिए भारत ने VAT और अन्य अप्रत्यक्ष करों के बदले GST की शुरुआत की।

2. वस्तु और सेवा कर (GST)

भारत में 2017 में वस्तु और सेवा कर की शुरुआत हुई। GST की शुरुआत के पहले यहाँ अनेक अप्रत्यक्ष कर थे। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आंध्र प्रदेश की कपड़ा कंपनी ने तेलंगाणा से रंगों की खरीदी की है। ऐसे मामले में वह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और तेलंगाणा के बिक्री कर का भी भुगतान करती है। इसके बाद वह विभिन्न राज्यों में कपड़ों का नियती करती है। इस कंपनी के माल की बिक्री के समय, अन्य राज्य अपना विशिष्ट VAT लगाते हैं। यदि प्रक्रिया इसी तरह जारी रहती है तो मूल्यों में वृद्धि उच्चतम शिखर तक पहुँच जाती है। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर विभिन्न करों को

क्रियान्वयन से बाज़ार में अराजकता और भ्रम पैदा हो जाता है। इस प्रकार अप्रत्यक्ष कर अधिनियम की मौजूदा संरचना में, वस्तुओं पर विभिन्न करों के प्रभाव पर किसी प्रकार की स्पष्टता नहीं है।

इस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए सरकार के देश में विगत में मौजूद अनेक मौजूदा अप्रत्यक्ष करों में विस्थापन के द्वारा एकल कर GST की शुरुआत की। इस प्रकार सरकार VAT में मौजूद अराजकता पर स्पष्टता दे सकती है। और इसी के कारण GST 'एक देश, एक बाज़ार और एक कर' के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

GST के अंतर्गत तीन करों को लागू किया जाता है। वे हैंः-

1. केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST): सभी केंद्रीय स्तर के कर CGST के दायरे में आते हैं।

2. राज्य वस्तु और सेवा कर (SGST): सभी राज्य स्तर के कर SGST के दायरे में आते हैं।.

3. एकीकृत वस्तु और सेवा कर (IGST): ये विभिन्न राज्यों या अंतर-राज्य स्तर पर किये गये लेन-देन पर लागू होते हैं।

आइए अब एक उदाहरण की मदद से यह समझने की कोशिश करते हैं कि GST को कैसे लागू किया जाता है। मान लीजिए कि एक टी.वी. निर्माता ने, टी.वी. के निर्माण के लिए 2,000 रू. का कच्चा माल खरीदा। उस में @18% के हिसाब से 360/- GST शामिल है। यह भी मान लें कि टी.वी. के निर्माता ने टी.वी. के निर्माण के लिए 500 रू. की राशि खर्च की है। इसीलिए, अब टी.वी. का मूल्य 2,500/- रू. है।

खुदरा व्यापारी या टी.वी. के शोरुम का मालिक 2,500/- रू. में टी.वी. खरीदता है जिसके लिए उसे 18% GST के हिसाब से 450/- रूपयों का भुगतान करना होगा, किंतु टी.वी. के निर्माता ने, कच्चे माल की खरीदी के समय पहले ही 360/- रूपयों का भुगतान GST के रूप में कर दिया था, इसीलिए उसे 450 रूपयों के बजाय केवल 90/- रूपयों का ही भुगतान करना होगा।

अब खुदरा व्यापारी टी.वी. के मूल्य में 500 रू. जोड़कर उसका मूल्य 3,000/- रू. तय कर देता है। @18%GST लगाने से 540/- रू. की वृद्धि होकर टी.वी. का मूल्य 3,540/- रू. हो जाता है। ग्राहक खुदरा व्यापारी से टी.वी. 3,540/- रुपयों में खरीदता है। VAT की नीति के अंतर्गत टी.वी. का मूल्य 3,865/- रुपये होगा किंतु GST के अंतर्गत इसका मूल्य केवल 3,540/- रुपये ही होगा और ग्राहक को 325/- रुपयों का लाभ होगा।

विभिन्न वस्तुओं पर लगाये जाने वाले GST की स्लैब दरें भी भिन्न-भिन्न होती हैं। नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार GST की स्लैब दरें प्रचलन में हैं। वे हैं : 5%, 12%, 18% और 28%.

वस्तु और सेवा कर के लाभ - GST

- देशवयपी एकल बाज़ार की मौजूदगी।
- समूचे देश में एकल कर का प्रचलन। यह कर .... के प्रभाव को समाप्ति करता है अर्थात कर पर कर और इसके फलस्वरूप कर का भुगतान करना आसान हो जाता है।
- व्यवसाय लागत में कमी होती है। पारदर्शिता में वृद्धि होती है।
- क्योंकि इस प्रणाली में विभिन्न क्षेत्रों के समन्वयन की आवश्यकता नहीं होती है इसीलिए भ्रष्टाचार में भी कमी होती है।
- पहले करों का निर्धारण राज्य करता था किंतु अब करों का निर्धारण GST परिषद करती है।
- निर्यात और आयात पर GST लागू नहीं होता है, इसीलिए 'निर्यात में बढ़ोत्तरी होती है।
- यह विक्रेता द्वारा एक राज्य से अन्य राज्य को किए जाने वाले वस्तुओं के अवैध परिवहन को नियंत्रित करता है।
- यह राज्य की सीमा पर प्रवेश कर की समाप्ति करता है।

9.3.5 करों की अमलवारी के लिए उत्तम कर प्रणाली

समाज में, गरीब लोगों की तुलना में अमीर लोगों का प्रतिशत कम है। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उढता है कि सरकार की कर की संरचना कैसी होनी चाहिए? कर को इस तरह लगाया जाना चाहिए कि उच्च स्तर की आय वाले लोगों के लिए उच्च स्तर के कर और निम्न स्तर पर की आय वाले लोगों के लिए निम्न स्तर के कर होने चाहिए। गरीबी से ग्रस्त लोगों को पूर्ण रूप से कर जाल से छूट दी जानी चाहिए।

प्रत्यक्ष करों के क्रियान्वयन के मामले में यह संभव होता है। किंतु अप्रत्यक्ष करों के मामले में इसतरह के पक्षपात की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए, आय के स्तरों पर ध्यान दिए बिना सभी लोग धान्य, दालें, सब्जियाँ तेल आदि आवश्यक वस्तुएँ खरीदते हैं। किंतु निम्न स्तर की आय वाले लोग अपनी आप का बड़ा हिस्सा अनिवार्य वस्तुओं की खरीदी पर खर्च करते हैं। इसीलिए, विलासिता की वस्तुओं पर उच्च स्तर के कर लगाये जाने चाहिए और सभी आवश्यक वस्तुओं को करों के दायरे से छूट देनी चाहिए।

आजकल जहाँ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, वहीं फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में भी वृद्धि हो रही है। अनिवार्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि का गहरा प्रभाव गरीब लोगों पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए करों को लागू करते समय सरकार को इस पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

9.3.6 कर संग्रहण और कर चोरी (Tax Collections and Tax Evasion)

केंद्र सरकार द्वारा लगाये जाने वाले करों का चार प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है।

- केंद्र सरकार करों की उगाही और वसूली करती है और केंद्र इसे संग्रहित करता है। उदाहरणः निगम कर, सीमा कर।
- केंद्र सरकार करों की उगाही और वसूली करती है किंतु मुनाफे का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है। उदाहरणः आयकर और केंद्रीय उत्पाद शुल्क (income tax and central excise duties)
- केंद्र सरकार करों की उगाही और वसूली करती है किंतु निवल लाभ का बंटवारा राज्यों में होता है। उदाहरणः- संपदा शुल्क (estate duty)
- केंद्र सरकार करों की उगाही किंतु वसूली राज्यों द्वारा और संग्रहण भी राज्यों द्वारा किया जाता है। उदाहण : मुद्रांक शुल्क (stamp duty) शराब पर शुल्क और प्रसाधन सामग्रियों (cosmetics) पर कर।

पिछले कुछ वर्षों से भारत में करों की वसूनी में सुधार हुआ है। यह सब कर वंचकों (tax evaders) पर सरकार की प्रतिकारी गतिविधियों की प्रभावकारी अमलवारी से संभव हुआ।

इसके बावजूद अभी भी कुछ लोग अपनी वास्तविक आय नहीं बता रहे हैं या अपनी वास्तविक आय से कम आय बता रहे हैं और इस तरह वे धन गतिविधियों की जमाखोरी में शामिल हो रहे हैं। इस तरहकी गतिविधि को काला धन कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ निर्माता वास्तविक उत्पादन से कम उत्पादन बताकर कर की चोरी कर रहे हैं। कुछ व्यापारी भी वास्तविक बिक्री की रसीदों को पेरा कर, कर की चोरी कर रहे हैं। इसी तरह, भूमि और भूखंडों के पंजीकरण के मामले में, खरीददार, भूमि/भूखंड के मालिक को दिये जाने वाले वास्तविक मूल्य या निमित्त मूल्य के बजाय मौजूदा बाज़ार मूल्य पर अपने नाम का पंजीकरण कर रहे हैं। इस तरह दोनों पार्टियाँ सरकार से मुद्रांक शुल्क (stamp duty) / पंजीकरण शुल्क (registration fee) की चोरी कर रही है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सरकारी सार्वजनिक उपयोगिता को उपलब्ध करवाने तथा लोगों के लिए अन्य कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राजस्व किस प्रकारजुटाती है?
2. आमदनी के स्तर पर विचार किये बिना प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह सरकार को कर दे। क्या यह कथन सही है?

9.4 सार्वजनिक व्ययःअवधारणा, वर्गीकरण और वृद्धि

हम अपने दैनिक जीवन में बिना पैसे के कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते हैं। इसी तरह हम खर्च किये बिना कोई भी आर्थिक गतिविधि नहीं कर सकते हैं। हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की खरीदी के लिए, शिक्षा के लिए अनिवार्य वस्तुओं की खरीदी के लिए तथा भूमि और इमारतों की खरीदी के लिए धन खर्च करते हैं। इसी तरह, सरकार भी गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं पर धन खर्च करती है। सरकार द्वारा किये गये इस खर्च को सार्वजनिक व्यय कहा जाता है।

9.4.1 सार्वजनिक व्यय की अवधारणा

सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने तथा लोगों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए सरकार को सार्वजनिक व्यय करना पड़ता है। सामान्यतः सरकार जब विकासात्मक गतिविधियों जैसे : शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल, सड़कों ड्रेनेज/सीवेज और बिजली पर धन खर्च करती है। इस प्रकार केंद्र, राज्य औरस्थानीय सरकारों द्वारा लोगों की सामूहिक ज़रूरतों या समाज के लोगों के कल्याण के लिए किया जाने वाले खर्च को सार्वजनिक व्यय कहते हैं।

9.4.2 सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण

सरकार की आर्थिक गतिविधियों के आधार पर सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है।

A. योजना व्यय : यह योजना में उल्लिखित विकास योजनाओं के लिए आबंटित सरकारी खर्च को दर्शाता है।

B. गैर-योजना व्यय: गैर-योजना व्यय में सरकार के वे सभी व्यय शामिल होते हैं जो योजना में नहीं है। इनमें जन प्रशासन, राष्ट्र की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा, ब्याज का भुगतान, पंशन आदि शामिल हैं। इन्हें राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय से किसी भौतिक संपत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है। उदाहरण :- जन प्रशासन, देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा तथा पेंशन पर व्यय आदि। अर्थव्यवस्था में जिस व्यय से भौतिक संपत्ति का निर्माण होता है उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। उदाहरणः भूमि और भवन, मशीन और मशीनरी उपकरण, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में निवेश इत्यादि।

9.4.3 सार्वजनिक व्यय में वृद्धि क्यों होती है?

1. सार्वजनिक उपयोगिताओं के रूप में लोगों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सिंचाई, नहरें, ग्रामीण सड़कें, बिजली आदि की व्यवस्ता के कारण सार्वजनिक व्यय में वृद्धि होती है।
2. देश की सुरक्षा, कानून और व्यवस्था तथा सभी लोगों के लिए सामाजिक न्याय के हेतु सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है।
3. आय की असमानताओं को दूर करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन करवाकर, निम्न स्तर आय समूह के लोगों को रियायती दरों पर वस्तुओं को उपलब्ध करवाने के लिए सार्वजनिक व्यय का भार ग्रहण करने की अनिवार्यता होती है।
4. तीव्र विकास के लिए, विकासशील देशों में कृषि और औद्योगिक क्षेत्र को बड़ावा दिया जाना चाहिए। सिंचाई परियोजना के निर्माण और औद्योगिक क्षेत्र में सुधारों की शुरुआत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक व्यय की आवश्यकता होती है।

5. क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार को अविकसित क्षेत्रों में उद्योग स्तापित करने होंगे। उदाहरण के लिए, महात्मा गाँधी ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना अधिनियम के अनुसार, नौकरी की खोज करने वाले लोगों की मांग को, सरकार को उनके लिए कम से कम सौ दिन तक का रोज़गार उपलब्ध करवाना होगा।
6. केंद्रीय स्तर पर लोक सभा और राज्य सभा, राज्य स्तर पर विधान सभा और विधान परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, नागरपालिका तथा ग्राम पंचायत जैसी सार्वजनिक प्रतिनिधि संस्थाओं के चुनावों के आयोजन के लिए सार्वजनिक व्यय में बढ़ोत्तरी हो रही है।
7. कुछ समय से, जनसंख्या में वृद्धि के कारण शहरीकरण में भी वृद्धि हो रही है। इसके परिणामस्वरूप, शहरी जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवह', सड़क, कानून और व्यवस्था, पेयजल, स्वच्छता, पुस्तकालय, खेल स्टेडियम आदि को उपलब्ध कराने के लिए भी सार्वजनिक व्यय में वृद्धि हो रही है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सार्वजनिक व्यय में दिन-ब-दिन बढ़ोत्तरी क्यों हो रही है? अपने विचार बताइए।
2. सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कीजिए।

9.5 बजट : अवधारणा, उद्देश्य, प्रकार, घाटे की वित्त व्यवस्था

9.5.1 बजट की अवधारणा

आगामी वर्ष के लिए किसी देश की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं। आम तौर पर, यह एक वित्तीय वर्ष तक ही सीमित होता है। भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि को वित्तीय वर्ष माना जाता है।

9.5.2 बजट का उद्देश्य

निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक योजना की आवश्यकता होती है। सरकार ने अपनी योजना में अनेक लक्ष्यों और उद्देश्यों का निर्धारण किया है। उसे इन लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बजट की आवश्यकता होती है। बजट विवरण में एक ओर सभी राजस्व के अंश और दूसरी ओर सभी व्ययों के अंश निहित होते हैं। पिछले कार्यक्रमों के निष्पादन के आधार पर भावी कार्यक्रमों के निर्माण के लिए बजट की तैयारी की आवश्यकता होती है।

परिवारिक बजट

कृषि, इमारों के निर्मण, सब्जियों की बिक्री के द्वारा, रोज़गार या दुकानों में काम करने के माध्यम से लोग आय के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य आम तैर पर, परिवार को, पारिवारिक ज़रूरतों के लिए अपनी आय और खर्च का अंदाज़ा होता है। यह लिखितरूप में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इस तरह की योजना के निर्माण को पारिवाहिरक बजट कहते हैं। आइए, हम इसे एक उदाहरण की सहायता से समझने का प्रयत्न करें-

तालिका -9.2: एक व्यक्ति के परिवार का बजट (रूपयों में)

आय (राजस्व) (रू.में)	व्यय (रू.म)	
एक महीने में प्राप्त आय 15,000	भोजन	4,000
	घर का किराया	2,500
	दवाइयाँ	2,000
	स्कूल की फीस	3,000
	बिजली का बिल आदि	2,500
	बस, ऑटो का किराया	1,000
कुल आय **15,000**	कुल व्यय	**15,000**

तालिका-9.2 में रामय्या के परिवार की आय के विवरण को बायीं ओर तथा व्यय के विवरण को दायीं ओर दर्शाया गया है। उसकी मासिक आय15,000/- रू. है। इसी प्रकार, भोजन, घर के किराये, दवाइयाँ, स्कूल की फीस, बिजली का बिल, बस तथा ऑटों के किराये पर उसके द्वारा किया गया खर्च 15,000/- रू. है। इस प्रकार यदि किसी परिवार द्वारा अपनी आय और व्यय के विवरण का निरुपण उपर्युक्त तालिका के रूप में पाता है तो उसे पारिवारिक बजट कहते हैं।

9.5.3 बजट के प्रकार

वित्तीय वर्ष के तैयार किये जाने वाले बजट को 'आम बजट' कहते हैं। युद्ध, बाढ़ आदि आपदाओं, या केंद्र और राज्य में सत्ताधारी दलों में लगातार होने वाले बदलावों के कारण किये जाने वाले अतिरिक्त खर्चों के लिए यदि एक वर्ष या उससे कम अवधि में बजट तैयार किया जाता है तो उसे ''मध्यावधि बजट'' कहते हैं। यदि अंतरिम सरकार के शासन में बजट पेश किया जाता है तो इसे 'वोट ऑन अकाउंट बजट' कहा जाता है। सरकार के द्वारा निरुपित बजट को तीन प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वे हैं:-

1. संतुलित बजट: जब, एक वर्ष में सरकार का कुल राजस्व और व्यय समान होता है तब उस बजट को 'संतुलित बजट' कहते हैं।

2. घाटा बजट: जब सरकार का कुल व्यय उसकी कुल आय से अधिक होता है तब उस बजट को 'घाटा बजट' कहते हैं।

3. अधिशेष (Surplus) बजट : यदि सरकार का कुल व्यय, उसकी कुल आय से कम होता है तो उस बजट को 'अधिशेष बजट' कहते हैं।

9.5.4 भारत में घाटे की वित्त-व्यवस्था के कारण

आजकल घाटे की वित्त व्यवस्था एक आम घटना हो गई है। जैसे कि ऊपर बताया गया है कि यदि सरकार का कुल व्यय, उसकी आय से अधिक होता है तो यह घाटे की वित्त व्यवस्था को

दर्शाता है। भारत सरकार अपनी पहली पंचवर्षीय योजना से ही घाटे की वित्त व्यवस्था का अनुसरण कर रही है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, महंगाई भत्ते, युद्ध के लिए सामग्री के उत्पादन, जन प्रशासन आदि के खर्चों में वृद्धि के कारण सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का पालन कर रही है। जब सरकार के पास उपलब्ध आय, उसके खर्चों की पूर्ति में अपर्याप्त होती है तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था का सहारा लेती है। आय और व्यय की दूरी को पाटने के लिए सरकार नई मुद्रा की मुद्रित करने की नीति का अनुसरण करती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. अपने परिवार का बजट तैयार कीजिए।
2. जब आपका पारिवारिक खर्च, आपकी पारिवारिक आय से अधिक होता है तो इसके कारण होने वाले खर्च में वृद्धि के कैसे प्रभाव दृष्टिगोचर होंगे?

9.6 सारांश (मुख्य बिंदु)

- ❖ सरकार किसी लाभ या हानि के उद्देश्य से नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से लोगों को वस्तुएँ और सेवाएँ उपलब्ध कराती है।
- ❖ सार्वजनिक वित्त के तीन मुख्य घटक, सार्वजनिक राजस्व, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण के रूप में इसमें निहित हैं।
- ❖ यदि किसी व्यक्ति की आय सरकार द्वारा निर्धारित आय के निश्चित निम्नतम स्तर से अधिक होती है तो उस पर आयकर लागाय जाता है।
- ❖ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सरकार के प्रमुख आय / रासज्व के संसाधन हैं।
- ❖ भारत में GST 2017 से लागू किया गया। इसमें 5%, 12%, 18% और 28% जैसी चार स्लैब दरें हैं।
- ❖ सरकार, सार्वजनिक व्यय के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सिंचाई, पेयजल, सड़कों, ड्रेनेज/सिवेज, बिजली आदि जन उपयोगिताओं को उपलब्ध कराती है।
- ❖ आगामी वर्ष के लिए किसी देश की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय के वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट कहते हैं।
- ❖ सरकार तीन प्रकार के बजटों की तैयारी कर सकती हैं। वे हैं:- संतुलित बजट, अधिशेष बजट और धारा बजट।

9.7 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. करों को कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता हैं? वे क्या हैं?
2. बजट किसे कहते हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. सरकार के आय के स्त्रोतों पर प्रकाश डालिए।
2. सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण कीजिए।
3. बजट किस तरह तैयार किया जाता है? उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. सार्वजनिक वित्त के महत्व का वर्णन कीजिए।
2. आप कैसे कह सकते हैं कि वस्तु और सेवा कर उपयोगी है?
3. सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इस नीति के अंतर्गत, कर की सीमा में वृद्धि होती है तो कर की दर में भी वृद्धि होती है। ( )

   A) प्रगतिशील कर B) प्रतिगामी कर

   C) आमुपातिक कर D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

2. किसी कंपनी के लाभ पर लगाया जाने वाला कर है- ( )

   A) आयकर B) निगम कर

   C) संपत्ति कर D) संपदा शुल्क

9.8 संदर्भ पुस्तकें

- सार्वजनिक वित्त और अंतर राष्ट्रीय व्यापार, बी.ए., तृतीय वर्ष, तेलुगु आकादमी
- धन, बैंकिंग और सार्वजनिक वित्त, बी.ए., (अर्थशास्त्र), डॉ. बी.आर. अंबेड्कर ओपन यूनिवर्सिटी
- सार्वजनिक अर्थशास्त्र, डॉ. बी.आर. अंबेड्कर ओपन यूनिवर्सिटी

10 प्राचीन भारतीय इतिहास

10.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- प्राचीन भारतीय सभ्यताओं की विशेषताओं का वर्णन करते हैं।
- सिंधु घाटी की सभ्यता के स्मारकों की सूची तैयार करते हैं।
- पूर्व वैदिक काल की सामाजिक - आर्थिक परिस्थितियों की तुलना उत्तर वैदिक काल से करते हैं।
- मौर्य साम्राज्य के विस्तार का वर्णन करते हैं।
- आज के जन प्रशासन की तुलना शातवाहन काल से करते हैं।
- गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कर पत्र तैयार करते हैं।
- भारत के मानचित्र में महाजनपद, मौर्य साम्राज्य और शातवाहन साम्राज्य की पहचान करते हैं।

10.1. परिचय

इतिहास केवल अतीत की घटनाओं का संग्रह ही नहीं है बल्कि यह एक नींव है जिसका उपयोग भविष्य के निर्माण के लिए किया जा सकता है। किसी भी जाति के उद्गम की खोज उसके इतिहास से की जा सकती है। इस खंड का मुख्य उद्देश्य मूलभूत भारतयी सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, कुछ अन्य महत्वपूर्ण साम्राज्य, उनके प्रशासनात्मक विवरण, उस समय के लोगों की जीवन शैली, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों तथा सुधारों का वर्णन करना है।

10.2. सिंधु घाटी की सभ्यता

भारत की प्राचीन सभ्यता को हड़प्पा की सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। यह सभ्यता 4000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विकसित हुई। 1921 में खुदाई से पश्चिमी पंजाब (वर्तमान पाकिस्तान) में रावी नदी के किनारे इस सभ्यता की खोज की गई। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पश्चिमी में बलूचिस्तान से पूर्व में मेरठ तक था।

10.2.1 हड़प्पा की संस्कृति – नगरीकरण

सोचिए

वर्तमान में शहरों के निरंतर विस्तार में होने वाली वृद्धि के कारणों के बारे में सोचिए।

चित्र 10.1: हड़प्पा शहर

मोहनजो-दाड़ो (मोहनजो-दाड़ो का अर्थ है 'मुर्दों का शहर), हड़प्पा, छन्हूदाड़ों, लोथल, कालीबंगा आदि भारत में पहले नगरीकरण के परिणाम थे। इस बात को जानना महत्वपूर्ण है कि शहरी का निर्माण तभी होता है जब कृषि का विकास होता है और अधिक मात्रा में कृषि उत्पादों का निर्माण होता है। 'मोहनजोदाड़ों' नगर का निर्माण सिंधु नदी के तट पर हुआ। 'हड़प्पा' के शहर का निर्माण पंजाब में रावी नदी के किनारे पर हुआ।

कालीबंगा, जिसकी खुदाई बाद में हुई, राजस्थान में स्थित है। अब एक अनेक स्थानों में बाद की खुदाइयों में अनेक छोटे-बड़े शहरों की गहन खुदाई हुई। इन सभी शहरों का निर्माण भी उत्तर से दक्षिण में 950 मील लंबे समान वास्तुशिल्पीय नमूने के रूप में हुआ है। उत्तर दक्षिण में मुख्य सड़कें थी और इससे जुड़ी हुई छोटी सड़कें पूर्व-पश्चिम में थी। इनका निर्माण वायु संचरण और स्वच्छता के लिए इस तरह किया गया था। अधिकतर घरों में उनके अपने कुँए और स्वानागारों के साथ-साथ सड़कों पर सार्वजनिक कुएँ भी थे।

10.2.2 नालियाँ

इस शहरों में नालियों का निर्माण एक योजना के अनुसार किया गया था। घरों का मल बहकर सड़कों के किनारे बनी मुख्य नालियों में आता था। सड़कों के नीचे नालियाँ (मोरियाँ) थीं जिसमें घरों से मैला पानी आकर भरता था। इस अनोखी नाली की संरचना का किसी अन्य प्राचीन सभ्यता से मेल नहीं था।

10.2.3 नगर संरचना

मोहनजो-दाड़ो में पाया गया महान स्नानागार इनमें सबसे प्रसिद्ध है। इसकी तंबाई उत्तर से दक्षिण में 55 मीटर तथा पूर्व और समानांतर में 33 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार में 33 मीटर है। ऐसा माना जाता है कि इस स्नानागार में गर्म पानी को भी भेजने का प्रबंध था।

हड़प्पा में एक विशाल विस्तृत इमारत-अनाज रखने का कोठार पाया गया है। दुर्ग और श्रमिकों के घर, इन दो शहरों में पायी जाने वाली महत्वपूर्ण संरचनाएँ हैं।

चित्र 10.2: मातृ देवी

चित्र 10.3: पशुपति

चित्र 10.4: महास्नानागार

10.2.4 धार्मिक विश्वास और रीति-रिवाज

खुदाई में पायी गई मूर्तियों में स्त्रियों की मूर्तियाँ अधिक थी। इन सभी में मातृ देवी, प्रकृति के निर्माता और उर्जा के अवतार की मूर्तियाँ थीं।

एक मूर्ति में एक सींग वाली पगड़ी पहने हुए पुरुष देवता की छाप दिखाई देती है। ये देवता आधी बंद आँखों से कमल की स्थिति में बैठे हुए है। यह तस्वीर पशुपति, महायोगी और शिव के तीन मुखों में दर्शाती है। इनमें से कुछ मुद्राएँ वृषभ, हाथी, बाइसन, साँप, अश्वत्था वृक्ष (पीपल वृक्ष), अग्नि और जल की है। यह प्रकृति की शक्ति की उपासना का आह्वान करती हैं। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि जिस पर्यावरण संरक्षण का कार्य हम आज कर रहे हैं वह सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के द्वारा 4,000 वर्ष पूर्व प्रकृति की शक्तियों के रूप में किया जाता था।

सोचिए

आपके मुहल्ले में किन देवताओं की पूजा की जाती है?

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की वास्तुकला कौशल के बारे में लिखिए।
2. सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

10.3 वैदिक सभ्यता - साहित्य

वैदिक काल का समय 1500 से 600 BCE तक माना जाता है। यह भारतीय संस्कृति और समुदायों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वैदिक साहित्य भारत का केवल पहला साहित्य ही नहीं था बल्कि ये वैदिक युग के अध्ययन का प्राथमिक स्त्रोत भी था। वेदों में सबसे पहला 'ऋग्वेद' है जो अन्य वेदों से पुराना है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का संबंध उत्तर काल से है।

10.3.1 ऋग्वैदिक काल की सभ्यता

ऋग्वेद कहता है कि आर्य लोग पहले सप्त सिंधु क्षेत्र [सतुद्री (सतलुज), पुरूषिनी (रावी), विपासा (व्यास), वितास्टा (झेलम), असीकिनी(चेनाब), सिंधु, सरस्वती में रहते थे। ऋग्वेद में सरस्वती

नदी को 'नदी थामा'(सभी नदियों में सबसे महत्वपूर्ण) कहा जाता था। ऋग्वेद काल के लोग सतलुज और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र के गणराज्यों में रहते थे। सप्तसिंधु क्षेत्र को 'ब्रह्मवर्तम' के नाम से जाना जाता है। आर्य संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। यद्यपि ऋग्वेद काल के आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि था ताथापि वे मूल कृषि से भी परिचित थे। उनकी जीवन संस्कृत में गाय का महत्वपूर्ण स्थान था।

10.3.2 सामाजिक और आर्थिक प्रणाली

ऋग्वेद काल के अंत में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र जैसे चार वर्णों का गठन किया गया था। यह विभाजन व्यवसायों पर आधारित था। ऋग्मोवैदिक आर्य लगभग खानाबदोशी जीवन जीते थे। उनकी अर्थव्यवस्था पशुपालन और मूल कृषि का मिश्रण थी। घोड़े का भी महत्व था। यह एक ऐसा महत्वपूर्ण जानवर था जिसका उपयोग रथों और युद्धों में किया जाता था। ये भेड़ और बकरियों जैसे जानवरों को पालते थे और उनसे प्राप्त ऊन से वस्त्र बनाते थे। मवेशी निजी संपत्ति थे, भूमि जनजातियों की संयुक्त संपत्ति थी। पेशावर बढ़ई गाड़ियाँ और रथ बनाते थे। जुलाहा, चमार कुम्हार, लुहार जैसे व्यवसायी समुदाय के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

10.3.3 उत्तर वैदिक काल

इस काल के दौरान, 1000 और 500 ई. पू. के बीच, हम आर्यों की जीवनशैली के प्रत्येक पहलू में महत्वपूर्ण परिवर्तन को देख सकते हैं। वैदिक साहित्य और हाल ही में खोजे गये पुरातात्विक साधन और उपकरण जैसे स्त्रोतों से हम इन परिवर्तनों का पता लगा सकते हैं।

10.3.4 सामाजिक और आर्थिक प्रणाली

जो समाज पूर्व वैदिक काल में साधारण या वह उत्तर वैदिक काल में कुछ जटिल हो गया था। जन्म और रंग के आधार पर पदानुक्रमित समाज का गठन होता था। इस काल में ब्राह्मण, पुरोहिताई के लिए, क्षत्रिय राजनीति के लिए, वैश्व कृषि और पशुपालन के लिए जबकि क्षुद्र समाज में विभिन्न व्यवसायों के लिए नियत किये गये थे।

यह युग स्थायी कृषि और पशुपालन पर आधारित था। उन दिनों कृषि में पशु धन का उपयोग आम था। खुदाई में सिक्के नहीं मिले थे फिर भी 'रात पथ ब्राह्मण' में विस्तृत रूप से कृषि की गतिविधियों और धन का उल्लेख किया गया था।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. पूर्व वैदिक काल के सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में बताइए।
2. उत्तर वैदिक काल की सामाजिक आर्थिक प्रणाली का वर्णन कीजिए।

10.4 महाजनपद

महाजनपदों में पायी जाने वाली सरकार के शासन सिद्धांतों की प्रणाली लगभग आधुनिक राज्यों की विशेषताओं को दर्शाती है। पश्चिम में अंग, मगध, ब्रिज्जी, मल्ल (मध्य गंगा के क्षेत्र में), काशी, कोसल, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, उत्तर पश्चिम में कम्बोज और गांधार, केंद्रीय भारत में अवंती, चेदी, दक्षिण के गोदावरी क्षेत्र में अशमका आदि महाजनपद थे, जिनका उल्लेख जैन साहित्य में मिलता है। इनमें से ब्रिज्जी और सल्ल महाजनपदा थे।

10.4.1 जैन धर्म

महावीर का जन्म क्षत्रिय राजवंश में 540 BCE में हुआ। इन्होंने औपचारिक रूप से जैन धर्म की शुरुआत की। अपनी शिक्षाओं का प्रचार करने से पहले महावीर ने प्रारंभिक तीर्थकर जैसे वृषभ नाथ की शिक्षाओं को संहिताबद्ध कर जैन धर्म का संगठन किया। 30 वर्षों तक इन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया। सत्य के लिए इन्होंने अपना परिवारिक जीवन त्याग दिया। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और ये जिन्न (दुख के विजेता) बन गये। इन्होंने पाँच मुख्य सिद्धांतों की शिक्षा दी। वे हैः 1. अहिंसा 2. सत्य 3. चोरी नहीं करना 4. अन्य लोगों की संपत्ति की चोरी नहीं करना 5. ब्रह्मचर्य का पालन करना।

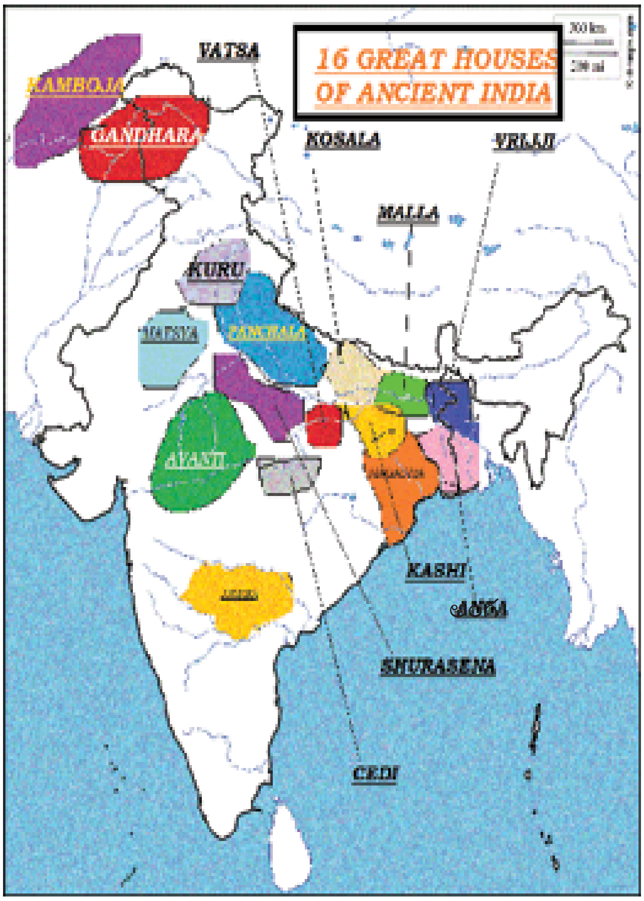

चित्र 10.1: महाजनपद

1.4.2 बौद्ध धर्म

बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनके जन्म 563(B.C.E.) में हुआ। आत्मज्ञान से पहले इनका नाम सिद्धार्थ था जो कपिलवस्तु के क्षत्रिय थे। 29वें वर्ष की आयु तक इन्होंने राजसी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद इन्होंने अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया तथा सत्य की खोज में निकल पड़े। संसार के दुखों को समझने का प्रयत्न करते हुए अंततः इन्होंने आमज्ञान प्राप्त किया। बुद्ध ने 4 सत्यों की भविष्यवाणी आर्य सत्यों के रूप में की। 1. संसार दुखमय 2. दुखों का कारण इच्छाएँ हैं। 3. दुखों से मुक्ति (इच्छाओं पर विजय) 4. दुखों से मुक्ति का मार्ग (अष्टांग मार्गाम)

10.5 मौर्य साम्राज्य

भारतीय इतिहास में मौर्य राजवंश एक नये अध्याय की शुराआत का प्रतीक है। मौर्य कालीन समय में पूरा भारत एकजुट था और यह उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी त फैला हुआ था। मौर्यो के इतिहास का समर्थन करने के लिए पर्याप्त धर्म निरपेक्ष और धार्मिक सबूत हैं। मौर्य काल के धर्मनिरपेक्ष साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मेगस्थानीज की इंडिका, विशारकदत्त की. मुद्रा राक्षस प्रमुख है। पुरातात्विक खुदाइयों में नागार्जुनकोंडा में प्राप्त अशोक और दशरथ के शिलालेखों के साथ-साथ पाटलीपुत्र शहर के अवशेषों, सिक्कों, वर्तनों, उन दिनों की वास्तुकला से अर्थव्यवस्ता, प्रशासन और धर्म आदि के बारे में पता चलता है।

10.5.1 प्रमुख शासक – संक्षिप्त इतिहास

चंद्रगुप्त मौर्य: ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। इन्हें 'बारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट' के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने, मगध पर शासन करने वाले नंद राजवंश के अंतिम राजा, धनानंद को हराकर 324 B.C.E. में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अर्थशास्त्र के रचनाकार चाणक्य इनके मंत्री थे जो राजनीति में इनकी सहायता करते थे।

बिंदुसार: चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार, मौर्य साम्राज्य के दूसरे सम्राट थे। इन्होंने अपने पिता के द्वारा साम्राज्य की केवल सुरक्षा ही नहीं की बल्कि उसका आगे तक विस्तार भी किया। इन्हें 'अमृत घट' की उपाधि प्राप्त थी।

अशोक: बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक विश्व के इतिहास के महान सम्राटों में से एक था। जब अशोक राजपुत्र था तब उसने तक्षशिला और अवंती के राज्यों पर शासन किया था। 268. B.C.E. में यह सिंहासन पर बैठा था। चट्टानों और स्तंभों पर अशोक के शिलालेखों से अशोक के बुलंद लक्ष्यों, आदर्शों और उसके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं का पता चलता है। भारत के इतिहास में अशोक पहला सम्राट था जिसके ऐसे शिलालेख थे। शिलालेखों में अशोक को 'देवनमप्रिया' (देवताओं के प्रिय) और प्रियदर्शिनी (सुंदर) की उपाधियाँ दी गई है।

10.5.2 कलिंग युद्ध – अशोक धम्म/धर्म की दार्शनिकता

कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन में ही नहीं बल्कि भारत के इतिहास में भी बड़ा महत्वपूर्ण है। कलिंग का साम्राज्य, जिसे आधुनिक काल में उड़ीसा के नाम से जाना जाता है, का अशोक के शासनकाल में बड़ा सैन्य और आर्थिक महत्व था। अशोक ने अपने 13 वें शिलालेख में इसका उल्लेख किया है। अशोक ने अफसोस जताते हुए कहा था कि इस युद्ध में लाखोंलोग मारे गये, डेढ़ लाख लोग बेघर हो गये और दो लाख लोग घायल हो गये। युद्ध के कारण अशोक का दिल टूट गया। उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसने घोषणा की कि वह अब युद्ध नहीं करेगा, पूर्ण रूप से शांति के लिए प्रतिबद्ध होगा और हथियार नहीं उठायेगा। विश्व के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा राजा नहीं था जिसने युद्ध जीतने के बाद घोषणा की कि वह अब कभी युद्ध नहीं करेगा।

अशोक ने अपने लोगों के कल्याण के लिए कड़ी मेहनेत की। उसका ध्यान मनुष्य को सदाचार की ओर मोड़ना था। इसे ही वह सही मानता था। इसके लिए उसने लोगों को कुछ अनोखे व्यावहारिक तरीके सुझाये थे। उसने लोगों से माता-पिता, बड़ों, गुरुजनों का आदर करने, सहय दया, दान, पवित्रता, संयन आदि का पालन करने तथा क्रूरता, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करने की अपील की। उसने हमें न केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जानवरों के प्रति भी दयालु होने की शिक्षा दी। इसने जानवरों के लिए विशेष अस्पताल बनवाये, राहगीरों के लिए सड़क के दोनों ओर कुएँ खुदवाये तथा सड़कों के दोनों ओर पौधे लगवाये।

10.5.3 मौर्य – प्रशासन

मौर्य काल में राजा के पास अनेक शक्तियाँ थीं। शासकों के पास मंत्रियों की नियुक्त करना तथा उनपर नियंत्रण रखने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करना, सरकारी नियम और कानून बताना, न्यायपालिका का संचालन करना आदि मुख्य शक्तियाँ थीं। राजा के पास अनेक शक्तियाँ होने पर भी वे अत्याचारी नहीं थे। उन दिनों राजा को पिता के समान समझा जाता था। अशोक ने अपने चौथे स्तंभ मे घोषणा की कि – जैसे माता-पिता अपने बच्चे को उचित देखभाल करने वाले को सौपते हैं, उसी तरह मैं भी 'राजुका' ('RAJUKA') जैसी प्राधिकारिता को मेरे लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी सौंपता हूँ।'' कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में टिप्पणी की – ''लोगों का आराम ही राजा का आराम है, और राजा की भलाई अपने स्वयं के कल्याण से नहीं बल्कि लोगों की भलाई से होती है।

10.5.4 अर्थ व्यवस्था

मौर्य काल में अर्थव्यवस्था बहुत हद तक कृषि पर निर्भर थी। अधिकांश लोग गाँवों में रहते थे। कृषि के सिंचाई के संसाधन सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाये जाते थे। उद्योगों से भी लोगों को आजीविका प्राप्त होती थी। बुनाई, बढ़ईगिरी, हथियार, घरेलू, उपकरण, कृषि उपकरणों का निर्माण, भवण निर्माण, कुम्हारगिरी आदि उद्योग भी लोगों को आजीविका प्रदान करते थे। प्रत्येक वस्तु पर, वस्तु के निर्माण की तिथि मुद्रित की जाती थी। इसीलिए लोग पुरानी और नई वस्तुओं में अंतर पहचानते थे।

10.6 कुषाण

मौर्य शासन की समाप्ति के बाद, उत्तरी और उत्तरी-पश्चिमी भारत में मुख्य रूप से इंडो-ग्रीक, पार्थियन और कुषाणों का प्रमुख था। इनमें कुषाण सबसे अधिक प्रभावशाली थे।

10.6.1 कनिष्क

कुषाणों में सबसे महत्वपूर्ण कनिष्क था। उसके काल में निर्गमित शिलालेखों की गिनती नये युग के पहले वर्ष में की गई थी। टकसाल में निर्मित सोने के सिक्कों पर विभिन्न धर्मों के देवताओं का चित्रण था। कनिष्क की सफलता की कहानी का पता धीरे-धीरे चला। इसने एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था, इसका साक्ष्य, वे क्षेत्र हैं जहाँ इसके शिलालेख पाये गए थे।

10.6.2 शासन – प्रणाली

कुषाण दैवीय अधिकार सिद्धांत (Divine Right Theory) में विश्वास रखते थे। जो भी हो लोक कल्याण ही लक्ष्य था। साम्राज्य 'अहर', 'जनपद' और 'विषय' में विभाजित था। शासन काल में क्षेत्रीय नेता दंडनापक ने सैन्य और नागरिक प्रशासन में राजा की सहायता की। 'राजमात्य' राजा के प्रमुख सलाहकार थे। गाँव का प्रशासन ग्रामीन और भद्रपाल प्राधिकारियों के द्वारा चलाया जाता था।

10.6.3 अर्थव्यवस्था

कुषाणों के शासन काल में लोगों का प्रमुख व्यवसाय कृषि था। इनके साथ ही लोग विभिन्न व्यवसाय भी करते थे। इनमें लुहार, कुम्हार, जौहरी, काँच का सामान बनाने वाले, हाथी दांत बनाने वाले आदि थे। कुषाणों के शासकाल में घरेलू और विदेशी व्यापार में विकास हुआ। इससे व्यवसाय में सिक्कों के उपयोग में वृद्धि हुई। रोम के साथ व्यापार चरम पर था। रोम से बड़ी मात्रा में सोना भारत में लाया जाता था। कुषाणों ने सोने का सिक्का जारी किया था जिसे 'दीनार' कहा जाता था। कुषाणों में सोने का सिक्का के सिक्के को 'कर्षपाण' कहा जाता था।

10.6.4 गांधार मूर्तिकाल

कुषाण काल गांधार मूर्तिकला के प्रसिद्ध था। कनिष्क के शासन काल में इस काल को विशेष प्रोत्साहन मिला। गांधार मूर्तिकला को इंडो-ग्रीक मूर्तिकला भी कहा जाता है। कई भारतीय मूर्तिकारों के साथ-साथ ग्रीक और रोम के मूर्तिकारों ने भी इसमें भाग लिया था। यदि आप इसकी मुख्य विशेषताओं को देखेंगे तो आप घुंघरालु बाल, बालिष्ठ शरीर, बालदार, त्रिमुखी मुद्रा, अधखुली आँखों और मुस्कराते हुए चेहरे को देख सकते हैं। गांधार मूर्तियों का प्रमुख घटनाओं का चित्रण करती है। इसने गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला और अमरावती मूर्तिकला को प्रभावित किया।

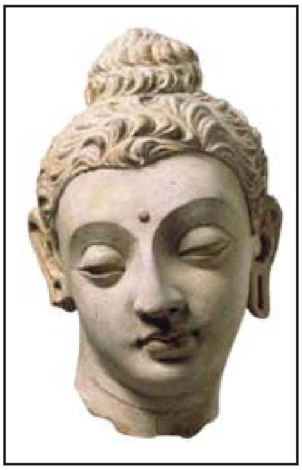

चित्र 10.5: गिंगाधारी मूर्तिकाल की मूर्ति

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. कलिंग के युद्ध और उसके परिणामों के बाद अशोक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए।
2. मौर्य शासन और उसकी आर्थिक परिस्थितियों की व्याख्या कीजिए।
3. गांधार की मूर्तिकला की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

10.7 सातवाहन

सातवाहनों को दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र राज्य स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है। अशोक की मृत्यु के बाद उन्होंने मौर्यों की बलहीनता पर ध्यान दिया और स्वतंत्र हो गये। जिस समय उत्तर भारत पर शकों, कुषाणों और इंडे-ग्रीक जैसे विदेशियों का आक्रमण हो रहा था उस समय दक्कन में एकता, शांति और स्थिरता थी।

10.7.1.राजनीतिक इतिहास

सातवाहनों ने लगभग 230 BCE से 220 CE तक लगभग 450 वर्षों तक शासन किया।

1.7.2 महत्वपूर्ण शासकों का संक्षिप्त इतिहास

श्रीमुख: श्रीमुख सातवाहन वंश का संस्थापक था। अशोक की मृत्यु के बाद इसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की।

शातकर्णी II: सातकणी-II ने 56 वर्षों की लंबी अवधि तक शासक किया।

हाला शातकर्णी : हाला, सातवाहनों का एक अन्य शासक था। इसके दरबार में अनेक कवि और विद्वान थे। यह स्वयं भी कवि था। इसमें 'गाथासप्तशती' नामक पुस्तक लिखी थी।

गौतमीपुत्र शातकर्णी: यह सातवाहन वंश का ही नहीं बल्कि दक्षिण भारत पर शासन करने वाले सभी राजाओं में से पहला महान शासक था। इसकी माता बालश्री ध्वारा लिखित 'नासिक अभिलेख' से इसकी सफलताओं का पता चलता है। इसका साम्राज्य उत्तर में राजस्थान से दक्षिण में वैजयंती तक फैला हुआ था। नासिक अभिलेख में रखे 'त्रिसमुद्र तोयपितावाहन', 'क्षत्रीय दर्पमना मर्दाना', 'आगम निलय', 'एक ब्राह्मण' कहा गया है।

10.7.3 प्रशासनिक प्रणाली

दक्कन के क्षेत्र को एकता के सूत्र में बाँधने तथा विदेशी शक्तियों से इस क्षेत्र को बचाने का श्रेय सातावाहनों को दिया जाता है। सातवाहनों की शासन प्रणाली मौर्यों की शासन प्रणाली के समान थी। उन्होंने एक वंशानुगत राजाशाही प्रणाली को अपनाया था। ये 'राजन' की उपाधि से संतुष्ट थे और दैवीय अधिकार के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने राजतंत्र से हटकर 'धर्मशास्त्र' के अनुसार शासन किया। शासन में अनुभवों की प्राप्ति के लिए राजकुमारियों के द्वारा राजकुमारों की नियुक्ति की जाती ती। राजा को प्रशासन में सहायता देने के लिए मंत्रीमंडल (cabinet) था।

सातवाहनों ने अपने साम्राज्य को जनपदों, अहरों, विषयों और ग्रामों में विभाजित किया था। जनपदों पर राजकुमार शासन करते थे। आहरों के शासक मंत्री थे। प्रशासन में अंतिम गाँव का शासक 'ग्रामीण' था। ग्राम परिषद् प्रशासन में उसकी सहायता करती थी।

10.7.4 समाज

सातवाहन समाज में जाति व्यवस्था पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं थी। जहाँ ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर यज्ञ किये वहीं क्षत्रियों ने शासन के लिए आवश्यक शिक्षा ग्रहण की और शासक बन गये। वैश्य व्यापार-व्यावसाय चलाते थे। क्षुद्र कृषि और अन्य व्यवसाय करते थे। व्यवसाय के मामले में कोई भी, किसी भी व्यवसाय को अपना सकता थआ। समाज में संयुक्त परिवार आम थे। उस समय पितृतंत्रात्मक परिवार प्रणाली थी। महिलाओं को समाज में आहट प्राप्त था। उन

दिनों में औरतें स्वयं दान देती थी। शिक्षित उच्च वर्ग की महिलाएँ सभाओं और फोरमों में भाग लेती थी। सातवाहनों शासकों ने अपने नाम से पहले अपनी माँ के नाम को वरीयता दी। इससे महिलाओं की प्राथमिकता के बारे में पता चलता है। उस समय विधवाओं का पुनर्विवाह नहीं होता था।

10.7.5 अर्थव्यवस्था

सातवाहनों के काल में, दक्षिण भारत ने अच्छी आर्थिक प्रगति की कृषि, उद्योग, घरेलू और विदेशी व्यापार में प्रगति हुई। उन दिनों के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। चावल, गन्ना, गेहूँ, तिलहन आदि प्रमुख फसलें थीं। कृषि के साथ पशुपालन भी एक संबद्ध व्यवसाय था। उन दिों के व्यवसायों में कोलिका (बुनकर), कूलिका (कुम्हार), तिलापिसाका (तेल प्रेसर), कम्मर (लुहार), सुवर्णका (सुनार), वधिका (बढ़ई) आदि थे। विभिन्न संप्रदायों द्वारा व्यावसायिक संगठनों का निर्माण किया गया था। इन्हें 'श्रेणी' कहा जाता था। श्रेणी के प्रमुख की 'श्रेष्ठा' कहा जाता था। 'श्रेणियों' का संचालन आज के बैंकों की जैसी वित्तीय क्रियाओं के द्वारा किया जाता था। ग्रीक लेखन के द्वारा पता चलता है कि उन दिनों में दक्षिण भारत ने व्यापार में महान प्रगति की थी। पाइथॉन, टगारा, जून्नार, नाशिक, बानावासी, विजयपुरी और धान्यकटक, उस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। ये शहर सड़कों और नदियों से जुड़े थे। परिवहन का महत्वपूर्ण साधन बैलगाड़ी थी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सातवाहन काल के समाज का वर्णन कीजिए।
2. सातवाहनों की अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए।

10.8 गुप्त साम्राज्य

इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास में गुप्त काल का वर्णन 'स्वर्ण युग' के रूप में किया है। कुषाणों के पतन के बाद उत्तरी भारत कई राज्यों में विभाजित हो गया था। गुप्तों ने इन छोटे राज्यों को हराकर एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। लगभग 200 वर्षों तक, उत्तरी भारत में राजनीतिक स्थिरता और एकता बनी रही।

10.8.1 महत्वपूर्ण शासक – संक्षिप्त इतहास

श्रीगुप्त (219 Common Era (C.E.) से 280 (C.E.)): श्री गुप्त, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। इसने छोटे से साम्राज्य पर शासन किया और'महाराज' की उपाधि धारण की। इसने साम्राज्य का ज्यादा विस्तार नहीं किया।

चंद्रगुप्त I (320 C.E. से 335 C.E): यह पहले गुप्त राजाओं में प्रमुख था। इसने 'महाराजधिराज' की उपाधि ग्रहण की थी। इसने गुप्त की साम्राज्य की ठोस नींव रखी। तिच्छवी राजकुमारी 'कुमारदेवी' के साथ हुए चंद्रगुप्त के विवाह ने गुप्त साम्राज्य को मज़बूती प्रदान की।

समुद्र गुप्त (340 C.E. से 380 C.E.): हरिसैना की इलाहाबाद प्रशाशित के साथ-साथ, शिलालेख और सिक्के भी समुद्रगुप्त के इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण स्त्रोत है। समुद्रगुप्त एक महान् सैनिक, एक साम्राज्य निर्माता, एक सफल शासक और एक अपराजित योद्धा था। इसने दक्षिण के अधिकांश राज्यों, पश्चिम में चंबल नदी तक, उत्तर में उत्तर प्रदेश तथा पूर्व में बंगाल तक अधिकार कर लिया था। लेकिन जिन राजाओं ने उसकी संप्रभुता को स्वीकार कर लिया था, उसने फिरौती की शर्त पर उनके राज्य उन्हें वापस कर दिये।

चंद्रगुप्त II: (380 C.E. से 415 C.E.): चंद्रगुप्त द्वितीय एक महान योद्धा और य्गोय शासक था। इसने युद्धों और कूटनीतिज्ञ संबंधों के द्वारा अपने पिता से विरासत में प्राप्त राज्य का विस्तार किया। इसने शक राजा रूद्रसिंह III को हटाकर गुजरात तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया।

10.8.2 प्रशासनिक प्रणाली

राजा तानाशाह थे। राजतंत्र वंशानुगत था। राजा का उत्तराधिकारी उसका ज्येष्ठ (बड़ा) पुत्र होता ता। यदि ज्येष्ठ पुत्र योग्य नहीं होता था तो वह अन्य योग्य पुत्रों में से एक को राजा का उत्तराधिकारी घोषित करता था।

मंत्रियों की नियुक्ति राजा के सलाहकारों के रूप में की जाती थी। वे विभिन्न विबागों के निष्पादन की देखरेख करते थे। प्रत्येक मंत्री में सेना का नेतृत्व करने की योग्यता का होना आवश्यक था। केंद्र में महानंदी, महाबलाधिकृता महादंडनायक, महाप्रतिहार, संधिविग्रहिका जैसे मंत्री थे। जिले के अधिकारियों को 'कामारमात्य' कहा जाता था। वे सभी शासन को प्रभावशाली बनाने में राजा की मदद करते थे। प्रशासनिक विकेंद्रीकरण, गुप्तकालीन शासकों के शासन की विशेषता थी।

गुप्तों ने साम्राज्य को क्षेत्रों में विभाजित किया था। इन क्षेत्रों को 'भुक्ति' या 'देश' कहा जाता था। भुक्ति के शासक 'उपकारिक/गोपत्री कहा जाता था। यदि इनके लिए राजकुमारों को अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था तो उन्हें 'महाराजपुत्र/ 'देव भट्टारक कहा जाता था। क्षेत्रों को विषयों, विषयों को मंडल, भांग और गाँवों में विभाजित किया जाता था। विषय के प्रमुख को 'विषयपति' कहा जाता था। ग्राम स्तर के अधिकारियों को ग्रामीक / भोजका कहा जाता था।

10.8.3 शिक्षा – साहित्य

गुप्त काल में विज्ञान, साहित्य और कला का विकास हुआ। इसका कारण उन दिनों की स्वस्थ शिक्षा पद्धति थी। पाटलीपुत्र, वल्लभी, उज्जैन, पद्मावती, अवरापुरम, वत्सागुलमामु, काशी, मथुरा, नासिक, कांची आदि विशाल शैक्षिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्याल आदि की स्थापना इसी काल में हुई। ये विश्वविद्याल स्वशाशित थे। शासकों और धनी व्यक्तियों के उपारतापूर्वक भूमि, धन और अन्य वस्तुएँ इन विश्वविद्यालयों को दान में ती। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश छात्रों की पूर्व

प्रतिभाओं पर आदारित था। नि:शुल्क भोजन और आवास दिया जाता था। जो धार्मिक शिक्षा (वेदों, पुराणों, उपनिषद्ों और सांस्कृतिक कलाओं आदि) या धर्मनिरपेक्ष शिक्षा (चिकित्सा, मूर्तिमला, मिट्टी के बर्तन बनाने की, गहनों का निर्माण, लोहे के कार्यो स्थापव्य कला, बुनाई, सिलाई, हस्तकला आदि) दी जाती थी वह छात्रों की योग्यता और उत्सुकता पर आधारित होती थी। इस काल में अनेक स्मृतियाँ, कविताएँ और पुस्तकें लिखी गई। इनमें सुबंधु की 'स्वप्नवासवदत्त', भट्टी की 'रावणवध', भैखी की 'किराजार्जुनियम्' विशाखादत्त की 'मुद्राराक्षस', शुद्रका की 'मृच्छाकरिकम्', दण्डी की 'दसकुमारचरित' आदि अत्यंत महत्वपूर्ण है।

चित्र.-10.6: नालंदा विश्वविद्यालय

10.8.4 विज्ञान और प्रौद्योगिकी

गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योकिी में महान विकास हुआ। भारतीय, विशेषकर खगोल विद्या और गणित में यूनानियों (ग्रीक) से कहीं अधिक विकसित थे। आर्यभट्ट महान् गणितज्ञ थे। इनके आर्यभट्टीयम् में हमें बीजगणित और ज्यामिति के कठिन प्रश्नों के उत्तर मिलते है। अपने प्रसिद्ध कार्य 'सूर्यसिद्धांतम्' में इन्होंने वैज्ञानिक तौर पर आधुनिक वैज्ञानिकों के समान ही सूर्य और चंद्र ग्रहण के संभावित कारणों को प्रमाणित किया था। दशमलव प्रणाली पर चर्चा की गई थी तथा 'शून्य' के लिए बीजगणित के महत्व की व्याख्या की गई।

वराहमिहिर एक बड़े ज्योतिर्विद (खगोलज्ञ) थे। इन्होंने बृहत्संहिता, पंचसिद्धांतिका की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांतिका को सूत्रबद्ध किया। इसमें उसने ग्रहों और नक्षत्रों के रोचक विवरण दिये। न्यूटन से कई शताब्दियों से पूर्व ही न्यूटन के गति के नियमों (पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण) की अभिव्यक्ति की गई थी। इसकाल 'आयुर्वेद' का भी विकास हुआ। 'नवनीतिकम' इस काल की महान् आयुर्वेदिक पुस्तक थी। पशु चिकित्सा की दवाइयों का भी अच्छा विकास हुआ। इससे संबंधित पुस्तकों की भी रचना हुई। अयुर्वेद में प्रसिद्ध बाग्भट्ट की चिकित्सा पर आधारित अद्वितीय रचना 'अष्टांग

चित्र-10.7: कुतुब मीनार का जंगरहित लौह स्तंभ

संग्रह' है। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा पर एक महान पुस्तक की रचना की जिसे 'सुश्रुत संहिता' कहा जाता है। चिकित्सा में प्रसिद्ध धनवंतरी इसी काल के थे। कुतुबमीनार के समीप स्थित स्टेनलेस स्टील से बना स्तंभ इस काल के धातु विज्ञान संबंधी ज्ञान का प्रमाण है।

10.9 हर्ष वर्धन

पुष्यभूति का वंशज हर्षवर्धन, गुप्तों के बाद उसकी भारत पर शासन करने वाले शासकों में महान् था। इसने उत्तरी भारत में राजनैतिक एकता की स्थापना की तथा शांति का निर्माण किया। भानू का 'हर्ष चरित्र', हवेन्संग द्वारा लिखित 'सी-यू-की' पुलेकेशिन II, का ऐहोल शिलालेख, समकालीन शिलालेख और सिक्के हर्ष के इतिहास के मुख्य स्त्रोत हैं।

जिस समय 606 C.E, में हर्ष सिंहासन पर बैठा या, उस समय राज्य कठिन परिस्थितियों से गुज़र रहा था। हर्ष ने उन सबका सामना बड़ी योग्यता से किया तथा राज्य को स्थिरता प्रदान की।

10.9.1 हर्ष के आक्रमण

ह्वेन सांग की रचनाओं से पता चलता है कि अपनी स्थिति को संगठित करने के बाद हर्ष ने एक विशाल सेना का गठन किया तथा साम्राज्य के विस्तार के लिए लगातार छह वर्षों तक युद्ध किया। मालवा के राजा ने देवगुप्त को हराकर, सिंहासन उसके छोटे भाई माधव गुप्त को सौंप दिया तथा उसे अपना दास बना लिया। वल्लभी के राजा ध्रुवसेन II, को भी हरा दिया गया। 637C.E, , में, पूर्वी आक्रमणों में इसने वंग, मगध और गंजम (ओड़िसा) के क्षेत्रों पर शासन करने वाले शशांक को भी पराजित कर दिया।

10.9.2 धर्म परिषद्

हर पाँच वर्षों में एक बार हर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। इस सभा में हर्ष इन 5 वर्षों में कमाये हुए धन को गरीबों में वितरित कर देता था। ह्वेन सांग ने दावा किया था कि- उसने 6वीं महामोक्ष परिषद् में भाग लिया था। हर्ष ने अपने साम्राज्य में संहार पर प्रतिबंध लगाया था। इसने अनेक स्तूपों और मठों का निर्माण किया है। इसने कानोज में एक विशाल मठ का निर्माण किया था। ह्वेन सांग इस बात का दावा किया था कि 'हस मठ में स्वर्ग से बनी बुद्ध की मूर्ति स्थापित है।'

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. गुप्त काल की प्रशासनिक प्रणाली की समीक्षा कीजिए।
2. गुप्त काल की शिक्षा पद्धति के बारे में बताइए।
3. गुप्त काल के तकनीकी और विज्ञान संबंधी ज्ञान का वर्णन कीजिए।
4. महामोक्ष परिषद् का मुख्य उद्देश्य क्या था?

10.10 सारांश (मुख्य बिंदु)

❖ सिंधु घाटी की सभ्यता भारत की मूलभूत सभ्यता थी।

- सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों के पास सुनियोजित वास्तु कला थी।
- वेद 4 है : ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद।
- मौर्य भारत के पहले शासक थे।
- भारत में शिलालेखों की स्थापना करने वाला पहला शासक अशोक था।
- कनिष्क ने गांधार मूर्तिकला को प्रोत्साहित किया।
- दक्षिण भारत में सबसे पहले सातवाहनों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी।
- सातवाहन शासकों में गौतमीपुत्र शातकर्णी सबसे महान् था।
- इतिहासकारों ने गुप्तों के शासन की तुलना स्वर्ण युग से की है।
- गुप्तकाल के दौरान भारत ने शिक्षा, विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में प्रगति की।
- हर्ष प्रति 5 वर्ष में एक बार 'महामोक्ष परिषद्' का आयोजन करता था।

10.11 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. भारत में पहले नगरीकरण के परिणाम क्या थे?
2. आर्य पहले कहाँ रहते थे?
3. अशोक की उपधियाँ क्या थीं?
4. गांधार मूर्तिकला की विशेषताएँ क्या थी?
5. हर्ष के काल का साक्ष्य क्या है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. वैदिक साहित्य के बारे में लिखिए।
2. मौर्यों के साक्ष्यों के बारे में वर्णन कीजिए।
3. सातवाहनों के प्रशासन के बारे में लिखिए।
4. जैन धर्म और बौद्ध धर्म की व्याख्या कीजिए।
5. गुप्तकाल में होने वाली विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रगति की व्याख्या कीजिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. सिंधु घाटी के लोगों की स्थापत्यकला कौशलों (वास्तु कला कौशल) का वर्णन कीजिए।
2. पूर्व वैदिक काल की अर्थव्यवस्था की तुलना उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था से कीजिए।

3. कलिंग के युद्ध से अशोक में क्या परिवर्तन हुए? इसके क्या परिणाम हुए?

4. शातवाहन काल की सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए।

5. क्या गुप्तकाल को महान यशस्वी काल कहा जा सकता है? कारण बताइए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. सिंधु घाटी की यह सभ्यता रावी नदी के किनारे स्थित है- ( )

   A) हड़प्पा B) कालीबंगा C) मोहनजोदाड़ो D) लोथल

2. आरंभिक आर्यों इस नदी की उपासना 'नदी थामा' के रूप में करते थे। ( )

   A) गंगा नदी B) सिंधु नदी C) यमुना नदी D) सरस्वती नदी

3. पहला वेद है- ( )

   A) सामवेद B) यजुर्वेद C) ऋग्वेद D) अथर्ववेद

4. भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट था? ( )

   A) गौतमी पुत्र शातकणी B) अशोक C) चंद्रगुप्त मौर्य D) कनिष्क

5. किन शासकों ने अपने नाम के पहले अपनी माता का नाम जोड़ा था? ( )

   A) गुप्त B) सातवाहन C) मौर्य D) कुषाण

6. वाग्भट्टू इस विज्ञान के विद्वान थे? ( )

   A) चिकित्सा विज्ञान B) गणित C) आयुर्वेदिक विज्ञान D) खगोल विज्ञान

7. यह महामोक्ष परिषद् का आयोजन करता था। ( )

   A) ह्वेन सांग B) हर्ष C) कनिष्क D) अशोक

8. इलहाबाद प्रशस्ति में इसका वर्णन है- ( )

   A) मौर्य चंद्रगुप्त B) हलुड्ड C) समुद्रगुप्त D) हर्षुड्ड

10.12 संदर्भ पुस्तकें

1. डॉ. वी. यशोदा देवीः इंडियन हिस्ट्री-कल्चर (टी.ए. पब्लिकेशन्स)

2. डॉ. बी.आर. अंबेड्कर यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन : हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्राम बिगनिंग टू 1526

3. के. ए. नीलकंठ शास्त्रीः हिस्ट्री ऑफ इंडिया

4. ए.एल. कमेंट्री : दी. वंडर दैट वॉजॉ इंडिया

5. आर.सी. मजूमदार : दी. वैदिक एज

11 मध्ययुगीन भारत का इतिहास

11.0. सीखने की संप्राप्तियाँ

- प्रारंभिक मध्य युग में उभरे विभिन्न नए राजवंशों के काल में प्रशासनिक, राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास की व्याख्या करते हैं।
- इस्लाम के उदय तथा विस्तार, भारत पर अरब के आक्रमणों तथा मोहम्मद गज़नी और मोहम्मद गौरी के आक्रमणों की व्याख्या करते हैं।
- दिल्ली साम्राज्य पर शासन करने वाले विभिन्न सुल्तानों के द्वारा किए गए विभिन्न सुधारों की व्याख्या करते हैं।
- दिल्ली सुल्तानों के शासन काल में तथा भक्ति व सूफी आंदोलनों के समय सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांसृतिक विकासों की व्याख्या करते हैं।
- मुगल शासकों के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक नीतियों व वास्तुकला, मूर्तिकला और साहित्य के क्षेत्र में की गयी प्रगति का वर्णन करते हैं।
- दक्षिण भारत के मराठा व बहमनी साम्राज्य की व्याख्या करते हैं।

11.1 परिचय

हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात, हम भारत के इतिहास में कई क्रांतिकारी राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पहलुओं को देख सकते हैं। राजनैतिक रुप से विभिन्न क्षेत्रों में कई नये राजवंश सत्ता में आये तथा नये साम्राज्यों की स्थापना की। ये क्षेत्रीय साम्राज्य शाही स्थिति पाने के लिए अपने साम्राज्य का निरंतर विस्तार करते रहे तथा आपस में निरंतर गहन संघर्ष करते रहे। एक ओर तो वहाँ राजनैतिक संघर्ष हो रहा था तथा दूसरी ओर धर्म, भाषा, साहित्य, वास्तुकला आदि के क्षेत्र में सृजनात्मक विकास हुआ था। उसी समय, धीरे-धीरे अरब राज्य में इस्लाम का प्रसार हुआ तथा भारत में प्रवेश किया। दिल्ली के सुल्तानों के वंश में विभिन्न क्षेत्रों भारत में नवीन सुधार व क्रांतिकारी परिवर्तन दिखाई दिए।

11.2 नए साम्राज्यों का उद्भव

11.2.1 उत्तर भारत में राजपूत

हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात भारत में राजपूतों का महान कार्य था विदेशियों से भारतीय संस्कृति को संरक्षित करना तथा मुसलमान आक्रमणकारियों से सुरक्षा करके इसे शक्तिशाली संस्कृति के रुप में सुरक्षित रखना। उत्तर भारत में राजनैतिक सत्ता स्थापित के रूप में सुरक्षित रखना। उत्तर भारत में राजनैतिक सत्ता स्थापित करने वाले प्रथम राजपूत वंश प्रतिहार थे। इस साम्राज्य के संस्थापक नागभट्ट-I थे। उनके उत्तराधिकारी वत्सराजू ने बंगाल के शासक धर्मपाल को पराजित किया। प्रतिहारों के पतन के बाद कन्नोज के केंद्र के रूप में गढ़वालों के शासन का आरंभ हुआ। 956 सी.ई. में सिंह राज चौहान के नेतृत्व में सांबर क्षेत्र में चौहानों के स्वतंत्र राज्य का आरंभ हुआ। चौहानों में पृथ्वीराज चौहान महान शासक थे। वे उत्तर भारत में मुस्लिम आक्रमणों का मुकाबला करने में सहायक थे।

विदेशी मुस्लिम आक्रमणों से संरक्षण में राजपूतों की एकता में कमी ने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग खेल दिया। क्या यह विचार सही है?

11. 2. 2 पूर्वी भारत में राष्ट्रकूट व चोल, पूर्वी भारत में पलास

राष्ट्रकूट बादामी चालुक्यों के जागीरदार के तथा उनके पश्चात उन्होंने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने 738 C.E. के युद्ध में अरबों को इस प्रकार पराजित किया कि उन्होंने दूसरी बार गुजरात पर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। उनके पश्चात कृष्ण-I गद्दी पर बैठे जो एक अच्छे योद्धा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक देश भक्त भी थे। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर इन्होंने ही बनवाया था। उनके पश्चात गद्दी पर बैठे गोविंद को गद्दी से हटाकर ध्रुव शासक बने। ध्रुव ने अद्वितीय शौर्य के साथ उत्तरी भारत पर आक्रमण किया तथा उन्हें हराकर ग़र्जरा के राजा वत्सराज को राजा बनाया। बंगाल के प्रतिहार व धर्मपाल उसके जागीरदार थे। दक्षिण में पल्लवों को पराजित कर उसने अपने साम्राज्य की स्थापना की। ध्रुव के पश्चात शासक बने गोविंद - III, ने उत्तर भारत पर पुनः आक्रमण किया तथा नागभट्ट-II को उखाड़ फेंका व अपने पूर्ण साम्राज्य की स्थापना की। यद्यपि उसके उत्तराधिकारी अमोघवर्ष के काल में कई उतार-चढ़ाव, विद्रोह, संघर्ष व युद्ध हुए किंतु इससे राष्ट्रकूट साम्राज्य को कोई क्षति नहीं हुई।

850 C.E. में विजयालय चोल ने चोल साम्राज्य को पुनः प्राप्त किया। उसने पल्लव व पांड्या के झगड़ों का फायदा उठाकर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित किया। वह उन प्रथम शासकों में से एक था जिसने चोल वंश का लोहा मनवाया। उसके शासनकाल 985 C.E. से 1040C.E, के दौरान चोल शासन का विस्तार तमिलनाडु, केरल, सिंहल, तथा मालदीव तक हुआ। उसके प्रशासन को प्रगति, आदर्श प्रशासन, शक्तिशाली सेना, एक नौसेना, एक मज़बूत आर्थिक स्थिति तथा सुंदर मंदिर

संरचना के रूप में चिह्नित किया गया। तंजवूर का अत्यंत सुंदर बृहदेश्वर मंदिर इनके द्वारा बनवाया गया। उनका उत्तराधिकारी राजेंद्र चोल (1012 C.E. से 1044 C.E.) भी एक अत्यंत सक्षम शासक था। उन्होंने गंगईकोंडा चोलपुरम नामक एक शहर का निर्माण करवाया था। चोल शासक अपने स्थानीय स्वाशान के लिए प्रसिद्ध थे।

उत्तर भारत में पाल वंश का शासन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल तथा आसाम तक फैल गया था तथा मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध हो गए थे। 780 C.E. से 815C.E. के मध्य तक के धर्मपाल के शासनकाल में, एक ओर गुर्जर प्रतिहारों के साथ तथा दूसरी ओर राष्ट्रकूटों के साथ निरंतर संघर्ष चल रहा था। उन्होंने बंगाल में उनके द्वारा स्थापित विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने कई विदेशी छात्रों को आकर्षित किया तथा उसकी गणना नालंदा विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालों में होनी लगी। वे अच्छे सांस्कृतिक संरक्षक थे। उन्होंने तालाबों तथा नहरों का निर्माण करवाया तथा कृषि के विकास के लिए कड़ी मेहनत की।

11.2.3 राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास

उत्तर मध्ययुगीन भारत कई प्रमुख राजनैतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हुए। इस काल की राजाशाही सामंती व्यवस्था पर आधारित थी। ये जमींदार अपने-अपने क्षेत्रों से धन एकत्रित करते थे। इसमें से कुछ सेना पर खर्च किया गया तथा युद्ध के समय साम्राज्य को उपलब्ध करवाया गया। ये जमींदार या जागीरदार शक्तिशाली बन गये तथा अपने क्षेत्र में विद्रोह कर दिया या स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई।

इस काल का समाज जाति प्रथा पर निर्भर था। चतुर्वर्ण के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र में से ब्राह्मण को सर्वोच्च सम्मान प्राप्त था। पुजारी होने के साथ-साथ प्रशासन में मुख्य पद प्राप्त था तथा विभिन्न शक्तियाँ प्राप्त थी। क्षत्रियों ने शासकों या सैनिकों के रूप में कार्य किया। वैश्य कृषि के साथ व्यापार भी करते थे। शूद्र अन्य कई पेशेवर कार्य करते थे। इस काल में कई नई जातियाँ तथा उपजातियाँ विकसित हुई। इस काल में शिक्षा, कला आदि के क्षेत्र में महिलाओं ने पुरुषों के समान पद प्राप्त किये। अवंती सुंदरी, इंदुलेखा, मोरिका, विज्जिका सुभद्रा, पद्म श्री आदि उस समय की कुछ प्रसिद्ध कवयित्रियाँ हैं। कुछ महिलाओं ने मार्शल आर्ट्स तथा प्रशासन में महारत हासिल की थी।

इस काल में धार्मिक क्षेत्र में कई परिवर्तन देखे गये। विदेशी आक्रमणों व स्थानीय राजाओं के संरक्षण में कमी के कारण बौद्ध धर्म में क्रमशः गिरावट आयी। उसी समय हिंदुत्व की प्रबलता में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। कुछ क्षेत्रों में जैनधर्म प्रसिद्ध था। शिक्षा, भाषा-विज्ञान तथा स्थापत्य कला के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे।

राजपूतों ने कई किले, मंदिर तथा भवनों का निर्माण किया। राजस्थान के रणथंबौर व ग्वालियर का मान सिंह महल, अंबर के भवन तथा उदयपुर की झीलें भी अद्भुत स्थापत्य कला के उदाहरण हैं। राष्ट्रकूटों के द्वारा निर्मित एलोरा का मंदिर तथा चोलों के बृहदेश्वर मंदिर भी स्थापत्य कला में उच्चतम प्रगति के उदाहरण हैं। राजस्थान के अबु मंदिर, मध्यप्रदेश के खजुराहो के मंदिर, उड़ीसा के पुरी व कोणार्क मंदिर अवंतीपुर के मार्त्तण्ड सूर्य मंदिर, शिव व वैष्णव मंदिर इस काल के प्राचीन मंदिर हैं। यद्यपि मुस्लिम आक्रमणों के कारण कई मंदिर नष्ट हो गये किंतु शेष मंदिर उस समय के स्थापत्य कला की प्रगति को चिह्नित करते हैं।

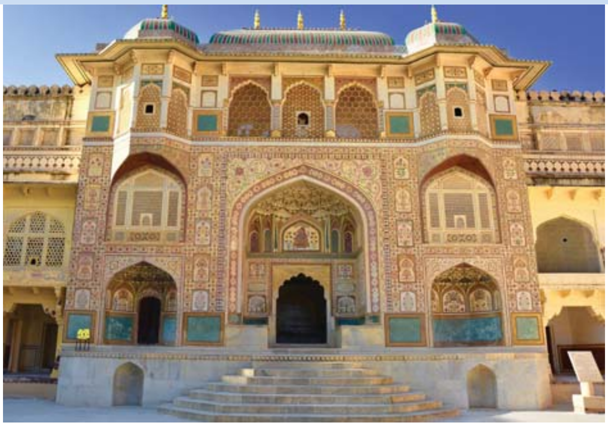

चित्र 1: अंबर भवन

11.3 भारत पर अरबों का आक्रमणArab invasion of India

इस्लाम के अनुयायी, अरबों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर ध्यान केंद्रित किया। वे भारतीय उपमहाद्विप की अत्यधिक संपत्ति से आकर्षित हुए। उस समय सिंध पर दाहिर राजा का शासन था। 712 C.E. में मोहम्मद बिन क़ासिम के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेने ने सिंध पर आक्रमण किया। किंतु सिंध पर आक्रमण का भारत पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। वह भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना नहीं कर सका क्योंकि वह भारतीय सैन्य शक्ति को नहीं हरा सका। किंतु इसने इस्लामी समुदाय को भारतीय संस्कृति से परिचित करवाया। विशेषतः यूरोपीय महाद्वीप में भारतीय दार्शनिकता, गणित, ज्योतिषशास्त्र तथा चिकित्सा के प्रसार में अरबों की विशेष भूमिका है।

सोचिए

Did the Arab invasion of India have any results?

11.4 मुहम्मद ग़जनी का आक्रमण

10वीं शताब्दी में ग़जनी के शासक, तुर्कों ने भारत पर दूसरी बार आक्रमण किया। मुहम्मद ग़जनी ने भारत पर 17 बार आक्रमाण किया। उसका पहला आक्रमण 1000C. E. में कुछ उत्तर पश्चिमी भारतीय शहरों की लूट के साथ आरंभ हुआ। तत्पश्चात उसने पंजाब के भारतीय राजा को पराजित किया तथा स्थानेश्वर व कन्नौज पर विजय प्राप्त की। उसने हिंदू तीर्थ, मथुरा पर आक्रमण किया तथा वहाँ के मंदिरों को नष्ट कर दिया। सोमनाथ मंदिर की लूटपाट ग़जनी के प्रमुख आक्रमणों में से एक है। 1024C.E., में मुहम्मद ग़जनी ने भीम को पराजित कर मंदिरों को नष्ट किया तथा बड़ी मात्रा में संपत्ति को लूटा। यद्यपि ग़जनी ने भारत पर कई बार आक्रमण किया, किंतु वह यहाँ इस्लाम साम्राज्य की स्थापना करना नहीं चाहता था। उसका लक्ष्य केवल भारत की संपत्ति को लूटना व मंदिरों को नष्ट करना था।

11.5 मुहम्मद गौरी का आक्रमण

मुहम्मद गौरी द्वारा किये गये युद्धों में प्रथम व द्वितीय तराई के युद्ध प्रमुख हैं। 1191, में तराई के प्रथम युद्ध में मुहम्मद गौरी दिल्ली के शासक, चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान से पराजित हुआ। पराजित होकर वह वापस लौट गया। इसका बदला लेने के लिए मुहम्मद गौरी एक लाख सैनिकों की एक सेना लेकर वापस आया। 1192 C.E. में तराई के द्वितीय युद्ध में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया तथा दिल्ली पर आधिपत्य स्थापित किया। इसने भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना में आधार शिला का कार्य किया। गौरी ने दिल्ली में अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किया। उसने स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी।

11.6 दिल्ली सल्तनत – राज्य की स्थापना व विस्तार

वर्ष 1206 C.E. में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। सुल्तान की उपाधि तथा दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने के कारण वे 'दिल्ली के सुल्तान' के रूप में जाने जाते थे। इन सुल्तानों के शासनकाल में 'दिल्ली में पाँच वंशों से शासक किया। वे हैं- 1. गुलाम वंश (1206 से 1290 C.E.) 2. खिलजी वंश (1290 से 1320 CE) 3. तुग़लक वंश (1320 से 1414 C.E.) 4. सय्यद वंश (1414 से 1451 C.E.) 5. लोदी वंश (C.E. 1451 से 1526).

कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। इबाक के पश्चात गुलाम वंश का महत्वपूर्ण प्रमुख सुल्तान इल्तुतमिश था। उसने 1211 से 1236 C.E. तक शासन किया। उसने सुल्तान, उच तथा सिंध राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित किया। साथ ही राजपूत साम्राज्य पर विजय प्राप्त की। उसने उज्जेन के प्रसिद्ध महाकाली मंदिर को नष्ट किया। उसने पहले लाहोर के स्थान पर दिल्ली को हिंदुस्तान की राजधानी बनाया। उत्तराधिकार की अक्षमता के कारण 'रज़िया सुल्ताना' दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया सुल्ताना दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला थी। कई गवर्नर व आमिर जो एक महिला का शासन बर्दाश्त नहीं कर सके और उसके विरुद्ध विद्रोह कर 'चिहल ग़नी' नामक गठबंधन बनाया।

गयासुद्दीन बलबन (1266 से 1286 C. E.) गद्दी पर बैठने वाला अगला शासक, गुलाम वंश का प्रमुख शक्तिशाली शासक था। सुल्तान के रूप में उसके समक्ष प्रमुख समस्या उत्तर पश्चिमी भारत पर मंगोलों का निरंतर आक्रमण था। इसने शक्तिशाली सेना की सहायता से मंगोलों को खदेड़ दिया। उसके उत्तराकिारी कैकूबाद की अक्षमता के कारण खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी 1290 C.E. में गद्दी पर बैठा। इस प्रकार गुलाम वंश के शासन का अंत हुआ।

जलालुद्दीन खिलजी वंश का संस्थापक था। उसका दामाद खिलजी (1296 से 1316C.E.) दिल्ली का महत्वपूर्ण सुल्तान ता। उसने सक्षम सैनिकों की सहायता से गुजराज, रणथमभौर, मेवाड़, मालवा आदि साम्राज्यों पर विजय प्राप्त की। मलिक काफ़ूर के सेना का नेतृत्व किया तथा दक्षिण भारत के कई भागों पर विजय प्राप्त की। 1311 C.E., में इसके मदुराई पर आक्रमण कर उसकी

विशाल धनराशि लूटी। उसने श्रीरंगम व रामेश्वरम के मंदिरों को लूटा व नष्ट किया तथा रामेश्वरम में मसजिद का निर्माण किया। प्रशासन काल में उसने सेना में कई सुधार किए। उसके द्वारा आरंभ किए गए राजस्व व व्यापार सुधार अत्यंत प्रसिद्ध हैं।

अलाउद्दीन खिलजी के उत्तराधिकारियों के निर्बल होने के कारण 1320 C.E. में गयासुद्दीन तुग़लक दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद मुहम्मद बिन तुगलक शासक बना। वह एक महान विद्वान था। किंतु प्रशासन के रूप में उसके द्वारा किए गए कार्यों की गंभीर आलोचना हुई। गंगा और यमुना अंतर्वेदी में भू-कर में बढ़ोतरी, विशेषतः अकाल के समय, राजधानी को लोगों के साथ दिल्ली के देवगिरी स्थानांतरित करना तथा सोने व चाँदी के सिक्कों के स्थान पर ताँबे के सिक्के के उपयोग के परिणामस्वरूप जनता में तीव्र विरोध उत्पन्न हुआ। साम्राज्य के कई भागों में विद्रोह आरंभ हो गया। इसमें सबसे प्रमुख 1336 C.E. में हरिहर राय व बुक्कराय का विद्रोह व स्वतंत्र विजयनगर साम्राज्य की स्थापना थी। 1351 C.E. में फिरोज़ शाह तुग़लक मुहम्मद का उत्तराधिकारी बना और गद्दी पर बैठा। रुढ़िवादी इस्लाम में इसकी अधिक रुचि थी, जिसके कारण उसने इस्लाम में धर्मपरिवर्तन को प्रोत्साहित किया। 1360 C.E., में इसने नागरकोट पर आक्रमण कर ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट किया तथा मूर्तियाँ मदीना भेज दी। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर को मैदान बना दिया गया। हिंदुओं पर जजिया कर लगा कर कठोरता से वसूली की गई। उसके उत्तराधिकारियों में महमूद अंतिम शासक था। 1413 C.E. में उसकी मृत्यु के साथ तुग़लक वंश का अंत हो गया। इसके पश्चात सय्यद वंश व लोदी वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया। 1526 में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी व मुगल शासक बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। बाबर की विजय के साथ मुगल शासन का आरंभ हुआ।

11.6.1 प्रशासन – राजस्व, सैन्य तथा अन्य क्रियाकलाप

दिल्ली सुल्तानों का शासन, जो लगभग तीन शताब्दियों तक चला, इस्लामी धार्मिक नियमों पर आधारित था। दिल्ली के सुल्तान स्वयं को खलीफा के प्रतिनिधि होने का दावा करते थे किंतु कुतुबुद्दीन ऐबक तथा अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के आदेशों का अनुसरण नहीं किया। दिल्ली सुल्तानों का प्रशासन पूर्णतः केंद्रीकृत था। सुल्तान तानाशाह था। उसे कार्यालय को विरासत बनाने का कोई अधिकार नहीं था। राजकीय सत्ता शक्तिशाली व्यक्ति के सिद्धांत पर आधारित थी। वज़ीर, दीवान-ए-रिसालत, दीवान-ए-अरज तथा दीवान-ए-इंशा प्रशासन में राजा की सहायता करने वालें मंत्री थे। साम्राज्य राज्यों में विभाजित था जो 'इक्ता' कहलाते थे। प्रत्येक राज्य के लिए एक गवर्नर (राजा का प्रतिनिधि) नियुक्त था। ये सामान्यतः शाही परिवार के सदस्य या संबंधी होते थे। साम्राज्य के विस्तार व रक्षा के लिए एक शक्तिशाली सैन्य प्रणाली थी। सुल्तान अल्लाउद्दीन सैनिकों को नकद भुगतान करने वाला प्रथम शासक था। सैनिकों को आवश्यक सामग्री कम दर पर उपलब्ध करवाने के लिए उसने व्यापार में सुधार लाये। उस समय साम्राज्य की आय का मुख्य स्त्रोत भू-कर था। उपज का 50 प्रतिशत कर के रूप में लगाया गया।

सोचिए

अलाउद्दीन ने बाज़ार नियंत्रण के उपाय राज्य की आवश्यकताओं के लिए किये थे या अपनी जनता की भलाई के इरादे से किये थे ?

मुहम्मद बिन तुग़लक ने अकाल की स्थिति पर ध्यान नहीं दिया तथा गंगा यमुना अंतर्वेदी में कर वृद्धि से किसान अत्यधिक प्रभावित हुए। इन कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए कृषि विभाग दीवान-ए-कोही स्थापित किया गया। कर में कमी, नवीन खेतीहर भूमि का विकास तथा उपज के लिए लोन देना आदि उपाय किए गए। इन सुधारों के कारण राज्य का ख़ज़ाना खाली हो गया तथा सोने व चाँदी में कमी के कारण ताँबे के सिक्कों का आरंभ किया गया। किंतु उनकी प्रिंटिंग सरकार के अधिकार में नहीं रखी गई जिस कारण साम्राज्य का प्रत्येक परिवार टकसाल में बदल गया। तब उसने उन्हें वापस ले लिया तथा जनता को तांबे के सिक्कों के स्थान पर चाँदी के सिक्के दिए। फिरोजशाह तुग़लक ने अपने काल में जागीरदारी प्रणाली का आरंभ किया तथा सैनिकों के वेतन के बदले में भूमि देने की प्रथा आरंभ की। इसने गुलाम प्रणाली को पुनः आरंभ किया। जन कल्याण उपोयों के बाग के रूप में उसने नदियों से चार नहरें खुदवाई तथा जल निकाय सुविधा उपलब्ध करवायी। उसने धर्मशालाओं व अस्पतालाओं का निर्माण करवाया।

सोचिए

मुहम्मद बिन तुग़लक द्वारा किए गए सुधारों के असफलता क्यों हुई?

11.6.2 सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ

भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना ने कुछ स्थायी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। 14वीं व 15वीं शताब्दियों में हिंदु व इस्लाम समुदाय लंबे समय तक आस-पास ही रहते थे, जिसके पिणामस्वरूप एकीकृत इंडो-मुस्लिम समुदाय का उद्भव हुआ। यद्यपि उस समय मुसलमान जनसंख्या में अरब, तुर्क, बस गए थे। अधिक जनसंख्या हिंदुओं की थी जिन्होंने इस्लाम में धर्मपरिवर्तन कर लिया था। इस दिनों हिंदुओं ने जान के भय से या जजिया कर से बचने के लिए रोज़गार पाने तथा मुसलमानों के पास गुलाम न बने रहने के कारण इस्लाम में धर्म परिवर्तन किया था। यह कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन के बावजूद भी सामाजिक भेदभाव जारी था। मुसलमानों में सुन्नी और शिया नामक दो समूह थे। मुसलमानों के निरंतर आक्रमणों के कारण महिलाएँ अत्यधिक सतायी गयी। स्वयं की रक्षा व स्वयं के आत्मसम्मान की रक्षा के रूप में कई सामाजिक कुप्रथाओं का उदय हुआ। जब राजपूत महिलाओं को यह महसूस होता था कि वे मुसलमान शासकों के हाथ में चली जायेंगी तथा उनकी छवि कलंकित हो जायेगी तो वे आत्महत्या कर लेती थी। इस प्रथा को जौहर कहा जाता है। हिंदुओं की 'सती' प्रथा और अथिक बलवान हो गई थी। मुसलमान और हिंदू दोनों समुदायों में बहुविवाह अत्यधिक प्रचलित था। मुसलमालों के आगमन से धर्म में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। मुसलमानों ने अपनी धार्मिक परंपराओं तथा विशेषकर संस्कृति को बनाए रखा तथा उन्हें भारत में प्रचार के लिए कार्य किया।

दिल्ली सुलतानों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए धर्म को एक हथियार के रूप में उपयोग किया। फिरोज़ शाह तुग़लक जैसे राजाओं ने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट किया। इसी समय दो धर्मो के बीच संघर्ष आरंभ हुआ तथा सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन की संभावना कम हो गई। मुसलमान शासक वर्ग से संबंधित होने के कारण हिंदुओं को कष्ट सहना पड़ा। किंतु हिंदू और मुसलमान एक ही क्षेत्र की धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करना आरंभ किया। जैसे-जैसे समय बीतता गया दोनों धर्मो दशहरा, शब-ए-बारात तथा मोहर्रम मनाया।

11.7 भक्ति व सूफी आंदोलन

भारत में इस्लाम के आगमन का हिंदू धर्म पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इस्लाम के केवल एक भगवान की अवधारणा ने हिंदुओं को सोच में डाल दिया। उसी समय बलपूर्वक इस्लाम में धर्मपरिवर्तना के कारण, कुछ भक्ति कार्यकर्ताओं ने हिंदूधर्म के संरक्षण की आवश्यकता को समझा, हिंदू धर्म की रूढ़िवादी बुराईयों से सही किया तथा उसका संरक्षण करने का प्रयत्न किया। इन भक्ति कार्यकर्ताओं में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, रामानंद, कबीर, चैतन्य, मीराबाई, संत नंददेव, ज्ञानदेव, समर्थ रामदास, संत एकनाथ, तुकाराम गुरु नानक तथा अन्य प्रमुख हैं। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर एक हैं तथा विभिन्न धर्मों में ईश्वर तक पहुँचने के विभिन्न मार्ग हैं, ईश्वर तक पहुँचने का एक ही मार्ग है वह है पूजा। कोई भी व्यक्ति भक्तिभावना से पूजा के द्वारा निर्वाण प्राप्त कर सकता है, इसका जाति तथा धर्म से कोई संबंध नहीं है, और ईश्वर की नज़रों में सब समान हैं। इस्लाम में सूफी आंदोलन एक दार्शनिक आंदोलन है। 'सूफी' शब्द 'सफा' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है 'पवित्रता' 'शील'। उनकी मान्यता थी कि जाति, धर्म से परे साधारण जीवन व्यतीत करते हुए स्वयं को ईश्वर में लीन कर, पवित्र मन से ईश्वर का ध्यान कर ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। सूफी भिक्षुओं की कई शाखाएँ थीं। चिश्ती, सुहरावर्दी, खादिरी, नक्शबंदी आदि प्रसिद्ध हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन, शेख सलीम चिश्ती, बाबा फरीदुद्दीन, बहाउद्दीन ज़कारिया, अब्दुल क़ादर आदि भारत के कुछ प्रसिद्ध सूफी संत हैं। सूफियों ने हिंदू तथा मुसलमानों के बीच सामंजस्यता के लिए कार्य किया।

11.8 सांस्कृतिक विकास

दिल्ली साम्राज्य की स्थापना से भारतीय संस्कृति, साहित्य वास्तुलका पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मस्जिद, मकबरे, शाही महल, मीनारे आदि मुस्लिम ढाँचे भारत में भी दिखाई देने लगे। कुतुबद्दीन ऐबक के द्वारा निर्मित कुवैत-उल-इस्लाम मस्जिद और अलाुद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद प्रसिद्ध मस्जिदें हैं। कुतुबमीनार, अलिया दरवाज़ा, बलबन मकबरा उस समय की प्रसिद्ध इमारतें हैं।

चित्र 2: अलाई दरवाज़ा

इस समय पारसी व तुर्की भाषा में कई लेख लिखे गए। फक़रुद्दीन तथा हसन निजामी कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान थे। उन्होंने क्रमशः तारीख-ए-मुबारक शाही, ताज-उल-मासीर लिखा थी। तबाकत-इ-नासिरी पुस्तक के रचयिता। मिनहाज सिराज इलतुतमिश के काल के महत्वपूर्ण लेखक थे। अमीर खुसरो इस काल के प्रसिद्ध

कवियों में से एक थे। तारीख-इ-अलामी, तुग़लक़नामा, खाजियन-उल-फतह, आशिका उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। बंगाली लेखक जयदेव के द्वारा लिखी गई गीत गोविंदम, कल्हन के द्वारा लिखी गई राजतरंगिनी उससमय की संस्कृत में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। चंदबरदायी के द्वारा लिखी गयी पृथ्वीराज रासो, सारंगधारा के द्वारा हमीर रासो उस समय की अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं।

11.9 मुगल साम्राज्य की स्थापना – विस्तार

बाबर ने पानीटत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुलतान, इब्राहिम लोदी को पराजित कर 21 अप्रैल, 1526 C.E. के दिन भारत में मुग़ल साम्राज्य की स्थापना की। 1527 में इसने कनवा के युद्ध में मेवाड़ के राणासांगा को पराजित किया तथा 1528 में गोगरा के युद्ध में मुहम्मद लोदी को पराजित किया तथा बिहार तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। बाबर के पश्चात उसका उत्तराधिकारी हुमायूँ दिल्ली की गद्दी पर बैठा। 1539 C.E. में चौसा के युद्ध में तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध में यह अफ़गानिस्तान के शेरशाह सूरी से पराजित हुआ तथा फ़ारस भाग गया। तत्पश्चात माचिवरा के युद्ध 1555 C.E. में इसने अफ़गानों को पराजित किया और पंजाब तथा दिल्ली पर पुनः कब्ज़ा कर लिया तथा दिल्ली पर पुनः मुगल शासन की स्थापना की।

11.9.1 अकबर, जहाँगीर तथा शाहजहाँ का शासनकाल

1556 C.E. में हुमायूँ की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन अकबर मुगल सिंहासन पर बैठा। अकबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की सत्ता को मज़बूत किया। सक्षम प्रशासन व मुगल साम्राज्य की सत्ता को मज़बूत किया। सक्षम प्रशासन व सुधारों से उसने मुगल सत्ता को मज़बूत किया। 13 वर्ष की आयु में अकबर सत्ता में आया। इस समय, विक्रमादित्य के नाम से हेमचंद्र दिल्ली पर शासक कर रहा था। हेमचंद्र मध्यकालीन भारत के इतिहास में अत्यधिक कम समय के लिए दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला और अंतिम हिंदू राजा था। 1556C.E. में हेमू और अकबर की सेना के मध्य पानीपत-II युद्ध में अकबर ने जीत हासिल की। इसके पश्चात 1561 में इसने मालवा और जनपुर 1564 में गोंडवाना, 1572-73 में गुजरात तथा 1574-76 में बिहार और बंगाल पर विजय प्राप्त की।

चित्र 11.3: अकबर

अकबर ने अपनी सत्ता को मज़बूत करने के लिए एक ओर तो राजपूतों से गठबंधन किया तथा दूसरी ओर युद्ध की रणनीति बनायी। अकबर ने अपना अधिपत्य स्वीकार करने वाले राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने की नीति का अनुसरण किया तथा जो सहमत नहीं हुए उन पर आक्रमण किया राजपूतों के साथ अकबर के सबसे महत्वपूर्ण मेवाड़ तथा हल्दी घाटी के युद्ध थे। यद्यपि इन युद्दों में अकबर ने स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व किया, तथापि शिशोदियों के वंशज राणा उदय सिंह तथा राणा प्रताप सिंह को पराजित नहीं कर सका।

अकबर के शासन, सामाजिक और धार्मिक सुधारों ने उसे इतिहास के अग्रणी शासकों में से एक बना दिया। राजा टोडरमल के मार्गदर्शन में अकबर ने अपनी राजस्व नीति तैयार की तथा जागीर की प्रणाली का उन्मूलन किया। उसने दहसाला प्रणाली भी आरंभ की, भू सर्वेक्षण किया तथा दस वर्ष की औसत फ़सल के आधार पर कर वसूल किया। सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने मनसबदारी प्रथा का आरंभ किया जिसमें पद के आधार पर वेतन का भुगतान किया जाता था। हम कह सकते हैं कि अन्य मुगल शासकों की तुलना में अकबर ने कुछ हद तक धार्मिक सहिष्णुता का पालन किया। उसने मुसलमान मौलवी, हिंदू मौलवी तथा सूफी भिक्षुओं के साथ लगातार बातचीत व चर्चा की। उसने फतेहपुर सीकरी में 'इबादत खाना' नामक सभा भवन की स्थापना की तथा वहाँ सभी धर्मों के गुरुओं को आमंत्रित किया। सभी धर्मों के सिद्धांतों के आधार पर उसने धार्मिक नीति 'दीन-ए-इलाही' बनायी।

अकबर ने राज्य के हितों को ध्यान में रखकर या जनता के हितों को ध्यान में रखकर धार्मिक नीति अपनाई और क्रियन्वित की, आपके विचार बताइए?

1605 C.E. में अकबर की मृत्यु के पश्चात जहाँगीर सिंहासन पर बैठा 1610 C.E. में जहाँगीर ने अहमदनगर के कांगड़ा किले पर कब्ज़ा कर लिया। किंतु साम्राज्य के कुछ हिस्सों में विद्रोहों के कारण कुछ क्षेत्र हार गया। उसकी बुरी आदतों, प्रशासन पर ध्यान केंद्रित करने की अयोग्यता और उसकी पत्नी नूरजहाँ हस्तक्षेप अत्यधिक बढ़ गया। इससे असंतुष्ट होकर शाहजहाँ ने विद्रोह कर दिया। यद्यपि जहाँगीर ने विद्रोहों का दमन कर दिया था, उन्होंने उसके शासन को कमज़ोर बना दिया था। जहाँगीर साहित्य और कला का शौकीन था। उसने स्वयं एक आत्मकथा 'तुजाकी-ए-जहाँगीरी' लिखी थी। उसे पेंटींग का शौक था। उसने अपने राज्य में 'धर्म बेल' की स्थापना की थी तथा साधारण लोगों को स्वयं को उपलब्ध कराने व न्याय उपलब्ध करवाने के लिए कड़ी मेहनत की। किंतु हिंदू मंदिरों का विनाश, सिखों, जैनों और सूफियों के उत्पीड़न तथा अज़मेर तीर्थ के विनाश उसने शासन के दोष बने रहे।

1627 C.E. में जहाँगीर के विरुद्ध विद्रोह कर शाहजहाँ मुगल साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। अपने साम्राज्य के विस्तार के रूप में उसने दक्षिणी भारतीय राज्यों बीजापुर व गोलकोंडा पर आक्रमण किया तथा अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। शाहजहाँ का शासनकाल वास्तुकला की प्रगति के लिए प्रसिद्ध है। शाहजहाँ ने आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया। आगरा के किले में दीवान-ए-खास, मोती मस्जिद तथा जामा मस्जिद का निर्माण इसके समय में ही हुआ था। दिल्ली का लालकिला तथा उसके महल अद्भुत वास्तु कौशल के उदाहरण हैं। कोहिनूर हीरे जड़ित सुनहरे मोर का सिंहासन शाहजहाँ की कला की प्यास के उदाहरण हैं। उसके दरबार में कई महान कवि और कलाकार थे। किंतु लोगों पर अधिक कर का बोझ, बनारस में हिंदू मंदिरों का विध्वंस तथा पुर्तगाली ईसाइयों का उत्पीड़न उसके शासन की कुछ कमियाँ थी।

शाहजहाँ के पश्चात अपने सभी भाइयों की हत्या कर औरंगज़ेब सत्ता में आया तथा यद्यपि वह कम आयु से ही धार्मिक गुरुओं की संगत में बड़े होने के कारण उसमें धार्मिक सहिष्णुता की भावना नहीं थी। सुन्नी धर्म का व्यक्ति होने के कारण उसके प्रशासन में धार्मिक छआप स्पष्ट रूप

से दिखायी देती थी। उसने फारसी शैली के 'नौरोज़' उत्सव को खत्म कर दिया। उसने संगीत, शिल्प, पेंटिंग कलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि ये मुसलमान परंपराओं के विरुद्ध समझे जाते थे। उसने अपने दरबार से कलाकारों को भी निकाल दिया। अन्य धर्मों के प्रति घृणा प्रदर्शित करते हुए उसने काशी का विश्वेश्वरा मंदिर, गुजरात के सोमनाथ मंदिर तथा मथुरा के केशवलय का विध्वंस किया। उसने गौ-हत्या को प्रोत्साहित किया तथा पुनः तीर्थयात्रा व जिजिया करों का आरंभ किया। उसने सिखों के 9वें गुरु तेज़ बहादुर को दिल्ली आने और इस्लाम धर्म में मत का परिवर्तन करने के लिए मज़बूर किया। ऐसा करने से मना करने पर उसने गुरु तेज़ बहादुर पर अत्याचार कर उनका सिर काट दिया। संपूर्ण साम्राज्य में इस विरोधाभासी शासन के विरुद्ध विद्रोह आरंभ हो गए। छत्रपति शिवाजी के नेतृत्व में मराठों का विद्रोह उनमें से सबसे प्रमुख था। मराठों के साथ युद्ध के समय औरंगजेब को लगभग 20 वर्षों तक दक्षिणी भारत में रहना पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप उसने प्रशासन पर अपनी पकड़ खो दी। मराठों को वश में नहीं किया जा सका और अंत में 1707 C.E. में निराशा में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने जिस घृणापूर्ण शासन का पालन किया वह मुगल साम्राज्य के अस्तित्व के लिए एक धमकी थी। निरंतर विद्रोह व युद्धों के कारण अपार आर्थिक और सैन्य क्षति हुई। परिणामस्वरूप साम्राज्य के पतन का आरंभ हुआ।

11.9.2 शासनकाल में सामाजिक व आर्थिक स्थिति

कई राजाओं व राजवंशों में परिवर्तनों के बावजूद भी भारत में जाति प्रथा में कोई प्रमुख परिवर्तन नहीं हुआ। चाहे घरेलू शासक हो या विदेशी, उन्होंने अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए जाति प्रथा जारी रखी। जाति के आधार पर व्यवसाय तथा व्यवसाय के आधार पर जाति भुगल काल तक निरंतर चलते रहे। तथापि विदेशों से तुर्कों, अफ़गानों, अज़बेकों तथा मंगोलों के आगमन तथा स्थानीयों लोगों के धर्म परिवर्तन के कारण नए सामाजिक वर्ग बन गए। धर्मपरिवर्तित मूल निवासियों की तुलना में शासन वर्ग सेबंधित विदेशियों को उच्च दर्जा प्राप्त था। शेख, सय्यद व सूफी, पठान, फ़क़ीर मुसलमान समुदाय में शामिल थे। इसकाल में महिलाओं की स्थिति में कुछ अधिक बदलाव नहीं आया। राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक वर्चस्व का आनंद उठाने वालों के लिए स्त्रियाँ विलासित की वस्तु मानी जाती थी। कहा जा है कि अकबर के महल में 5000 स्त्रियाँ थीं। मुसलमानों में 'तलाक' और घूँघट की प्रथा स्थियों की गुलामी और पुरुषों की आवस्यकताओं को पूरा करने वाली प्रथाओं का प्रतीक बन गए थे। हिंदू समाज में 'सती' जैसे कुप्रथाएँ जारी थीं। बाल विवाह समाज में सर्वव्यापी बन गए थे। यह कहा जा सकता है कि शासन वर्ग के परिवारों को छोड़कर समाज में महिलाओं को शिक्षा से पूर्णतः अलग कर दिया गया था।

चावल और गेहुँ जैसे खाद्यान्नों के साथ-साथ हल्दी, कपास व गन्ने जासी वाणिज्यिक फसले भी उगायी गयीं। मुगल काल में उत्तर प्रदेश, बंगाल और बिहार, जैसे स्थानों में गन्ना व्यापक रूप से उगाया गया। गंगा और यमुना के जल क्षेत्रों में इंडिगो गुजरात व दक्कन में कपास का उत्पादन किया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा गुजरात तक बुनाई उद्दोग का विस्तार किया गया। राजस्थान के सांभर में नमक बनाया गया। उन पर कर का दबाव अधिक था। निरंतर अकाल पड़

रहा था।1630 C.E. में मुगल साम्राज्य में अकाल पड़ा था। समकालीन ग्रंथ दर्शाते हैं कि 1641, में कश्मीर की विनाशकारी बाढ़ के कारण लगभग 50,000 लोग लाहोर भाग गए थे तथा स्थिति से निपटने के लिए शाहजहाँ ने कई कदम उठाये थे। शेरशाह सूरी के द्वारा तैयार सिक्के, अकबर के काल में भी जारी रहे तथा बड़े पैमाने पर उपयोग में थे। मुगलों ने कीमती मोहरों और सोने की अशर्फियों बनवायीं। जजिया, गोशुमारी, सलामी, सराफी, हज़ानी तथा जरीब आदि करों से राज्य का खज़ना भर गया। किंतु इन कसों से लोगों को भारी नुकसान हुआ।

11.9.3 वास्तुकला, शिल्प, साहित्य, कलाओं का विकास

चित्र 11.4: ताजमहल, आग्रा

मुगल वंश का संस्थापक बाबर स्वयं एक कवि था। उसने तुर्की भाषा में 'तुजाकी-ए-बाबरी' शीर्षक नाम से अपनी आत्मकथा लिखी थी। हुमायूँ की चाची ने 'हुमायूँ नाम' पुस्तक लिखी थी। अकबर के समय में इतिहास से लेकरअनुवाद तक तुर्की, फ़ारसी, संस्कृत, हिंदी आदि भाषाओं में कई पुस्तकें लिखी गई। अबुल फ़ज़ल ने 'अकबर नामा', 'आइन-ए-अकबरी' लिखी। बडौनी के द्वारा मुंतखब-उत-तवारि, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा तबाकत-ए-अकबरी इस काल की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। अकबर के काल में 'राजम नामा' शीर्षक से महाभारत का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। रामायण का अनुवाद भी फ़ारसी में किया गया। इब्राहिम सरहिंदी, फ़ैज़ी, मल मल खान के द्वारा क्रमशः 'अथर्ववान वेद', लीलावती भैथमैटिक्स, एंस्ट्रोलॉजी ग्रंथों का फ़ारसी में अनुवाद किया गया। रामचरित मानस के रचयिता तुलसीदास, सूर सागर के रचयिता सूरदास, केशवदास, भगवान दास आदि अकबर के दरबार के प्रसिद्ध हिंदी कवि थे। शाहजहाँ के पुत्र दाराशुको ने भगवत गीता तथा उपनिषदों का फ़ारसी में अनुवाद किया।

मुगल का की वास्तुकला विश्व प्रसिद्ध थी। मुगलों के द्वारा आगरा, दिल्ली तथा फतेपुर सीकरी में बनवाये गए किले, शाही महल, मस्जिदें तथा दरवाजे आदि अत्यंत सुंदर ढाँचे है। अकबर के काल में हिंदू और मुसलमान वास्तुकला शैली के संयोजन से वास्तुकला की एक नई शैली बनाई

गई। आगरा में संगमरमर का ताजमहल दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद आदि अद्भुत वास्तुकला के प्रतीक हैं। बाबर से लेकर शाहजहाँ तक सभी शासकों ने बागवानी को प्रोत्साहित किया तथा कई उद्यानों का निर्माण किया। संगीत, पेंटिंग आदि ललित कलाएँ उस समय की सृजनात्मकता की प्रतीक हैं। अकबर के दरबार में तानसेन था जो हिंदुस्तामी संगीत की जान था।

11.9.4 साम्राज्य का पतन – कारण

औरंगज़ेब के समय से मुगल साम्राज्य का शनैःशनैः पतन होना आरंभ हुआ। इसके कई आंतरिक व बाह्य कारण थे। उस समय सिंहासन के लिए उत्तराधिकारियों के मध्य निरंतर संघर्ष, राजाओं की लालसा, राजदरबार के स्वार्थी सदस्यों के विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य को आर्थक तथा राजनैतिक क्षति पहुँचाई। औरंगज़ेब की तीव्र सांप्रदायिकता के कारण देश के सभी भागों में विद्रोह के प्रकोप से युद्ध का आरंभ, उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी, यूरोपीय शक्तियों के परिणाम-स्वरूप मुगल साम्राज्य के समक्ष आने वाली चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने की दूरर्शिता में कमी आदि। परिणाम स्वरूप मुगल साम्राज्य शनैःशनै पतन होने लगा।

11.10 समकालीन क्षेत्रीय साम्राज्य – काकतीय, विजयनगर के राजा, मराठा तथा बहमनी

14वीं तथा 17वीं शताब्दी में भारत कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों का मंच था। क्षेत्री साम्राज्यों के उद्भव विशेषतः काकतीय, विजयनगर, मराठा आदि ने दक्षिण भारत में इस्लामी आक्रमण से प्राचीन भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कर इस्लाम के विस्तार को रोका। तेलंगाणा व आंध्रप्रदेश में काकतीयों, कर्नाटक व रायलसीमा क्षेत्रों में विजयनगर तथा महाराष्ट्र क्षेत्र में मराठों ने दीर्घकालिक शासन उपलब्ध करवाकर साहित्य व वास्तुकला जैसी कलाओं को विशेष सेवाएँ प्रदान की। इस पुस्तक के 'तेलंगाणा का इतिहास' पाठ में आप काकतीयों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे।

11.10.1 बहमनी

बहमनी साम्राज्य दक्षिण भारत में प्रथम स्वतंत्र मुसलमान साम्राज्य था। अलाउद्दीन बहमन शाह ने दिल्ली के सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध विद्रोह कर 1347 CE में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। वर्तमान कर्नाटक में बीदर इसकी राजधानी था। अलाउद्दीन बहमन शाह के पश्चात मुहम्मद शाह-I, हुमायूँ शाह, अहमद शाह-III तथा मुहम्मद शाह -III क्रमशः सिंहासन पर बैठे। उनके काल में मुहम्मद गवान ने प्रधानमंत्री के रूप में महत्वपूर्ण भूमिक निभायी। किंतु विजयनगर साम्राज्य के साथ निरंतर युद्धों के कारण बहमनी साम्राज्य क्षीण हो गया तथा 1518 C.E. में पाँच स्वतंत्र साम्राज्यों में बंट गया। अहमदनगर में निज़ामशाही, बीदर में बारीद शाही, गोलकोंडा में कुतुब शाही, बिरार में इमाड शाही तथा बीजापुर में आदिल शाही। बहमनी काल में हिंदू मुसलमानों की संस्कृति के समिश्रण ने दक्षिण भारत में नई संस्कृति को जन्म दिया। इस समय

फारसी में कई ग्रंथ प्रकाशि हुए। इंडो-इस्लामिंक वास्तुकला के संमिश्रण से कई शाही महल, मस्ज़िदें, किले तथा मदरसे बनाये गये। बीजापुर में मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा-गोल गुंबज प्रसिद्ध संरचना है।

11.10.2 मराठा - साम्राज्य - शिवाजी - प्रशासन - अन्य सुधार

चित्र *11.5: Chatrapati Shivaji*

छत्रपति शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनका जन्म 19 फरवरी, 1627 शिवनेरू किले में हुआ था। इनके पिताजी शाह जी भोंसले तथा माता जिजाबाई थी। इनका लालन-पालन इनकी माता जिजाबाई ने किया था। बचपन से ही शिवाजी अद्भुत बहादुरी के व्यक्ति थे। समर्थ रामदास तथा संत तुकाराम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर शिवाजी ने केवल महाराष्ट्र राज्य का निर्माण ही नहीं किया बल्कि महाराष्ट्र देश का भी निर्माण किया। इसीलिए शिवाजी 'मराठा के जनक के रुप में जाने जाते हैं। धर्म की सुरक्षा के लिए अथक प्रयास करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के विभिन्न समूहों में एकता की भावना को अंत र्निविष्ट किया। इनके नेतृत्व में मराठों ने औरंगजेब की धार्मिक घृणा से भारतीय संस्कृति का संरक्षण ही नहीं किया बल्कि अपनी सत्ता का विस्तार दिल्ली तक करने का मार्ग प्रशस्त किया। मराठा विभिन्न जातियों का मिश्रण है जिनका मुख्य व्यवसाय खेती है। वे एक ओर तो किसान थे और दूसरी ओर आवश्यकता पड़ने पर सैनिकों के रुप में सेवा प्रदान करते थे। उसने तानाजी मार सूरे, गोमाजी नायक, पाना संभल आदि वफादारों को अपनी सेना के नेता के रूप में नियुक्त किया। 1646 C.E., में इसने बीजापुर राज्य में तोरण किले पर विजय के द्वारा अपनी प्रथम विजय दर्ज की। तत्पश्चात उसने चाकन, कोंडाना, पुरंदर, बारामती आदि पर विजय प्राप्त की। उसने 1652 C.E. में सिंहगढ़ के दुर्ग पर विजय प्राप्त की। 1656 में इसने जवाली क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1657 में कोंकण क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित किया। तत्पश्चात इन्होंने कल्याण व भिवंडी क्षेत्रों पर अधिपत्य कर लिया तथा उन्हें नौसेना के अड्डों में बदल दिया। बीजापुर के क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। अफ़ज़ल खान ने शिवाजी को धोखा देने की योजना बनायी। किंतु वह दूरदर्शी शिवाजी के हाथों मारा गया।

मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने दक्कन के गवर्नक शाहिस्ता खान को भी मुगल क्षेत्रों की ओर शिवाजी के विस्तार को विफल बनाने के लिए भेजा। किंतु शाहिस्ता खान घायल हो गया और भाग खड़ा हुआ। मुगल सेना का पीछा करते हुए शिवाजी ने 1664में मुगलों की राजधानी सूरत पर आक्रमण किया तथा विशाल खजाने पर नियंत्रण पा लिया। इसे अपना गंभीर अपमान मानकर औरंगजेब ने 1665 C.E., में राजा जयसिंह की अध्यक्षता में बड़ी सेना बेजी। जयसिंह ने पुरंदर के किले पर आक्रमण किया तथा मराठा गाँवों को लूट लिया।

दूरदर्शी शिवाजी ने समय पर जयसिंह के साथ 'पुरंदर संधि' की। संधि की शर्तों के अनुसार1666 C.E. में शिवाजी मुगल दरबार गए। किंतु औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। किंतु कुछ ही हफ्तों में मुगलों की कैद से बच निकले और अपने राज्य लौट आए। उन्होंने पुरंदर, सिंहगढ़, रोहिंडा और लोहगढ़ के खोए हुए क्षेत्रों को मुगलों से पुनः प्राप्त किया। उन्होंने अपनी स्थिति को दृढ़ किया तथा 1674 C.E. में 'छत्रपति' की उपाधि दी गई।

शिवाजी न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक अनुशासप्रिय शासक भी थे। जबकि औरंगजेब ने धार्मिक घृणा दर्शायी तथा शत्रु राज्यों में मंदिरों को विध्वंस किया शिवाजी ने धार्मिक सहिष्णुता दर्शायी और अन्य धर्मों का भा आदर किया। इसके कई सैनिक मुलसमान थे। कल्याण की विजय के समय शिवाजी के व्यक्तित्व की महानता को देखा जा सकता है। जब मराठा सेना ने बीजापुर सुल्तान की बहू को पकड़ा और उपहार के रूप में शिवाजी के पास भेजा, उन्होंने उसकी तुलना अपनी माता से की तथा आभूषणों का उपहार देकर बीजापुर साम्राज्य को वापस भेज दिया। आपूर्व वीरता के साथ मुसलमान आक्रमणों से दक्षिण भारत और हिंदू संस्कृति की रक्षा में शिवाजी की भूमिका अतुलनीय थी। उनकी मृत्यु के पश्चात शांभाजी साहू और पिश्वा के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य का दिल्ली तक विस्तार हुआ।

11.10.3 प्रशासन

भौगोलिक दृष्टि से मराठा क्षेत्र चट्टानी और पहाड़ी है। ऐसे क्षेत्र की शिवाजी ने एक ओर भुगल आक्रमणों और दूसरी ओर बीजापुर से रक्षा कर स्थापित और स्थिर किया। उनका लक्ष्य 'स्वराज्य' की स्थापना करना ता। 'अष्ट प्रधान' नामक मंत्रियों के समूह की सहायता से शासन जारी रहा जिसमें अमात्य, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव तथा अन्य शामिल थे। संपूर्ण साम्राज्य 'प्रदेशों' (प्रांतों) में विभाजित था। उन्हें जिलों में विभाजित किया गया। सूबेदार जिले का प्रधान होता था। 'चौथ' तथा 'सरदेश मुख' शिवाजी साम्राज्य के राजस्व के प्रमुख स्त्रोत थे। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए उन्होंने एक शक्तिशाली सेना का गठन किया पुर्तगालियों की सहायता से एक सुदृढ़ नौसेना की स्थापना करना उनकी दूरदर्शिता का उदाहरण हैं। शिवाजी के द्वारा स्थापित शासन क्ने उनकी जनता में नया अध्याय लिखते हुए मराठों की सत्ता को दिल्ली तक विस्तार करने में सहायता की।

11.11 सारांश (मुख्य बिंदु)

- हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात उत्तरी भारत पर राजपूतों ने, दक्षिणी भारत पर राष्ट्रकूटों और चोलों ने तथा पूर्वी भारत पर पालों ने शासन किया।
- 712 CE मुहम्मद बिन कासीम के नेतृत्व ने अरबों ने भारत पर आक्रमण किया किंतु असफल रहै।
- तत्पश्चात मुहम्मद ग़ज़नी, मुहम्मद गौरी के भारत पर कई बार आक्रमण किया। भारत में मुहम्मद गौरी के प्रतिनिधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में मुसलमान शासन की स्थापना की।
- गुलाम, खिलजी, तुग़लक, सय्यद, लोदी वंशों के शासकों ने भारत पर लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। इस काल में भारत में कई सामाजिक, धार्मिक परिवर्तन हुए।
- 1526 CE में भारत में मुगलों के शासन का आरंभ हुआ तथा ब्रिटिश शासन की स्थापना तक चला। यह कई राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का काल था। वास्तुकला, ललित कलाओं, साहित्य आदि में उल्लेखनीय प्रगति हुई।
- शिवाजी के नेतृत्व में दक्षिण भारत में मराठा साम्राज्य का उदय हुआ जिसने मुगलों के विस्तार को रोका तथा भारतीय संस्कृति की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

11.12 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. राजपूत कौन थे? जिन्होंने पहली बार उत्तरी भारत पर स्वतंत्र शासन की स्थापना की थी?
2. इस्लाम और हिंदू धर्म का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. अकबर के काल में राजा टोडरमल के द्वारा आरंभ किए गए भू-सुधारों के बारे में लिखिए।
2. मुगल साम्राज्य के पतन के कारण बताइए।
3. शिवाजी के प्रशासन के बारे में लिखिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. शिवाजी ने मुगलों से मध्य व दक्षिण भारत की रक्षा कैसे की? व्याख्या कीजिए।
2. दिल्ली सुलतानों के प्रशासन के बारे में लिखिए।
3. जहाँगीर के शासन की क्या विशेषता थी?

IV. **बहुविकल्पीय प्रश्न**

1. दिल्ली सुल्तान जिसने खलीफा के आदेशों का पालन नहीं किया ( )

   A) मुहम्मद बिन तुग़लक़ B) अलाउद्दीन खिलजी

   C) कुतुबुद्दीन ऐबक D) बल्बन

2. अकबर के द्वारा आरंभ किया गया धर्म है- ( )

   A) दीन-ए-इलाही B) इबादत खाना

   C) दीवान - ए - खास D) तलाक़

3. अष्टप्रधान इनका मंत्रीमंडल था- ( )

   A) शिवाजी B) अकबर

   C) शाहजहाँ D) राणा प्रताप

4. बल्बन के द्वारा उसके दरबार में आरंभ की गई प्रथा 'पैबोस' का अर्थ है ( )

   A) पैर की सलामी B) पैर चूमना

   C) साष्टांग प्रणाम D) गले लगाना

11.13 संदर्भ पुस्तकें

1. भारतीय इतिहास और संस्कृति -Vol.II – बी.एस.एल. हनुमंत राव
2. मराठा शक्ति का उदय - एम. जी. रानाडे
3. भारतदेश चरित्र (1526 से 1964 CE) - तेलुगु अकादमी
4. समग्र भारत देश चरित्र – मध्य युग – के. कृष्ण रेड्डी

12 आधुनिक भारत

12.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- भारतीय में प्लासी के युद्ध का महत्व बताते हैं।
- 1857 की क्रांति के कारण और परिणाम बताते हैं।
- नरमदल और उग्रवादियों के उद्देश्यों व पद्धतियों में अंतर बताते हैं।
- उन्हें महात्मा गांधी के कौनसे गुण पसंद हैं उनकी व्याख्या करते हैं।
- भारत के मानचित्र में विभिन्न क्षेत्रों व नगरों को दर्शाते हैं।

12.1 परिचय

भारत में ब्यापार के लिए ये यूरोपिय बाद में साम्राज्य की स्थापना में सक्षम बन गए। फलतः ब्रिटिशों ने भारतीय शासन संभाला। इसका कारण भारतीय राजाओं में एकता में कमी थी। यद्यपि 1857 की क्रांति असफल हुई, इसके ब्रिटिशों को ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों के विरोध और आक्रमकता को सूचित किया। शताब्दियों तक चलने वाले राष्ट्रीय आंदोलन में कई नेताओं ने भाग लिया। महात्मा गांधी ने लोगों में नई चेतना जागृत की तथा राष्ट्रीय आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। इस पाठ में आप यूरोपीयनों के भारत में आने से लेकर ब्रिटिशों से उनकी स्वतंत्रता तक की महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन करेंगे।

12.2 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना

प्राचीन काल से भारत और पश्चिम में व्यापार कुस्तुंतुनिया के थल मार्ग से होता था। 1453 में इसीलिए नगर पर तुर्की की विजय के कारण थल मार्ग बंद हो गया। यूरोपीयनों को समुद्री मार्ग खोजना पड़ा। भारत का समुद्री मार्ग खोजने के पश्चात पुर्तगाली भारत आए। तत्पश्चात, डच, अंग्रेज, फांसीसी व्यापार के लिए भारत आए।

12.2.1 भारत में यूरोपीयनों का आगमन

पुर्तगाली

1498 में एक पुर्तगाली नाविक 'वास्को ड गामा' ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की तथा पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट पहुँचा। कालीकट के शासक जैमरिन ने वास्को ड गामा को आमंत्रित किया तथा पुर्तगालों को व्यापार के लिए लाइसेंस दिया गया। बाद में उन्होंने गोवा, दमन और दीव पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। तत्पश्चात इन स्थानों पर डच व अंग्रेज़ों ने आधित्य स्थापित किया।

डच

हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड गठित की तथा 1605 में भारत आए। लंबे समय तक इन्होंने पुलिकट तथा बाद में अपने व्यापार केंद्र के रूप में नागपट्टनम से व्यापार किया। डचों ने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र गंवा दिए। वे इंग्लैंड से मुकाबला करने में असक्षम रहे।

इंग्लैंड

‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ जो 1600 में बनायी गयी थी, इंग्लैंड की महारानी की अनुमति से व्यापार के लिए भारत आई थी। उन्होंने मुगल शासक जहाँगीर से व्यापार की अनुमति प्राप्त की। सूरत उनका मुक्य व्यापारिक केंद्र था। तत्पश्चात फ्रांसीसियों को हरा कर उन्होंने भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की।

ईस्ट इंडिया कंपनी

फ्रांसीसी

ये भारत में आने वाले अंतिम यूरोपीयन थे। इन्होंने अपना सबसे पहला कारखाना 1668 में सूरत में स्थापित किया था। अंत में वे कर्नाटक युद्ध हार गए तथा भारत छोड़ कर चले गए।

12.2.2 ब्रिटीश साम्राज्य की स्थापना

अंग्रेज़ों ने डचों को कोरोमंडल तट से तथा पुर्तगालियों को मलाबार तट से निष्कासित किया। उन्होंने कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों को पराजित किया। अंततः उन्होंने प्लासी और बक्सर का युद्ध जीतकर भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की।

12.2.3 कर्नाटक युद्ध

स्थानीक परिस्थितियों के प्रभाव तथा यूरोपीयनों के राजनैतिक स्पर्धाओं के कारण अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच तीन कर्नाटक युद्ध हुए। अंत में अंग्रेज़ों की जीत हुई तथा फ्रांसीसी भारत छोड़ कर चले गए।

प्रथम कर्नाटक युद्ध (1746-1748)

फ्रांसीसी गवर्नर डूपले अपनी राजनीतिक कूटनीतियों के द्वारा अंग्रेज़ों से मद्रास हासिल करने में सफल हो गया। किंतु बाद में एक संधि के अंतर्गत मद्रास अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया।

द्वितीय कर्नाटक युद्ध(1749-1744)

राजाशाही राज्यों में राजनैतिक अनिश्चितता के कारण हैदराबाद और कर्नाटक के युद्धों में फ्राँस को मुँह की खानी पड़ी। फ्रांसीसियों ने ब्रिटिशों का विरोध किया तथा कर्नाटक की गद्दी पर चंदासाहेन को, तथा फ्रांसीसियों ने हैदराबाद की गद्दी पाने के लिए सलाबत जंगी की सहायता की तथा उत्तरी सरकार प्राप्त कर लिया।

तीसरा कर्नाटक युद्ध (1758-1763): फ्रांसीसियों ने काउंट दे लाली को भारत में ब्रिटिशों को पराजित करने के लिए भारत भेजा। किंतु उसके अविवेकपूर्ण निर्णयों के कारण हैदराबाद व उत्तरी सरकार पर फ्रांसीसियों ने अपना आधिपत्य खो दिया। अंततः वे ब्रिटिशों द्वारा पराजित किए गए तथा अपने प्रदेश खो दिए व भारत छोड़कर चले गए।

12.2.4 प्लासी का युद्ध (25 जून, 1757)

राबर्ट क्लाइव

अंग्रजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए किलों का निर्माण करवाना आरंभ किया। बंगाल के नवाब सिराज-उद-दौला ने निर्माण कार्य रोकने का आदेश दिया। अंग्रेजों ने नवाब के आदेश का उल्लंघन किया किंतु फ्रांसीसियों ने अपना निर्माण कार्य रोक दिया। तब सिराज-उद-दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तथा अंग्रेजों को बंगाल के बाहर खदेड़ दिया। यह समाचार सुनते ही मद्रास के गवर्नर ने रॉबर्ट क्लाइव के सेना को बंगाल भेजा। बंगाल पहुँचने के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने सिराज-उद-दौला के सेनानायक मीर जाफर के साथ षडयंत्र रचा और 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराज-उद-दौला को पराजित किया। मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया गया। परिणाम स्वरूप नवाब ने क्लाइव को कलकत्ता के समीप 94 परगने, तथा विशेष अनुदान दिए। इस प्रकार प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डाली।

12.2.5 बक्सर का युद्ध(1764)

बंगाल में अनुकूल व्यापार नियम बनाने में असफल होने के कारण ब्रिटिशों ने बंगाल के नवाब मीर कासिक को हटाकर बंगाल के पूर्व नवाब मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। पदच्चुत मीर कासिम ने अयोध्या के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ संधि कर ली तथा ब्रिटिशों के साथ बक्सर का युद्ध लड़ा।

मानचित्र12.1: 1857 में ईस्ट इंडिया कंपनी का साम्राज्य

अंग्रेजों ने इस संचुरत सेना को पराजित कर दिया। युद्ध के पश्चात बंगाल बिहार तथा उड़ीसा में प्रशासन का भार नवाब को सौंप दिया गया तथा भू-राजस्व वसूल करने का अधिकार ब्रिटिशों के पास था। इस प्रकार 'दोहरी सरकार' का गठन हुआ। प्लासी के युद्ध ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी। बक्सर के युद्ध के भारत में ब्रिटिश सत्ता को संगठित किया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. यूरोपियनों का भारत के प्रति आकर्षित होने के संभावित कारण क्या थे?
2. कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियाँ की पराजय का कारण उनकी गुटबाजियाँ थीं?
3. क्या प्लासी और बक्सर के युद्धों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापनी को अग्रसर किया?

12.3 1857 की क्रांति

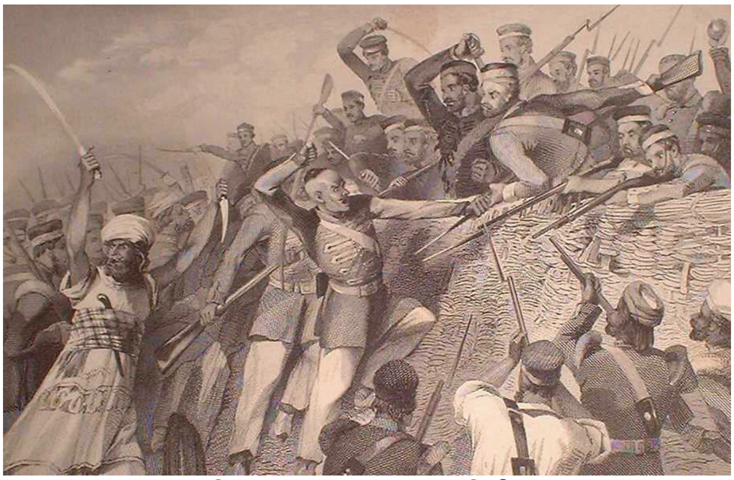

चित्र. 12.1: 1857 का विद्रोह

आधुनिक भारत के इतिहास से 1857 की क्रांति एक महत्वपूर्ण घटना थी। भारतीयों के आंतरिक झगड़ों तथा एकता में कमी के कारण ब्रिटिशों ने 1740 से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, जो व्यापार के लिए भारत आए थे। आरंभ में भारतीय ब्रिटिशों का विरोध किया। किंतु चूँकि वे स्थानीय संघर्ष थे इसीलिए ब्रिटिशों ने अपने सैन्य बल के द्वारा उनका दमन किया। अंग्रेज़ों के विरुद्ध 1857 में आरंभ होने वाले विद्रोह में सभी प्रकार के लोग सम्मिलित थे। नानासाहब, तात्य टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया। यद्यपि विद्रोह असफल रहा, इससे अप्रत्यक्ष रुप से भारस स्वतंत्रता आंदोलन का आरंभ हुआ।

झांसी रानी लक्ष्मी बाई

नानासाहब

तात्या टोपे

12.3.1 राजद्रोह के कारण

कई वर्षों से चले आ रहे असंतोष के परिणामस्वरूप 1857 का विद्रोह हुआ। इसके कारणों को राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक धार्मिक तथा सैन्य में विभाजित किया जा सकता है।

राजनैतिक कारण:

डलहौज़ी का व्यपगत का सिद्धांत (Doctrine lapse) हिंदू राजाओं को गोद लेने की मनाही थी तथा कई साम्राज्यों का विलय हो गया राजाओं की उपाधि छीन ली गई। मुगल शासक की उपाधि छीनना तथा अयोध्या पर डलहौजी की विजय जैसे क्रियाकलापों के कारण कई वर्गों के लोगों में असंतोष उत्पन्न हो गया। संबंधित राजाओं ने विद्रोह के समर्थक बन गए।

आर्थिक कारण:

राजशाही राज्यों (प्रिंसली राज्यों) के राज्य हड़प कर ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेने से सैनिक, कर्मचारी तथा व्यवसायियों ने अपनी नौकरियाँ गँवा दी। हमारे देश का कच्चा माल इंग्लैंड भेजने तथा वहाँ का तैयार माल यहाँ बेचने के द्वारा हमारे देश का उपयोग बाज़ार के रूप में किये जाने से भारतीय उद्योगों को गहरा आघात पहुँचा। इसीकारण साधारण लोगों ने भी विद्रोह में बाग लिया।

सामाजिक कारण:

अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए कार्यो जैसेः- सती प्रथा का उन्मूलन, बाल-विवाह पर प्रतिबंध तथा विधवा विवाह को वैध घोषित करने से आदि को लोगों ने कट्टर हिंदूवाद के विरुद्ध समझा। उन्होंने यह भी समझा कि रेलवे उनके धर्म की बदनामी है।

धार्मिक कारण:

हिंदू और मुसलमानों ने अपने धर्म की रक्षा में ब्रिटिशों को रोका। क्योंकि ईसाई मिशनरी अपने धर्म का प्रचार रही थी, हिंदू-मुसलीम रीति-रिवाज़ों का मजाक उड़ा रही थी, अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया गया था, धर्म परिवर्तन के बावजूद भी पैतृक संपत्ति का अधिकार दिया गया था तथा सरकार हिंदू मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी।

सैन्य कारण:

कंपनी की सेना में हिंदू और अंग्रेज़ी सैनिकों की ड्यूटी, वेतन तथा सम्मान में बहुत अंतर था। भारतीय सैनिकों का वेतन कम था। खाने और रहने की व्यवस्था पर्याप्त नहीं थी। उन्हें तुच्छ समझा जाता था। यह अफ़वाह फ़ैल गयी थी की नई एनफील्ड राथफलों के कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। गाय हिंदुओं के लिए पूजनीय थी। मुसलमान सुअर से नफ़रत करते थे। इसीलिए सैनिकों ने कारतूसों को मुँह से निकाल कर बंदूकों से चलाने से इंकार कर दिया।

12.3.2 विद्रोह की असफलता के कारण

विद्रोह केवल उत्तरी व मध्य भारत तक ही सीमित था। केवल कुछ राजाशाही राजाओं ने ही विद्रोह में भाग लिया तथा कुछ प्रिंसली राजाओं ने विद्रोह को दबाने में ब्रिटिशों की सहायता की। भारतीयों के पास ब्रिटिशों का सामना करने के लिए सैन्य संसाधनों, आधुनिक युद्ध उपकरण, अनुभव तथा प्रभावशाली नेतृत्व की कमी थी। इसी कारण ब्रिटिश विद्रोह का दमन करने में सफल हो गए।

12.3.3 विद्रोह के परिणाम

1857 के विद्रोह के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी थंग हो गई तथा भारतीय शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में आ गया। भारतीय सरकार के लिए 15 सदस्यों की एक भारतीय परिषद् बनायी गयी। 1858 के एक्ट के अंतर्गत, ब्रिटिश शासित राज्यों का गवर्नर प्रिंसली राज्यों का वायसराय कहा जाने लगा। ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गयी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया तथा क्षेत्र विस्तार को रोक दिया गया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति तथा गांधीजी के द्वारा छोड़े गये संघर्षों में मध्य अंतर बताइए?
2. इस तथ्य के बावजूद भी कि भारतीयों ने आरंभ से ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ाई की थी हम यह कैसे कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति भारतीयों का पहला स्वतंत्रता युद्ध था?
3. क्या 1857 की क्रांति के परिणामों से भारतीयों को लाभ पहुँचा? व्याख्या कीजिए।

12.4 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हमारे देश में ब्रि–टश शासन के विरुद्ध एक आंदोलन था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन लोगों का महान आंदोलन था जो देस के सभी भागों में हुआ था तथा इसमें सभी धर्मों और समुदायों के लोगों ने भाग लिया था। कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई जैसे बड़े शहरों में अंग्रेजी शिक्षा के विस्तार के साथ 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीयों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ।

तालिका-12.1: राजनीतिक संघ - संस्थापक

क्र.सं.	संघ	वर्ष	संस्थापक
1	प्रथम भारतीय राजनीतिक संघ	1866	दादाभाई नौरोजी
2	पूना सार्वजनिक सभा	1870	जस्टिस गोविंद रानडे
3	भारतीय संघ	1876	सुरेंद्रनाथ बनर्जी
4	मद्रास महाजन सभा	1884	एम.वी. राघव चारी, जी सुब्रह्मण्य अय्यर
5	बांबे प्रेसीडेंसी संघ	1885	फ़ेरोज़ शाह मेहता, के.टी. तेलंग
6	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	1885	ए.ओ. ह्यूम

देश का प्रशासनिक व राजीतिक एकीकरण ब्रिटिशों द्‌वारा आर्थिक शोषण, उनके द्‌वारा आरंभ किए गए सामाजिक - धार्मिक सुधार, आधुनिक परिवहन संचार विकास तथा भारतीय समाचार पत्र का विकास आदि सभी ने भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में योगदान दिया।

परिणामस्वरूप कई क्षेत्रीय राजनीतिक संघों का गठन हुआ। 1866, में दादाभाई नौरोजी ने प्रथम भारतीय राजनीतिक संघ का गठन किया। 1870 में जस्टिस गोविंद रानाडे व अन्य ने पूना सार्वजनिक सभा का आयोजन किया। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने भारतीय संघ का गठन किया। इन क्षेत्रीय संघों से भासीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्‌भव हुआ।

12.4 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्‌भव (1885)

चित्र 12.2: 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम सभा में उपस्थित प्रतिनिधि

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन का नया दौर आरंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अकी स्थापना दिसंबर 1885 में ए.ओ. ह्यूम की सहायता से हुई थी। जो सेवानिवृत्त अंग्रेज़ी कर्मचारी थे, जिनके विचार में शिक्षित भारतीयों में बढ़ते मतभेदों के विरुद्ध यह आवेग-शामक (safety volve) का काम करेगा। यह संगठन धीरे-धीरे एक बड़े संगठन में विकसित हो गया तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केंद्र बन गया। इसकी प्रथम सभा 1985 में 28 से 30 दिसंबर तक बंबई में हुई। सभा की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी.बनर्जी ने की तथा इसमें पूरे देश से 72 प्रतिनिधियाँ ने भाग लिया। कांग्रेस के द्‌वारा छोड़े गए स्वतंत्रा आंदोलन को तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है। 1) उदारवादी चरण, 2) उग्रवादी चरण और 3) गांधीवादी चरण।

12.4.2 उदारवादी चरण (1885-1905)

गोपाल कृष्ण गोखले

सुरेंद्रनाथ बेनर्जी

दादाभाई नौरोजी

1985 से 1905 तक किया गया स्वतंत्रता संग्राम उदारवादी चरण कहलाता है। इस काल के नेताओं में ब्रिटिश सरकार के प्रति सहानुभूति थी। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से लोगों के कानूनी अधिकारों की माँग की किंतु स्वशासन की माँग नहीं की। उन्होंने बैठके आयोजित करना, प्रस्ताव बनाना, शिकायत भेजना तथा विरोध करना जैसे उदार नीतियों का अनुसरण किया। इसीलिए इस चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है।

12.4.3 उग्रवादी चरण (1905-1919)

उदारवादियों ने अंग्रेज़ों से जिसकी आशा रखी थी वह लाभ पाने में असमर्थ थे। इसीलिए कांग्रेस के एक वर्ग ने यह सोचा कि केवल संग्रमा के द्‌वारा ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। इसी कारण वे लोग उग्रवादी राष्ट्रवादी कहलाते थे। उग्रवादियों का मुख्य लक्ष्य स्वशासन या स्वतंत्रता प्राप्त करना था। उदारवादी नेताओं में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल (वे लाल, बाल, पाल कहलाते थे।) तथा अरविंद घोष थे। तिलक ने यह नारा दिया था – 'स्वराज्य मेरा जन्मसिद्‌ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा।

लाला लाजपत राय

बाल गंगाधर तिलक

बिपिन चंद्र पाल

बंगाल में राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए कर्ज़न ने बंगाल को दो भागों में बाँट दिया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमानों की एकता को विघ्न डालने का प्रयत्न किया। किंतु उग्रवादियों ने वंदेमातरम आंदोलन के द्‌वारा लोगों की संयुक्त किया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापनी क्यों की गयी?
2. वे उदारवादी, उग्रवादी चरण क्यों कहलाते थे?

12.4.4 गांधीवादी चरण

गांधिजी

महात्मा गांधी का जन्म अक्तूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उन्होंने इंग्लैंड में बैरिस्टर की डिग्री पूरी की तथा कानूनी कैरियर बनाने के लिए दक्षिणी आफ्रीका गए। वहाँ उन्होंने भारतीयों के प्रति जातिवाद के विरुद्ध संघर्ष किया तथा भारतीयों के अधिकार प्राप्त करने में सफल हुए। अपने संघर्ष में उन्होंने सत्य और अहिंसा पर आधारित सत्याग्रह को अपना शस्त्र बनाया। 1915 में अपने राजनीतिक गुरु, गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर परिस्थितियों को समझने के लिए भारत आए।

आरंभिक आंदोलन

1917 में गांधीजी ने बिहार के चंपारन में आंदोलन का आयोजन किया तथा नील खेती करने वाले किसानों की परेशानियों को दूर किया। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद में सूत कारखाने के कर्मचारियों के साथ मिलकर सत्याग्रह किया तथा देखा कि उनके वेतन में वृद्धि हुई है। तत्पश्चात उन्होंने कैरा, गुजरात में किसान आंदोलन का आयोजन किया तथा कर वसूली को स्थगित करवाया और भू-जब्तीकरण को रुकवाया। इन आंदोलनों के कारण शीघ्र ही गांधीजी एक लोकप्रिय व्यक्ति तथा राजनैतिक क्रियाकलापों के केंद्रबिंदु बन गये। इसके पश्चात् उन्होंने अपना ध्यान राष्ट्रीय राजनीति पर डाला। 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कानून रौलेट एक्ट, भारतीयों के लिए अभिशाप बन गया था। क्योंकि यदि पुलिस को संदेह हो तो, उसे पुलिस को यह अधिकार प्राप्त था कि वह बिना किसी जाँच पड़ताल के किसी को भी गिरफतार कर सकती है। गांधी जी ने रौलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्राह का आयोजन किया।

उन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए अपना पूर्ण समर्थन दिया जो भारत में ब्रिटिश के द्वारा तुर्की सुल्तान को खलीफा के पद से हटाने के विरुद्ध आरंभ हुआ था तथा हिंदू मुस्लिम एकता की वकालत की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधीजी के नेतृत्व में तीन मुख्य आंदोलनों का आयोजन किया। वे हैं असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन।

असहयोग आंदोलन

गांधीजी को विश्वास था कि देश तभी स्वतंत्र हो सकता है जब भारतीय सभी क्षेत्रों में अहिंसापूर्वक ब्रिटिश सरकार की सहायता करने से इनकार कर दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सितंबर 1920 में एक विशेष सबा में गांधीजी के द्वारा प्रतिपादित असहयोग आंदोलन के प्रस्तावनों को अंगीकृत किया।

गांधीजी की पुकार पर हज़ारों छात्र सरकारी पाठशालाओं को छोड़कर राष्ट्रीय कॉलेजों में भर्ती हुए। कई वकील कानूनी व्यवसाय छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए। विदेशी वस्तुएँ और वस्त्र जला दिए गए। देश भर में खादी वस्त्र तैयार किए गए। गांधीजी की प्रकार पर बंगाल और आंध्र के किसानों ने सरकार को कर देना समाप्त कर दिया, किंतु 12, फरवरी को उत्तर प्रदेश में

चौरी चौरा के गाँ के किसानों ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर दिया तथा 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया। इसके साथ गांधीजी ने असहयोग आंदोलन रोक दिया।

नागरिक अवज्ञा आंदोलन

1930 जनवरी में, गांधीजी ने 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं से युक्त एक याचिका ब्रिटिश वायसराय के समज्ञ प्रस्तुत की। इसमें गांधीजी ने नमक पर जैक्स के उन्मूलन की माँग की, जो साधारण लोगों के जीवन के लिए अनिवार्य है। किंतु, सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया के अभाव में, उन्होंने नागरिक अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया।

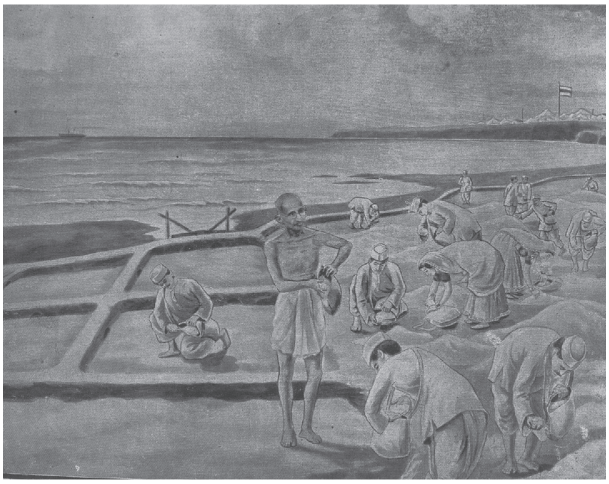

चित्र 12.3: नमक सत्याग्रह

12 मार्च, 1930 के दिन गांधीजी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ साबरमती आश्रम से पदयात्रा आरंभ कि 6 अप्रैल को दण्डी गाँव पहुँचने के लिए 200मील की दूरी तय की, वहाँ उन्होंने सरकारी कानून की अवहेलना की तथा समुद्री जल से नमक बनाया। इसके साथ ही देश के कई भागों में लोगों ने नमक बनाया। यह 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' या 'दाण्डी सत्याग्रह' या 'नमक सत्याग्रह' के नाम से जाना जाता है।

भारत छोड़ो आंदोलन

1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध में ब्रिटिश भारतीयों का पूर्ण सहयोग चाहते थे। किंतु कांग्रेस ने युद्ध में सहयोग के बदले में स्वराज्य की माँग की। इस संदर्भ में ब्रिटिशों के द्वारा भेजा गया क्रिप्स मिशन भी असफल रहा। इसी कारण 8 अगस्त 1942 के दिन गांधीजी के नेतृत्व में देश की स्वतंत्रता की माँग पर गांधीजी ने 'करो या मरों का नारा दिया।

अगली सुबह गांधीजी, नेहरू तथा पटेल जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के बावज़ूद लोगों ने स्वेच्छा से इस आंदोलन में भाग लिया। देश भर में लोगों ने हड़ताल, धरने, सभाओं प्रदर्शनों के रूप में विरोध किया। सराकार कार्यालयों व संपत्तियों को जला दिया गया।

तालिका-12.2: भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ

वष	महत्वपूर्ण घटना
1851	1857 की क्रांति
1885	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आविर्भाव
1190	स्वदेशी / वंदेमातरम आंदोलन
1916	होम रूल आंदोलन
1918	चंपारन सत्याग्रह
1918	कैरा सत्याग्रह
1918	अहमदाबाद सत्याग्रह
1919	रौलट विरोधी सत्याग्रह
1919	जालियांवाला बाग हत्याकांड
1919	खिलाफत आंदोलन
1920	असहयोग आंदोलन
1930	सविनय अवज्ञा आंदोलन
1942	भारत छोड़ो आंदोलन
1947	स्वतंत्रता की प्राप्ति

अगली सुबह गांधीजी, नेहरू तथा पटेल जैसे नेताओं की गिरफ्तारी के बावजूद लोगों ने स्वेच्छा से इस आंदोलन में भाग लिया। देश भर में लोगों ने हड़ताल, धरने, सभाओं प्रदर्शनों के रूप में विरोध किया। सरकारी कार्यालायों व संपत्तियाँ को जला दिया गया।

सुभाष चंद्र बोस

सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानी, कांतिकारी तथा राष्ट्रवादी थे। इस विचार के साथ कि ब्रिटिशों के कठिन समय द्वितीय विश्व युद्ध के समय में उनसे युद्ध करने का अच्छा अवसर है। इसीलिए वे ब्रिटिशों के शत्रुओं जर्मनी तथा जापान से सहायता प्राप्त करना चाहते थे।

चित्र 12.4: आज़ाद हिंद फ़ौज़ के सैनिकों के साथ सुभाष चंद्र बोस

युद्ध के भारतीय कैदियों के साथ राश बिहारी बोस व मोहन सिंह के द्वारा बनायी गयी भारतीय राष्ट्रीय सैना का इन्होंने नेतृत्व किया। सेना आज़ाद हिंद फ़ौज़ के नाम से जानी जाती थी। इसमें लगभग 60,000 से भी अधिक सैनिक थे। 21 अक्तूबर 1943 में सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार बनायी गयी। इस सेना ने 1944 में कोहिमा पर कब्ज़ा कर लिया, विश्व युद्ध II में जर्मनी - जापान संधि के साथ ही ब्रिटेन ने आज़ाद हिंद फ़ौज़ को पराजित किया। जापान ने घोषणा कर दी की 1945 में प्लेन क्रेश में बोस की मृत्यु हो गई। किंतु कई लोगों का विश्वास है कि वे आज भी जीवित हैं।

दो सदियों लंबे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के परिणामस्वरूप 15 अगस्त 1947 के दिन भारत ने आखिरकार स्वतंत्रता प्राप्त कर ली।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी ने कौनसे आंदोलन किये?
2. भारत छोड़ो आंदोलन को 'जन आंदोलन' क्यों कहा जाता है?

12.6 सारांश (मुख्य बिंदु)

- 1498 में वास्को-ड-गामा के द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने के साथ, यूरोपीय व्यापार के लिए हमारे देश आए।
- कर्नाटक युद्ध, प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध आदि में विजय के पश्चात ब्रिटिश ने भारतीय शासन प्राप्त किया।
- 1857 में निर्मित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गयी।
- उचित सैन्य उपकरण, शस्त्रों तथा नेतृत्व के अभाव में 1857 की क्रांति असफल हुई।
- 1885 में निर्मित, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय आंदोलन का केंद्र बिंदु बन गयी।
- उदारवादी नेताओं ने प्रार्थना, अपील, विरोध की नीति अपनायी उग्रवादियों के विचार में ब्रिटिशों के साथ संघर्ष के द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त किया जा सकता है।
- गांधीजी की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा भारत छोड़ो आंदोलन आयोजित किए गए।
- 15 अगस्त, 1947 के दिन भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की।

12.7 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में सहयोग देने वाले दो कारक लिखिए?
2. 'दोहरी सरकार' परिभाषित कीजिए।

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. उदारवादियों व उग्रवादियों के लक्ष्यों और नीतियों में अंतर की व्याख्या कीजिए।
2. आपको महात्मा गांधी के कौनसे गुण अच्छे लगे? व्याख्या कीजिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. वास्को-डी-गामा द्वारा भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज महत्वपूर्ण क्यों थी? व्याख्या कीजिए।
2. यह कैसे कहा जा सकता है कि ब्रिटिशों द्वारा अपनायी गयी नीतियाँ 1857 की क्रांति का कारण थीं?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भारत आने वाले अंतिम यूरोपीयन थे- ( )

   A) अंग्रेज़ B) फ्रांसीसी C) डच D) पुर्तगाली

2. वह युद्ध जिसमें भारत का शासक, मुगल शासक पराजित हुए- ( )

   A) प्लासी का युद्ध B) बक्सर का युद्ध C) कर्नाटक युद्ध D) पानीपत का युद्ध

12.8. संदर्भ पुस्तकें

1) इंटरमीडियट - द्वितीय वर्ष इतिहास

2) बिपिन चंद्र - मॉडर्न इंडिया

13 तेलागाणा का इतिहास

13.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- तेलंगाणा की स्थिति व भौगोलिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं।
- शातवाहनों के प्रशासन का विश्लेषण करते हैं।
- विष्णुकुंडिनों के समय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के बारे में बताते हैं।
- चालुक्यों के प्रशासन की समीक्षा करते हैं।
- काकतीयों की 'नयनकार प्रणाली' का वर्णन करते हैं।
- गोलकोंडा के सुल्तानों के शासन का विश्लेषण करते हैं।
- सालारजंग के सुधारों की समीक्षा करते हैं।

13.1 परिचय

भारत के इतिहास में तेलंगाणा क्षेत्र की एक विशेष पहचान है। 'तेलंगाणा' शब्द 'त्रिलिंग' से लिया गया है। जिसका अर्थ होता है शिव के तीन लिंग। ये तीन लिंग भौगोलिक रूप से श्रीशैलम (कर्नूल जिला) द्रक्षारामम (पूर्व गोदावरी जिला), कालेश्वरम (करीमनगर जिला) में स्थित हैं। तेलंगाणा भारत में तेलुगु भाषी राज्य है। तेलंगाणा दक्क्न पठार का भाग है, जो पौराणिक कथाओं, महाकाव्यों व प्राचीन शास्त्र दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता तथा 'दक्कन' के रूप में भी जाना जाता था। राजनैतिक व भौगोलिक रूप से इसका विशेष महत्व है।

13.2. अश्कम महाजनपद

इतिहासकारों के अनुसार,प्रत्येक जनपद का अपना विशेष लक्षण, रीति-रिवाज़, त्यौहार, भाषा, जीवन-विधान होता है जो प्राचीन काल की स्थानीय विशेषताओं के कारण पूर्णतः भिन्न होता है। इन जनपदों की सीमाएँ समय-समय पर बदलती रहती थी क्योंकि साम्राज्यों के गठन के पश्चात ये जनपद एक राज्य बन जाते थे।

बौद्धिक शास्त्र 'अंगुत्तर निकाय' के अनुसार, अश्मक जनपद गोदावरी का दक्षिणी क्षेत्र है जो षोडशा महाजनपद में से एक हैं। अश्मक कुछ शास्त्रों में (अस्सक) (पाली भाषा) नाम से भी जाना जाता है। इनकी राजधानी पोतन थी जिसे कुछ शास्त्रों में पोतलि भी कहा गया है। इसे पौधान्यपूरम, बहूधान्यपूरम के नाम से भी पुकारा जाता है।

13.3 शातवाहन

मौर्यों के बाद पतन के पश्चात दक्षिणी भारत पर लगभग 450 वर्षों तक शातवाहनों ने शासन किया। उनका साम्राज्य उत्तर में मगध तक फैला हुआ था। शातवाहनों के आगमन के साथ ही तेलंगाणा के इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ। शातवाहन एक वंश था जिसने दक्कन में विस्तृत साम्राज्य की स्थापना करके लंबे समय तक शासन किया था। उनके शासनकाल में सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास हुआ। मौर्य काल में शातवाहन उनके अधीनस्थ थे तथा उनके बाद दक्कन में शातवाहन साम्राज्य की स्थापना की।

मानचित्र 13.1: शातवाहन का साम्राज्य

शातवाहनों का इतिहास जानने के कई स्त्रोत हैं। विशेषकर 'मत्स्यपुराण', 'वायु पुराण' कालिदास की हाला की 'गाथाशब्तशती' आदि पुराणों में हमें शातवाहन राजाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है।

13.4 विष्णुकुंडिण

शातवाहनों के पश्चात दक्कन के विस्तृत साम्राज्य पर राज करने का श्रेय विष्णुकुंडीणों को जाता है। विष्णुकुंडीनों में सर्वप्रथम इंद्रवर्मन I का उल्लेख किया जाता है। जिसने 4वीं शताब्दी में स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया था। इंद्रवर्मन के पश्चात उसका बेटा माधव वर्मन I शासक बना। तुम्मलगुड़म में मिले ताँबे के अभिलेखों के आधार पर विष्णुकुंडीणों की राजधानी 'इंद्रपुर' थी। वर्तमान में यह नलगोंडा जिले के रामन्नापेट तालुका में स्थित है तथा इंद्रपालगुट्टा के नाम से जानी जाती है।

13.4.1 गोविंद वर्मा

राजा गोविंद वर्मा विष्णुकुंडीणों में महत्वपूर्ण राजा था, जो अपने 'प्रथम एपुर अभिलेखों' के लिए प्रसिद्ध हैं। तुम्मलगुड़म अभिलेखों से पता चलता है कि उसके अधीन कई राज्य थे और वह एक प्रसिद्ध शासक था जो सभी जातियों को समान मानता था।

13.4.2 माधव वर्मा II

गोविंद वर्मा का पुत्र माधव वर्मा, महानयोद्धा तथा विजेता था। अपनी युद्धों की जीत के उपलक्ष्य में इसने 'अश्वमेघ' यज्ञ करवाया था। अपने शासनकाल में माधववर्मा ने राजनैतिक व सैन्य मामलों में सक्रिय भाग लिया तथा विष्णु वंश को प्रमुख व प्रतिनिष्ठत बनाया। इसने वाकाटक की राजकुमारी से विवाह किया तथा अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वाकाटक का सहयोग प्राप्त किया।

13.4.3 प्रशासन

साम्राज्य के राजा निरंकुश थे। प्रशासन में उनके निर्णय अंतिम माने जाते थे। किंतु राजाओं के निर्णय जनता की राय तथा जनकल्याण पर निर्भर रहते थे। दरबार में मंत्रीमंडल को भी उचित स्थान प्राप्त था। विधिवेत्ताओं से चर्चा के बाद, उसने अपने पुत्र को मृत्यु दंड दिया था। इससे सिद्ध होता है कि विष्णुकुंडीण बुद्धिमानी से निर्णय लेते थे किंतु पक्षपात नहीं करते थे।

विष्णुकुंडीणों ने देश को राज्यों, राज्यों को विषयों तथा विषयों को गाँवों में विभाजित किया। शासक 'विषय' का विषयाधिपति' होता था। राजा के पुत्र को भी साम्राज्य के एक भाग का राजकुमार नियुक्त किया जाता था। अधीनस्थ राजा भी थे जो 'अनन्य सामंत' व 'सकल सामंत' के नाम से जाने जाते थे। साथ ही अधीनस्थ देशों के राज्यों के साथ उनके वैवाहिक संबंध भी होते थे। उन्होंने सुरक्षा तथा राज्य के विस्तार में भी सहयोग दिया।

13.4.4 आर्थिक व सामाजिक परिस्थितियाँ

विष्णुकुंडीणों के गाँव में पर्याप्त अर्थव्यवस्था थी। अर्थात्, विभिन्न व्यवसाय करने वाले जीवनयापन के लिए एक-दूसरे पर निर्भर रहते थे। राजाओं ने कृषि विाकस के लिए कई कदम उठाए। ब्राह्मणों को 'अग्रहार' दान दिये गये। किसानों ने नई भूमि पर भी कृषि की। उनके अभिलेख दर्शाते हैं कि विष्णुकुंडिणों ने कृषि के लिए कुएँ व ताबाब खुदवाए। उस समय भूमि का मापन 'निवारथना' के रूप में किया जाता था।

विष्णुकुंडीणों के समय में घरेलू व विदेशी व्यापार भी बहुत फला-फूला। एलेशवरम, फणीगिरि, भुवनगिरी, सुल्तानाबाद, बोज्जन्नाकोंडा, एलामंचिली, नासिक, खानपुर, नागपुर, ब्रह्मगिरि आदि में उनके सिक्के पाए गए। वडपल्ली, बेजवाड़ा, अमरावती, मोतुपल्ली, घंटशाला, कोदुरु, आलमपुर आदि घरेलू व विदेशी व्यापार के केंद्र व बंदरगाह के रूप में समृद्ध हुए।

अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि उन्होंने 'हिरण्यकश्यप यज्ञ' करवाया था। अर्थात शुद्रों ने कई यज्ञ करवाये व उन्नति की। वैश्य घरेलू व विदेशी व्यापार में संलग्न थे। शुद्रों में सुनारों, शिल्पकारों, बुनाईकारों का सम्मानपूर्ण स्थान था। किसानों को देश की 'रीढ़ की हड्डी' समझा जाता था। विष्णुकुंडिणों ने उन्हें 'मान्य' के साथ-साथ अग्रहार भी दान दिया। सामुहिक विवाह के समय पलंग, कुर्सी, वाहन, मद्यपान भोजन, भवन तथा गहनें आदि का दान भी किया जाता था। यह देखा गया है कि उस समय के लोगों में अपने माता-पिता व बुजुर्गों के प्रति भय व आदर का भाव था।

13.4.5 धर्म

वैदिक धर्म:

विष्णुकुंडीण वैदिक धर्म को मानते थे। श्री पर्वतस्वामी उनके देवता थे। उनका कहना था कि उन्होंने 'श्री पर्वतस्वामी पड़नुध्यानम' के कारण ही राज्य प्राप्त किया है। उनके सिक्कों पर भी 'श्री पर्वत' शब्द उत्कीर्ण था। आम्रबाद मंडल में श्री पर्वत पहाड़ियों के तला में उमामहेश्वर मंदिर स्थित था। यह श्रीशैलम का उत्तरी द्वार के रूप में भी जाना जाता है। विष्णुकुंडीणों के समय से श्री शैल मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाने जाते है।

बौद्ध धर्म:

विष्णुकुंडिणों के शासन काल में आरंभिक दिनों में बुद्ध धर्म का विस्तार हुआ। यद्यपि आरंभिक विष्णुकुंडीण हिंदु थे किंतु उन्होंने बुद्ध संस्थाओं को भी संभाल कर रखा। साम्राज्य के चारों और बौद्ध भिक्षुओं के लिए 'अरमा' और 'विहार' बनवायें गये। जो पहले से स्थापित थे उनकी व्यापक रूप से मरम्मत की गई। विष्णुकुंडिण बुद्ध धर्म को संभालने वाले अंतिम तेलुगु शासक थे।

जैन धर्म:

1115 के सामान्य युग (CE) में जैन कवि 'नयसेना' के द्वारा कन्नड़ भाषआ में 'धर्मामृतक' पुस्तक लिखि गई। जो यह व्याख्या करती है कि आस-पास के क्षेत्रों के श्रीपर्वत ने अपना नाम कैसे पाया। अमरावती मंडल के वटवेर्लापल्ली के समीप मल्लेला तीर्थ स्थित है। वर्तमान 'मुन्ननूर' वह स्थान है जहाँ जैन संत तपस्या करते थे क्योंकि वे 'मुनुलु' कहलाते थे।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. विष्णुकुंडीणीं के काल की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की समीक्षा कीजिए।
2. विष्णुकुंडिणों के समय के धार्मिक पहलुओं का वर्णन कीजिए।

13.5 चालुक्य काल

विष्णुकुंडिणों के पश्चात तेलंगाणा क्षेत्र में बदामी के चालुक्यों ने 200 वर्षों तक शासन किया। यद्यपि कर्नाटक क्षेत्र की बादामी (वातापी) उनकी राजधानी थी, उन्होंने अधीनस्थ राजाओं, अध्यक्षों व विषयपीठों को नियुक्त करके तेलंगाणा के कुछ भागों पर शासन किया।

13.5.1 बादामी चालुक्य

6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के मध्य दक्कन क्षेत्र पर बादामी के चालुक्यों ने शासन किया। विष्णुकुंडिणों व कदंबों की बलहीनता के कारण 534 C.E. में पुलकेशन I ने चालुक्य साम्राज्य की स्थापना की। बादामी (वातापी) उनकी राजधानी थी। ये बातें ऐल्वरम के लेखों में पायी गयी हैं।

पुलकेशन के पुत्र किर्तिवर्मा ने 557 से 597 (C.E.) तक शासन किया। उसने कोंकण में कदंबों व शेष मौर्यों को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। उसके हैदराबाद के अभिलेखों से पता चलता है कि उसके पश्चात 609 में उसका पुत्र पुलकेशन II पश्चिमी चालुक्यों में महान शासक थे। उसके शासन काल 609 से 642 में उसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य का ही विस्तार नहीं किया बल्कि उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य का ही विस्तर नहीं किया बल्कि उत्तरी भारत के राजा हर्षवर्धन को भी पराजित किया। तटीय राजाओं के साथ-साथ उसने कांचीपुम के शासक पल्लवों को भी पराजित किया तथा विभिन्न राज्यों के शासकों के रूप में जनरलों की भी नियुक्ति की जो उसे आक्रमण करने में सहायता करते थे। इस प्रकार कर्नाटक के कई राजा आंध्र क्षेत्र के राजाओं के रूप में बस गए।इसके भाग के रूप में 624 C.E., में उसके छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को वेंगी का राजा नियुक्त किया गया और वह वेंगी साम्राज्य का संस्थापक बना।

13.5.3 वेमुलवाड़ा के चालुक्य

वेमुलवाड़ा के चालुक्यों के वेमुलवाड़ा को अपनी राजधानी बनाकर स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की। वेमुलवाड़ा वर्तमान में राजन्ना सिसिल्ला जिले में है। निज़ामाबाद में बोधन उनकी प्रथम राजधानी था। उनके द्‌वारा शासित क्षेत्र का वर्णन समकालीन स्त्रोतों में 'सब्बी' क्षेत्र के रूप में किया जाता है।

वेमुलवाड़ा या लेमुलवाड़ा (वर्तमान में राजन्ना सिरसिल्ला जिला) के चालुक्य राष्ट्रकूटों के प्रति निष्ठावान थे तथा उनमें अंतर्गत लगभग दो सौ वर्षों तक अर्ध-स्वतंत्र राजाओं के रूप में शासन किया।

उनका पारिवारिक इतिहास इस प्रकार है:- यद्‌यपि उनका राज 641 C.E., में पुलकेशन II से आरंभ हुआ किंतु तेलंगाणा क्षेत्र पर उनके शासन का प्रभाव राष्ट्रकूट वंश के समय स्पष्ट दिखायी दिया। हमें उनके इतिहास का पता शिलालेखों तथा ताँबे के अभिलेखों के साथ-साथ 'विक्रमार्जुन विजयम', पंपा कवि के 'आदि पुराणम', सोमदेवसुरी के द्‌वारा 'यशस्तीलका' तथा मल्लिया रेचना के द्‌वारा 'कविजनस्त्रयम' जैसे समकालीन अभिलेकों से चलता है।

किंतु वर्तमान राजन्ना सिरसिल्ला जिले के वेमुलवाड़ा के राजधानी बनने के पश्चात ही उनका राजनैतिक व सांस्कृतिक प्रभाव गौरवान्वित हुआ। इसीलिए इतिहासकार उनको उल्लेख वेमुलवाड़ा के चालुक्य के रुप में करते हैं। उन्होंने पोदनानाडु (बोधन क्षेत्र), सपदलक्षदेशम या सब्बीनाडु (भुपालपल्ली जिले के कालेश्वरम तक), चेन्नुर (मंचीरियाल जिला क्षेत्र), रामडुगू विषय (नलगोंडा जिले के देवरकोंडा क्षेत्र से नागरकर्नूल तक) चार क्षेत्रों पर शासन किया। किंतु रामडुगु क्षेत्र बहुत कम अवधि तक उनके नियंत्रण में था।

13.5.4 मुदिगोंडा चालुक्या

मुदिगोंड चालुक्य, चालुक्य वंश की एक महत्वपूर्ण शाखा थी। उन्होंने 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 13विं शताब्दी के पहले दशक तक वरंगल जिले के पूर्वी भाग से संपूर्ण खम्मम जिले पर शासन किया। उन्होंने वेंगी के उत्तर पश्चिमी भाग के रक्षक के रूप में 350 वर्षों तक शासन किया।

मोगिलचर्ला (वरंगल जिला) में मुडिगोंडा चालुक्यों के ताँबे के अभिलेख तथा कुरवी (महबूबनगर जिला) के शिलालेख उनके इतिहास के मुख्य स्त्रोत हैं। शिलालेखों व अभिलेखों में दर्शाये गए अनुसार मुडिगोंडा (खम्मम जिला) से लगभग 10कि.मी. की दूरी पर थी। उनके द्वारा शासित सीमा सेंटर वरंगल जिले में है।

13.5.5 चालुक्यों का प्रशासन

ऊपर उल्लेखित वंशों के शासनकाल में तेलंगाणा क्षेत्र में एक जैसा प्रशासन नहीं चला बल्कि समायानुर उसमें परिवर्तन हुए। इक्षवाकु तथा विष्णुकुंडिणी का शासन शातवाहोनों के समान था। साम्राज्य का प्रथान राजा था। उसका निर्णय अंतिम निर्णय था। वह वैदि पुराणों में दर्साये गये अनुसार धर्मशास्त्रों के आधार पर शासन करता था। प्रशासनिक रूप से 'राज्य' सबसे उच्चतम विभाग था। इसका शासन 'महा सेनापति' के द्वारा चलाया जाता था। इन राज्यों के दो भागों में बाँटा गया था। 'देश' तथा 'विषय'। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'गाँव' थी। गाँव का प्रथान 'महातलवार' कहलाता था। न्यायाधीश 'महा दंडनायक' कहलाता था तथा कर एकत्र करने वाले 'कोषाध्यक्ष' कहलाता था।

चालुक्यों के समय से तेलंगाणा क्षेत्र की प्रशासन प्रणाली सभी कन्नड़ राज्य की प्रशासन प्रणाली से मिलती जुलती थी। तेलंगाणा राज्य की प्रशासन प्रणाली से मिलती जुलती थी। तेलंगाणा क्षेत्र के 50-70 गाँवों को 'राज्यों', 'विषयों' व 'भुक्तियों' में विभाजित किया गया था जो क्रमशः 'राष्ट्रपति', 'विषयपति' तथा भोगपति के द्वारा शासित थे।

13.5.6 अर्थव्यवस्था

चालुक्यों के काल में लोगों मुख्यतः कृषि पर निर्भर थे। इस विकास के साथ भूमि का महत्व बढ़ गया। सरकारी कर्मचारियों, ब्राह्मणों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भूमि व अग्रहार प्राप्त किए तथा भू-स्वामी बन गए। किसान इस भूमि पर कृषि करते थे। जनसंख्या में वृद्धि के कारण कृषि विस्तार हुआ, जिससे पृथ्वी पर दबाव पड़ा। जल की उपलब्धता, उर्वरकता तथा फसल के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। उस समय वहाँ पर नारियल, पान, सुपारी, आम, गन्ना, कपास आदि व्यापारिक फसलें थी। मारूतलू या मत्तर, निवर्तन, खंडुग, राजमान आदि के नामों से भूमि का मापन किया जाता था।

कृषि के लिए सिंचाई इतनी महत्वपूर्ण थी कि जल संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए शासकों ने टैंक, तालाब तथा कुएँ खुदवाये तथा नदियों से नहरें निकलवायीं। ये कृत्रिम जलाशय केरे समुद्र 'तालाब या झील' के नाम से पुकारे जाते थे। तालाबों की खुदाई को सात गुणों में से एक माना जाता था।

उस समय फसल का 1/6 भाग कर लगाया जाता था। इनके अतिरिक्त पानी कर, व्यवसाय कर, निर्यात व आयात कर, मार्केट कर, पशु कर, आवास तथा विवाह कर भी लगाए गए थे।

यद्‌यापि गाँव में बार्टन प्रणाली थी, किंतु मौद्रिक परिसंचरण भी उपयोग में था। गढ़वाणा, मदा तथा ड्रम्मा नाम से सोने, चाँदी व ताँबे के सिक्कों का उपयोग किया जाता था। सोल, मनिका, अद्‌दे, कुंचे, शेरु, मनुगु, पुत्ती आदि नामों से अनाज का मापण किया जाता था।

13.5.7 समाज

चालुक्यों के काल में वैदिक धर्म ने प्रमुखता प्राप्त की। व्यावसायिक प्रणाली स्थिर थी। पेशे में कौशल के गुण को बढ़ाया जाता था। 'चतुर्वण प्रणाली' में ब्राह्मण सर्वप्रथम थे। वे समाज में शीर्ष स्थान पर थे। दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, किंतु चालुक्यों के काल में कई युद्‌ध हुए और कई शुद्र सैन्य उद्‌देश्यों के लिए सेना में भर्ती हो गए तथा वे प्रसिद्‌ध हो गए। अभिलेखों में क्षत्रियों की अवधारणा, क्षत्रिय धर्म के संरक्षक के रूप में की गई है जो 'चंद्र वंशी' तथा 'सूर्य वंशी' वंशों के होने का दावा करते थे। ये वे लोग थे जो व्यावसायिक लेन-देन संभालते थे। वे शेट्‌टी, श्रेष्टी तथा कोमटी के नाम से भी जाने जाते थे। चतुर्वण प्रणाली में चौथा स्थान शुद्र था जिन्होंने कृषि, सैन्य व्यवसायके साथ-साथ समाज की विभिन्न हस्तकलाओं को अपनाया था। शासक उन्हें भूमि अनुदान के रुप में देते थे तथा उसके विकास में भी सहयोग देते थे।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. चालुक्यों के इतिहास की समीक्षा कीजिए।
2. चालुक्यों की अर्थव्यवस्था का वर्णन कीजिए।

13.6 काकतीय काल

शातवाहनों के पश्चात, काकतीयों ने सभी तेलुगु लोगों की एकीकृत किया। उन्होंने लगभग 250 वर्षों तक लोकप्रियता से शासन किया। प्रथम राजधानी हनमकोंडा तक लोकप्रियता से शासन किया। प्रथम राजधानी हनमकोंडा तत्पाश्चात ओरुगल्लू (अब वरंगल) थी। वे राष्ट्रकूट वंश के थे। वे स्वयं का वर्णन, दुर्जन्य वंश से संबंधित शूद्र के रूप में करते थे। प्रथम काकतीयों ने प्रमुख व सेनापतियों के रूप में राष्ट्रकूटों तथा बाद में कल्याणी के चालुक्यों की सेवा की।

चित्र 13.1: वरंगल में हज़ार स्तंभ का मंदिर

13.6.1 प्रमाण

हमारे पास काकतीयों के इतिहास पर शिलालेख व अभिलेख हैं:- (मंगल्लु शिलालेख (956) हजार स्तंभों का मंदिर शिलालेख (1063), पालमपेट शिलालेख (1213) भोतुपल्ली अभय शिलालेख (1244) सबसे महत्वपूर्ण साहित्यिक स्त्रोत हैं - पंडिताराध्या चरित, पलकुरीकी सोमनाथ की बसव पुराण, विद्यानाथ के द्वारा प्रतापरुद्र यशोभूषनम, जयपा के द्वारा नृत्य रत्नावली, विनुकोंडा वल्लभाराय के द्वारा कृदाभिरामा, काकती रुद्रदेव के द्वारा नीतिसरम, बरोनी के द्वारा तारीख-ए-फिरोज़ शाही, मार्को के द्वारा तारीख-ए-फरीशता मार्कोपोलो के द्वारा मार्को की यात्रा।

13.6.2 भवन

हनमकोंडा में हज़ार स्तंभ का मंदिर, पालमपेट में रामप्पा मंदिर ओरुगल्लू का किला, पिल्लामर्री, नागुलपाडु, धानपुरम आदि के द्वारा बनाये गये मंदिर। ये उस समय के इतिहास व वास्तुकला को दर्शाता हैं।

13.6.3 राजनैतिक कारण

काकतीय पहले राष्ट्रकूटों के अधीन थे तथा बाद में स्वतंत्र हो गए। बय्याराम चेरुवु शिलालेख के अनुसार इस वंश के प्रधानों का क्रम इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। दुर्जन्य वंश के वेन्नाकाकतीय वंश के वास्तविक संस्थापक थे। उसका पुत्र गुंडन्ना, पौत्र गुंडन्ना II तथा पढ़ पौत्र सेनापतियों के प्रधान थे। तत्पश्चात प्रथम बेटा राजा प्रथम प्रोलराजा क्रमशः रूप से राष्ट्रकूटों के सेनापति थे। तत्पश्चात प्रथम बेटा राजा, प्रथम प्रोलराजा, बेटाराजा III, दुर्गाराजा तथा प्रोलराजा ने पश्चिमी चालुक्यों के अधीनस्थों के रूप में कार्य किया।

रुद्रदेव (1158 - 1195)

पोलराजु II, की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र रुद्रदेव गद्दी पर बैठा। वह महान योद्धा था, हनमकोंडा के हजार स्तंभ शिलालेख(1163) रुद्रदेव के स्वतंत्र शासन के आरंभ होने का संकेत देते हैं। यह प्रथम काकतीय राजा था जिसने चालुक्यों के मातहत के स्थिति को हटाया तथा स्वतंत्र रूप से शासन किया। उसे 'दयागजकेसरी' उसने सिक्कों पर इस उपाधि के नाम को भी अंकित करवाया था।

गणपतिदेव (1199 - 1262)

सभी काकतीय राजाओं में गणपतिदेव महान योद्धा व शासक था। उनके समय में काकतीय साम्राज्य फला-फूला। शासक के रूप में अपनी स्थिति मज़बूत बनाने के पश्चात उसने अपना ध्यान साम्राज्य विस्तार के लिए तटीय प्रदेशों पर लगाया। उसने पिन्नेछोड़ा का साम्राज्य, कोलनुवंश का साम्राज्य, वेलांदु का क्षेत्र, दक्षिण कलिंग, पश्चिमी तेलंगाणा तथा उत्तरी तेलंगाणा पर विजय प्राप्त कर अपने साम्राज्य में मिला लिया। उसने चोलों, सेवानाओं तथा कर्नाटक के शत्रुओं के गठबंधन को

भी पराजित किया। तिक्कन्ना सोमयाजि की मध्यस्थता से नेल्लूर साम्राज्य में मनुमसिद्धि की भी सहायता की। गणपति देव को केवल दो पुत्रियाँ रुद्रांबा, तथा गणपंबा थीं, पुत्र नहीं था। उनकी बड़ी पुत्री का विवाह चालुक्य वीरभद्र के साथ तथा दूसरी पुत्री का विवाह कोटा वंश के बेथनाकी से हुआ। बाद में इसने अपनी हनमकोंडा के स्थान पर ओरुगल्लू को अपनी राजधानी बनाया।

रुद्रम्मादेवी (1262 - 1289)

रुद्रम्मादेवी

तेलंगाणा के इतिहास में रुद्रम्मादेवी प्रथम महिला शासिका थी। अपने काल में इसने अपूर्व साहस का प्रदर्शन किया। वह हमेशा पुरुष की वेशभूषा में घूमती रहती थी। उसने घुड़दौड़, तलवारबाज़ी, धर्नुविद्या, सैन्य प्रशिक्षण, राजनीति में महारत हासिल की थी। रुद्रम्मादेवी के शासन के आरंभिक समय में, यादव राजा महादेव ने यह पता चलने पर कि एक महिला काकतीय साम्राज्य की शासिका बनी है, काकतीय साम्राज्य पर आक्रमण किया। किंतु अत्यधिक साहस के साथ रुद्रम्मादेवी ने यादव सेना को पराजित किया। उसने बेड़ा (बीदर) को भी अपने नियंत्रण में कर लिया तथा बड़ी मात्रा में क्षतिपूर्ति वसूल की। प्रभावपूर्ण तरीके से चोल व पांड्य आक्रमणों का दमन किया। उसके चचेरे भाइयों हरीहर व मुरारी ने विद्रोह किया किंतु उसने उनका दमन कर दिया। रुद्रमा को उसके शासन में गोण गुणा रेड्डी, रेचर्ला प्रसादादित्य, कायस्थ जन्निगादेव, इंदूलूरी अन्नय्या तथा विरियाला सूरी जैसे राजभक्तों ने सहायता की। उसे 'रायगजकेसरी' की उपाधि दी गई क्योंकि वह अपने पिता के समान ही थी।

प्रतापरुद्र II

रुद्रमादेवी को भी कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उसने अपनी बड़ी बेटी मुम्मड्म्मा के पुत्र प्रतापरुद्र को राजकुमार घोषित किया। वह काकतीय वंश का अंतिम शासक था। राजा बनने के पश्चात प्रतापरुद्र ने कई सफल आक्रमण किए। कायस्थ अंबादेव को पराजित किया। मनुमसिद्दी के पौत्र राजगोंड गोपाल के समर्थन में नेल्लूर पर आक्रमण किया। पांड्यों के वंशानुगत संघर्षों को भी सुलझाया।

दिल्ली सुल्तानों के द्वारा ओरुगल्लू पर आक्रमण एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। पहला आक्रमण 1303 में हुआ, तथा वे उप्परपल्ली में काकतीय सेना से पराजित हुए। किंतु 1309 में जब मल्लिक काफ़ूर (पहले सोलंकी वंश से संबंधित सबुरभाई थे, किंतु युद्ध में बंदी बना कर उसका धर्म परिवर्तन इस्लाम में करवाया गया और तत्पश्चात सेनापति बनाया गया।) ने ओरुगल्लू पर आक्रमण किया तब प्रतापरुद्र का सामना अल्लाउद्दीन खिलजी की सेना से हुआ। उसने बड़ी मात्रा में धन, असंख्य हाथी व घोड़े प्रदान किये तथा प्रतिवर्ष सम्मान मूल्य चुकाने के लिए मान गया। अमीर खुसरो का दावा है कि मल्लिक काफूर ने ओरुगल्लू से चुराई संपत्ति को हजारों ऊँटों पर दिल्ली पहुँचाया। किंतु इसके पश्चात भी दिल्ली सुल्तानों के द्वारा निरंतर आक्रमणों के कारण उसे अत्यधिक हानि उठानी पड़ी। अंत में नर्मदा नदी में कूद कर प्रतापरुद्र ने अपनी जान न्यौछावर कर दी।

13.6.4 प्रशासन – नयंकार प्रणाली

काकतीयों के काल में पारंपारिक व राजाशाही प्रणाली प्रचलित थी। राजा निरंकुश शासक था तथा राजा को शासन में मंत्रीमंडल सहायता करता था। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्री आदि सम्मिलित है। कुल 72 मंत्रालय थे। इन सभी मंत्रालयों की देखरेख के लिए 'बृहत्तहार नियोधीपति' नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी। योग्यता के आधार पर सभी जातियों के लोगों को कोई भी पद ग्रहण करने की अनुमति थी।

साम्राज्य को नाडु, नाडु को स्थाल तथा स्थाल का गाँवों में विभाजित किया गया था। कम्मनाडु, पाकनाडू, रेनाडू, सब्बीनाडू आदि उस समय के महत्वपूर्ण नाडू थे। एक स्थाल में 10 - 60 गाँव थे। गाँव अंतिम इकाई था। गाँव के प्रशासन के लिए रेड्डी, तलारी, करानम तथा पुरोहित आदि 12 अयागर थे।

नयंकार प्रणाली : काकतीयों की सैन्य नीतियों में नयंकार प्रणाली महत्वपूर्ण है। यह जगीरदारी प्रथा के समान थी। इसकी मुख्य विशेषता राजा की आज्ञा का पालन थी। राजाओं ने कुछ गाँव नयंकारों को दे दिए थे। गाँवों से प्राप्त आय से वे सेना के बड़े भाग के खान-पान की पूर्ति करते थे तथा युद्ध के समय राजा की सहायता करते थे। उन्हें नियमित रूप से राजा को सम्मान राशि का भुगतान करना होता था। इस काल में 72 नयंकार थे। प्रत्येक नयंकार एक किले की रक्षा के लिए उत्तरदायी था। बाद में यह नीति विजयनगर के राजाओं के द्वारा अमरनायक प्रणाली के रूप में आरंभ की गई।

13.6.5 सामाजिक – आर्थिक परिस्थितियाँ

यद्यपि काकतीय शुद्र थे, उन्होंने राजतंत्र का अनुसरण किया तथा जनता की सहायता से शांतिपूर्वक राज किया। अपनाये गये व्यवसायों के आधार पर कई उपजातियाँ बन गई थीं। 'समयास' के नाम पर कई जाति समाज बन गए थे। प्रत्येक जाति समुदाय अपने समुदाय में से एक प्रधान का चुनाव करता था। यह वह व्यक्ति था जो जाति के संरक्षण के लिए प्रयास करता था। वे अपनी जातियों को कुछ कर का भुगतान भी करते थे। वे अपने झगड़ों का निपटारा जाति में ही करते थे। किंतु एक समय उनमें गंभीर संघर्ष उत्पन्न हुआ। जिसके कारण इनमें से कुछ ने मुसलमानों के आक्रमण के समय पूर्ण सहयोग नहीं दिया। यह काकतीय साम्राज्य के विनाश का कारण बना।

यह काकतीय साम्राज्य दक्कन पठार में स्थित था। जहाँ पर जल संसाधन और मिट्टी की उर्वरकता में कमी थी, तथा आरंभ में राजकोष में भी कमी थी। किंतु गणपतिदेव की सैन्य विजयों, कृषिकार्य तथा व्यापार शुल्क के कारण खजाना भर गया।

13.6.6 व्यवसाय तथा व्यापार

काकतीय काल में कृष के साथ-साथ कई उद्योग विकसित हुए। पलकुरी सोमनाथ ने अपनी 'पंडिताराध्या चरिता' में 20 से भी अधिक वस्त्रों का उल्लेख किया है। रत्न कंबल व मखमल के वस्त्र

वरंगल में बनाये जाते थे। धातु के घंटे, ताँबे के लैंप, पंच लोहे से बनी वस्तुएँ मंदिरों में अधिकतर उपयोग की जाती थी। निर्मल में बनाए गए चाकुओं की विदेश में भी अच्छी माँग है। मार्को पोलो का कथन था कि गोलकोंडा क्षेत्र में हीरे की खनों का वर्णन किया है। ओरुगल्लू, पनगल्लू, जडचर्ला, अलमपुर, मकतल, मंथेना आदि कुछ प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र हैं। जबकी मोटुपल्ली विदेशी व्यापार का प्रमुख केंद्र था, कृष्णापट्टनम, हंसलादेवी तता मछलीपट्टनम विदेशी व्यापार के अन्य केंद्र थे।

इस काल में व्यावसायिक कोर्यो तथा व्यापारिक कार्यों ने व्यावसाय में मुक्य भूमिका निभायी। व्यापार दो प्रकार के थे घरेलू तथा विदेशी। प्रथम वर्ग उन्हें 'नकाराम' के नाम से पुकारता था तथा द्वितीय वर्ग उन्हें 'नानादेशी' तथा 'पेक्कनड्री' के नाम से पुकारते थे। व्यापार मुख्य रूप से वैश्य के हाथों में था। वे चेट्टी व श्रेष्टी' कहलाते थे। मुख्य केंद्रों को जोड़ते हुए सड़कें भी बनाई गई थी।

13.6.7 धर्म – वास्तुकला

काकतीय काल में जैनधर्म व बौद्धधर्म का पतन हुआ। बुद्ध को विष्णु के दस रूपों में से एक के रूप में सम्मिलित के साथ बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म में मिला दिया गया। 12वीं शताब्दी के काकतीय राजाओं ने जैन धर्म अपनाया। प्रोला राजा II के समय से शिव धर्म को सुदृढ़ किया गया।

उनके समय में वास्तु मूर्तिकला का विकास हुआ। गोल शिल्प स्तंभ, अलंकृत मूर्तियाँ धनुषाकार मूर्तियाँ हँस व कमल काकतीय मूर्तिकला के नमूने है। रेत की नींव पर संरचना उनकी विशेषता है। उनकी संरचनाओं में विशेषता यह भी है कि कहीं भी उन्होंने सीमेंट और चूने का उपयोग नहीं किया है। हनमकोंडा में सिद्धेश्वर मंदिर तथा पद्माक्षी मंदिर प्रोल राजा I के द्वारा बनवाये गये। रुद्रदेव ने हनमकोंडा में रुद्रेश्वर मंदिर (हजार स्तंभों का मंदिर) बनवाया। यह त्रिदेवों का मंदिर है। यहाँ शिव, विष्णु व सूर्य की पूजा की जाती है। यहाँ नंदी की मूर्ति जीवंत दिखाई देती है। ये उस समय की मूर्तिकला की कारीगरी के प्रमाण हैं।

काकतीयों की वास्तुकला में रामप्पा मंदिर प्रसिद्ध है। जो अब मुलुगु जिले के पालमपेट में स्थित है। तारे के आकार में इसका निर्माण गणपति देव के सेनापति राचेर्ला रुद्र के द्वारा 1213 C.E. में बनवाया गया। रामायण, महाभारत, शिव पुराण की कहानियाँ छत पर नक्काशी की गई है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. काकतीयों के स्वतंत्र शासनों का वर्णन कीजिए।
2. काकतीय काल के समय की सामाजिक आर्थिक स्थितियों की व्याख्या कीजिए।
3. काकतीयों के धार्मिक वास्तु निर्माण का वर्णन कीजिए।

13.7 गोलकोंडा के कुतुबशाही

कुतुब शाही	
1518-1543	सुल्तान कुली-कुतुब-उल-मुल्क
1543-1550	जमशेद कुली कुतुब शाह
1550-1550	सुबान कुली कुतुब शाह
1550-1580	इब्राहिम कुली कुतुब शाह
1580-1612	मुहम्मद कुली कुतुब शाह
1612-1626	सुल्तान मुहम्मद कुतुब शाह
1626-1672	अब्दुल्ला कुतुब शाह
1672-1686	अबुल हसन कुतुब शाह

दक्कन के बहमनी साम्राज्य का केंद्र गुलबर्गा था। धीरे-धीरे ये क्षेत्रीय साम्राज्य शक्तिशाली बन गया। बहमनियों ने तेलंगाणा क्षेत्र पर भी आधिपत्य स्थापित कर लिया। किंतु मुहम्मद शाह (1463 - 1482) के शासनकाल से बहमनियों का पतन शुरू हो गया। यद्‌यपि बहमनी सुल्तान की निष्ठापूर्वक सेवा करने के बावजूद, 1518 में गोलकोंडा को राजधानी बना कर कुली-कुतुब-उल-मुल्क के कुतुबशाही वंश की स्थापना की।

कुली-कुतुब, उल-मुल्क (C.E. 1518-1543):

स्वतंत्र गोलकोंडा साम्राज्य के संस्थापक सुल्तान कुली-कुतुब-उल-मुल्क के पूर्वज मध्य एशिया से थे। कुली-कुतुब-शाह, जिसने गुलबर्गा में नागरिक युद्ध के समय बहमनी सुल्तान की जान बचायी थी, तथा उसे तेलंगाणा क्षेत्र का तरफ दार नियुक्त किया गया था। उसने गोलकोंडा साम्राज्य तथा किले को सुदृढ़ करने का प्रयत्न किया। अंत में 1543C.E. में 99 वर्ष की आयु में उसके बेटे जमशेद कुली की एक षडयंत्र में हत्या कर दी गई।

13.7.1 सरकार – मंत्रीमंडल

गोलकोंडा को अपनी राजधानी बनाकर लगभग 175ग वर्षों तक तेलुगु, मराठी व कन्नड़ लोगों पर राज करने वाले कुतुब शाहियों ने लोगों को एक प्रभावकारी प्रशासन उपलब्ध करवाया। कुतुबशाही प्रशासन में सुल्तान की स्थिति महत्वपूर्ण थी। 'मजलिस-ए-दीवन दारी' (मंत्रीपरिषद्) सुल्तान के आदेशों के आधार पर कार्य करती थी। कभी-कभी सुल्तान स्वयं को 'जिल्लुल्ला' (ईश्वर की परछाई) कहकर उल्लिखित करता था। उसे मीर-जुमला (प्रधान मंत्री), आइन-उल-मुल्क (सैन्य मामलों के मंत्री), खज़ानादार (खजांची), मज़ूमदार (लेखा परीक्षण), शुह्‌रनवीस (आधिकारिक रिकॉर्ड अधिकारी) कोतवाल (शांतिरक्षक) आदि सहायता प्रदान करते थे।

चित्र 13.2: गोलकोंडा किला

13.7.2 प्रशासन

कुतुबशाहियों ने अपने साम्राज्य को 'तरफ' में विभाजित किया। अबुल हसन तनाशा के शासन काल में गोलकोंडा साम्राज्य में कुल 6 तरफ होने के प्रमाण मिलते हैं। 'तरफ़' का प्रधान सुल्तान द्वारा नियुक्त किया गया 'तरफदार' होता है। तरफों को 'सरकार' में विभाजित किया गया। यह माना जाता है कि साम्राज्य कुल 37 सरकारथे। परगना एवं तालुका अन्य प्रशासनिक विभाग थे। फौज़ दार, सरकार, हवलदार परगना स्तर के अन्य अधिकारी थे। पुनः 'सरकार' (जिलों) SIMI या SEEMA में विभाजित किया गया था। बेल्लमकोंडा सीमा, विनुकोंडा सीमा, निज़ामपट्टणम सीमा, कोंडपल्ली, मछलीपट्टनम, एलुरू, राजमहंद्री आदि कुछ मुख्य क्षेत्र हैं। प्रशासन की अंतिम इकाई गाँव थी। गाँव का प्रशासन गाँव के प्रधान मुकुद्दुम (प्रशासक) कुलकुर्णी (गाँव स्तरीय अकाउंटेंट) के निरीक्षण में चलता था।

13.7.3 सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियाँ

उस समय समाज में हिंदू, मुसलमान तथा इसाई थे। उस क्षेत्र में शिया और सुन्नी मुसलमान थे। क्योंकि, कुतुबशाही 'शिया' संप्रदाय के थे। शासन में शिया को उच्च प्राथमिकता थी। उच्च पद पर अधिकार स्वयं ही आसीन होते थे। उसके पश्चात सुन्नी को पद दिये जाते थे। समाज में अधिकतर लोग अपनी जाति के व्यवसाय का अनुसरण करते थे। हिंदू मुसलमानों में आपसी सद्भाव था। दोनों समुदायों के लोगों द्वारा मोहर्रम समारोह बड़े उत्साह से मनाया जाता था। पादरियों और सूफियों ने धार्मिक सद्भावना पर बल दिया।

13.7.4 धार्मिक परिस्थितियाँ

कुतुबशाही अत्यधिक सहिष्णु माने जाते है। वे हिंदू रीति-रिवाज़ों का सम्मान करते थेष उनके साम्राज्य की जनसंख्या में जिनका प्रतिशत अधिक था। हिंदू मंदिरों तथा विद्वानों का सम्मान किया जाता था। अबुल हसन तानाशाह ने भद्राचलम मंदिर को संकरगिरी तथा पलवांचा गाँव दान स्वरूप दिया।

13.7.5 सांस्कृतिक परिस्थितियाँ

कुतुबसाहियों ने ध्यान दिया कि गोलकोंडा साम्राज्य के अधिकतर लोगों की मातृभाषा तेलुगु है। कुछ सुल्तानों ने तेलुगु में महारत हासिल की। उन्होंने कई तेलुगु कवियों व विद्वानों को सम्मानित भी किया। मध्ययुगीन दक्कन के इतिहास में किसी भी अन्य मुसलमान शासकों ने ऐसी सहिष्णुता नहीं दिखाई। इब्राहिम-कुली-कुतुब शाह के शासनकाल में तेलुगु जनता के लिए गोलकोंडा 'भुवन विजयम' बन गया था। इस काल के सबसे महत्वपूर्ण कवि अद्दांकी गंगाधर (तापतीसवर्णोपाख्यानम के रचयिता), रुद्रकवि, पोन्नगंटी तेलगगनारायडु, गणेश पंडित, सारंगतम्मय्या तथा पदकविता के पिता क्षेत्रय्या थे। वे सुल्तान के दरबार में जाकर सुल्तान से मिले तथा एक हज़ार से भी अधिक पद सुनाये।

13.8 आसफजाही युग

1687 C.E.में औरंगजेब ने गोलकोंडा साम्राज्य पर आक्रमण किया। तबसे 1724 में स्वयं को स्वतंत्र घोषित करके हैदराबाद साम्राज्य की स्थापना की।

असफजाही	
मीर ख़र्मुद्दीन खान निज़ाम-उल-मुल्क (असफ जाह I)	1724 to 1748
निज़ाम अलि खान (असफ जाह II)	1762 to 1803
मीर अकबर अलि खान सिकंदर जाह (असफ जाह III)	1803 to 1829
मीर फारकुंदा अलि खान नासिर-उद्-दौला (असफ जाहIV)	1829 to 1859
मीर तहनियत अलि खान अफज़ल-उद्-दौला (असफ जाहV)	1857 to 1869
मीर महबूब अलि खान (असफ जाहVI)	1869 to 1911
मीर उस्मान अलि खान (असफ जाहVII)	1911 to 1948

उसका असली नाम औरंगजेब के मीर कमसद्दीन था। जो औरंगजेब के दरबार में मनसबदार था। औरंगजेब ने उसे 'चिन-खिलिच-खान' की उपाधि दी थी। 1724 में औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात निज़ाम-उल-मुल्क ने दक्कन के गवर्नर मुबारज़ खानको बिरार के 'शक्कर खेड़ा' के युद्ध में पराजित किया तथा स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मुगल शासक ने उसकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली तथा 'असफ जाह' के उपाधि प्रदान की।

13.8.1 सालारजंग के सुधार

आर्थिक सुधार:

आर्थिक सुधार हैदराबाद के प्रधानमंत्री सालारजंग के द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख सुधारों में से एक हैं। कर चोरी पर अंकुश लगाने के लिए उसने सरकार की ओर से तालुकदारों को नियुक्त किया तथा उनके द्वारा किसानों से कर वसूली करना आरंभ किया। इन अधिकारियों को वेतन राज्य की ओर से दिया जाता था। इससे राज्य का किसानों से प्रत्यक्ष संबंध बन गया। जनता दलाली प्रणाली से मुक्त हो गयी।

सालारजंग से पूर्व सिक्कों का मुद्रण कार्य सरकार के साथ-साथ निजी व्यक्ति भी करते थे। इससे नकली सिक्कों का मुद्रण आरंभ हो गया। उसने घोषणा की कि सिक्कों की छपाई केवल सरकार का ही उत्तरदायित्व है।

परिवहन सुधार:

परिवहन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए इसने सड़क व परिवहन की स्थापना की। 1868 में इसने हैदराबाद से सोलापुर तक सड़क का निर्माण करवाया। उसने मद्रास से मुंबई के मार्ग में बड़ी से हैदराबाद के लिए रेलवे लाइन बिछवायी। 1871, में डोर्नकल व एलंदु से सिंगरेनी कोयले की खानों तक रेलवे लाइन बिछवायी। बाद में इसका विस्तार विजयवाड़ा तक किया गया।

शैक्षिक सुधार-पुस्तकालय आंदोलन

सालारजंग ने शिक्षा व विकास में उसकी भूमिका के महत्व को समझा तथा यह अनुभव किया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए अच्छा प्रशासन सुशासन को सक्षम अधिकारियों की आवश्यकता है।

हैदराबाद के राज्य में 1805 में एक पाठशाला की स्थापना की गयी। सिटी हाईस्कूल, चादरघाट हाई स्कूल आदि पश्चिमी शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए स्थापित किये गये। 1870 में इसने स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग की स्थापना की। उच्च वर्ग के बच्चों के लिए 1873 मदरसा - ए - आलिया की स्थापना की गयी। 1878 में राजवंश के बच्चों के लिए मदरसा - ए - जा की स्थापना की गयी।

शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हैदराबाद राज्य में कई पुस्तकालयों की स्थापना की गयी। किंतु इनमें आधे से भी अधिक स्वैचिछक पुस्तकालय थे। बुद्धिजीवियों के उदय के साथ ही 19वीं शताब्दी के द्वितीय अर्ध में पुस्तकालय आंदोलन आरंभ हुआ। इससे तेलंगाणा के क्षेत्र में सामाजिक सांस्कृतिक व राजनैतिक चेतना आयी। पुस्तकालयों ने ज्ञान के केंद्रों का कार्य किया। किंतु निज़ाम सरकार ने इसे प्रोत्साहित नहीं किया। अधिकारीगण और आधिकारिक भाषा दोनों ने ही तेलुगु में पडुस्तकालय की स्थापना में कोई योगदान नहीं दिया। पुस्तकालयों की स्थापना में सरकार के क्रोध के कारण जिन लोगों ने कारावासी जीवन बिताया वे संभवतः तेलंगाणा के थे। तेलंगाणा के प्रथम पुस्तकालय की स्थापना 1872 में सोमसुंदर मोदलियर के द्वारा की गई थी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. कुतुबशाहियों के इतिहास का वर्णन कीजिए।
2. आसिफजाहियों के इतिहास का वर्णन कीजिए।
3. सालारजंग के सुधारों का विश्लेषण कीजिए।

13.9 सारांश (मुख्य बिंदु)

- तेलंगाणा क्षेत्र दक्कन पठार में स्थित है।
- तेलंगाणा के संपूर्ण क्षेत्र को एकीकृत करने वाला प्रथम साम्राज्य शातवाहन साम्राज्य है।
- शातवाहनों के पश्चात इस क्षेत्र पर विष्णुकुंडिणों ने राज किया।
- विष्णुकुंडिनों के पश्चात कुछ समय के लिए चालुक्यों ने शासन किया।
- चालुक्यों के पश्चात इस क्षेत्र पर शासन करने वाला अन्य महत्वपूर्ण वंश काकतीय था।
- काकतीय काल में यह क्षेत्र विकसित हुआ।
- रानी रुद्रमादेवी तेलंगाणा क्षेत्र की प्रथम महिला शासक थी।

- काकतीयों के पश्चात पद्मनायकों ने कुछ समय के लिए इस क्षेत्र पर शासन किया।
- काकतियों के पश्चात कुतुबशाहियों ने लगभग 150 वर्षों तक शासन किया।
- कुतुबशाहियों ने सहिष्णुता से शासन किया।
- मुगल आक्रमण के द्वारा कुतुबशाहियों के साम्राज्य को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया।
- औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात दक्कन में आसफ जाही के शासन का आरंभ हुआ।
- आसफ जाही के प्रशासन में सालारजंग के सुधार महत्वपूर्ण हैं।

13.10 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. विष्णुकुंडिणों के द्वारा कौन-कौन से यज्ञ करवाये गये।
2. चालुक्यों के प्रशासनिक विभाग कौनसे थे?
3. काकतीयों के निर्माणों के नाम लिखिए।
4. काकतीयों के काल में बौद्ध धर्म का वर्णन कीजिए।
5. पुस्तकालय आंदोलन के महत्व की व्याख्या कीजिए।

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. बादामी चालुक्यों की व्याख्या कीजिए।
2. चालुक्यों के शासन का वर्णन कीजिए।
3. रानी रुद्रम्मादेवी के बारे में लिखिए।
4. काकतीयों के व्यापार - व्यवसाय का वर्णन कीजिए।
5. कुतुबशाहियों की सांस्कृतिक सेवाओं के बारे में लिखिए।
6. मीर उसमान अली खान की व्याख्या कीजिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 से 10 वाक्यों में लिखिए।

1. चालुक्यों की वित्तीय परिस्थिति की समीक्षा कीजिए।
2. काकतीयों के धार्मिक-वास्तु निर्माण का विश्लेषण कीजिए।
3. सालार के जंग सुधारों का विश्लेषण कीजिए।

13.11संदर्भ पुस्तकें

1. डॉ. बी.आर. अंबेड्कर यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन : आंध्र प्रदेश का इतिहास 1687 तक.
2. तेलुगु अकादमी : इंटरमीडियट सेकण्ड इयर.

14 तेलागाणा राज्य आंदोलन - गठन

14.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- तेलंगाणा साम्राज्य किस प्रकार प्रजातांत्रिक शासन में आया इसकी व्याख्या करते हैं।
- तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश के विलयन के कारकों की व्याख्या करते हैं।
- जैंटलमैन समझोते के मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण करते हैं।
- 1969 आंदोलन के संभावित कारणों की व्याख्या करते हैं।
- तेलंगाणा और आंध्र क्षेत्रों के विकास के मध्य समानताओं व अंतरों का विश्लेषण करते हैं।
- तेलंगाणा विशेष राज्य आंदोलन में छात्रों, JACs तथा राजनैतिक पार्टियों की भूमिका का विश्लेषण करते हैं।
- उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं जिनके कारण प्रथक राज्य घोषित किया गया।
- तेलंगाणा आंदोलन में विभिन्न प्रकार के विरोधों की व्याख्या करेंगे।

14.1 परिचय

जो लोग यह सोचते थे कि विशाल व सांस्कृतिक विविध क्षेत्र में संसाधनों का सदुपयोग केवल तेलंगाणा राज्य आंदोलन के द्वारा एक पृथक राज्य के द्वारा ही संभव है, उन्होंने तेलंगाणा को 2, जून 2014, में प्रथक राज्य के रूप में प्राप्त किया। जो उनकी आकांक्षाओं से प्राप्त हुआ था।

14.2 स्वतंत्रता के बाद

हमारी स्वतंत्रता 15 अगस्त, 1947 के समय भारत में 550 प्रिंसली राज्य थे। ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता घोषित की तथा यह निश्चय करने का अधिकार प्रिंसली राज्यों को दे दिया कि वे भारत या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं या स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इस अवसर के कारण कुछ राज्यों ने स्वराज्य घोषित कर दिया। हैदराबाद उनमें से एक हैं। हैदराबाद राज्य के निज़ाम राजा मीर उस्मान अली खान ने घोषणा की कि हैदराबाद एक स्वतंत्रता क्षेत्र रहेगा।

14.2.1 हैदराबाद का राज्य – भारत में विलय

हैदराबाद राज्य के 16 जिलों में, 8 जिले तेलंगाणा राज्य में है जहाँ तेलुगु भाषियों की सर्वाधिकता थी। 5 जिलों में मराठी भाषियों तथा तीन जिलों में कन्नड़ भाषियों की अधिकता थी। जनसंख्या के 84 प्रतिशत हिंदू तथा 11 प्रतिशत मुसलमान थे। शेष ईसाई, जैन, सिख तथा अन्य

अलप्संख्यक धर्मों के थे। इस प्रकार हैदराबाद सामाजिक, भाषायी तथा सांस्कृतिक रूप से समन्वित जीवन का अनोखा उदाहरण है। लोग एक ओर भारतीय आंदोलन में शामिल राष्ट्रवादियों के प्रभाव के कारण निज़ाम सरकार के विरुद्‌ध थे तथा दूसरी ओर निज़ाम और रजाकार समर्थित अभिजात वर्ग के कारण निज़ाम सरकार से विरुद्‌ध थे। लोग हैदराबाद राज्य को भारत में मिलाना चाहते थे। अंतरिक संघर्षों के परिणामस्वरूप हैदराबाद व प्रत्येक स्थान पर बिगड़ती सुरक्षा परिस्थितियों के समाधान के रूप में भारतीय सरकार ने हैदराबाद क्षेत्र के विरुद्‌ध सैन्य कार्यवाही की।

Fig. 14.1: Sardar Vallabhbhai Patel, Mir Osman Ali Khan

यह सैन्य कार्यवाही पुलिस कार्यवाही कहलाती है। निज़ाम के आत्मसमर्पण के साथ 17, 1948 के दिन हैदराबाद राज्य को भारत में सम्मिलित कर लिया गया।

14.2.2 1952 प्रथम साधारण चुनाव - लोकतंत्रीय सरकार

भारत का संविधान 26, जनवरी 1950 को लागू हुआ तथा अन्य सभी राज्यों के साथ 1952 में पहली बार साधारण चुनावों का आयोजन किया गया।

14.2.3 मुल्की आंदोलन

20वीं शताब्दी के आरंभ में निज़ाम शासन के समय हैदराबाद राज्य में अधिकतर उत्तरी भारत के लोग कार्यरत थे। इसके कारण तेलंगाणा के बेरोज़गार लोगों ने 1910 से 1918 तक हैदराबाद राज्य की नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने की माँग करते हुए विद्रोह किया। इस माँग के प्रत्युत्तर में 1919 में मुल्की शासन आरंभ किया गया। मुल्की शासन के अनुसार राज्य की नौकरियाँ स्थानीय वासियों को दी जाय। मुल्की (स्थानीय उम्मीदवार) ने कम से कम 15 वर्ष उस स्थान में निवास किया हो। मुल्की के रूप में पहचान पाने के लिए एक व्यक्ति को संबंधित अधिकारी के समक्ष घोषणा-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इन नियमों ने स्थानीयों को रोजगार सुरक्षा प्रदान की। किंतु इन नियमों के उल्लंघन में, हज़ारों गैर-मुल्कियों (non-locals) ने स्थानीय नौकरियाँ ग्रहण की तथा तेलंगाणा के युवकों के अवसरों से वंचित कर दिया। भारत में सम्मिलित होने के पश्चात बनी नागरिकी सरकार को मुल्की नियमों की उपयुक्त जानकारी नहीं थी तथा उनके द्‌वारा अनुसरित नीतियों ने मुल्की नियमों को क्षीण कर दिया।

इसके परिणामस्वरूप उत्तेजित छात्रों तथा बेरोज़गारों ने संयुक्त अभियान समिति (जाइंट एक्शन कमीटी) बनाई तथा रैलियों का आयोजन किया। बड़े-पैमाने वाले मुद्‌दों का विरोध किया गया।

गैर मुल्की वापस जाओ, इडली सांभर वापस जाओ के नारों के साथ रैलियों का आयोजन किया गया। परिणामस्वरूप सरकार ने विद्यमान मुल्की नियमों पर नज़र डाली, विभिन्न समुदायों से चर्चा की तथा गैर स्थानीयाँ को निर्वासित किया। इस बीच, भाषयी राज्यों के मुद्दे के उद्भव के साथ प्रक्रिया रुक गयी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. मुल्की क्या है?
2. विभिन्न साधनों से गैर स्थानीयों ने स्थानीयों को अवसरों से वंचित किया है। इस बारे में आपकी क्या राय है?

14.3 दो राज्यों का विलय

मद्रास राज्य के राज्यारोहन व कर्नू राजधानी के साथ आंध्रा के गठन के साथ, 1953 में दक्षिण भारत में भी भाषाओं के आधार पर राज्य पुनर्गठन का आयोजन किया गया। इसने कन्नड़ क्षेत्र को मैसूर में तथा मराठी क्षेत्र का मुंबई राज्य में विलय के लिए सिफारिश की। आंध्रा के लोग तेलंगाणा में मिलना चाहते थे किंतु तेलंगाणा के लोग आंध्रा से जुड़ने के विरोध में थे। तेलंगाणा के लोगों के विचार में यदि अत्यधिक शिक्षित आंध्रा के लोग तेलंगाणा आ गये तो तेलंगाणा के लोग स्वयं को असफल समझते थे तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े समझते थे तथा सिंचाई प्रोजेक्ट की उपेक्षा की गयी। केंद्र सरकार के कदम उठाने के रूप में दोनों क्षेत्रों के नेताओं ने दिल्ली में भाग लिया। तथा जैंटलमैन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही यह विलय प्रक्रिया के लिए आधार हो गया।

14.3.1 जैंटलमैन समझौता

दिल्ली में हैदराबाद गेस्ट हाउस में 20, फरवरी 1956 में जैंटलमैन समझौता किया गया, दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा करने के पश्चात विशालांध्र के गठन (तेलंगाणा के लोगों को विशालांध्र के गठन तथा उपनी सुरक्षा हो के लिए, तेलंगाणा के लोगों के संदेहों को दूर किया गया।) इसके साथ ही यह विलय की प्रक्रिया का आधार बन गया।

इस बैठक में बुरगुला रामकृष्णा, मर्री चेन्ना रेड्डी, के.वी. रंगारेड्डी, जे.वी. नरसिंहराव ने तेलंगाणा से, बेजवाड़ा गोपालरेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, सरदार गौतु लच्छन्ना, अल्लूरी सत्यनारायण राजू ने आंध्रा क्षेत्र से भाग लिया तथा जैंटलमैन समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस जैंटलमैन समझौते के द्वारा 14 मुद्दों पर प्रस्ताव पास किया गया।

इस समझौते के मुख्य बिंदु थे:

1. प्रशासन के व्यय को दोनों क्षेत्र आनुपातिक रूप से वहन करेंगे तथा तेलंगाणा से प्राप्त अतिरिक्त राजस्व को केवल तेलंगाणा के विकास के लिए ही खर्च करेंगे।

2. तेलंगाणा की विद्यमान शैक्षिक सुविधाओं को केवल तेलंगाणा क्षेत्र के छात्रों के लिए आरक्षित रखा जायेगा।
3. मुल्की नियमों के जारी रखने का निर्णय लिया गया, जिसके अंतर्गत तेलंगाणा में कम से कम 12 वर्षों तक निवास करने वाले लोग ही नौकरी व तेलंगाणा में शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए योग्य होंगे।
4. एक क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना का भी निर्णय लिया गया, तेलंगाणा के विकास व आवश्यकताओं को देखने के लिए विधानसभा से 20 सदस्यों की एक वैधानिक निकाय।
5. तेलंगाणा में कृषि भूमि के विक्रय का नियंत्रण क्षेत्रीय परिषद् के द्वारा किया जाय।
6. आंध्र प्रदेश मंत्रीमंडल में 40 प्रतिशत सदस्य तेलंगाणा क्षेत्र से तथा 60 प्रतिशत सदस्य आंध्र क्षेत्र से हो।
7. यदि मुख्यमंत्री आंध्रा का है तो उप मुख्य मंत्री तेलंगाणा का होगा।

जैंटलमैन समझौते में क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना महत्वपूर्ण थी। समग्र विकास, वित्तीय योजना, स्थानीय सरकार के मामले, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, स्थानीय अस्पतालों, तेलंगाणा शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश, कृषि भूमि का विक्रय आदि सभी तेलंगाणा क्षेत्रीय परिषद् की परिधि में आते हैं। तेलंगाणा क्षेत्र की आवश्यकता के आधार पर परिषद् विकास के लिए कार्य करेगी। यह तेलंगाणा की भूमि का गैर तेलंगाणा व्यक्ति को क्रय करने के लिए नियमित करती है। यह इस परिषद् की ही विशेषता है कि यह सुनिश्चित करें कि तेलंगाणा के युवाओं को शिक्षा व रोजगार के अवसर प्रदान करें।

14.3.2 आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना

22 दिसंबर, 1953 के दिन राज्य पुनर्गठन आयोग के साथ शुरू हुई विलय प्रक्रिया, कई चरणों से गुज़री, अंत में राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ 1 नवंबर, 1956 के दिन हैदराबाद को राजधानी बनाकर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. जैंटलमैन समझौते के मुख्य बिंदु क्या हैं?
2. तेलंगाणा क्षेत्रीय परिषद् की व्याख्या कीजिए।

14.4 पूर्वी तेलंगाणा आंदोलन

उस समय के आंध्रा शासकों ने जैंटलमैन समझौते को प्रारंभिक रूप में अवरूद्ध कर दिया। समझौते के अनुसार यदि मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश से हैं, तो उप मुख्य मंत्री का पद तेलंगाणा को आबंटित किया जाय। किंतु आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी ने उप मुख्य मंत्री का चयन नहीं किया तथा पद को समाप्त कर दिया गया।

तेलंगाणा के कर्मचारियों के मामले में भी, वैकल्पिक (अस्थायी) पदों के आबंटन के कारण कुछ ही दिनों में उन्हें पदच्युत कर दिया गया। नकली मुल्की सर्टिफिकेटों के द्‌वारा कई गैर स्थानीयों ने नौकरियाँ प्राप्त की। शैक्षिक संस्थाओं में भी तेलंगाणा छात्रों की सीटों को आंध्रा के छात्रों को दे दिया गया। अधिशेष धन को तेलंगाणा क्षेत्र के लिए खर्च किया जाना चाहिए था, उसे आंध्र प्रदेश के विकास के लिए आबंटित किया गया।

जैंटलमैन समझौते के आठवें बिंदु के अनुसार, तेलंगाणा कृषि भूमि के क्रय-विक्रय पर क्षेत्रीय परिषद् का नियंत्रण रहेगा। किंतु परिषद् की अनुमति के बिना तेलंगाणा के कई भागों में, आंध्र प्रदेश के अप्रवासियों के द्‌वारा कम कीमत पर मिलियन एकड़ भूमि खरीदी गई।

इस प्रकार उस समय के शासकों द्‌वारा तेलंगाणा की भूमि, संसाधनों तथा लोगों की नौकरियों की लूट-पाट के कारण आंदोलन शुरु हुआ। अन्याय, भेदभाव तथा सभी क्षेत्रों में समझौते के उल्लंघन से तंग आकर तेलंगाणा ने सर्वप्रथम 1969 में पृथक तेलंगाणा राज्य आंदोलन आरंभ किया।

14.4.1 1969 तेलंगाणा आंदोलन

जनवरी 1969 में उस्मानिया विश्वविद्‌यालय के छात्रों ने तेलंगाणा के लाभ के लिए हढ़ताल करने का निश्चय किया। उन्होंने मंत्रियों व MLAs के इस्तीफे, 70 करोड़ तेलंगाणा फंड तथा तेलंगाणा निधि के दुरुपयोग के लिए न्यायाथिक जाँच की माँग की। गैर स्थानीयों को तुरंत वापस भेजने का प्रस्ताव पास किया गया।

माँगों को प्राप्त करने के लिए अनिश्चितकालीन बंद तथा सामुहिक भूख हड़तालें की गयीं। सभी शैक्षिक संस्थाएँ बंद कर दी गई। विद्रोह, सत्याग्रह, परिनियोजन, जेल भरो आयोजित किए गए। छात्रों के द्‌वारा किए गए इस आंदोलन में सभी को प्रेरित किया। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों, लोगों ने भाग लिया। उन दिनों यह प्रबल धारणा थी कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने के लिए तेलंगाणा राज्य के गठन की आवश्यकता है। विद्रोह का उद्‌देश्य तेलंगाणा राज्य का गठन था। पुलिस ने गोलियाँ बरसाई। आधिकारिक सूत्रों के आधार पर इस गोलीबारी में 300 से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई।

14.4.2 तेलंगाणा प्रजा समिति

छात्रों के द्‌वारा आरंभ किया गया आंदोलन था, जो हड़तालों, रैलियों, कांफ्रेंसों, बंद, से शुरु हुआ था, बसों को जलाने तथा निजी व सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने के द्‌वारा इस आंदोलन ने अपनी सीमा पार कर दी। सरकार द्‌वारा दमन भी तीव्र था। इस आंदोलन के लिए कोई उपयुक्त नेता या प्लेटफार्म नहीं था।

उसी समय फरवरी 1969, में मध्यवर्ग के बुद्‌धिजीवि, वकील, जर्नलिस्ट तथा व्यावसाय समुदाय ने तेलंगाणा में एक प्लैटफार्म की स्थापना की जो तेलंगाणा पिपुल सम्मेलन कहलाता है। इस सम्मेलन ने छात्रों और कर्मचारी संगठनों से संबंधित कार्यक्रमों को मजबूत किया। बाद में यह

तेलंगाणा प्रजा समिति में परिवर्तित हो गया तथा 1971 में एक राजनैतिक दल के रूप में घोषित किया गया। पृथक तेलंगाणा राज्य को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य के साथ एकल समाचार के साथ तेलंगाणा प्रजा समिति ने अपनी चुनाव योजना की घोषणा की।

14.4.3 छह बिंदु सूत्र

जैसे ही 1969 को आंदोलन में तीव्रता आयी, केंद्रीय सरकार ने सुधारात्मक कार्य हाथ में लिये। तेलंगाणा से स्थानांतरित निधि की समीक्षा के लिए समिति की स्थापना करना, क्षेत्रीय विकास परिषद् की स्थापना, उसे अधिकार वह प्रदान करना, मुल्कि नियमों के कड़े रूप से अमल करने जैसे आश्वासन के साथ आठ-बिंदुयी सूत्र की घोषणा की।

ठीक उसी समय तेलंगाणा आंदोलन की प्रतिक्रिया के रूप में सीमांध्र क्षेत्र में 1972 में जय आंध्रा आंदोलन आरंभ हुआ। तटीय जिलों की विकास की माँग करते हे, उन्होंने स्थानीय दर्जे से संबंधित मुल्की नियमों को हटाने की माँग करते हुए उन्होंने भी प्रचार किया। इसके साथ ही 1973 में केंद्रीय सरकार ने सभी क्षेत्रों के लोगों को समझाने के लिए छाह बिंदुयी सूत्रों का निर्माण किया।

इसके साथ ही तेलंगाणा क्षेत्रीय परिषद् तथा मुल्की नियम रोक दिए गए। यह तेलंगाणा को पृथक रूप में दिखलाये बिना ही किया गया था। मुल्की नियमों का स्थान स्थानीय आरक्षणों के लेने के कारण पिछली निवासिय योग्यता को घटा का चार वर्ष करके स्थानीय आरक्षण का उल्लंघन किया गया। जैंटलमैन समझौते में अंतर्निहित अपने अनन्य अस्तित्व को तेलंगाणा क्षेत्र ने खो दिया। उस समय के आंध्र प्रदेश के सभी भागों को एक समान देखा गया। जिसके कारण छात्रों और युवाओं में असंतोष फैल गया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. 1969 आंदोलन के होने के संभावित कारणों का विश्लेषण कीजिए?
2. तेलंगाणा के पृथक राज्य के गठन के लिए किए गए संघर्ष में छात्रों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी क्यों? व्याख्या कीजिए।

14.5 तेलंगाणा आंदोलन दूसरा चरण

यद्यपि1969 के प्रारंभिक तेलंगाणा को पृथक करने के आंदोलन का राजनैतिक कार्यवाही के द्वारा दमन कर दिया गया, किंतु तेलंगाणा विभिन्न वर्ग के लोगों में उनके प्रति किये गये अन्याय प्रति असंतोष अब भी था। इसके अतिरिक्त सीमांध्रा लोगों के द्वारा हैदराबाद के चारों ओर किया गया निवेश, लोगों का प्रवास, जाति आधारित व्यावसायों को नष्ट करना, संस्कृति को कम आंकना, नयी आर्थिक नीतियों का आरंभ, बोरवेल से खेती, पहाड़ी प्रदेशों में भी हरित क्रांति के आरंभ की रुपरेखा बनाना तथा नवीन सामाजिक वर्ग आदि दूसरे चरण के तेलंगाणा आंदोलन के कारण थे।

14.5.1 तेलंगामा में बढ़ता असंतोष

1956 से 1990 तक के सुनियोजित विकास काल में आंध्र प्रदेश राज्य में कई विकास कार्य किये गये। बड़े बाँध बनाये गए तथा सिंचाई व बिजली योजनाएँ आरंभ की गयी। बड़ी खानें व औद्योगिक केंद्र खोले गये। कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए हरित क्रांति को क्रियान्वित किया गया। बड़ी संख्या में विश्वविद्यालयों व तकनीकी संस्थाओं की स्थापना की गई। 1990 के पश्चात राज्य में, विशेषता हैदराबाद में सूचना तकनीकी उद्योग विकसित हुआ।

किंतु तेलंगाणा लोगों के विचार में विकास बहुत अनुपयुक्त था तथा राज्य के अन्य भागों को वास्तविक लाभ प्रदान किया जा रहा है। तेलंगाणा व आंध्र प्रदेश के मध्य कृषि विकास संबंधी असमानताएँ भी बढ़ गयी थी। तेलंगाणा के किसानों की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। किंतु किसान से कृषि मज़दूर के रुप में परिवर्तन हुआ। यहाँ तक कि शिक्षा में भी तेलंगाणा तटीय आंध्रा से पिछड़ा हुआ था। 2001 में तेलंगाणा की साक्षरता दर 53 प्रतिशत थी जबकि आंध्र प्रदेश की 63 प्रतिशत थी।

असमान विकास के साथ साथ तेलंगाणा के लोगों ने यह अनुभव किया कि सांस्कृतिक रूप से भी उनमें भेदभाव किया जा रहा है। दोनों क्षेत्रों के विलयन के पश्चात तटीय आंध्र की संस्कृति को आदर्श के रूप में बढ़ावा दिया गया तथा तेलंगाणा भाषा व संस्कृति को नज़र अंदाज़ किया गया। तेलंगाणा इतिहास के नेताओं व संस्कृति को पाठशाला की पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त रूप से नहीं दर्शाया गया। तेलंगाणा के लोगों ने यह अनुभव किया कि यह राज्य सरकार के द्वारा अपनायी गयी नीतियों के कारण हो रहा है।

14.5.2 आंदोलन का दूसरा चरण

उस समय सत्ता में आई सरकार ने उदारीकरण, भूमंडलीकरण तथा निजीकरण की नीतियाँ क्रियान्वित करनी आरंभ की। किसानों, श्रमिकों, हस्तकलाएँ, कृषि आधारित व्यवसाय, कृषि पर निर्भर जातियों के लिए रोजगार के अवसर बहुत कम कर दिये गये। इसके कारण विभिन्न समुदाय के लोगों ने पृथक तेलंगाणा आंदोलन को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न मंच बनाये। जहाँ पर एकीकृत राज्य में विभिन्न विभागों में तेलंगाणा क्षेत्र किस प्रकार कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है इसकी व्याक्या की। तेलंगाणा मामलों को सुलझाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों तथा जन संघों के तत्वाधान में सम्मेलन, रैली, धरने तथा भूख हड़तालों का आयोजन किया गया। कर्मचारियों, अध्यापकों, ग्रेजुएटों ने विभिन्न संघ बनाये। तेलंगाणा युनाइटेड फोरम, जिसे सभी समुदायों को एकीकृत करके बनाया गया था, ने विभिन्न सेवा कार्यक्रमों के साथ साथ तेलंगाणा आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया।

2001 में कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के द्वारा स्थापित तेलंगाणा राष्ट्र समिति की आंदोलन के दूसरे चरण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। तेलंगाणा साधना के लिए पार्टी के गठन के साथ लोगों ने

TRS को समर्थन किया तेलंगाणा के लोगों मं व्याप्त असंतोष के रुप में उभरे आंदोलन में कई जन संघों, कवियों, लेखकों, जर्नलिस्टों, बुद्धिजीवियों तथा शिक्षित लोगों के द्‌वारा उत्पन्न की गई चेतना को जागृत करने में पार्टी सफल हुई। आंदोलन में सभी लोगों को संलग्न करने में सभी राजनैतिक दलों ने अपनी भूमिका निभायी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. तेलंगाणा और आंध्र प्रदेश के विकास में अंतर बताइए।
2. क्या तेलंगाणा के लोगों के समक्ष आयी समस्यों का समाधान केवल पृथक राज्य का गठन था? अन्य विकल्प कौन-कौनसे हैं?

14.6 आंदोलन की तीव्रता

तेलंगाणा राज्य के गठन के प्रति केंद्रीय सरकार की उदासीनता के कारण, तेलंगाणा राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव ने तेलंगाणा राज्य के गठन की तत्काल घोषणा की माँग करते हुए 29 नवंबर, 2009 के दिन सिद्‌धीपेट में भूख हड़ताल करने का निश्चय किया। किंतु पुलिस ने KCR को गिरफ्तार कर पहले खम्मम की जेल में रखा तत्पश्चात हैदराबाद NIMS अस्पताल में। KCR ने अस्पताल में भी भूख हड़ताल जारी रखी। संपूर्ण समुदाय भूख हड़ताल के समर्थन में आगे बढ़ा तथा जिले के समी हेड़ क्वार्टर्स, विश्वविद्‌यालयों, कार्यालयों तथा छात्रों, कर्मचारियों, युवाओं की JACs का गठन किया। ग्रामीण स्तर से राज्य के सभी विभागों के लोगों ने स्वेच्छपूर्वक रास्ता रोको, रिले भूख हड़ताल तथा प्रदर्शनों में भाग लिया।

14.6.1 विशेष राज्य की घोषणा – वापसी

एसे समय में जब आंदोलन तीव्र गति में था, तब दिसंबर 10, 2009 को छात्रों संघों द्‌वारा दिया गया वक्तत्वय की यदि पृथक राज्य की घोषणा नहीं की गयी तो वे विधानसभा पर आक्रमण कर देंगे, बहुत महत्वपूर्ण थी। प्रस्तावित 'विधानसभा घेराबंदी' तथा ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत केंद्र सरकार को तेलंगाणा के गठन के संबंध में निर्णय लेना आवस्यक था। 9 दिसंबर, 2009 के दिन केंद्र सरकार ने घोषणा की कि सभी राजनीतिक दलों के साथ सभा के पश्चात वह पृथक तेलंगाणा राज्य के गठन की प्रक्रिया आरंभ कर रही है। तथा सभी पार्टियों ने पृथक राज्य के गठन के लिए अपना समर्थन दिया। के. चंद्रशेखर राव ने भूख हड़ताल बंद कर दी तथा दस दिनों के लिए नीचे चला गया।

किंतु, आंध्रा के नेतागण, जो पृथक राज्य के समर्थन में थे, अपना निर्णय बदल लिया तथा केंद्र की घोषणा के विरोध में इस्तीफा दे दिया। राज्य के विभाजन के निर्णय को बदलने के लिए केंद्र पर दबाव डाला गया। आंध्र प्रदेश में विरोध आंदोलन आरंभ हो गये। 23 दिसंबर, 2009 के दिन केंद्र सरकार ने विभाजन वापन ले लिया क्योंकि उसके विचार में राज्य के विभाजन के संबंध में आगे

मंत्रणा करने की आवश्यकता थी। आंध्र प्रदेश के विकास का अध्ययन करने तथा रिपोर्ट केंद्र के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए न्यायधीश श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गयी।

14.6.2 आंदोलन में विद्रोह के प्रकार

पृथक राज्य के गठन में केंद्र सरकार के पीछे हटने से तेलंगाणा धराशायी हो गया। इस संदर्भ में संपूर्ण तेलंगाणा समुदाय की एकता की आवश्यकता को समझकर तेलंगाणा की महत्वकांक्षा को जन आंदोलन में बदलने के लिए 24 दिसंबर 2009 के दिन राजनैतिक JAC का गठन किया गया। तेलंगाणा के लोगों को आंदोलन में सक्रिय बनाने के लिए विभिन्न रूपों में विभिन्न हड़तालों की गयी। जैसेः- असहयोग, मिलियन मार्च, सकल जनुल सम्मे, सागरहारम, संसद यात्रा, चलो असेंबली धूम धूम, रास्तारोको, भूख हड़ताल, वंटा वार्पु, मानवहारम, बतुकम्मा, बोनालु जुलूस, शहीदों की अत्येष्टियाँ, कैंडल लाइट रैली, पुतले जलाना छात्र सभाएँ, वकीलों का चलो राजभवन, कर्मचारियों द्वारा पेन डाउन आदि विद्रोहों ने आंदोलन का रूप लिया। सकल जनुल सम्मे जो बयालिस दिन चला में संपूर्ण तेलंगाणा का भाग लेना लोगों की आकांक्षाओं को दर्शाता है।

विभिन्न जातियों के लोगों ने उत्साहपूर्वक पृथक राज्य आंदोलन में भाग लिया। साबबंडा वर्णों ने अपनी स्वयं की JAC बनायी तथा विद्रोह आंदोलन में भाग लिया। तुडुम डेब्बा, लंबाडा नगरा, भेरी, एरुकला कुर्रू, मदिगा डंडोरा, गोल्ला कुसमला डोलू देब्बा तथा मोकू डेब्बा जैसे विद्रोहों के द्वारा पृथक तेलंगाणा राज्य के अमल के लिए विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत आदिवासी, दलित तथा विभिन्न जाति समूहों ने प्रदर्शन किया।

14.6.3 तेलंगाणा राज्य का आविर्भाव

तेलंगाणा आंदोलन की गंभीरता व जनता की आकांक्षओं को समझकर केंद्र सरकार राज्य में प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधियों के विचारों पर चर्चा के लिए दिल्ली में सभी पार्टियों की एक सभा बुलायीं तथा तेलंगाणा के विभाजन के पक्ष में निर्णय लिया। अंत तक सीमांध्रा के नेताओं ने विभिन्न तरीकों से निर्णय को रोकने का प्रयत्न किया।

18फरवरी, 2014 में बिल लोकसभा में पारित हुआ तथा 20 फरवरी 2014 में राज्य सभा में पारित हुआ। 1मार्च 2014, के दिन राष्ट्रपति की अनुमोदन बिल से 2, जून 2014 को 'नियुक्ति दिवस' के रूप में घोषित किया गया। संसद में BJP, BSP, CPI तथा अन्य दलों ने UPA सरकार का समर्थन किया। अभी वे 10 जिले 33 जिलों में पुनः विभाजित किये गये।

तेलंगाणा के लोगों की आक्षाओं के साथ-साथ कार्यकर्ताओं के अथक संघर्षों के कारण राज्य के सभी विभागों को एकीकृत करके देश के 29वें राज्य के रूप में तेलंगाणा राज्य का आविर्भाव हुआ।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. केंद्र सरकार ने तेलंगाणा राज्य के पक्ष में निर्णय लिया तथा उसे वापस ले लिया। इस संबंध में अपने विचार लिखिए।
2. पृथक तेलंगाणा राज्य आंदोलन के समर्थन में सभी लोगों को आंदोलन क्यों करना पड़ा? व्याख्या कीजिए।

चित्र 14.2: 2 जून 2014, तेलंगाणा का गठन

14.7 सारांश (मुख्य बिंदु)

- पुलिस कार्यवाही के द्वारा 17,सितंबर 1948 के दिन निज़ाम शासित हैदराबाद का भारत में विलय किया गया।
- जैंटलमैन समझौता तेलंगाणा व आंध्रा क्षेत्रों के नेताओं के द्वारा 1956 आंध्र प्रदेश के गठन के लिए किया गया संयुक्त प्रस्ताव है।
- जैंटलमैन समझौते के अनुबंधों व गैर स्थानीय के उल्लंघनों के कारण रोज़गार अवसर खोने के पश्चात 1969 में उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों ने पृथक तेलंगाणा राज्य आंदोलन आरंभ किया।
- मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी, वकीलों, जर्नलिस्टों, व्यापारी वर्गों ने मिलकर 1971 में तेलंगाणा प्रजा समिति नामक राजनैतिक पार्टी बनायी।
- 1973 में केंद्रीय सरकार सभी क्षेत्रों के लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए कि सरकारी रोजगार में स्थानीय लोगों को वरीयता दी जायेगी, एक छह बिंदुयी सूत्र का सूत्रपात किया।
- 1990 में सभी विभागों के लोगों ने संयुक्त कार्यवाही समिति का गठन किया तथा आंदोलन को सुदृढ़ किया।
- तेलंगाणा राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल के द्वारा आंदोलन में तीव्रता आयी। इस आंदोलन के समर्थन में संपूर्ण समुदाय आगे आया।
- 9 दिसंबर, 2009 में केंद्र सरकार ने तेलंगाणा को पृथक राज्य घोषित किया तथा आंध्र नेताओं के दबाव में आकर 23 दिसंबर को वापस ले लिया।
- अंततः, कंद्र सरकार ने पार्लियमेंट में विशेष तेलंगाणा बिल प्रस्तुत व पारित किया। इसके साथ 2 जून 2014, के दिन तेलंगाणा भारत का 29वाँ राज्य बन गया।

14.8 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. तेलंगाणा राज्य की घोषणा के वापस लेने के क्या कारण थे?
2. हम तेलंगाणा राज्य गठन दिवस किस दिन मनाते हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. 1969 के तेलंगाणा आंदोलन के बारे में लिखिए ?
2. तेलंगाणा विशेष राज्य आंदोलन में प्रदर्शित विभिन्न प्रकार के विद्रोहों को दर्शाइए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. जैंटलमैन समझौते के मुख्य बिंदु लिखिए?
2. तेलंगाणा राज्य के गठन के लिए किये नये विभिन्न नवोन्मेष विद्रोह कार्यक्रमों के बारे में अपने विचार लिखिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मुल्की नियम के अनुसार, स्थानीयता को दर्शाने के लिए तेलंगाणा में कितने वर्षों तक निवास करने की आवश्यकता थी? ( )

   A) 14 वर्ष B) 12 वर्ष C) 15 वर्ष D) 7 वर्ष

2. जैंटलमैन समझौते के अनुसार निम्नलिखित में से यह वाक्य गलत है- ( )

   A) क्षेत्रीय परिषद् की स्थापना

   B) स्थानीय उम्मीदवार को वरीयता

   C) मुल्की शासन की निरंतरता

   D) तेलंगाणा के अतिरिक्त राजस्व को संपूर्ण राज्य के लिए खर्च करना

3. तेलंगाणा के पृथक राज्य के रूप में गठन की तारीख? ( )

   A) 09 दिसंबर, 2009 B) 23 दिसंबर, 2009

   C) 20 फरवरी, 2004 D) 02 जून, 2004

14.9 संदर्भ पुस्तकें

1. तेलंगाणा चरित, सुंकीरेड्डी नारायण रेड्डी
2. आंध्र प्रदेश राष्ट्र राजकीयालु - मरमराजू सत्यनाराणया राव

15 तेलागाणा राज्य का गठन सामाजिक एवं आर्थिक विकास

15.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- तेलंगाणा राज्य के गठन के समय निहित परिस्थितियों की व्याख्या करते हैं।
- तेलंगाणा की भौतिक विशेषताओं, जलवायु तथा वन नीतियों की व्याख्या करते हैं।
- राज्य जनसंख्या की विशेषताओं की व्याख्या करते हैं।
- कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति तथा उसके विकास के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों का विश्लेषण करते हैं।
- नयी औद्योगिक नीति का विस्तृत वर्णन करते हैं।
- राज्य के विकास में सेवा क्षेत्र की भूमिका का आकलन करते हैं।
- जन कल्याण व सामाजिक विकास के लिए सरकार द्वारा अपनायी गयी विभिन्न योजनाओं की व्याख्या करते हैं।

15.1 परिचय

2 जून 2014 के दिन भारतीय गणतंत्र में तेलंगाणा के नये राज्य के गठन के साथ ही एक इतिहास का अंत तथा नये युग का आरंभ हुआ। तेलंगाणा राज्य के गठन को संयुक्त राज्य में तेलंगाणा के लोगों के खिलाफ भेदभाव पूर्ण शासन को समाप्त करने तथा बौद्धिक शक्ति, नयी भोजनाओं, नीतियाँ कार्यक्रमों को मान्यता देने के रूप में देखा जा सकता है। 'प्रगति-सभी के लिए न्या' के सिद्धांत का पालन करते हुए तेलंगाणा सरकार ने कई कार्यक्रमों के क्रियान्वयण का दृढ़ निश्चय किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाये ताकि यह साधारण व्यक्ति की पहुँच में हो तथा साधारण व्यक्ति इसका लाभ उठा सके। सरकार ने लोगों को शिक्षित करने तथा अच्छे स्वास्थ्य व खुशहाली के लिए शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र में निवेश करने का निश्चय किया।

किसानों व उनके परिवारों की निराशा को समाप्त करने, सिंचाई सुविधाओं को पुनर्जीवित करने तथा कृषि के लिए आवश्यक पानी उपलब्ध करवाने ताकि किसान फसल उगा सके, बीजों और रासायनिक किटनाशकों का उपयोग करने से रोकने बीजों को एकत्रित करने तथा बीज सब्सिडी मूल्य में देने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम आरंभ किये हैं।

केवल यही नहीं, नयी औद्योगिक नीति, आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान, तेलंगाणा में अभी तक हुए जनकल्याण और विकास के लिए किये गये कार्यक्रमों के बारे में भी इस अध्याय में चर्चा करेंगे।

15.2 तेलंगाणा की विशेषताएँ

15.2.1. तेलंगाणा की भौतिक विशेषताएँ

दूसरे अध्याय - 'भारत - स्थिति और भौतिक विशेषताएँ' में आपने तेलंगाणा की स्थिति के बारे में पढ़ा है।

2011 की जनगणना के अनुसार तेलंगाणा का क्षेत्र 1,14,840 वर्ग कि.मी. है। राज्य के विभाजन के पश्चात सरकार ने खम्मम के भूतपूर्व 7 मंडलों को पोलावरम परियोजना के निर्माण के लिए आंध्र प्रदेश को आबंटित कर दिया। इस प्रकार राज्य का विस्तार घट कर 1,12,077वर्ग कि.मी. हो गया। जनसंख्यानुसार व क्षेत्रानुसार तेलंगाणा राज्य का 12वाँ बड़ा राज्य है। 2019 के अंत तक यहाँ 33 जिले, 74 राजस्व विभाग तथा लगभग 590 मंडल थे। तेलंगाणा की राजधानी हैदराबाद देश का पाँचवा बड़ा शहर है।

तेलंगाणा क्षेत्र दक्कन पठार का भाग है। तेलंगाणा में दक्कन पठार का विस्तार समुद्र स्तर से 500-600 मीटर ऊपर हुआ है। गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, प्राणहिता, मूसी आदि नदियाँ तेलंगाणा में हैं।

15.2.2 तेलंगाणा की जलवायु, वर्षा वन

वन:

तेलंगाणा भूमध्यरेखा और कर्क रेखा के मध्य स्थिर है। अर्थात यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। राज्य का औसत उच्चतम तापमान 44^{o}C है और शीतकाल का औसत न्यूनतम तापमान 15°C है। तेलंगाणा पठार क्षेत्र में स्थित है तथा उस पर समुद्र का प्रभाव नहीं है इसीलिए यहाँ न्यूनतम व उच्चतम तापमानों में अंतर होता है। इस प्रकार की जलवायु 'अत्यधिक जलवायु' कहलाती है।

सामान्यतः तेलंगाणा में वर्षा अनिश्चित होती है। यह अनिश्चित वर्षा सिंचाई को निर्धारित करती है। तेलंगाणा में अधिकतम वर्षा खम्मम के तत्कालीन जिलों तथा न्यूनतम वर्षा महबूबनगर के पूर्वनर्त जिलों में रिकॉर्ड की गयी है। इस प्रकार खम्मम में अधिक वन क्षेत्र हैं तथा महबूबनगर जिले में कम वन क्षेत्र हैं।

तेलंगाणा की 25.46% भूमि वन के अंतर्गत है। भारत में वनों के अंतर्गत भूमि के विस्तार में तेलंगाणा का 12वाँ स्थान है। खम्मम, आदिलाबाद, वरंगल, निज़ामाबाद तथा करीमनगर के पूर्ववर्त जिलों में वनों के अंतर्गत भूमि का विस्तार हुआ है। वनों के अंतर्गत भूमि के विस्तार को बढ़ाने के लिए तेलंगाणा सरकार ने 'हरित हारम' योजना आरंभ की है तथा उसे क्रियान्वित कर रही है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. तेलंगाणा की भौतिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए।
2. तेलंगाणा क्षेत्र कौनसे पठार भाग में है?
3. तेलंगाणा में किस प्रकार की जलवायु है?

पता लगाइए

- क्या आपके जिले में कोई नदी बह रही है ?

15.3 तेलंगाणा की जनसांख्यिकीय विशेषताएँ

किसी भी क्षेत्र की विकास के लिए मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। कई संगठन ऐसे क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं जहाँ जनसंख्या अधिक है क्योंकि मानव संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तथा श्रमिक भी कम वेतन पर आसानी से उपलब्ध होते हैं।

भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार तेलंगाणा की जनसंख्या 3.52 करोड़ थी। राज्य के विभाजन के पश्चात खम्मम के पूर्ववर्ती 7 मंडल आंध्र प्रदेश को स्थानांतरित कर दिए गए, इसीकारण तेलंगाणा की जनसंख्या 3.10 करोड़ है। तेलंगाणा में लगभग 85% हिंदू, 12.6% मुसलमान, 1.3% ईसाई, 1% सिख, जैन, तथा बौद्धधर्मवादी है। यहाँ पर लगभग 77% लोग तेलुगुभाषी, 12.64% उर्दू, तथा शेष लोग अन्य भाषी है।

तेलंगाणा सरकार योजना विभाग सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोणिय रिपोर्ट 2020 के अनुसार हैदराबाद जिला 39.14 लाख जनसंख्या के साथ उच्च स्थान पर है तथा 2.94 लाख के साथ मुलुगु जिला सबसे नीचले स्तर पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार जनसंख्या का 61% भाग ग्रामीण क्षेत्रों तथा 39% भाग शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। राज्य की शहरी जनसंख्या के कुल भाग के 29% हैदराबाद में निवास करते है, जो राज्य का सबसे बड़ा शहर है। इसका कारण यह है कि आर्थिक विकास का विकेंद्रीकरण नहीं हुआ है।

15.3.1 जनसंख्या का घनत्व

प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या का घनत्व कहलाती है। तेलंगाणा की जनसंख्या का घनत्व 312 है। हैदराबाद सबसे घनी आबादी वाला जिला (18,172) तथा आदिला पूर्व आदिलाबाद (170) सबसे कम आबादी वाला जिला है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों के कुछ लाभ व हानियाँ होती हैं। घनी आबादी वाले क्षेत्र औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों की स्थापना को आकर्षित करते है, शिक्षा संस्थाएँ, अस्पताल तथा बैंकिंग क्षेत्र मार्केट को बढ़ाने में सहायक होते हैं.। घनी आबादी वाले क्षेत्र औद्योगिक व सेवा क्षेत्रों की स्थापना को आकर्षित करते है, शिक्षा संस्थाएँ, अस्पताल तथा बैंकिंग क्षेत्र मार्केट को बढ़ाने में सहायक होते हैं। किंतु इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर, स्वच्छता, पेयजल की आपूर्ति में कमी, स्लम क्षेत्रों में बढ़ोतरी, प्रदूषण तथा कृषियोग्य भूमि में कमी आदि से संबंधित समस्यों का सामना करना पड़ता है।

15.3.2 लिंग अनुपात

जनसंख्या में प्रति 1,000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या लिंग अनुपात कहलाती है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश का लिंग अनुपात 943 था। तेलंगाणा सरकार की सामाजिक आइर्थक विकास पृष्ठभूमि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाणा का लिंग अनुपात 988 है। राज्य के 33 जिलों में से 13जिलों ने 1000 से ऊपर लिंग अनुपात रजिस्टर किया है तथा अन्य 20 जिलों ने 1000 से कम रजिस्टर किया है। अधिकतम लिंग अनुपात निर्मल जिल्ले में (1046) तथा न्यूनतम संगारेड्डी जिलें में (950) है। लिंग अनुपात के कम होने का कारण महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव है। महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव को महिला साक्षरता तथा शिक्षा के अवसरों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है।

15.3.3 जनसंख्या – सामाजिक स्थापना

तेलंगाणा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों, अन्य पिछड़ी जातियों के लोग कुल मिलाकर कुल जनसंख्या का 80% पिछड़ी जातियों से संबंधित लोग हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, तेलंगाणा की जनसंख्या के 15.45% अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं। अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या नलगोंडा जिले में अधिक है तथा कुमारम भीम जिले में कम है। अनुसूचित जनजातियों के लोग भद्राद्री कोत्तगुड़म में अधिक तथा जोगुलांबा गद्वाल जिले में कम है।

15.3.4 साक्षरता

7 वर्ष या अधिक आयु का एक व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ व लिख सकता है उसे साक्षर माना जाता है। भारत की साक्षरता दर 74.04% तथा तेलंगाणा की 66.54% है। अर्थात तेलंगाणा की साक्षरता दर राष्ट्रीय साक्षरता दर से कम है। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलु यह है कि, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश जैसे कम आय वाले राज्यों में साक्षरता दर तेलंगाणा से

अधिक है जो चिंता का विषय है। पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में बहुत अंतर है। तेलंगाणा में पुरुष साक्षरता दर 74.95%, है, जबकि महिला साक्षरता दर57.92% है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लोगों का साक्षरता दर क्रमशः 57.92% और 49.51% है। इसका अर्थ है कि महिला साक्षरता दर बढ़ाने की आवश्यकता है। अर्थात सरकार महिला शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान करें।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक क्यों है?
2. हमारे देश में साक्षरता प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए।
3. लैंगिक समानता कैसे प्राप्त की जा सकती है?

15.4 तेलंगाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय

15.4.1 तेलंगाणा का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP)

एक वर्ष मेंर राज्य में उत्पादित सभी वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यह राज्य के आर्थिक विकास के मापन का महत्वपूर्ण सूचक है। सकल राज्य उत्पादन का आकलन राज्य आर्थिक सांख्यिकी विभाग के निदेशक, राज्य उत्पादन, आय आकलन तरीके से करते हैं।

1) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का विश्लेषण दो प्रकार से किया जा सकता है।
2) GSDP आय में तीन क्षेत्रों (प्राथमिक, माध्यमिक, तृतीयक) का हिस्सा, इन तीन क्षेत्रकों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन तथा विभिन्न क्षेत्रकों के महत्वप का विश्लेषण करना।

वर्ष 2019-20 के लिए वर्तमान मूल्यों पर GSDP का आकलन 9.70 लाख करोड़ (आर्थिकी और सांख्यिकी के निदेशक के अग्रिम आकलन के अनुसार) यह 12.6% का विकास दर दर्शाता है। वास्तव में, तेलंगाणा के गठन के बाद से, राज्य का विकास दर, भारत के विकास दर से आगे है।

तेलंगाणा गठित किया गया अंतिम राज्य है किंतु फिर भी कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा अपनाये गये कई कार्यक्रमों के कारण जल्दी ही इसमें विकास प्राप्त कर लिया। पशुधन, बिजली, उद्योग, संरचनात्मक सुविधाएँ तथा नगरीकरण ने तेलंगाणा के आर्थिक विकास में सहायता की है। तेलंगाणा का विकास जानने के लिए, इसकी तुलना राष्ट्रीय औसत से की जाय या अन्य राज्यों से जब इस प्रकार तुलना की जाय तो। यह समझा जा सकता है कि तेलंगाणा राष्ट्रीय औसत से आगे है तथा बड़ी तेज़ी से विकास कर रहा है। प्रथक राज्य के गठन से पूर्व तेलंगाणा का GSDP (वर्तमान मूल्य पर) 2013-14 में 4.02% था तथा 2019-20 में बढ़कर 4.76% हो गया। यह निम्नलिखित ग्राफ के द्वारा जाना जा सकता है।

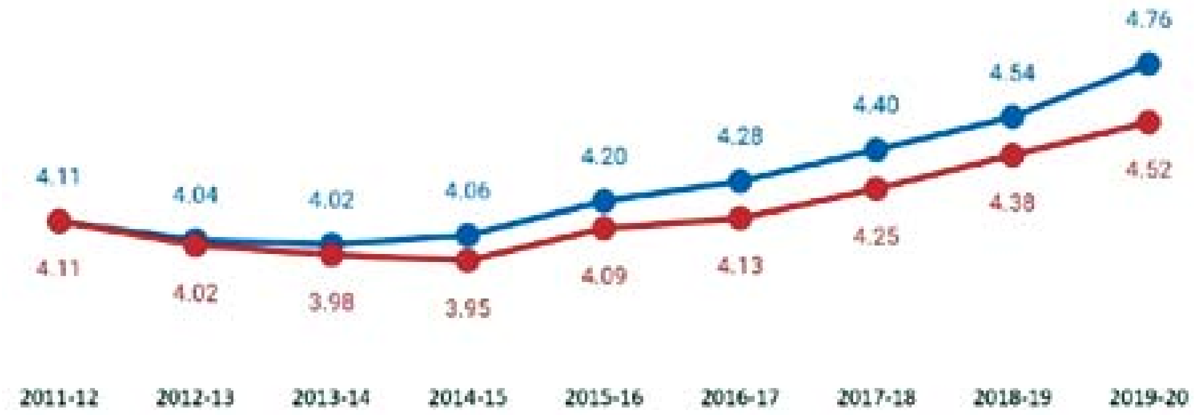

ग्राफ 15.1: देश के GSDP में तेलंगाणा का GDP

15.4.2 प्रति व्यक्ति आय

एक राज्य के विकास की तुलना करने के लिए उस राज्य की सकल आय उतनी उपयोगी नहीं होती। राज्य की जनसंख्या में अंतर के कारण यदि कुल आय की तुलना की जाय तो हम वैयक्तिक औसत आय जान सकते हैं। विभिन्न राज्यों या विभिन्न देशों के लोगों की आय की तुलना के लिए प्रति व्यक्ति आय को विचार में लिया जाता है।

प्रति व्यक्ति आय राज्य की बेहतर तस्वीर दर्शाती है। यह लोगों के जीवन स्तर पर अप्रत्यक्ष सूचक है। सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में तेलंगाणा की प्रति व्यक्ति आय 220 लाख (अग्रिम आकलन) थी। उसी काल में राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय 1.34 लाख थी। तेलंगाणा की प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्र की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है।

GSDP, के समान ही, जिला घरेलू उत्पाद की भी गणना की जा सकती है। सामान्यतः एक वर्ष में, विशेष काल के लिए एक जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य की गणना की जाती है। यह आकलन क्षेत्रीय असंतुलन को पहचानने तथा सुधारात्मक उपाय करने में उपयोगी होता है।

सामाजिक आर्थिक दुष्टिकोण - 2020 में दिए गए आँकड़ों के अनुसार 2018-19 के लिए अधिकतम सकल जिला घरेलू उत्पाद (GDDP) रंगा रेड्डी जिले (Rs.1.73 लाख करोड़) था और सबसे कम मुलुगु जिला (Rs.5.9 हज़ार करोड़) था। 2018-19 में अधिकतम प्रति व्यक्ति आय रंगा रेड्डी जिला 3.57 लाख, व न्यूनतम नारायणपेट जिला (Rs.98,220) थी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आपके अनुसार भारत की GSDP से तेलंगाणा की GSDP के अधिक होने के क्या कारण हो सकते हैं?
2. तेलंगाणा के कौनसे जिले में, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय दर्ज की गई?

पता लगाइए

- सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण -2020के अनुसार वर्ष 2018-19 के लिए आपके जिले की प्रति व्यक्ति का आय क्या है?

15.5 तेलंगाणा में कृषि क्षेत्र

15.5.1 कृषि क्षेत्र में चुनौतियाँ

कृषि क्षेत्र मुख्यतः कृषि आधारित होता है। यह शनैः शनैः कम हो रहे भूगर्भ जल स्तर पर निर्भर है। राज्य की जनसंख्या का 55.49% भाग अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि कार्य पर निर्भर हैं। राज्य का आर्थिक विकास भू मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। तेलंगाणा मुख्यतः एक कृषि आधारित राज्य है क्योंकि यह बढ़ती जनसंख्या को भोजन, उद्योगों को कच्चा माल, विदेशी व्यापार के द्वारा कृषि उत्पादननों का निर्यात, टैंकों की श्रृंखला नहरे तथा अन्य विभिन्न सुविधाओं को उपलब्ध करवाता है।

निर्वनीकरण, टैकों का अवसादन तथा सिंचाई परियोजनाओं के कारण हुए ग्लोबल वार्मिंग के कारण भूगर्भ जल का स्तर तेज़ी से गिरता जा रहा है। इसी कारण किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

अधिक उपज देने वाले बीजों की कीमत में तीव्र वृद्धि, कीटनाशकों, कृषि श्रमिकों की मज़दूरी औज़ार आदि ने भी किसानों को प्रभावित किया है। आर्थिक चुनौतियों को दूर करना तथा कृषि विकास करना राज्य व केंद्र सरकार दोनों का मुख्य एजेंडा है।

तेलंगाणा में कृषि उत्पादन का स्वरूप निम्न है:-

1. 61% की खेतीहर भूमि में खाद्यानों की खेती की जाती है, किंतु इसका प्रतिशत धीरे-धीरे कम हो रहा है।
2. 2018-19 में अधिकतर धान, मक्का व कपास की खेती की गयी।
3. फसलों की भागेदारी धीरे-धीरे कम हो रही और तथा खेती से अतिरिक्त क्रियाकलापों से आय में वृद्धि हो रही है। बगीचों को महत्व देने के कारण, राज्य की पहचान बगीचा केंद्रित क्षेत्र के रूप में की गयी है। 2018-19 में बागवानी फसलों के लिए 12.40 लाख एकड़ भूमि पर खेती की गई तथा 71.52 लाख मैट्रिक टन का उत्पादन किया गया। बागवानी फसलों का स्वरूप निम्नप्रकार है:

   i) 25.69 मैट्रिक टन फलों की खेती के लिए, 4.42 लाख एकड़ भूमि पर खेती की गई।

ii) बगीचों की फसलों के विस्तार में देश में राज्य का तीसरा स्थान है तथा फलों के आयात में 8वाँ स्थान पर है। हल्दी की खेती में तेलंगाणा पहला स्थान पर है।

बागवानी के महत्व को पहचानकर तेलंगाणा सरकार ने कई सब्सिडी कार्यक्रम आरंभ किए। पशुधन कृषि की एक और संबंद्ध गतिविधि है। वर्तमान में कृषि में पशुधन का योगदान बड़ रहा है। पशुओं को स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध करवाकर सरकार ने इस क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया है। पशुओं को पैर व महीने की बीमारियों को दूर करने के लिए सरकार कार्यक्रम चला रही है। भेड़ व बकरियों के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा क्लीनिक तथा डीवार्मिंग का भी प्रावधान है।

अंत में, कृषि में मत्स्य पालन तेज़ी से विकसित हो रहा है। रोज़गार का प्रावधान व आय भी इस क्षेत्र में कम हो रही है।

15.5.2 तेलंगाणा में भूमि का उपयोग

तेलंगाणा 112.08 लाख हेक्टर क्षेत्र में विस्तारित है। 2018-19, में इस क्षेत्र में 41.58% (46.60 लाख हेक्टर) पर खेती की जा रही है। अत्यधिक खेतीहर भूमि नलगोंडा व खम्मम जिलों (3.8 तथा 2.5 लाख हेक्टर क्रमशः) में है जबकि हैदराबाद जिला जो पूर्णतः शहरीकृत है वहाँ कृषिहर भूमि नहीं है।

जनगणना कि 2010-11 की खेतीहर भूमि होल्डिंग्स के अनुसार, राज्य में भूमि होल्डिंग्स की संख्या 55.54 लाख है। इन भूमि होल्डिंग का आकार 61.97 लाख हेक्टर था। तेलंगाणा में भूमि होल्डिंग्स का आकार धीरे-धीरे कम होता जा रहा है। 2010-11 में भूमि होल्डिंग्स का आकार 1.12 हेक्टर था जबकि 2015-16 में कम होकर एक (1) है। हेक्टर हो गया है। निज़ामाबाद, करीमनगर, मेदक, खम्मम तथा वरंगल के पूर्ववर्ती जिलों में 60% से भी अधिक भूमि होल्डिंग्स केवल नाममात्र के लिए हैं। पूर्ववर्ती आदिलाबाद जिलों में (1.40 हेक्टर) भूमि होल्डिंग्स का अधिकतम आकार रिकॉर्ड किया गया है तथा सबसे कम (0.92) निज़ामाबाद में।

15.5.3 वर्षा

तेलंगाणा में अधिकतर अनिश्चित वर्षा है। राज्य में वार्षिक औसत वर्षा लगभग 906 मी.मी. है। इसमें से 80% वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून से (जून से सितंबर) प्राप्त होती है। संपूर्ण राज्य में एक ही तरह से वर्षा नहीं होती है। मंडलों में वर्षा के पानी का वितरण विभिन्न प्रकार से होता है। इससे कृषि एक कहावत के रूप में बदल गई है कि कृषि ईश्वर वरुण देव की कृपा पर निर्भर है तथा एक जुआ बन गई है।

15.5.4. कृषि क्षेत्र में सरकार का योगदान

तेलंगाणा में कृषि क्षेत्र में कई बाधाएँ हैं। इन पर काबू पाने के लिए तथा किसानों की सहायता के लिए, सरकार ने कई योजनाएँ आरंभ की हैं। उनमें से कुछ योजनाओं की चर्चा यहाँ की गई है।

1) रैतु बंधु - कृषि में निवेश के लिए सहायता

कृषि में निवेश करने हेतु किसानों की सहायता के लिए तेलंगाणा सरकार ने रैतु बंधु योजना आरंभ की है। तेलंगाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा करीमनगर जिले के हुजुराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 10 मई, 2018 के दिन यह योजना आरंभ की गयी। इस योजना के अंतर्गत कृषि निवेश में समर्थन के लिए हर मौसम में किसानों को प्रति एकड़ 4,000/- रूपये दिया है।

2019 के खरीफ में यह राशि बढ़कर 5,000/- रू. कर दी गई। 2018 रबी से यह राशि सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में जमा की जा रही है। तेलंगाणा सरकार की इस योजना को मॉडल के रूप में लेकर विभिन्न राज्य सरकारों तथा केंद्र सरकार के द्वारा भी विभिन्न नामों से इसका क्रियान्वित भी किया जा रहा है।

2) रैतु बीमा

रैतु बीमा का मुख्य उद्देश्य किसी कारण से किसान अपना जीवन खो देता है तो आश्रितों और परिवार के सदस्यों को आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। जब किसान अपना जीवन खो देता है तो उसके परिवारजनों को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कठिन आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़था है। किसान का सामूहिक जीवन बीमा योजना मृतक किसान के परिवारजनों को आर्थिक सुरक्षा और राहत प्रदान करती है। 18 से 59 वर्ष के आयु वाले किसान इस योजना के तहत पंजीकृत हो सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम (सबसे बड़ी सार्वजनिक जीवन बीमा कंपनी) को पूरे प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। प्राकृतिक या अन्य कारण वश रजिस्टर्ड किसान की मृत्यु होने पर 10 दिन के भीतर नामांकित व्यक्ति के खाते में 5.0 लाख रुपये जमा कर दिये जाते हैं।

इन योजनाओं के अतिरिक्त सॉइल हेल्थ कार्ड कृषि निवेश के लिए कोऑपरेटिव बैंकों के द्वारा ऋण की मंजूरी, अनुदानित मूल्य पर बीजों का प्रावधान, परिदृश्य यंत्रीकृत कृषि पिछड़े वर्गों के लोगों के लिए 'यंत्र लक्ष्मी' योजना का आरंभ कृषि के लिए 24 घंटे निशुल्क बिजली की आपूर्ति, खेती की गयी फसल को स्टोर करने के लिए गोदामों (warehouse) का निर्माण किया जाता है। अनुदानित मूल्य पर ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर्स, ग्रीन हाउस, पॉली उस का अनुदानित मूल्य पर निर्माण, मोबाइल वेटरीनरी चिकित्सालय, पशु पालन के लिए क्लीनिक मछुआरों को गाड़ियों का वितरण आदि का सरकार द्वारा प्रावधान है। उनके सामाजिक - आर्थिक विकास के लिए तेलंगाणा सरकार के द्वारा ऐसे कई कार्यक्रम चलाये गये।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. तेलंगाणा की अर्थव्यवस्था में कृषि की क्या भूमिका है?
2. किसानों के कल्याण के लिए तेलंगाणा सरकार द्वारा चालायी गयी योजनाओं की व्याख्या कीजिए।

15.6 तेलंगाणा में औद्योगिक क्षेत्र

कृषि और उद्योग आर्थिक ढ़ाँचे की दो आँखों के समान है। कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति करता है, तथा औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को आवश्यक कृषि उपकरण की आपूर्ति करता है। बढ़ती जनसंख्या को रोज़गार अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, साथ ही कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी को कम करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र को विकसित करने की आवश्यकता है। तेलंगाणा की आर्थिक वृद्धि और विकास के लिए अपनायी जाने वाली एक महत्वपूर्ण रणनीति औद्योगिकरण है। पिछड़े क्षेत्रों का उपयोग, उपलब्ध खनिज संसाधनों और मानव संसाधनं के उपयोग से औद्योगिक विकास होता है।

तेलंगाणा देश महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्रों में से एक है। औद्योगिक अनुसार तेलंगाणा का छठा स्थान तथा सकल मूल्य संचयन के पहलुओं में आठवाँ स्थान है। तेलंगाणा सरकार उत्साही महिला उद्यमीयों, तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जन जातियों के लिए रचनात्मक अनूल वातावरण पर विशेष ध्यान दे रही है।

15.6.1 तेलंगाणा महत्वपूर्ण / मुख्य उद्योग

तेलंगाणा थोक दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि प्रसंस्करण, सीमेंट, खनिज आधारित, इंजीनियरिंग लेदर, लोहा, इस्पात, रत्न, आभूषण, जैव प्रौद्योगिकी, रक्षा उद्योग जैसे भारी उद्योगों का केंद्र है। तेलंगाणा में सूचना और प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, इंजीनियरिंग घटकों जैसे प्रौद्योगिकी आधारित उद्योगों का मज़बूत आधार है। ये उद्योग अधिकतर हैदराबाद तथा पूर्ववर्ती रंगारेड्डी करीमनगर व वरंगल ज़िलों में स्थित हैं। इन जिलों मे ंऔद्योगिक विकास की आवश्यकता है।

15.6.2 नई औद्योगिक नीति

तेलंगाणा में आर्थिक विकास के लिए अपनायी गयी मुख्य रणनीति औद्योगिकरण है। नये राज्य के लोगं में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के प्रति बहुत आशाएँ हैं। विकास के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपलब्ध संसाधनों का उपयोग, सार्वजनिक प्रतिभा का उपयोग, प्रत्येक घर में धन पैदा करने का कौशल, औद्योगिकरण के द्वारा तेलंगाणा के लोगों की उम्मीदों को पूरा किया जा सकता है।

इस संबंध में सरकार ने नयी 'औद्योगिक नीति रुपरेखा 2014'. का आरंभ किया है। तेलंगाणा के औद्योगिकरण के लिए दृष्टिकोण है- 'रिसर्च डू इन्नोवेशन, इन्नोवेशन टू इंडस्ट्री, इंडस्ट्र टू प्रॉस्पेरीटी' तेलंगाणा में औद्योगिकरण का नारा है – 'तेलंगाणा में –इनोवेट, इनक्यूबेट, इनकॉरपोरेट।' यह नीति व्यावसायिक विनियामक वातावरण प्रदान करती है जिसमें व्यावसाय करना हाथ मिलाने के समान आसान हो जाएगा।

1. आधारभूत मूल्य जिस पर नयी औद्योगिक नीति आधारित है वे निम्नलिखित हैं:

- सरकारी नियामक रूपरेखा औद्योगिक वृद्धि को बढ़ावा देती है।
- शांतिपूर्ण, सुरक्षित तथा प्रगतिशील नियमन व्यापारिक वातावरण में औद्योगिक विकास होता है।
- औद्योगिकरण बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर प्रदान करता है जो युवाओं के लिए बहुत उपयोगी है।
- औद्योगिकरण समावेशी है और सामाजिक समानता प्राप्त करने में सहायता करता है।
- राज्य में औद्योगिकरण के लाभ साधारण व सामाजिक वंचित वर्ग के लोगों तक पहुँचेगा।
- पर्यावरण को संरक्षित करना है तथा संभावित प्रभाव को कम किया जा सकता है।

2. नयी औद्योगिक नीति के उद्देश्य:

- वर्तमान उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना।
- औद्योगिक क्षेत्र में नये राष्ट्रीय व विदेशी निवेशको आकर्षित करना।
- ग्रामीण व शहरी युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर उत्पन्न करने के लिए निर्माण क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करना।
- प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर उच्च गुणवत्ता वाले सामान का उत्पादन।
- विस्तृत वैश्विक पहचान पाने के लिए 'मेड इन तेलंगाणा- मेड इन इंडिया' की ब्राँड के रूप में स्थापना करना।
- किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करना।
- निरीक्षण को कम करना तथा सुगमता को बढ़ाना।

निवेशकों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कर तथा औद्योगिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के द्वारा नयी औद्योगिक नीति ने औद्योगिक प्रगति को सक्षम बनाया। सरकार ने जल, बिजली, सड़क, भूमि जैसे संरचनागत सुविधाओं को उपलब्ध करवाकर सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। जिसके फलस्वरूप निवेश, रोज़गार अवसर तथा उत्पादन में वृद्धि हुई और कार्यवाही योजना को क्रियान्वित किया। इसने 'सिंगल विंडो सिस्टम' को आरंभ किया जो 15 दिनों के भीतर ही उद्योगों को अनुमति देता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता क्या है?
2. नयी औद्योगिक नीति के प्रति आपकी राय क्या है?
3. तेलंगाणा में औद्योगिक प्रगति की व्याख्या कीजिए।.

पता लगाइए

- आपके क्षेत्र में स्थित उद्योग का पता लगाइए।

15.7 तेलंगाणा में सेवा क्षेत्र

वे क्रियाकलाप जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, वे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उदाः- शिक्षण वैंकिंग आदि। इन क्रियाकलापों में संलग्न लोग वस्तुओं का उत्पादन नहीं करते। वे लोगों को अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं।

राज्य के विकासात्मक चरण में कृषि अर्थव्यवस्था औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बदल जाती है। एक बार अर्थ व्यवस्था तेज गति से विकसित होना शुरु होती है तो औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में सेवा क्षेत्र तेजी से विकसित होता है। सेवा क्षेत्र इन गतिविधियों को उपलब्ध करवाता है जो महसूस नहीं की जा सकती है। ये गतिविधियाँ राज्य की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बढ़ायी जाती है। वस्तुओं के उत्पादन में आवश्यकता से कम पूँजी निवेश करके अधिक मानव संसाधनों को उपलब्ध करवायी जाती है।

आज, सेवा क्षेत्र प्रमुख क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसे तेलंगणा की प्रगति के लिए सबसे अधिक योगदान देने वाले क्षेत्र के रुप में मान्यता प्राप्त है। मुख्यतः व्यापार, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, रसद, संचार, सूचना प्रौद्योगिकी तथा संबंद्ध गतिविधियों, मरम्मत, आर्थिक गतिविधियाँ, अचल संपत्ति, शिक्षा व चिकित्सा सेवाओं, सामाजिक व वैयक्तिक सेवाओं, सार्वजनिक प्रशासन आदि गतिविधियों को सेवा क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है।

देश में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के उत्पादन और निर्यात के क्षेत्र में तेलंगाणा उच्च स्थान पर है। पर्यटन सेवा क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाता है। यह क्षेत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध करवाता है। रेस्टोरांट, परिवहन, मनोरंजन, स्वास्थ्य, टेक्सटाइल, आभूषण, रत्न आदि उप क्षेत्रों में भी प्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध करवाया जाता है। हैदराबाद की पहचान विश्व में सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं लाखों लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोज़गार उपलब्ध करवाते है। सूचना प्रौद्योगिकी अधारित सेवाएँ प्रदान करने के लिए हैदराबाद विश्व में एक गंतव्य स्थान माना जाता है।

पर्यटन वह क्षेत्र है जिसमें कई अवसर प्राप्त होते हैं। यह क्षेत्र राज्य के सामाजिक व आर्थिक विकास में काफ़ी हद तक मदद करता है। सरकार पर्यटन को कई उपलब्ध करा रही है। तेलंगाणा राज्य पर्यटन विकास निगम का गठन करके कई पर्यटन पैकेज/सेवाएँ उपलब्ध करवायी जा रही हैं। तथा विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई नवीन तरीकों का अनुसरण किया जा रहा है। परिणामस्वरूप रोज़गार के अवसर बढ़ते हैं तथा सेवा क्षेत्र में पर्यटन की योगदारी धीरे-धीरे बढ़ती है।

तेलंगाणा में कई सुंदर मंदिर व पूजनीय स्थल हैं। ये अब लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में परिवर्तित हो गये हैं। तेलंगाणा राज्य पर्यटन विकास निगम के पास हैदराबाद के समीप चिलकुर बालाजी मंदिर, भद्राचलम में सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर, बासरा में सरस्वती देवी मंदिर, यादाद्री में लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर जाने के लिए कई पैकेज टूर हैं। वेमुलवाड़ा में राज राजेश्वरी मंदिर, कोंदगट्टू हनुमान मंदिर धर्मपुरी नरसिंह स्वामी मंदिर, पालमपेट में रामप्पा मंदिर, वरंगल, आलमपुर में जोगुलंबा मंदिर, पर्यटकों को सुविदाएँ उपलब्ध करवाने के लिए कई विकास कार्य किये गये हैं। यादाद्री मंदिर को TTD के समान विकसित करने के लिए सरकार ने आवश्यक धन आबंटित किया है। इस परियोजना के अंतर्गत 400 एकड़ नरसिंह स्वामी आरक्षित वनों के विकास के साथ साथ सरकार 1,600 एकड़ में पार्क, कल्याण मंडप, ध्यान मंदिर, वेद पाठशाला तथा कुटियों का भी निर्माण कर रही है। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्सहन के कारण लाखों लोगों को रोज़गार मिला है तथा राज्य के सेवा क्षेत्र की सकल आय में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

सेवा क्षेत्र में कार्य करने वाले कई लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। सेवा क्षेत्र में रोज़गार के अवसर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं जितना की उसकी आय। यद्यपि सेवा क्षेत्र ने इस क्षेत्र में सभी क्रियाकलापों का विकास किया है किंतु यह समान रुप से वृद्धि नहीं कर रहा है। तेलंगाणा में सेवा क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोग कार्यरत हैं। एक ओर अच्छी तरह से शिक्षित और कुशल लोगों के लिए रोजगार हैं तो दूसरी ओर छोटे दुकानदार, मरम्मत का कार्य करने वाले, तथा वे जो परिवहन क्षेत्र में हैं बड़ी संख्या में हैं। उनके लिए अपना जीवन निर्वाह करना कठिन होता है। चूँकि उनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है, वे उसी सेवा क्षेत्र में कार्य जारी रखते हैं। इस प्रकार सेवा क्षेत्र का एक भाग ही महत्व प्राप्त कर रहा है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. सेवा क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? सेवा क्षेत्र में की गई कुछ गतिविधियों का उल्लेख कीजिए।
2. तेलंगाणा सरकार ने सेवा क्षेत्र को किस प्रकार महत्व दिया है?
3. क्या आप इस राय से सहमत है कि सेवा क्षेत्र का केवल एक भाग ही महत्व प्राप्त कर रहा है?

15.8 संरचनात्मक सुविधाओं का विकास

किसी क्षेत्र के विकास के लिए संरचनात्मक सुविधाएँ आवश्यक है। संरचनात्मक सुविधाओं की भूमिका को कम नहीं किया जा सकता है। ये सुविधाएँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थव्यवस्था को सहायता करती है।

सिंचाई, बिजली परियोजनाएँ, सड़क, जल आपूर्ति, रेलवे और हवाई अड्डे आदि आर्थिक (भौतिक) संचनात्मक सुविधाएँ हैं। पाठशालाएँ, विश्वविद्याल, अस्पताल, औषधालय आदि सामाजिक संरचनात्मक सुविधाएँ हैं। आर्थिक संरचनातमक सुविधाएँ विकास को सक्षम बनाती है जबकि

सामाजिक संरचनात्मक सुविधाएँ राज्य का विकास करती है। उदाहरण के लिए मिशन भागीरथ - सभी क्षेत्रों को पेय जल की आपूर्ति करता है, मिशन काकतीय - टैंकों से गाद निकालने तथा पुनःस्थापना करने के लिए, कालेश्वरम परियोजना-कृषि क्षेत्र को 24 घंटे निशुल्क बिजली की आपूर्ति करता है तथा कृषि क्षेत्र को सिंचाई जल संरचनात्मक सेवाएँ हैं।

15.8.1 सिंचाई

राज्य के विकास, जन कल्याण के लिए जल स्त्रोतों को बढ़ाने के लिए तेलंगाणा सरकार ने कई परियोजनाओं का निर्माण किया है। इसे प्राप्त करने के लिए इसने निम्नलिखित बातें रखीं।

1) कृषि क्षेत्र को समय पर जल की आपूर्ति
2) राज्य के सभी लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना।
3) औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक जल आपूर्ति।

न्यूनतम एक करोड़ एकड़ खेती योग्य भूमि को जल की आपूर्ति के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न सिंचाई परियोजनाएँ आरंभ की है। इसके संबंध में सरकार ने अपूर्ण प्रमुख व मध्यम सिंचाई परियोजनाओं, विद्यमान सिंचाई संरचनात्मक सुविधाओं, पिछली सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने तथा टैंकों का जीर्णोद्धार करने का लक्ष्य स्थापित किया है।

राज्य से होकर बहने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ गोदावरी, तथा कृष्णा तथा उनकी सहायक नदियाँ मूसी, मंज़ीरा, आदि हैं। इन नदियों के पानी का उपयोग करने के लिए सरकार ने 38 सिंचाई परियोजनाएँ आरंभ की हैं। इनमें से 22 प्रमुख सिंचाई परियोजनाएँ, 13 त्लघु सिंचाई परियोजनाएँ बाढ़ नहर तथा अन्य दो का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।

1. कालेश्वरम परियोजना

तेलंगाणा के पिछड़े क्षेत्र को सिंचाई सुविधाएँ उपलब्ध करवाने के लिए गोदावरी नदी के 180 TMC जल का उपयोग करने के लिए तेलंगाणा की सरकार ने कालेश्वरम परियोजना आरंभ की है।

इस परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ऊँचाई पर स्थित क्षेत्रों को उपलब्ध करवाने के लिए सिंचाई जल को ऊपर उठाकर गोदावरी नदी से 180 TMC जल का दिक्परिवर्तन श्रीपाड़ा वेल्लमपल्ली परियोजना को किया गया। तथा वहाँ से मिड़ मानेयर जलाशय को किया गया।
- आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक, नलगोंडा तथा रंगारेड्डी के पूर्ववर्ती जिलों में अतिरिक्त ayacut 18.25 लाख एकड़ उपलब्ध करवाना हैदराबाद तथा सिकंद्राबाद को पेयजल तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाना।
- भूगर्भ जल के स्तर को पुनः स्थापित करने के लिए भूपृष्ठ (सतही) जल का उपयोग करना।

लोगों को पेयजल, खेती के लिए सिंचाई जल तथा औद्योगिक उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवा कर यह निस्संदेहः कहा जा सकता है कि कालेश्वरम परियोजना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

2. मिशन काकतीय

तेलंगाणा में, सैकड़ों वर्षों से सिंचाई जल उपलब्ध करवाने के लिए टैंक मुख्य स्त्रोत है। कई वर्षों के टैंकों का रख रखाव ठीक से नहीं हो रहा है। तथा जमा हुए गाद को नहीं हटाया गया वे विलुप्त हो गये तथा अप्रयुक्त रह गए है। सतही जल की उपलब्धता कम हो गयी है तथा इसीलिए भूगर्भ जल का उपयोग बढ़ गया था। 85% खेती योग्य भूमि के लिए सिंचाई का मुख्य स्त्रोत वर्षा ही था। तेलंगाणा के अविरल भूभाग और वर्षा के स्वरूप के कारण खेतों में पानी की आपूर्ति तथा जल के प्रवाह पर नियंत्रण के लिए केवल जल का संग्रहण ही फायदेमंद कार्य है। राज्य में कृषि विकास के लिए टैंक प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है। टैंक मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने, जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण, सूखे की रोकथाम, पशुधन की सुरक्षा घरेलू उपयोग के लिए जल उपलब्ध करवाने, पर्यावरण व मौसम संरक्षण में सहायता करते हैं।

तेलंगाणा सरकार ने मिशन काकतीय (मना उरू – मन चेरुवु)के अंतर्गत सामाजिक भागेदारी के विकेंद्रीकरण के भाग के रुप में 40,531 खनिज जल संसाधन परियोजनाओं को आरंभ किया।

3. मिशन भागीरथ

राज्य के प्रत्येक घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए तेलंगाणा सरकार ने 'मिशन भागीरथ' आरंभ किया। मिशन भागीरथ गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में कोमटीबंडा में 2 अगस्त 2016 के दिन प्रधानमंत्री के द्वारा आरंभ किया गया था। यह परियोजना कृष्णा, गोदावरी तथा अन्य जल निकायों से स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति राज्य के गाँवों और शहरों के सभी घरों को करती है।

18.8.2 सड़क व इमारतें

परिवहर प्रणाली में सड़के बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह क्षेत्र संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण है। रेलवे की अनुपस्थिति में, सेवा क्षेत्र पर निर्भर क्षेत्रों के विकास में सड़कमार्ग भूमिका निभाते हैं। जहाँ परिवहन व्यवस्था अच्छी तरह कार्य करती है वहाँ आना-जाना आसान होता है तथा उत्तम आर्थिक अवसर प्राप्त होते हैं। विशेषतः अच्छी परिवहन प्रणाली ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों को जोड़कर वस्तुओं और सेवाओं के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. तेलंगाणा राज्य के विकास में संरचनात्मक सुविधाओं की भूमिका स्पष्ट करें।
2. तेलंगाणा सरकार ने मिशन काकतीय क्यों आरंभ किया?

15.9 सामाजिक कल्याण और विकास – कल्याणकारी योजनाएँ

तेलंगाणा राज्य के गठन के समय से तेलंगाणा सरकार पिछड़े वर्ग की सहायता और कल्याण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा व क्रियान्वयन कर रही है। इन कल्याणकारी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्ग का विकास करना तथा उन्हें राज्य के विकास का हिस्सा बनाना है। खाद्य सुरक्षा के भाग के रुप में सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा जिनके पास सफेद राशन कार्ड है उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य को 6 किलो चावल बाँटती है। हाल ही में आसरा पेंशन की कुल राशी भी बढ़ा दी गई है। गरीबी से जूझ रहे परिवार ऋण का शिकार हुए बिना ही कल्याण लक्ष्मी का लाभ उठा सकते हैं तथा अल्पसंख्यक शादी मुबारक योजना का लाभ उठा सकते हैं।

ICDS योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार पोषण आहार, निशुल्क स्वास्थ्य जाँच, गरीब गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करती है। राज्य के लोगों की जीवन सुरक्षा व कानून व्यवस्था की सुरक्षा करना सरकार का कर्त्तव्य है। इसके एक भाग के रूप में पुलिस विभाग ने हैदराबाद शहर में सीसी कैमरे लगवाये हैं। इसके साथ ही महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने के लिए 'शी टीम' बनायी गयी है।

सामाजिक पिछड़ापन विकास में बाधक होता है, राज्य विकास के पथ पर तभी अग्रसर हो सकता है जब सरकार इस सामाजिक पिछड़ेपन को समाप्त करेगी, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को उनकी आय के स्तर को बढ़ाने में सहायता करेगी तथा लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाएगी। चलिए इन पर चर्चा करें।

15.9.1 आसरा पेंशन

गरीब लोगों को सभ्य और सुरक्षित जीवन प्रदान करने की रणनीति के रुप में सरकार ने आसरा पेंशन योजना आरंभ की। सरकार ने इस योजना का आरंभ वृद्ध लोगों, HIV से संक्रमित लोगों, विधवाओं, जो कार्य करने की क्षमता खो चुके है, बुनकर जिन्होंने अपनी आजीविका खो दी है, आदि को सुरक्षित जीवन प्रदान करने के लिए किया था। आज श्रमिक आसरा पेंशन इन सभी लोगों को उनकी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए दी जाती है।

2019 के बाद से 3 वृद्ध लोग, विधवाओं, बीड़ी कार्यकत्ताओं, ताड़ी कार्यकर्त्ताओं, एकल महिलाएँ, एलिफैंथिस और एड्स की बीमारी से संक्रमित लोगों के लिए आसरा पेंशन 1,000/- रूपये से बढ़ाकर 2,016/-त रू. कर दी गयी है तथा वृद्ध कलाकारों के लिए 1500 से बढ़ाकर 3,016 रू. कर दी गयी है।

15.9.2 आर्थिक सहायता योजनाएँ

i) अनुसूचित जातियाँ को आर्थिक सहायता योजना : इन योजनाओं का उद्देश्य आय उत्पन्न करने वाले का निर्माण करना है। ये योजनाएँ अनुसूचित जातियों के लिए सामाजिक व आर्थिक विकास के लिए हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन तेलंगाणा अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम के माध्यम से किया जाता है।

ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए आर्थिक सहायता योजनाएँ : कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, लघु सिंचाई योजनाएँ, पशु पालन तथा स्व-रोजगार उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों में आर्थिक सहायता योजनाओं के क्रियान्वयन के द्‌वारा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा।

अनुसूचित जनजातियों के लिए चालक बनाम मालिक योजना: यह योजना अनुसूचित जनजाति के ड्राइवरों को सहाया करने के लिए है। अनुसूचित जनजाति से संबंधित ड्राइवरों में ड्राइविंग कौशल बढ़ाने के लिए सरकार ने मारति ड्राइविंग स्कूल के द्‌वारा उन्हे प्रशिक्षण दिया तथा सब्सिडी पर उन्हें वाहन प्रदान किया।

iii) पिछड़े वर्गो के लिए आर्थिक सहायाण्त योजनाएँ : राज्य में पिछड़े वर्गों के लिए तेलंगाणा सरकार ने इन योजनाओं का क्रियान्वयन पिछड़ा वर्ग निगम के द्‌वारा किया। इन योजनाओं का उद्‌देश्य उनकी आय बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता देना है। सरकार ने आधुनिक लाँड्री यांत्रिक इकाइयों, नाइयों के लिए ब्यूटीशियन कोर्स का प्रशिक्षण, नयी योजनाएँ, आर्थिक क्रियाकलापों के लिए सामान्य प्रशिक्षण आदि प्रदान करने के लिए अनुदान राशी अनुमोदित की। अल्पसंख्यकों के लिए भी इसी प्रकार की योजनाएँ लागू की जा रही हैं।

iv) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना: 2 अक्तूबर 2014 के दिन तेलंगाणा सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना आरंभ की। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों की ऐसी लड़कियाँ जिन्होंने 18 वर्ष आयु पूर्ण करली हो तथा जिनके माता-पिता की आय 2.0 लाख रुपये से अधिक न हो इणस योजना के लिए योग्य है। इसके भाग के रूप में सरकार दुल्हन के विवाह के खर्च के रुप में 1,00,116/- रुपये देती है।

v) पिछड़े वर्गो और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्गों के लिए कल्याण लक्ष्मी योजना : 2016-17 के बाद से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए भी कल्याण लक्ष्मी योजना का विस्तार किया गया।

vi) शादी मुबारक : यह योजना तेलंगाणा की अल्पसंख्यकों की लड़कियों के लिए है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो तथा जिनके माता-पिता की आय 2.0 लाख रूपये से अधिक नहीं है उन्हें सरकार 1,00,116/-. रुपये देती है।

vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली: 01.10.2015 से तेलंगाणा में राष्ट्रीय खाद्‌य सुरक्षा क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत परिवार के प्रत्येक सदस्य को 1 रूपया प्रति किलो के आधार पर 6 किलो चावल दिया जाता है। अंत्योदय कार्ड धारकों व अन्ना योजना कार्ड धारकों को 1 रूपये प्रति किलो के आधार पर 35 कि.ग्रा. चावल दिये जाते हैं तथा अन्ना योजना कार्ड धारकों को निशुल्क 10 कि.ग्रा. चावल अतिरिक्त दिए जाते हैं।

viii) अन्य कार्यक्रम : इनके अतिरिक्त आरोग्य लक्ष्मी योजना के अंतर्गत पोषक भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है, बस्ती दवाखाने खोले गए, महिला सशक्तिकरण केंद्रों की सखी केंद्रों, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, आदि की स्थापना की गई। इस प्रकार विभिन्न वर्गों के लोगों के लिए कई कार्यक्रम आरंभ किए गए।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. तेलंगाणा में लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख कीजिए।
2. अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू की गई कल्याणकारी योजनाओं की व्याख्या कीजिए।

15.11 सारांश (मुख्य बिंदु)

- तेलंगाणा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के मध्य स्थित है।
- रैतु बंधु किसानों को पूँजी सहायता देने के लिए है।
- खाद्य सुरक्षा, आसरा पेंशन, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, कांति वेलुगु जैसे कार्यक्रम हमारे राज्य में मानव संसाधनों को बढ़ाते हैं।
- औद्योगिक इकाइयों को 15 दिनों के भीतर अनुमति देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम आरंभ किया गया।
- औद्योगिक विकास के लिए अन्य राज्यों व देशों से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नयी औद्योगिक नीति बनायी गयी।
- सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं के लिए मुख्य केंद्रों में से हैदराबाद एक है।
- कृषि व औद्योगिक क्षेत्र को जल उपलब्ध करवाने के लिए कई नयी सिंचाई परियोजनाएँ बनायी गयी तथा पुरानी सिंचाई योजना परियोजनाओं का आधुनिकीकरण किया जा रहा है।
- पिछड़े वर्गों के लिए आय उत्पन्न करने के लिए आर्थिक सहायता योजनाएँ बनायी गयी।
- तेलंगाणा राज्य में लघु सिंचाई जल संसाधनों को पुनर्जीवित करने के लिए सामाजिक भागेदारी के विकेंद्रीकरण के लिए 'मिशन काकतीय' आरंभ किया गया।

15.12 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. आर्थिक सहायता योजनाओं का मुख्य उद्‌देश्य क्या है?
2. किस सरकारी कार्यक्रम का उद्‌देश्य तेलंगाणा में प्रत्येक घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध करवाना है?

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजनाओं की व्याख्या कीजिए।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए।

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. तेलंगाणा में लागू किए गए कल्याणकारी क्रियाकलापों की व्याख्या करें।
2. औद्‌योगिक क्षेत्र में कौन-कौनसे परिवर्तन हुए?
3. किसानों को सहायता करने वाली औद्‌योगिक योजनाओं की व्याख्या कीजिए।
4. तेलंगाणा में उपलब्ध करवायी गयी संरचनात्मक सुविधाओं का आकलन कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वह क्षेत्र जिसे महसूस नहीं किया जा सकता - ( )

   A) औद्‌योगिक क्षेत्र B) कृषि क्षेत्र

   C) परिवहन क्षेत्र D) सेवा क्षेत्र

2. यह आर्थिक (भौतिक) संरचनात्मक सुविधाओं के अंतर्गत नहीं आता- ( )

   A) बिजली B) मंदिर C) परिवहन D) पाठशालाएँ

15.13 संदर्भ पुस्तकें

1. अर्थशास्त्र 'इंटरमीडियट द्‌वितीय वर्ष, तेलुगु अकादमी, हैदराबाद, 2020.
2. सामाजिक आर्थिक रुपरेखा-2020, योजना विभाग, तेलंगाणा सरकार.

16 भारत का संविधान - प्रस्तावना

16.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- यह व्याख्या करते हैं कि संविधान किस प्रकार आधारभूत और मौलिक कानून के साथ-साथ है।
- संविधान की प्रस्तावना का विश्लेषण करते हैं तथा उसमें प्रतिबिंबित मूल मूल्यों की पहचान करते हैं।
- भारतीय संविधान की प्रारूप समिति की व्याख्या करते हैं।
- भारतीय संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों की व्याख्या करते हैं।

16.1 परिचय

यह एक देश का संविधान ही है जो प्रावधान तैयार करता है, जिसके अनुसार विभिन्न संस्थाएँ व कार्यालय बनाये जाते हैं तथा कार्य किये जाते हैं। वास्तव में संविधान राजनैतिक प्रणाली के उन सभी पहलुओं को परिभाषित करता है जो एक देश के पास है और किसी भी चीज़ से ज्यादा महत्वपूर्ण है। संविधान कुछ मूल्यों को प्रतिबिंबित करता है जो उस राजनैतिक प्रणाली के मूलो को दर्शाते हैं। ये मूल्य केवल सरकार का ही नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर नागरिकों और समाज का भी मार्गदर्शन करते हैं। भारतीय राजनैतिक प्रणाली की प्रकृति क्या है? भारत को संघीय प्रणाली क्यों कहा जाता है? ऐसा क्यों कहा गया कि यहाँ संसदीय प्रकार की सरकार है? इस पाठ में हम इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे।

16.2 भारत का संविधान

आइए हम संविधान पर चर्चा से आरंभ करते हैं। किंतु इससे भी पहले इस प्रश्न का उत्तर जानना आवश्य है कि - 'संविधान' शब्द का अर्थ क्या है?

16.2.1 संविधान का अर्थ

संविधीन का अर्थ है मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह, आधारभूत नियम और स्थापित मिसालें (अर्थात मानक/घटनाएँ) यह राज्य के विभिन्न पहलुओं की पहचान, परिभाषित व नियमित

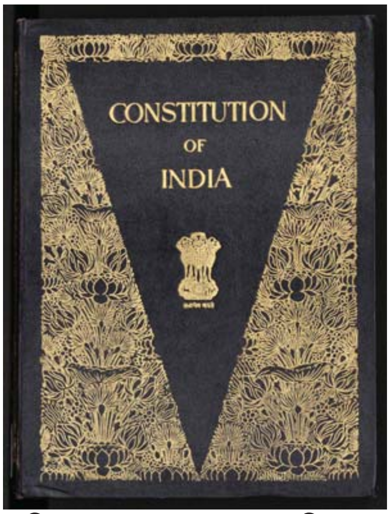

चित्र 16.1: भारत का संविधान

करता है तथा सरकार के तीन अंग-कार्यपालिका, विधानसभा व न्यायपालिका के अंतर्गत मुख्य संस्थाओं की संरचना, शक्तियाँ व कार्यों को नियंत्रित करता है। यह नागरिकों को अधिकार और स्वतंत्रता भी उपलब्ध करवाता है तथा एक नागरिक तथा राज्य और सरकार के मध्य संबंध को स्पष्ट करता है।

एक संविधान लिखित या अलिखित हो सकता है, किंतु इसके भूमि के मौलिक कानून शामिल हैं। यह सर्वोच्च और अंतिम अथॉरिटी है। कोई भी निर्णय या कार्य जो इसके अनुसार न किया गया हो वह असंवैधानिक और गैरकानूनी होगा। अधिकार के दुरुपयोग से बचने के लिए संविधान सरकार की शक्ति की सीमा निर्धारित करता है। इससे भी अधिक यह एक सांख्यिकी नहीं है बल्कि एक जीवंत दस्तावेज़ है, क्योंकि जब कभी अपडेट करने की आवश्यकता होती है तब इसमें संशोधन करना आवश्यक होता है। इसका लचीलापन इसे लोगों की बदली आशाओं समय की माँग ओर समाज में आये परिवर्तनों के अनुसार बदलने में सक्षम बनाता है।

क्या आप जानते हैं?

1942 में क्रिप्स मिशन ने आधिकारिक रूप से संवैधानिक सभा के गठन की घोषणा की थी। इसके परिणामस्वरूप, 1946, में कैबिनेट कमीशन की सिफारिशों पर संवैधानिक सभा (CA) गठित की गई।

16.2.2 भारत का संविधान – प्रारूप

26 जनवरी, 1950 के दिन संविधान प्रभाव में आया तथा तब से प्रति वर्ष इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत का संविधान मूल उद्देश्यों के साथ-साथ भारतीय राजनीतिक प्रणाली के सभी पहलुओं को परिभाषित करता है। इसमें संबंधित प्रावधान है-

a) भारत के प्रदेश

b) नागरिकता

c) मौलिक अधिकार

d) राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत तता मौलिक कर्तव्य

e) केंद्र, राज्य व स्थानीय स्तरों पर सरकार की संरचना व कार्यप्रणाली तथा

f) राजनैतिक प्रणाली के कई अन्य पहलु। यह भारत को सार्वभौमिक, प्रजातांत्रिक, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। इसमें सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रावधान है तथा एक नागरिक तथा राज्य के मध्य संबंध को परिभाषित करने का प्रावधान है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. संविधान का क्या अर्थ है?

16.3 संवैधानिक सभा

एक संविधान सभा या संवैधानिक सभा लोकप्रिय रुप से निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा या निकाय है जो संविधान या उसके समान दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने या अंगीकृत करने के लिए एकत्रित हुए हैं।

16.3.1 संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव

प्रतिनिधित्व के एकल, हस्तांतरीय-मतदान प्रणाली के द्‌वारा प्रांतीय विधानसभाओं के द्‌वारा किया गया था। संवैधानिक सभा की कुल सदस्यता 389 थी जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 93 प्रींसली राज्यों के प्रतिनिधि तथा दिल्ली अजमेर मेरवारा कूर्ग तथा ब्रिटिश ब्लूचिस्तान मुख्य आयुक्त प्रांतों से थे।

अगस्त 1946 तक ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को सौंपी गयी 296 सीटों के लिए चुनाव संपन्न हुए। कांग्रेस ने 208 सीटें जीती तथा मुस्लीम लीग ने 73। इस चुनाव के पश्चात मुस्लीम लीग ने कांग्रेस का सहयोग देने से इनकार कर दिया और राजनैतिक स्थिति बिगड़ गयी। तथा मुस्लिम लीग ने भारत में मुसलमानों के लिए पृथक संवैधानिक सभा की माँग की। 3 जून 1947 के दिन भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर-जनरल, लार्ड माउंटबेटन ने कैबिनेट मिशन योजना का समाप्त करने के अपने इरादे की घोषणा की, इसका समापन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में हुआ तथा भारत ौर पाकिस्तान के अलग-अलग राष्ट्रों का गठन हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित किया गया था तथा इस घटना के कारण 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। 9 दिसंबर 1946 के दिन पहली बार संवैधानिक सभा की बैठक हुई तथा 14 अगस्त 1947 के दिन भारत में ब्रिटिश संसद प्राधिकार के लिए एक संपूर्ण निकाय और उत्तराधिकारी के रूप में पुनः बैठक हुई। विभाजन के परिणाम स्वरूप माउंटबेटन की योजना के अंतर्गत 3 जून 1947 के दिन पाकिस्तान के लिए पृथक संवैधानिक सभा की स्थापना की गयी। इसमें पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की भारतीय संवैधानिक सभा की सदस्यता समाप्त कर दी गई।

पश्चिमी पंजाब व पश्चिमी बंगाल के लिए नए चुनाव आयोजित किए गए। पुनर्गठ' के पश्चात संवैधानिक सभा की सदस्य 299 थी तथा 31 दिसंबर 1947 के दिन सभा की गई। विभिन्न जाति, क्षेत्र, धर्म, लिंग आदि के 299 प्रतिनिधियाँ के द्‌वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। इन प्रतिनिधियों के 3 वर्षों (2 वर्ष 11 महीने 17 दिनों) में 114 दिन तक बैठ कर चर्चा की कि संविधान में क्या होना चाहिए और कौनसे कानून सम्मिलित किये जाने चाहिए।

क्या आप जानते हैं?

संवैधानिक सभा की पहली बैठक 9, दिसंबर 1946 के दिन दिल्ली में संसद के केंद्रीय हॉल में आयोजित की गई थी। पहली सभा में 211 सदस्यों (जिसमें 9 महिलाएँ भी शामिल हैं) ने भाग लिया। सभा 12 दिसंबर, 1946 तक चली। डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा संवैधानिक सभा के अंतरिय राष्ट्रपति तथा फ्रैंक एंथोनी उप राष्ट्रपति चुने गए। 11 दिसंबर, 1946 के दिन सदस्यों द्‌वारा डॉ. आर. राजेंद्रप्रसाद को सर्वसम्मति से संवैधानिक सभा का स्थायी राष्ट्रपति का चयन किया गया।

16.3.2 प्रारूप समिति

संवैधानिक सभा की सभी समितियाँ में सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी जिसकी स्थापना 29 अगस्त, 1947 के दिन की गई थी। यह वही समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने का कार्य सौंपा गया था। इसमें सात सदस्य थे। वे थेः- संविधान की प्रारूप समिति की अध्यक्षता डॉ. बी.आर. अंबेड्कर ने की थी।

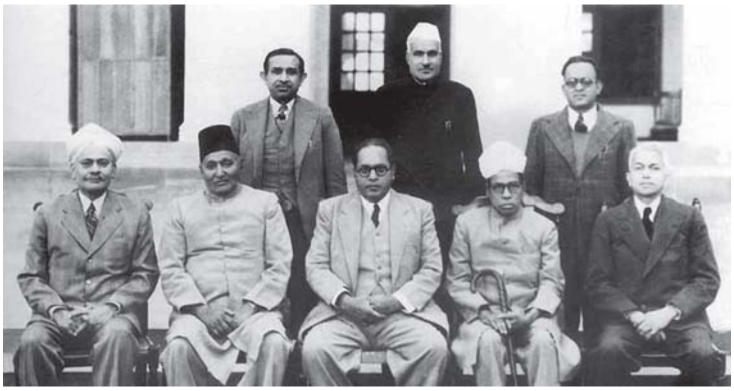

य.16.2: Members of Drafting Committee

1. डॉ. बी.आर. अंबेड्कर (अध्यक्ष)
2. एन. गोपालस्वामी अय्यंगार
3. अलालाड़ी कृष्ण स्वामी अय्यर
4. डॉ. के.एम.मुंशी
5. सय्यद मोहम्मद सादुल्लाह
6. एन. माधव राव (इन्होंने बी.एल.मित्तर का स्थान लिया था। जिन्होंने खराब स्वास्थ्य के द्वारा इस्तीफा दे दिया था।)
7. टी.टी. कृष्णमा चारी, (इन्होंने डी.पी. खेतान का स्थान लिया जिनकी मृत्यु 1948 में हुई।)

क्या आप जानते हैं?

अंतराष्ट्रीय वकील बेनेगल नरसिंघराव को संवैधानिक सभा के मुख्य परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया। ये वर्मा (वर्तमान-म्यांमार) के संविधान के प्रारूप बनाने में भी संलग्न थे।

16.4 भारत का संविधान - प्रस्तावना

किसी भी संविधान की प्रस्तावना एक संक्षिप्त परिचयात्मक वक्तव्य है जो दस्तावेज़ के मार्गदर्शक सिद्धांतों को व्यक्त करती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी ऐसा ही करती है इसीलिए भारत के संपूर्ण संविधान में संवैधानिक मूल्य परिलक्षित होते हैं। किंतु इसकी प्रस्तावना ''मौलिक मूल्यों तथा दर्शन जिस पर संविधान आधारित है, को दर्शाती है।

16.4.1 प्रस्तावना

हम, भार के लोग,
भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्म
निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य के
लिए तथा
उसके सभी नागरिकों को :
सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक
न्याय, विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास
धर्य और उपासना की स्वतंत्रता,
प्रतिष्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें
व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की
एकता और अखंडता सुनिश्चित
करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस
संविधान सभा में आज तरीख 26
नवंबर 1949 को एतद द्वारा
हम इस संविधान को अंगीकृत,
अधिनियमित और
आत्मार्पित करते हैं।

संविधान के (42वें संशोधन) अधिनियम1976, Sec.2, "संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य" (w.e.f. 3.1.1977) से लागू

संविधान (42वें संशोधन) अधिनियम1976, Sec.2, "राष्ट्र की अखंडता"(w.e.f. 3.1.1977)

16.4.2 प्रस्तावना – मूल्य

प्रस्तावना में दिए गए मूल्य संविधान के उद्देश्यों को दर्साते हैं। ये है संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, भारत राज्य का गणतांत्रिक लक्षण, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानव प्रतिष्ठा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता।

1. संप्रभुता: आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी। यह भारत को "एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य" घषित करती है। संप्रभु होने का अर्थ है संपूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च प्राधिकारिता होना। इसका अर्थ है कि भारत आंतरिक रूप से शक्तिशाली है तथा बाह्य रूप से बाह्य हस्तेक्षपों (किसी देश या व्यक्ति के) से स्वतंत्र है। तथा उसकी प्राधिकारिता को चुनौती देने वाला कोई नहीं है। संप्रभुता की यह विशेषता अंतरराष्ट्रीय समुदाय में राष्ट्र के रूप में अस्तित्व की गरिमा प्रदान करती है।

2. समाजवाद : आप इस बात से जागरुक होंगे कि भारतीय पारंपरिक समाज में सामाजिक व आर्थिक असमानताएँ निहित रही हैं। इसी कारण सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने तथा सामाजिक परिवर्तन को प्रचार करने के उद्देश्य से समाजवाद को एक संवैधानिक मूल्य बना दिया गया है। हमारा संविधान सरकार व लोगों को सभी क्षेत्रों में नियोजित और समन्वित सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के निर्देश देता है।

3. धर्मनिरपेक्षता: हमें इस बात से प्रसन्नता होती है जब कोई कहता है कि भारत विश्व के लगभग सभी प्रमुख धर्मों का घर है। इस बहुलता (अर्थात एक से अधिक या कई) के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता को एक महान संवैधानिक मूल्य के रूप में देखा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हमारा देश किसी एक धर्म या कोई धार्मिक विचार के द्वारा निर्देशित नहीं हैं। हालांकि भारतीय राज्य धर्मों के विरुद्ध नहीं है। यह अपने सभी नागरिकों को उनके द्वारा अनुसरण किये गये किसी धर्म को मानने, उपदेश देने या पालन करने की अनुमति देता है, साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कि देश का अपना कोई धर्म नहीं है। संविधान धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।

4. लोकतंत्र : प्रस्तावना लोकतंत्र को एक मूल्य के रूप में दर्शाती है। सरकार के रूप में यह अपना प्राधिकार लोगों की इच्छा से प्राप्त करता है। जनता देश के शासकों का चुनाव करती है तथा चयनित प्रतिनिधि लोगों के प्रति जवाबदेह होते हैं। भारत की जनता उनका चयन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली, जो 'एक आदमी एक वोट' के नाम से प्रसिद्ध है, के द्वारा विभिन्न स्तरों पर सरकार के भाग के रूप में करती है। लोकतंत्र समाज में स्थिरता और निरंतर प्रगति लाता है तथा यह शंतिपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन को सुरक्षित करता है। यह असहमति व्यक्त करने की अनुमति देता है तथा सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है।

5. गणतंत्र : भारत न केवल एक लोकतांत्रिक देश है बल्कि यह एक गणतंत्र भी है। गणतंत्र होने का प्रमुख चिह्न है राज्य के प्रधान का कार्यालय अर्थात राष्ट्रपति जिसका चयन राजतंत्र प्रणाली की तरह अनुवंशिकता के आधार पर नहीं होता बल्कि जिसका चुनाव होता है। यह मूल्य प्रजातंत्र को मज़बूत और पुष्ट करता है जहाँ भारत का प्रत्येक नागरिक राज्य के प्रथान के रूप में चुने जाने के लिए समान रूप से योग्य होता है। राजनैतिक समानता इस प्रावधान का प्रमुख संदेश है।

6. न्याय: समय-समय पर आप यह भी महसूस करते होंगे की अकेली लोकतांत्रिक प्रणाली नागरिकों को उसकी समग्रता में न्याय सुनिश्चितत नहीं करा सकती है। अब भी हम ऐसे कई मामलों का पता लगाते हैं जहाँ न केवल सामाजिक और आर्थिक न्याय बल्कि राजनैतिक न्याय भी नकारा जाता है। इसी कारण संविधान-निर्माताओं ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय को संवैधानिक मूल्यों के रूप में सम्मिलित किया है। ऐसा करके, उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान की गयी राजनैतिक स्वतंत्रता, सामाजिक-आर्थिक न्याय के आधार पर एक नये सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण होती है। प्रत्येक नागरिक को न्याय मिलना चाहिए। न्यायपूर्ण और समतावादी समाज का यह आदर्श भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक है।

7. स्वतंत्रता : प्रस्तावना विचारों, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था तथा प्रार्थना की स्वतंत्रमा को महत्वपूर्ण मूल्यों में से एक के रूप में दर्शाती है। ये सभी समुदायों के प्रत्येक सदस्य के लिए सुनिश्चित हो।

8. समानता : अन्य के समान ही समानता भी महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य है। संविधान प्रत्येक नागरिक को उसके विकास के लिए स्थिति और अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। एक इंसान के रूप में हर एक के पास एक गारिमापूर्ण आत्मा है और उसके पूर्ण उपभोग के लिए हमारे देश और समाज में किसी भी रूप में स्थित असमानता निषद्ध है। इसीलिए प्रस्तावना में विशेष रूप से परिभाक्षित समानता को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में रखा गया है।

9. बंधुता : भारत के सभी लोगों में सामान्य भाईचारों की भावना को दर्शाने वाले बंधुत्व के मूल्य को बढ़ावा देने की वचनबद्धता भी प्रस्तावना में की गई है। बंधुत्व की अनुपस्थिति में भारत जैसा बहुल समाज विभाजित हो जाएगा। इसीलिए न्याय, स्वतंत्रता तथा समानता जैसे सभी आदर्शों को अर्थपूर्ण बनाने के लिए प्रस्तावना ने बंधुत्व पर अधिक बल दिया है। वास्तव में, बंधुत्व को न केवल समुदाय के विभिन्न संप्रदायों में अस्पृश्यता को समाप्त करके महसूस किया जा सकता है बल्कि सभी सांप्रदायिक या समुदायों या यहाँ तक कि स्थानीय भेदभावपूर्ण भावनाओं को समाप्त करके जो भारत की एकता के मार्ग में खड़ी है।

10. व्यक्ति की गरिमा: व्यक्ति की गरिमा को समझने के लिए बंधुत्व को बढ़ावा देना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा को सुरक्षित करना आवश्यक है क्योंकि इसके बिना लोकतंत्र कार्य नहीं कर सकता है। प्रजातांत्रिक प्रशासन की सभी प्रक्रियाओं में प्रत्येक व्यक्ति की समान सहभागिता को सुनिश्चित करता है।

11. राष्ट्र की एकता और अखंडता : देश की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता बहुत आवश्यक है। इसीलिए देश के सभी निवासियों में एकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। हमारा संविधान देश के सभी नागरिकों से कर्तव्य के रूप में भारत की एकता और अखंडता की सुरक्षा करने और उसे बनाये रखने की उम्मीद करता है।

12. मौलिक कर्त्तव्य: हमारा संविदान नागरिकों द्वारा प्रदर्शन किए जाने वाले कर्त्तव्यों को निर्धारित करता है। यह सच है कि मौलिक अधिकारों के समान ये कर्त्तव्य कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, किंतु ये कर्त्तव्य नागरिकों द्वारा प्रदर्शित किए जाने हैं। फिर भी मौलिक कर्त्तव्यों का अधिक महत्व है क्योंकि ये देशभक्ति राष्ट्रवाद, मानवतावाद, पर्यावरणवाद, सामंजस्यपूर्ण जीवन, लैंगिक समानता, वैज्ञानिक स्वभाव व पूछताश तथा वैयक्तिक व सामूहिक उत्कृष्टता जैसे बुनियादी मूल्यों को दर्शाते हैं।

क्या आप जानते हैं?

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। उसी दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।

संवैधानिक कार्यान्वयन की तारीख: 26 जनवरी को संवैधानिक कार्यान्वयन तारीख के रूप में निर्धारित करने के पीछे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। नेहरू की अध्यक्षता में लाहोर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सभा (31 दिसंबर, 1929) में 26 जनवरी को 'पूर्ण स्वराज्य दिवस' के रूप में घोषित किया गया। इस अवसर को चिह्नित करने के लिए 26 जनवरी संविधान के कार्यान्वयन की तारीख के रूप में निर्धारित की गयी।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारतीय संविदान की प्रस्तावना में निहित दो महत्वपूर्ण संवैधानिक मूल्य लिखिए। आप इन दो मूल्यों को बहुत महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं?

16.5 भारत का संविधान - मुख्य विशेषताएँ

निदर्शन में दर्शाए गए अनुसार संविधान की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है:

लिखित संविधान : भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें एक प्रस्तावना, 22 भागों में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ तथा 5 परिशिष्ट शामिल है। यह मौलिक कानूनों का एक अभिलेख है जो राजनीतिक प्रणाली की प्रकृति तथा सरकार के अंगों की संरचना और कार्यप्रणाली को परिभाषित करता है। यह भारत के दृष्टिकोण को लोकतांत्रिक राष्ट्र के रूप में दर्शाता है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों तथा मौलिक कर्त्तव्यों की भी पहचान करता है। ऐसा करते समय, यह मुख्य संवैधानानिक मूल्यों को भी प्रतिबिंबित करता है।

कठोर व लचीलापन

भारतीय संविधान न तो ब्रिटिश संविधान के समान लचीला है और न ही US संविधान के समान कठोर है। यह निरंतरा और परिवर्तन के मूल्य को दर्शाता है। भारत के संविधान में संशोधन के तीन तरीके हैं। 1) इसके कुछ प्रावधानों को संसद में साधारण बहुमत के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। 2) कुछ को विशेष बहुत तथा 3) जबकि कुछ संशोधनों के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है तथा साथ ही राज्यों के अनुमोदन की थी।

मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य

संविधान राज्य के साथ-साथ अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध व्यक्तियों के अधिकारों की गारंटी देता है। इन अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में मौलिक कर्त्तव्यों के पहचान के प्रावधान है। जो 42वें संशोधन के द्वारा संविधान के 51(A) अनुच्छेद में सम्मिलित किए गये हैं। यद्यपि ये मौलिक अधिकारों के रूप में लागू नहीं होते। ये कर्त्तव्य संविधान में निहित कुछ मूल मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत

मौलिक अधिकारों के अतिरिक्त संविधान में एक खंड भी है जिन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। यह संविधान की एक अनोखी विशेषता है। इसका लक्ष्य अधिक से अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करना है तथा जनता की गरीबी कम करने और सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने में सहायता करने वाली नीतियों व कानूनों को लागू करने में राज्य के मार्गदर्शक के रूप में सहायता करती है।

एकीकृत और स्वतंत्र न्यायापालिका

संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय देशों की न्याय प्रणालियाँ के विपरीत, भारतीय संविधान ने एकीकृत न्याय प्रणाली की स्थापना की है। यद्यपि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रीय स्तर पर, हाईकोर्ट राज्य स्तर पर और अधीनस्थ न्यायालय जिला और निचले स्तर पर होते हैं, न्यायालयों का एकल पदानुक्रम है। पदानुक्रम के शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है। इस एकीकृत न्याय प्रणाली का उद्देश्य सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय सुनिश्चित करना व बढ़ावा देना है। इसके अतिरिक्त, संवैधानिक प्रावधान भारतीय न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जो कार्यपालिका और विधानमंडल के प्रभाव से मुक्त है।

एकल नागरिकता

भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधना है। क्या आप जानते हैं कि इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि देश में अपने निवास या जन्म स्थान से परे प्रत्येक भारतीय भारत का नागरिक है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के विपरीत है जहाँ दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। एक व्यक्ति एक राज्य का नागरिक है जहाँ वह निवास करता है साथ ही वह U.S.A. का भी नागरिक है। भारतीय संविधान में यह प्रावधान निश्चित रूप से समानता, एकता और अखंडता के मूल्यों को सुदृढ़ करता है।

सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार

संविधान के एक और मुख्य विशेषता में समानता और न्याय के मूल्य प्रतिबिंबित होते है। प्रत्येक भारतीय को एक निश्चित उम्र (वर्तमान में 18 वर्ष) का होने पर मतदान का अधिकार है। धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश और जन्म स्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अधिकार सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के रूप में जाना जाता है।

चित्र 16.3: पार्लमेंट ऑफ इंडिया

संघीय प्रणाली ओर सरकार का संसदीय प्रकार

भारतीय संविधान की एक और विशेषता यह है कि यह राज्य संघीय प्रणाली ओर सरकार का संसदीय रूप उपलब्ध कराती है। संघीय प्रणाली राष्ट्र की एकता और अखंडता के संवैधानिक मूल्य को प्रतिबिंबित करती है और इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से शक्तियों के विकेंद्रीकरण के मूल्य को दर्शाती है। सरकार का संसदीय रूप लोगों में निहीत संप्रभुता और उत्तरदायित्व के मूल्यों

को प्रतिबिंबित करना है। संसदीय सरकार का मूल सिद्धांत कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते हैं।

16.6 सारांश (मुख्य बिंदु)

- संविधान का अर्थ है मूलभूत सिद्धांतों का एक समूह, आधारभूत नियम और स्थापित मिसालें (अर्थात मानक/घटनाएँ).
- यह नागरिकों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए उपलब्ध करवायी गयी संस्थाों की शक्तियाँ और कार्यों को भी निर्दिष्ट करता है तथा एक नागरिक और राज्य की सरकार के मध्य संबंध को निश्चित करता है।
- भारत के संविधान उसके द्वारा स्थापित प्रणाली के आधारभूत उद्देश्यों को परिभाषित करता है। इसने भारत में संप्रभु, लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र की स्थापना की है।
- इसके पास सामाजिक परिवर्तन लाने व नागरिक ओर राज्य के मध्य संबंधों को परिभाषित करने के प्रावधान है।

16.7 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
2. एकल नागरिकता का क्या अर्थ है?

II. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौनसे संवैधानिक मूल्य प्रतिबिंबित किए गए हैं?
2. भारतीय न्यायपालिका को एकीकृत न्यायपालिका क्यों कहा जाता है?

III. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. संघीय प्रणाली की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?
2. दो कारण बताइए कि भारत का रूप संघीय है किंतु भावना एकात्मक है' ऐसा क्यों कहा जाता है?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. प्रारूप समिति के अध्यक्ष .... थे। ( )

   A) डॉ. राजेंद्र प्रसाद B) डॉ. बी.आर. अंबेड्कर

   C) जवाहरलाल नेहरू D) सरदार वल्लभ भाई पटेल

2. प्रति वर्ष 26 जनवरी को .... के रूप में मनाया जाता है क्योंकि भारत का संविधान लागू हुआ था। ( )

   A) स्वतंत्रता दिवस B) कानून दिवस C) राष्ट्रीय दिवस D) गणतंत्र दिवस

3. भारत का उच्चतम न्यायालय ( )

   A) सुप्रीम कोर्ट B) हाई कोर्ट C) जिला न्यायालय D) सत्र न्यायालय

4. सभी प्रकार की असमानताओं को समाप्त करने के लिए सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना .... के अंतर्गत आता है। ( )

   A) संप्रभुता B) धर्मनिरपेक्षता C) समाजवाद D) लोकतंत्र

16.8 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT, तेलंगाणा सामाजिक अध्ययन पुस्तकें

17 मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्त्तव्य

17.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- भारत के संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णनकरते हैं।
- मौलिक अधिकारों और मानव अधिकारों के मध्य अंतर स्पष्ट करते हैं।
- मौलिक कर्त्तव्यों की व्याख्या करते हैं।

17.1 परिचय

आजकल 'शिक्षा का अधिकार', 'सूचना का अधिकार' तथा 'शांतिपूर्ण तरीके के विरोध का अधिकार' जैसे शब्दों का उपयोग प्रायः किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि इन की चर्चा संविधान में हुई है या नहीं। भारत के संविधान अपने नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। ये मौलिक अधिकारों के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही, भारतीय संविधान कुछ मुख्य कर्त्तव्यों को भी सूचीबद्ध करता है जिसकी प्रत्येक नागरिक द्वारा निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। ये मौलिक कर्त्तव्यों के रूप में जाने जाते हैं। इस पाठ का उद्देश्य मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्त्तव्यों के विवरणों की चर्चा करना है।

17.2 अधिकारों और कर्त्तव्यों का अर्थ तथा महत्व

हम अक्सर 'अधिकारों' के बारे में बात करते हैं, किंतु क्या आप 'अधिकार' शब्द का अर्थ जानते हैं? अधिकार लोगों के बीच परस्पर संबंध के नियम हैं। वे राज्य और व्यक्तियों या समूहों के कार्यों पर बाधाओं और दायित्वों को रखते हैं। अधिकारों को व्यक्ति के दावों के रूप में परिभाषित किया गया है जो उसके विकास के लिए अनिवार्य है तथा समाज और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। अधिकारों को अक्सर सभ्यता के लिए मौलिक माना जाता है, समाज और संस्कृति के लिए आधार स्तंभ समझा जा रहा है।

किंतु अधिकारों का वास्तविक अर्थ तभी है जब व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों का पालन करें। एक कर्त्तव्य एक ऐसा कार्य है जिसकी किसी से करने की आवश्यकता या उम्मीद की जाती है। उदाहरण के लिए, माता-पिता का कर्त्तव्य है। छात्रों को शिक्षित करना शिक्षक का कर्त्तव्य है। वास्तव में, अधिकार और कर्त्तव्य दो पहिए है जिन पर जीवन का रथ आसानी से आगे बढ़ता है। जब अधिकार और कर्त्तव्य साथ-साथ चलते हैं तो जीवन सुगम बन जाता है और एक दूसरे का पूरक बन जाता है।अधिकार वे हैं जो हम चाहते हैं कि दूसरे हमारे लिए करें जबकि कर्त्तव्य वे कार्य हैं जो दूसरों के लिए करना चाहिए। इस प्रकार, अधिकार दूसरों के अधिकारों के लिए सम्मान दर्शाने के दायित्व

के साथ मिलते हैं। दायित्व जो कर्त्तव्यों के रूप में अधिकारों के साथ-साथ चलते हैं। यदि हमें परिवहन या स्वास्थ्य सेवाएँ जैसी सार्वजनिक सुविधाओं का आनंद लेने का अधिकार है, यह हमारा कर्त्तव्य है कि दूसरों को भी इसका लाभ उठाने दें। यदि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम इसका दुरुपयोग न करें और दूसरों को नुकसान न पहुँचाएँ।

क्रियाकलाप :– नीचे दिए गए डिब्बों में अपने अधिकारों व परिवार, मित्र और आस-पड़ोस के प्रति कर्त्तव्या लिखिए।

मेरे कर्त्तव्य

- मेरे परिवार से संबंधित
  1.
  2.
- मेरे मित्रों से संबंधित
  1.
  2.
- मेरे पड़ोसियों से संबंधित
  1.
  2.

मेरे अधिकार

- मेरे परिवार से संबंधित
  1.
  2.
- मेरे मित्रों से संबंधित
  1.
  2.
- मेरे पड़ोसियों से संबंधित
  1.
  2.

17.3 मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग III में मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। संविदान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है। 1) समानता का अधिकार, 2) स्वतंत्रता का अधिकार, 3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, 4) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, 5) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार 6) संवैधानिक उपचार का अधिकार। यद्यपि ये मौलिक अधिकार सार्वभौमिक है, संविधान कुछ अपवाद और प्रतिबंध प्रदान करता है।

> **सोचिए**
>
> क्या आप अपने कर्त्तव्यों और अधिकारों के बीच अंतर के बारे में सोचते हैं? क्या वे परस्पर संबंधित हैं? कैसे?

1. समानता का अधिकार

हमारे जैसे समाज में समानता का अधिकार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस अधिकार का उद्देश्य कानून का शासन स्थापित करना है जहाँ धर्म, जाति, वर्ण, लिंग तथा जन्म स्थल के भेदभाव के बिना कानून के समक्ष सभी नागरिकों को समा माना जाना चाहिए।

i) कानून के समक्ष समानता : संविधान गारंटी देता है कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति देश के कानून द्वारा समान रूप से संरक्षित किया जाएगा। कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका यह अर्थ है कि यदि दो व्यक्तियों ने एक ही अपराध किया है तो दोनों को बिना किसी भेदभाव के समान सजा मिलेगी।

ii) धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थआन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं: राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, वंश जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। सामांजिक समानता लाने के लिए यह आवश्यक है। भारत के प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के दुकानों, रेस्टोरांट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों की समान पहुँच या कुओं, तालाबों या सड़कों के समान उपयोग का अधिकार है। किंतु, राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए छूट या विशेष प्रावधान बना सकता है।

iii) सार्वजनिक रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों को अवसर की समानता: सार्वजनिक रोज़गार के मामले में राज्य किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सभी नागरिक आवेदन कर सकते हैं तथा राज्य के नागरिक बन सकते हैं। श्रेष्ठता और योग्यता रोज़गार के आधार होंगे। किंतु इस अधिकार के कुछ अपवाद है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) के नागरिकों के लिए पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान है।

iv) अस्पृश्यता का उन्मूलन: कानून के अंतर्गत किसी भी रूप में अस्पृश्यता का अभ्यास करना दंडनीय अपराध है। यह प्रावधान लाखों भारतीयों के सामाजिक स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास है जिन्हें तुच्छ समझा गया हो या उनकी जाति या उनके व्यवसाय की प्रकृति के कारण दूर रखा गया हो।

v) शीर्षकों का उन्मूलन: सर (नाइटहुड) या राय बहादुर जैसे खिताब जो ब्रिटिश शासन के समय ब्रिटिश वफादारों को दिए गए थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया क्योंकि उससे कृत्रिम प्रकृति के भेदभाव उत्पन्न हो गये थे। किंतु विभिन्न क्षेत्रों में देश के लिए सेवाएँ प्रदान करने वालों को भारत के राष्ट्रपति नागरिक या सैन्य पुरस्कार प्रदान कर सकते हैं। नागरिक अधिकार जैसेः- भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्म श्री तथा वीर चक्र, परम वीर चक्र, अशोक चक्र जैसे सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. क्या आप इस बात से सहमत है कि वास्तविक अर्थों में कानून के समक्ष सभी नागरिकों के लिए समानता है? कारण बताइए।

2. स्वतंत्रता का अधिकार

आप सहमत होंगे की स्वतंत्रता प्रत्येक जीवित प्राणी की पोषित इच्छा है। मानव को निश्चित रूप से स्वतंत्रता की इच्छा और आवश्यकता होती है। आप भी स्वतंत्रता चाहते हैं। भारत का

संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार अनुच्छेद 19-22 के अंतर्गत निर्धारित है। स्वतंत्रता के अधिकार की चार श्रेणियाँ निम्नलिखित है:

i) छः स्वतंत्रताएँ : संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित 6 स्वतंत्रताएँ प्रदान की गई है:

a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

b) शांतिपूर्वक और हथियारों के बगैर एकत्रित होने की स्वतंत्रता

c) एसोसिएशन और यूनियन बनाने की स्वतंत्रता

d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक घूमने की स्वतंत्रता

e) भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता

f) किसी भी पेशे को अपनाने की स्वतंत्रता या कोई भी व्यवसाय, व्यापार करने की स्वतंत्रता।

इस स्वतंत्रताओं को प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य लोकतंत्र के समुचित कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण का निर्माण और रखरखाव करना है। किंतु संविधान ने राज्य को उनमें से प्रत्येक पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने का प्राधिकार दिया है।

ii) अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण: संविधान का अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे कार्य के लिए जो उसके कार्यान्वयन के समय अपराध नहीं था, किसी को भी अपराधी नहीं ठहराया जाएगा तथा किसी को भी प्रचलित के अनुसार कानून किए गये अपराध से अधिक सजा नहीं दी जा सकती है। तथा किसी को भी एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या दंडित नहीं किया जा सकता तथा अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता है।

iii) जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता: अनुच्छेद 21, में दिये गये अनुसार, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार के बिना किसी को भी उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है।

iv) कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण : अनुच्छेद 22 यह दिया गया है कि जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यथासंभव व शीघ्र गिरफ्तारी का कारण सूचित किया जाय और उसे उसकी पसंद के कानूनी व्यवसायी के द्वारा परामर्श करने और बचाव करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारतीय संविधान में कौन कौनसी स्वतंत्रता दी गई हैं?

3. शोषण के विरुद्ध अधिकार

क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे समाज में कितने प्रकार से शोषण किया जाता है? आपने किसी छोटे बच्चे को चाय की दुकान पर कार्य करते देखा होगा तथा गरीब तथा अनपढ़ व्यक्ति को एक अमीर व्यक्ति के घर में काम करने के लिए मज़बूर करते हुए देखा होगा। परंपरागत

रूप से भारतीय समाज वंशानुगत है जिसने कई प्रकार से शोषण को प्रोत्साहित किया है। इसी कारण संविधान शोषण के विरुद्ध प्रावधान बनाता है। संविधान के अनुच्छेद 23 तथा 24 के द्वारा नागरिकों को शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देता है। ये दो प्रावधान है:

मानव तथा भिखारी और अन्य समान प्रकार के बंधुआ मज़दूर पर निषेध तथा इस प्रावधान का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा। संविधान में बताये गये अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु वाले कोई बालक को किसी फैक्टरी, या खान या किसी खतरनाक रोज़गार में संलग्न न किया जाय। इस अधिकार का उद्देश्य बाल श्रम की सबसे गंभीर समस्याओं को खत्म करना है जिसका सामना भारत युगों से कर रहा है।

4. धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार

जैसे की आप जानते है, प्रस्तावना में घोषित एक उद्देश्य है - ''अपने सभी नागरिकों के मान्यता, विश्वास और पूजा के अधिकार को सुरक्षित करना है।'' चूँकि भारत बहु धर्म देश है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और कई अन्य समुदाय एक साथ रहते हैं, संविधान भारत को 'धर्म निरपेक्ष राज्य' घोषित करता है। इसका अर्थ है कि भारत के राज्य का अपना कोई धर्म नहीं ही। किंतु यह सभी नागरिकों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म में विश्वास करने तथा पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। किंतु इससे दूसरों को धार्मिक विश्वासों या पूजा करने के तरीकों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए।

i) अंतरात्मा की स्वतंत्रता और पेशे अभ्यास और धर्म के प्रसार की स्वतंत्रता: सभी व्यक्ति समान रूप से अंतरात्मा की स्वतंत्रता तथा पेशे, अभ्यास और स्वतंत्रतापूर्वक धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि कोई दूसरे को जबरदस्ती या धन के बल पर अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मज़बूर करे या अवांछित रूप से अंधविश्वासों का पालन करने के लिए मज़बूर करें।

ii) धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता : सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर प्रत्येक धार्मिक समूह या अन्य वर्ग को अधिकार होगाः

a) धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रखरखाव करने।

b) धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने

c) चल और अचल संपत्ति का स्वाभित्व और अधिग्रहण करने

d) कानून के आधार पर ऐसी संपत्ति का प्रशासन करने

iii) किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर के भुगतान की स्वतंत्रता: किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव पर खर्चों के भुगतान में उपयोग किये गयी आय या कानून के अनुसार ऐसी संपत्ति के उपयोग पर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मज़बूर नहीं किया जाएगा।

iv) कुछ शैक्षिक संस्थाओं में धार्मिक निर्देश या धार्मिक पूजा करने की स्वतंत्रताः पूर्णतः राज्य निधियों से संचालित किसी भी शैक्षिक संस्था में किसी प्रकार का धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा। किंतु यह ऐसी शैक्षिक संस्थाओं पर लागू नहीं होती जो राज्य के द्वारा प्रशासित होती है किंतु किसी ट्रस्ट के तहत स्थापित की गई होती हैं जिसमें धार्मिक निर्देश देने की आवश्यकता होती है। ऐसी संस्था में धार्मिक निर्देश दिया जा सकता है। किंतु ऐसी संस्था में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को किसी भी धार्मिक कार्य में या वही आयोजित धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए मज़बूर नहीं किया जा सकता है। नाबालिक के मामले में ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए उसके अभिभावक की सहमति लेना अनिवार्य है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. 'शोषण के विरुद्ध अधिकार' को मौलिक अधिकार बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
2. आपके पास-पड़ोस में खुले आम होने वाले शोषण की चार वास्तविक जीवन परिस्थितियाँ लिखिए।

5. सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार :

भारत विश्व में विविध संस्कृति लिपियों, भाषाओं और धर्मों वाला सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जैसे कि हम जानते हैं लोकतंत्र बहुमत का शासन है। किंतु इसके सफलतापूर्ण कार्य के लिए अल्पसंख्यक भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। चूँकि लोगों को अपने स्वयं की संस्कृति और भाषा पर गर्व होता है, 'मौलिक अधिकारों' से संबंधित अध्याय में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार के नाम से जाना जाने वाला एक विशेष अधिकार भी सम्मिलित किया गया है। अनुच्छेद 29-30 में दो मुख्य प्रावधान दिए गए हैं।

अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा : अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति होने वाले किसी अल्पसंख्यक समूह को उसका संरक्षण करने का अधिकार है। धर्म, वर्ण, जाति, भाषा या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी नागरिक को किसी राज्य द्वारा संचालित या राज्य कोष से सहायता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता है।

6. संवैधानिक उपचार का अधिकार

चूँकि मौलिक अधिकार न्यायसंगत है, वे गारंटी के समान है। वे लागू करने योग्य हैं, क्योंकि यदि उनका उल्लंघन किया जाता है, तो प्रत्येक व्यक्ति को न्यायालय से सहायता लेने का अधिकार है। हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान कामूनी उपचार उपलब्ध करवाता है। जब हमारे कोई भी अधिकार का उल्लंघन होता है तो हम न्यायालयों के माध्यम से न्याय माँग सकते हैं।

17.4 शिक्षा का अधिकार (RTE)

86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 2002 में मौलिक अधिकारों के अध्याय में एक नया अनुच्छेद 21A आरंभ कर शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया है। यह माँग लंबेसमय से चली, आ रही थी ताकि 6-14 की आयु समूह के सभी बच्चे (और उनके माता-पिता) मौलिक अधिकार के रूप में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का दावा कर सके। देश को निरक्षरता से मुक्त बनाने में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। किंतु यह निरर्थक बना रहा क्योंकि 2009 में संसद द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित करने के पूर्व 2009 तक इसे लागू नहीं किया जा सका। यही वह अधिनियम है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत में 6-14 वर्ष की आयु वाला प्रत्येक बालक तथा जो पाठशाला से बाहर हो, पाठशाला जाय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करे, जो उसका अधिकार है।

बच्चों का अधिकार निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009

RTE अधिनियम 6-14 वर्ष की आयु समुह के सभी बचोचं को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए बनाया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 के लागू हुआ।

RTE अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधान

- बच्चों की पहुँच के भीतर पाठशालाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- पाठशाला की संरचनात्मक सुविधाओं में सुधार किया जाय।
- बालक की आयु के उपयुक्त कक्षा में नामंकन किया जाय।
- अन्य बच्चों के बराबर बनने के लिए बच्चों को विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है।
- विशेष आवश्यक्ता वाले बच्चों को अन्य बच्चों के समान शिक्षा के लिए उपयुक्त सुविधाएँ उपलब्ध करवाना।
- कोई भी बालक किसी प्रकार की फीस या शुल्क या खर्चों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो उसे प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने या पूरी करने से रोकते हैं। पाठशालाओं में प्रवेश के लिए किसी प्रकार की परीक्षा न ले जाय।
- एक ही कक्षा में बालक की दो बार पुनरावृत्ति न की जाय या नाम नहीं हटाया जाय।
- प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने से पहले पाठशाला में प्रवेश लेने वाले किसी भी छात्र को किसी भी कक्षा में दुबारा न रखा जाय था पाठशाला से नहीं निकाला जाय।
- बालक को किसी प्रकार का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न न पहुँचाया जाय।
- समय पर ट्रांस्फर या अन्य सर्टिफिकेट न दिये जाने पर प्रवेश के लिए इंकार नहीं किया जा सकते या प्रवेश में देरी नहीं की जाय।
- योग्य प्रत्याशियों को ही शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाय।
- शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रिया में, उपयुक्त दक्षता को प्राप्त करने के लिए बढ़ावा दिया जाय।
- प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण होने से पहले किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन न किया जाय।
- प्रारंभिक परीक्षा पूर्ण करने के लिए बालक चौदह वर्ष की आयु पूर्ण होने के पश्चात भी पाठशाला की पढ़ाई जारी रख सकता है।
- पिछड़े और उपेक्षित समुदाय से संबंधित बच्चों के प्रति भेदभाव या उससे संबंधित व्यवहार न किया जाय।
- पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के अनुरूप हो तथा बालक को भय और उत्कंठा से मुक्त रखा जाय तथा बालक को स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचार व्यक्त करने में सहायता की जाय।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. मौलिक अधिकारों का उल्लेख कीजिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए।

17.5 मानवाधिकार के रूप में मौलिक अधिकार

आप पहले ही पढ़ चुके है कि प्रत्येक नागरिक के हित के लिए मौलिक अधिकार वास्तव में अत्यंत आवश्यक है। हम यह भी जानते हैं कि लोग हमेशा बेहतर वातावरण निर्माण के लिए, बेहतर जीवन परिस्थितियाँ तथा मानव गरिमा के संरक्षण के लिए अन्याय, शोषण और असमानता के विरुद्ध संघर्ष करते हैं। ऐसे अधिकारों को सभी मनुष्यों को प्रदान करने के लिए विभिन्न अधिकारों को मान्यता देने के द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं। जो मानव अधिकारों के नाम से लोकप्रिय है। संयुक्त राष्ट्र की साधारण सभा ने 1948 में मानव अधिकारों को अपनाया तथा उन्हें मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में शामिल किए कुछ मानव अधिकार हैं: कानून के समक्ष

समानता, भेदभाव से स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रतातथा वैयक्तिक सुरक्षा, स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, विवाह और परिवार का अधिकार, सोचने का अधिकार, अंतःकरण और धर्म, शांतिपूर्वक सभा और संघ का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक कार्यों में भाग लेने का अधिकार है। यदि आप उपर्युक्त अधिकारों की शांतिपूर्वक जाँच करते हैं तो आप को अहसास होगा कि मानव अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं। इसीकारण र्क मानव अधिकार को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में स्थान प्राप्त हुआ है। जिन मानव अधिकारों को मौलिक अधिकारों के अंतर्गत स्थान नहीं मिल सका है उन्हें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त मानव अधिकांश के महत्व को ध्यान में रखते हुए इस गारंटी के साथ कि भारतीय नागरिक भी इस अधिकारों का आनंद लें, भारत की सरकार ने 1993में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. कोई चार मौलिक अधिकार लिखिए जो मानव अधिकार भी हैं।

17.6 मौलिक कर्त्तव्य

26 जनवरी, 1950 को लागू किए गए मूल संविधान में नागरिकों के कर्त्तव्यों के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया था। यह उम्मीद की गई थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्त्तव्यों की पूर्ति स्वेच्छा से करेंगे। किंतु उम्मीद के मुताबिक कुछ नहीं हुआ। इसीलिए 42 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा वर्ष 1976 में अनुच्छेद 51-A के अंतर्गत संविधान के IV भाग में दस मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गए।

किंतु, मौलिक अधिकार न्यायोचित हैं, मौलिक कर्त्तव्य गैर न्यायसंगत है। भारत के संविधान में निम्नलिखित दस कर्त्तव्यों का उल्लेख किया गया है।

प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य हो कि वहः

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्शो, संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शो को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें।
4. देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।
6. हमारी सामाजिक, संस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे।

8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें।

9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे।

10. व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें।

11. शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पारित होने के पश्चात एक नया कर्त्तव्य जोड़ा गया है। ''माता-पिता या संरक्षक को 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे अथवा प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करना होगा।''

17.7 सारांश (मुख्य बिंदु)

- अधिकार एक व्यक्ति के दावे है तथा ये उसके विकास के लिए अनिवार्य है और समाज या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।
- कर्त्तव्य वह है जो प्रत्येक को कई कारणों के लिए करना आवश्यक है जिसमें नैतिक व कानूनी उत्तरदायित्व भी सम्मिलित हैं।
- अधिकार और कर्त्तव्य परस्पर-निर्भर हैं।
- जबकि सभी अधिकार समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है, कुछ बहुत महत्वपूर्ण अधिकार राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं तथा संविधान में सम्मिलित किये गये हैं। ऐसे अधिकार मौलिक अधिकार कहलाते हैं।
- संविधान भारतीय नागरिकों को छह मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है जो निम्नलिखित हैंः (i) समानका अधिकार, (ii) स्वतंत्रता का अधिकार, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार (iv) धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, (v) सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार (vi) संवैधानिक उपचार का अधिकार
- यद्यपि ये मौलिक अधिकारसार्वभौमिक हैं, संविधान ने कुछ अपवाद और प्रतिबंध लगाये हैं।
- 42 वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत संविधान के IV भाग में मौलिक कर्त्तव्य जाड़े गये हैं।
- मौलिक अधिकार न्यायोजित हैं, मौलिक कर्त्तव्य गैर-न्यायोचित हैं।

17.8 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. संवैधानिक उपचार के अधिकार से क्या तात्पर्य है।

2. स्वतंत्रता के अधिकार के द्वारा प्रदान किए गए कोई दो अधिकार लिखिए?

3. शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए।

2. मानव अधिकारों का उल्लेख कीजिए तथा उनमें से किसी एक की व्याख्या कीजिए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. संविधान के मौलिक अधिकारों की व्याख्या समुचित उदाहरणों से कीजिए।

2. समानता के अधिकार के बारे में अपनी राय लिखिए।

3. मौलिक कर्त्तव्यों की व्याख्या कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. इस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने सभी नागरिकों के लिए स्वतंत्रता का अधिकार नियत किया गया है- ( )

A) अनुच्छेद 5-11 B) अनुच्छेद 20-30 C) अनुच्छेद 19-22 D) अनुच्छेद 40-45

2. 6-14 वर्ष के आयु समूह के बच्चे .... के रूप में निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का दावा कर सकते हैं। ( )

A) मौलिक अधिकार B) मौलिक कर्त्तव्य

C) नीति निर्देशक सिद्धांत D) उपर्युक्त में कोई नहीं

3. भारतीय संविधान अपने सभी नागरिकों को किसी भी धर्म में विश्वास तथा पूजा करने की पूर्ण स्वतंत्रता देता है। इसका अर्थ है भारत एक .... है। ( )

A) लोकतांत्रिक B) गणतांत्रिक राज्य C) संप्रभु राज्य D) धर्मनिरपेक्ष राज्य

4. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना- यह इसका निर्देश है- ( )

A) नीति निर्देशक सिद्धांत B) मौलिक अधिकार

C) मौलिक कर्त्तव्य D) उपर्युक्त सभी

17.8 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT, तेलंगाणा सामाजिक अध्ययन पाठ्यपुस्तकें

18 केंद्र, राज्य, स्थानीय सरकारें

18.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकारों के मध्य अंतर स्पष्ट करता है।
- राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के कार्यों व शक्तियों के बारे में वर्णन करता है।
- संसद की लोकसभा व राज्य सभा के कार्यों व शक्तियों के बारे में बताते है।
- लोकसभा, राज्य सभा सदस्यों की योग्यता के बारे में बताते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में बताते हैं।
- लोक सभा, राज्यसभा सदस्यों की योग्यता के बारे में बताते हैं तथा भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति की योग्यता के बारे में बताते हैं।
- सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों व कार्यों के बारे में बताते हैं।
- स्थानीय सरकारों की आवश्यकता इनकी उपयोगिता तथा विभिन्न स्तरों के बारे में बताते हैं।
- ग्राम पंचायत के सरपंच की शक्तियों व कार्यों के बारे में बताते हैं।
- मंडल परिषद् व ज़िला परिषद् के संगठन व उत्तरदायित्वों के बारे में बताते है।
- नागरपालिका, शहरी शासन के निगम तथा उसके संगठन, कार्यों तथा शक्तियों की व्याख्या करते है।

18.1 परिचय

सरकारों की कार्य प्रणाली किसी देश के विकास को प्रभावित करती है। विभिन्न सेवा क्षेत्रों के रूप में कृषि, उद्योग में विकास सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए विभिन्न स्तरों पर कृषि, उद्योग के विकास में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। रक्षा, विदेशी मुद्रा से संबंधित कानून कैौन बनाएगा। जो पूरे राष्ट्र के लिए उपयोगी है। राष्ट्री स्वास्थ, मुद्रा आदि राज्य न्यायालय में किसके अंतर्गत आती है। वन में स्वस्थ्य देखभाल में बढ़ोतरी हुई है। इसी प्रकार गाँव में स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट अच्छी होती है। राज्य न्यायपालिका में स्वास्थ्य, वन क्षेत्र में बढ़ोतरी तथा इसकी सुरक्षा की थी। उसी प्रकार एक बार स्वच्छता, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कौन करता है। उस गाँव के सेनीटेशन, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था एक गाँव में कैसे की जा सकती है, इस अध्ययन के द्वारा देखेगा।

18.2 केंद्र सरकार Central Government

- वर्तमान में भारत में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये केंद्र सरकार के नियंत्रण में होते हैं। अर्थात केंद्र सरकार द्वारा बनाये गये कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होते हैं। केंद्रीय स्तर पर सरकार तीन मुख्य अंगों के साथ कार्य करती है।

- **कार्यपालिका:** संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्री परिषद् होती है। संघ कार्यपालिका अपने लोगों के बेहतर जीवन के लिए विकास और कल्याणकारी गतिविधियों पर तथा देश और उसके लोगों के बाह्य और आंतरिक मामलों से संबंधित विभिन्न पहुलों पर नीतियों का निर्माण करती है।

18.2.1 राष्ट्रपति – चुनाव

भार का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह देश की पहचान की परिरक्षा करता है तथा संविधान और उसके मूल्यों को बनाये रखता है तथा वह देश का प्रथम नागरिक होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास केवल नाममात्र की शक्तियाँ होती हैं।

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों राज्य विधान सभाओं तथा विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य होते हैं।

18.2.2 भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता

- वह भारत का नागरिक होगा।
- 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका होगा।
- वह लोक सभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होगा।
- वह केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों के अंतर्गत लाभ का कोई कार्यालय नहीं रखेगा।

18.2.3 पद की अवधि

राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। वह पुनर्निवाचन के लिए योग्य है।

18.2.4. महाभियोग का प्रस्ताव

महाभियोग का प्रस्ताव 14 दिनों की पूर्व सूचना के साथ सदन के कुल सदस्यों कम से कम 1/4 भाग द्वारा हस्ताक्षित प्रस्ताव संसद के दो सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसे प्रस्ताव कुल सदनों के 2/3 सदस्यों के द्वारा पारित किये जाने चाहिए। तत्पश्चात प्रस्ताव को विचार और अनुमोदन के लिए दूसरे सदन में प्रस्तुत किया जाता है। यदि आरोप सिद्ध हो गए तथा दूसरे सदन के 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव पारित हो गया तो उसी क्षण से राष्ट्रपति पद से हटा दिया जाता है।

18.2.5 शक्तियाँ और कार्य

भारत के राष्ट्रपति के पास सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं।

शक्तियाँ

सामान्य शक्तियाँ
1) विधायी शक्तियाँ
2) कार्यकारी शक्तियाँ
3) वित्तीय शक्तियाँ
4) न्यायिक शक्तियाँ

आपातकालीन शक्तियाँ
1) राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ
2) संवैधानिक आपातकालीन शक्तियाँ
3) वित्तीय आपातकालीन शक्तियाँ

18.2.6 विधायी शक्तियाँ

राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों का अधिवेशन बुलाने तथा उसे समाप्त करने की घोषणा करने तथा लोकसभा को भंग करने की शक्ति है। वह लोक सभा में दो एंग्लों इंडियन तथा राज्यसभा के 12 सदस्यों को नामांकित करता है। जब संसद के दोनों सदनों के सत्र नहीं होते हैं तब राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। वह दोनों सदनों द्वारा पारित बिलों पर हस्ताक्षर करता है तब वे अधिनियम बन जाते हैं या पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है।

18.2.7 कार्यकारी शक्तियाँ

राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों में निम्नलिखित की नियुक्ति बहुत महत्वपूर्ण है।

1. भारत के प्रधानमंत्री
2. केंद्रीय मंत्रीपरिषद्
3. भारतीय अटॉर्नी जनरल
4. भारत के नियंत्रके व महा लेखक परीक्षक
5. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश
6. राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर
7. मुख्य चुनाव आयुक्त
8. राष्ट्रीय मानव अधिकार, आयोग, अध्यक्ष आदि

18.2.8. वित्तीय शक्तियाँ

राष्ट्रपति वित्तीय विधेयक को संसद में पेश करने की अनुमति देता है। वह भारत की आकस्मिक निधि को संचालित करता है। राष्ट्रपति, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए वित्तीय कमीशन की नियुक्ति करता है। वित्तीय कमीशन तथा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। वह सरकार के वार्षिक बजट को संसद के सामने प्रस्तुत करता है।

18.2.9 न्यायिक शक्तियाँ

भारत के राष्ट्रपति को दंड के लिए क्षमा, प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण करने के शक्ति है। वह संविधान से संबंधित मुद्दों पर न्यायिक सलाह ले सकता है। उसके पास रक्षा के तीन सेनाओं के सुप्रीम कमांडर के रूप में शक्ति है।

वह युद्ध तथा विराम घोषित कर सकता है। वह अंतर-राष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिनिधित्व करता है तथा भारत में नियुक्त अन्य देशों के राजदूतों का परिचय-पत्र प्राप्त करता है।

18.2.10 आपातकालीन शक्तियाँ

A) राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियाँ:

विदेशी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह के समय

B) राज्यों में

एक राज्य के गवर्नर से प्राप्त रिपोर्ट पर, जब सरकार संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करती है तब वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है।

जब राष्ट्रपति यह समझ जाये कि वित्तीय स्थिरता खतरे में है तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है।

18.3 उप-राष्ट्रपति - चुनाव - शक्तियाँ

गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व नामांकित सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते है। उसका कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। यदि व त्याग पत्र देदे या उसका निधन हो जाय तो चुनाव आयोग 6 मास के भीतर चुनाव का आयोजन कर सकता है।

शक्तियाँ :

भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन अध्यक्ष होता है। वह राज्य सभा की सभाओं की अध्यक्षता करता है। जब वोट समान रूप में बँट जाते है तब वह राज्य सभा में अपना मत प्रदान करेगा। चूँकि वह राज्य सभा का साधारण सदस्य नहीं है इसीलिए वह साधारण मतदान में भाग नहीं देता है। भारत के राष्ट्रपति के हटाये जाने, या इस्तिफा देने या मृत्यु होने पर यह भारत के राष्ट्रपति का पद संभालता है। यह अवधि केवल 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है।

18.4 प्रधान मंत्री - चुनाव

प्रधानमंत्री संघ सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ नाम मात्र की होती हैं। राष्ट्रपति प्रधान मंत्री तथा उसके मंत्री परिषद् के द्वारा पारित प्रस्तावों को अनुमोदित करता है। लोकसभा के लिए आयोजित साधारण चुनाव में बहुमत प्राप्त कर जीतने वाली पार्टी के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। यह अध्यक्ष प्रधानमंत्री बनता है।

18.4.1 प्रधान मंत्री - शक्तियाँ और कार्य

प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल का अध्यक्ष होता है। मंत्री परिषद् में मंत्रीमंडल के मंत्री राज्य मंत्री तथा उपमंत्री होते हैं। यह मंत्रीयों को विभाग आबंटित करता है। मंत्रीमंडल की सभाओं में एजेंडा निश्चित करना तथा उसकी अध्यक्षा करना प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व है। वह सदन का अध्यक्ष होता है। वह मंत्रीमंडल के प्रस्तावों को सदल में प्रस्तुत करता है। वह विरोधी दलों के साथ मुख्य मुद्दों पर चर्चा करता है।

18.4.2 केंद्रीय मंत्रीमंडल का मंत्रालय

प्रधानमंत्री मंत्रीमंडल का नेता होता है। मंत्री परिषद् में मंत्रीमंडल के मंत्री, राज्य मंत्री तथा उपमंत्री होते है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की योग्यता क्या है?
2. प्रधानमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बताइए।

18.5 विधान – संसद

संसद भारत की कानून बनाने वाली सर्वोच्च निकाय है। केंद्रीय विधानमंडल में भारत के राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन - लोक सभा और राज्य सभा आंतरिक निकाय होते हैं।

18.5.1 संसद – लोकसभा की संरचना

संसद की लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होता है। यदि सदन में कोई भी आंग्ल भारतीय (एंग्लो - इंडियन) का चुनाव नहीं हुआ हो तो भारत के राष्ट्रपति दो आंग्ल भारतीयों को नामांकित करते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। लोकसभा के सुचारू कार्य के लिए अध्यक्ष और उपसभापति चुने जाते हैं।

18.5.2 लोकसभा सदस्यों की योग्यता

चित्र. 18.1: भारतीय संसद भवन, नई दिल्ली

- भारत का नागरिक होना चाहिए
- 25 वर्ष आयू पूरी कर चुका हो
- आय के पद पर नहीं होना चाहिए
- संसद द्‌वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ होनी चाहिए।

18.5.3 लोकसभा की शक्तियाँ – कुछ मुख्य होनी चाहिए।

- विभिन्न बिलों पर बात करने के लिए पक्ष व विपक्ष के नेताओं को समय आबंटित करता है, मतदान करवाना तथा परिणाम घोषित करना।
- राष्ट्रपति के भाषण के रूप में धन्यवाद प्रस्ताव को अपनाना
- वार्षिक बज़ की स्वीकृति
- वित्तीय बिलों के साथ-साथ, सामान्य बिल भी सदन में प्रस्तुत किये जा सकते है।

18.6 संसद – राज्य सभा

“संसद का उच्च सदन राज्य सभा है। इसे बड़ों का घर भी कहा जाता है।

“18.6.1. संसद – राज्य सभा की रचना

“राज्य सभा अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है। राज्य सभा के सत्रों की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रपति करते हैं। सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। 238 सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों में से चुने जाते हैं। तथा 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवाओं जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों को नामांकित किया जाता है।

18.6.2 राज्य सभा के सदस्यों की योग्यताएँ

- भारत का नागरिक होना चाहिए।
- कम से कम 30 वर्ष की आयू पूरी कर चुका हो।
- आय अर्जित करने वाले किसी पद पर न हो।
- संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताओं के अनुरूप हो।

18.6.3 राज्य सभा – कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ तथा कार्य

- राज्य सभा के सत्रों की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के लिए राज्य सभा प्रस्तावों की पहल करता है।
- साधारण विधेयक राज्य सभा में प्रस्तुत किये जा सकते हैं।
- विभिन्न विधेयकों पर चर्चा की जाती है तथा मतदान का आयोजन भी किया जाता है।
- बजट पर भी विचार-विमर्श किया जाता है।

18.7 केंद्रीय न्यायपालिका

केंद्र सरकार ने केंद्रीय न्यायपालिका एक महत्वपूर्ण अंग है। न्यायपालिका सरकार की कार्य शैली का प्रमाण है।

18.7.1 भारत का सर्वोच्च न्यायालय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आरंभ 26 जनवरी1950 में किया गया। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट की रचना और शक्तियों का निर्माण करते समय ब्रिटेन व अमेरिका के न्याय प्रणाली को ध्यान में रखा। उन्होंने ब्रिटिश संविधान से कानून के नियम तथा अमेरिका के संविधान से न्यायिक समीक्षा को ध्यान में रखा।

18.7.2 सुप्रीम कोर्ट की संरचना

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30अन्य न्यायाधीश होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्यालय दिल्ली में स्थित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले संपूर्ण देश में लागू है। संसद के द्वारा पास किए गए प्रस्तावों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के आधार पर भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों में मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है।

18.7.3 न्यायाधीश की योग्यताएँ

सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए

- कम से कम 5 वर्षों तक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या
- कम से कम 10 वर्षों तक उच्च न्यायालय का वकील रहा हो
- राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिनिष्ठत न्यायवादि हो
- भारत का नागरिक हो

18.7.4 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल

भारत के प्रधान न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक पद पर रह सकते हैं।

18.7.5 सर्वोच्च न्यायालय - शक्तियाँ - कार्य

- सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत, यह केंद्र व राज्यों या राज्यों के बीच विवादों को सुलझा सकता है।
- संविधान और नागरिक तथा अपराधिक विवादों से संबंधित मुद्दों पर मुकदमा चला सकता है। तथा, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों पर भी मुकदमा चला सकता है।
- आवश्यकता पड़ने पर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है।
- सुप्रीम कोर्ट के फैसले रिकॉर्ड किए जाते है तथा संरक्षित किए जाते हैं। यह कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है।
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये कानूनों पर टिप्पणियाँ करता है। संविधान से संबंधित मुद्दों पर व्याख्या करता है। तथा संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है।
- अतीत में दिए गए इसके फैसलों की समीक्षा करता है। यह न्यायिक समीक्षा कहलाता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. लोकसभा के सदस्यों की योग्यताएँ क्या हैं?
2. राज्य सभा की संरचना के बारे में लिखिए।

18.8 राज्य सरकार

राज्य सरकारों की संरचना व संगठन संघीय सरकार के समान ही है। केंद्र में राष्ट्रपति के समान राज्य में गवर्नर तथा केंद्र में प्रधानमंत्री के समान राज्य में मुख्य मंत्री होता है।

18.8.1 राज्यपाल

राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि होता है। भारत के राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। राज्य सरकार के सभी मामले राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है।

राज्यपाल की योग्यताएँ

- उसे भारत का नागरिक होना चाहिए।
- वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- उसे संसद या राज्य विधान सभा का सदस्य नहीं होना चाहिए।
- उसे किसी आय आर्जित करने वाले पद पर नहीं होना चाहिए।

राज्यपाल की शक्तियाँ

कार्यकारी शक्तियाँ: राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्य मंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्य में वह विश्वविद्यालयों के कुलपति तथा विभिन्न आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। राज्य विधानमंडल के अवकाश के समय वह अध्यादेशों को करता है। वह राज्य सरकार के सचिव व महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है।

विधायी शक्तियाँ : राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठक बुलाता है तथा स्थगित करता है। वह राज्य विधानसभा के निचले सदन को भंग करता है। यदि सदन में कोई एंग्लो-इंडियन निर्वाचित नहीं हुआ है तो वह एक एंग्लो-इंडियन सदस्य को नामांकित करता है। वह राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए विधेयकों को अनुमति प्रदान करता है।

वित्तीय शक्तियाँ : राज्यपाल राज्य विधानमंडल को उसके समक्ष वार्षिक बजट रखने के अनुमती देता है तथा वित्तीय बिल को राज्य विधानमंडल के समक्ष रखने की अनुमति देता है। वह राज्य की आकस्मिक निधि की देखभाल करता है।

न्यायिक शक्तियाँ : राज्यपाल राज्य स्तर पर कानून के विरुद्ध कोई अपराध के दोषी व्यक्ति की सजा को निलंबिया, रोकना या रद्द कर सकता है या किसी दंड के लिए क्षमा, प्रविलंबन या लघुकरण कर सकता है।

18.8.2 मुख्य मंत्री

मुख्यमंत्री की राज्य में मुख्य भूमिका होती है तथा राज्य में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वह राज्य मंत्रिपरिषद् का प्रमुख होता है जो सरकारी मामलों की देखभाल करते हैं? वह सदन में बहुमत दल का नेता होता है। राज्य विधानसभा के सदस्यों के लिए निर्धारित योग्यताएँ मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होती हैं। वह अपने पद पर तब तक आसीन रहता है जब तक उसे सदन के बहुमत सदस्यों का विश्वास प्राप्त रहता है।

मुख्य मंत्री – चुनाव

चुनाव के पश्चात बहुमत दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है।

मुख्यमंत्री की शक्तियाँ :

मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल के गठन का उत्तरदायित्व लेता है। वह मंत्री परिषद् का पुनर्गठन भी करता है। जब मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देता है तो तुरंत मंत्रीपरिषद् रद्द कर दी जाती है। वह मंत्री परिषद् की सभाओं की अध्यक्षता करता है वह राज्य विधानसभा का नेता होता है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का मुख्य वक्ता होता है। उसके पास गवर्नर से राज्य विधानसभा को भंग करने का निवेदन करने की विशेष शक्ति होती है। वह केंद्र सरकार के साथ पत्राचार का आयोजन करता है।

मंत्री परिषद्

राज्य सरकार में केंद्र सरकार के समान मंत्रीमंडल तथा उपमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री तथा सभी मंत्रीयों की नियुक्ति गवर्नर करता है। मंत्री परिषद् राज्य के शासन का उत्तरदायित्व उठाती है। वह लोक नीतियों को सूत्रबद्ध करता है तथा विभिन्न विभागों में समायोजन स्थापित करते हैं। वह सरकार की नीतियाँ निश्चित करता है। वह राज्य विधान सभा के द्वारा पास किए गए बजट तथा नितियों के अनुसार राज्य के वित्त की व्यवस्था करता है।

18.9 विधानसभा

राज्य में कानून विधानसभा के द्वारा बनाये जाते है। विधानसभा, राज्य विधानसभा या जन प्रतिनिधियों का सदन के नाम से भी जाना जाता है। यह निचला सदन भी कहलाता है।

चित्र 18.2: राज्य विधानसभा

संरचना - योग्यताएँ

प्रत्येक राज्य की एक विधानसभा होती है। सदस्य विधानसभा के सदस्य कहलाते हैं। अर्थात M.L.A. कहलाते हैं। तेलंगाणा विधानसभा में 119 सीटें हैं। सभी सदस्यों का चयन प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा राज्य के मतदाताओं के द्वारा होता है।

राज्य विधानसभा के लिए बड़ने वाले उम्मीदवारों की आवश्यक योग्यताएँ:

- वह भारत का नागरिक हो।
- 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- आय अर्जित करने वाला कोई पद नहीं संभालता हो।
- संसद के अधिनियम के द्वारा निर्धारित योग्यताएँ भी रखता हो।

राज्य विधानसभा की शक्तियाँ:

कानून बनाने से संबंधित विषयों को केंद्र सूची, राज्यसूची और रामवर्ती सूची के रुप में तीन वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राज्य विधानसभा राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में कानून बनाती है। विधानसभा सबसे पहले सब वित्तीय बिलों को मंज़ूरी देती है। सदन संचालन के लिए सदन स्पीकर व डिप्टी स्पीकर का चुनाव करता है।

18.10 राज्य विधान परिषद्

राज्य विधान परिषद् 'विधान परिषद्' भी कही जाता है। यह उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा तेलंगाणा में विधान परिषदें हैं।

विधान परिषद् की रचनाः-

तेलंगाणा विधान परिषद् में 40 सदस्य है। इन सदस्यों में 35 निर्वाचित तथा 5 सदस्य नामंकित होते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव नगरपालिकाओं, नगर निगमों तथा ज़िला परिषद् के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1/2 सदस्यों का चुनाव ग्रेजूएट्स के द्वारा तथा 1/2 सदस्यों का चुनाव शिक्षकों के द्वारा होता है।

योग्यताएँ:

- वह भारत का नागरिक हो
- वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।
- आय अर्जित किए जाने वाला कोई पद नहीं संभालता हो।
- संसद के द्वारा निर्धारित अन्य योग्यताएँ भी रखता हो।

विधान परिषद् की शक्तियाँ

विधान परिषद्, विधानसभा द्‌वारा पारित प्रस्तानों को जाँच के पश्चात पारित करती है। वह प्रस्तावों को अस्वीकार कर सकती है या कुछ या सभी को संशोधित कर सकती है। वह बिना किसी निर्णय के इसे तीन महीने तक टाल सकती है। वह इसे विधान सभा को वापस भी भेज सकती है।

18.11 राज्य न्यायपालिका – उच्च न्यायालय

चित्र 18.3: तेलंगाणा उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख के रूप में खड़ा है। भारत के सभी बड़े राज्यों में उच्च न्यायालय है।

उच्च न्यायालय की संरचना – कार्यकाल:

उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीस तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। वे 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर बना रह सकते हैं।

योग्यताएँ:

- वह भारत का नागरिक हो
- कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक कार्यालय संभाला हो।
- टर्मिनेशन के बिना किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकील के रूप में कार्य किया हो।

शक्तियाँ:

उच्च न्यायालय नागरिक व आपराधिक मामलों में अपना निर्णय देते हैं। वे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबस कॉर्पस) जैसे आज्ञापत्र (रिट,Writ) जारी करते हैं। वे जिला न्यायालयों से आयी अपीलो की जाँच करते हैं। उच्च न्यायालय के अनुमोदन के बाद ही सेशन कोर्ट के द्‌वारा जारी मृत्यु दंड को निष्पादित कर सकते हैं उच्च न्यायालय के फैसले रिकॉर्ड कहा जाता है। उच्च न्यायालय कानूनों याअध्यादेशों संविधान के अनुसार न होने पर अमान्य घोषित कर सकता है। वह न्यायिक संबंधित मुद्‌दों में राज्यपाल को सुझाव देता है। वह निचले न्याा/यलयों व ट्रिब्यूनल की निगरानी करता है। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ ग्रहण करवाता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. राज्य प्रशासन में मुख्य मंत्री की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
2. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यताएँ क्या हैं?

18.12 स्थानीय सरकार – आवश्यकता – लाभ

बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर स्वतंत्रता के पश्चात ग्रामीण व नगरीय स्थानीय निकाय अस्तित्व में आए। (संस्थाओं को कामकाज व संगठन में सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकारे कई समितियों की नियुक्ति करती है। इनकी सिफारिशों के अनुसार ग्रामीण/शहरी स्थानीय निकायों को मज़बूत करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारें आवश्यक कार्यवाही करती हैं। 73वाँ तथा 74वाँ संवैधानिक संशोधन इसके भाग हैं।

स्थानीय लोग, स्थानीय आवश्यकताओं को स्पष्ट रूप से समझते हैं। स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थानीय विकास के लिए स्थानीय रूप योजनाएँ तैयार की जा सकती हैं। ताकि उन्हें पूरे किया जा सके। नीति निर्णय क्रियान्वयन में स्थानीय लोगों को अवसर प्राप्त होता है। लोगों की समस्याओं को शीघ्र सुलझाया जा सकता है। स्थानीय रूप से उपलब्ध मानव संसाधनों तथा भौतिक संसाधनों का प्रभावपूर्ण उपयोग किया जा सकता है।

विभिन्न स्तरों पर स्थानीय सरकार

स्थानीय सरकारें

ग्रामीण	शहरी
1) ग्राम पंचायत	1) नगर पंचायत
2) मंडल परिषद्	2) नगरपालिक
3) ज़िला परिषद्	3) नगर निगम

18.12.1 ग्राम पंचायत

ग्राम पंचायत में सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड सदस्य होते हैं। वार्ड सदस्यों की निम्नतम संख्या (5) होती हैं। वह व्यक्ति जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो तथा जिसके 3 से अधिक बच्चे न हों. वह चुनाव के लिए योग्य है। गाँव के मतदाता उनका चयन करते हैं। चयनित वार्ड सदस्य उपसरपंच का चुनाव करते हैं। सरकार ग्राम पंचायत के लिए एक सेक्रेटरी नियुक्त करती है। ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं का निकास ग्राम सभा कहलाता है। सरपंच ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

ग्राम पंचायत के कार्य:

- सड़कों का निर्माण, मरम्मत, ड्रेनेज का निर्माण, नहरों, कब्रिस्तान का प्रबंधन तथा मरम्मत
- बिजली उपलब्ध करवाना, जन्म और मृत्यु रजिस्टर की देखभाल टीकाकरण, पेयजल का व्यवस्था, छोटे पुलों का निर्माण, सार्वजनिक पार्क, खाद तैयार करना आदि इन परिमेय कार्यों के साथ-साथ निम्नलिखित कुछ विशिष्ट कार्य भी होते हैं:

- रेस्ट हाउस की देखरेख, पुस्तकालयों का प्रबंध, नवीन कृषि पद्धतियों का क्रियान्यन शिशु व माँ का कल्याण।

18.12.2 मंडल परिषद् की संरचना तथा कार्य

सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच मंडल परिषद् के सदस्य होते हैं। एक मंडल परिषद के मतदाता मंडल परिषद टेरिटोरी कांस्टीट्एंसी (MPTC) सदस्य का चुनाव करते हैं। ये सदस्य मंडल परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। जिला परिषद् क्षेत्रीय संविधान सभा (ZPTC) के सदस्य, कृषि बाज़ार समिति के अध्यक्ष मंडल परिषद् सभाओं के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। जिला परिषद् अध्यक्ष और स्थानीय विधान सभा के सदस्य भी स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। सरका मंडल परिषद् विकास अधिकारी की नियुक्ति करती है। मंडल परिषद् के अध्यक्ष मंडल परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

- मंडल परिषद विकास योजना के कार्यान्वियन के लिए कार्य करती है।
- अस्पतालों तथा पेयजल की व्यवस्था@
- कुटीर उद्योग, महिला और सामाजिक कल्याण, कीटनाशक तथा उर्वरक, आधुनिक कृषि उपकरण भी मंडल परिषद् के कार्य हैं।

18.12.3. ज़िला - परिषद् - संरचना तथा कार्य

प्रत्येक जिले में ज़िला परिषद् होती है। तेलंगाणा में हैदराबाद जिले में जिला परिषद् नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से शहरी क्षेत्र है। जिला स्तर पर जिला परिषद् पंचायत राज संस्थापन के शीर्ष (एपेक्स) पर है। ज़िला परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। सरकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति करती है।

ज़िला परिषद् मंडल परिषद् के वार्षिक बजट की मंजूरी देती है। यह मंडल परिषद् को अनुदान की मंजूरी देता है जो केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा मंडल परिषद् के क्रियाकलापों के समन्वयन के लिए स्वीकृत होती है। माध्यमिक विद्यालों का प्रबंधन करता है। जिला परिषद् मंडल परिषद् व ग्राम पंचायक के विकास के प्रस्ताव केंद्र और राज्य सरकारों को भेजता है।

18.13 शहरी स्थानीय सरकार

18.3.1 नगर पंचायत

11,000 से 25,000 जनसंख्या वाले बड़े गाँव जो ग्रामीण स्तर से शहरी स्तर में बदल गए है नगर पंचायत कहलाते हैं। एक अध्यक्ष और वार्ड सदस्य हैं। प्रत्येक 5 वर्ष में वयस्क मताधिकार के द्वारा चुनाव होते हैं।

18.3.2 नगरपालिका

नगरपालिका के सदस्य पार्षद (काउँसिलर) कहलाते हैं। ये सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। प्रति नगरपालिका में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष होते हैं। काउँसिलर्स इन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। उनका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है। नगर आयुक्त को सरकार नियुक्त करती है। वह बिना वोटिंग के सभी बैठकों में भाग लेता है। नगरपालिका प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए कमीशनर जिम्मेदार है। नगरपालिका सड़कों, स्ट्रीट लाइट्स,पेयजल, सार्वजनिक स्वस्थ्य, जन्म और मृत्यु रजिस्टर का रखरखाव, स्कूलों, बाज़ारों, पार्कों, पुस्तकालय, विवाह का पंजीकरण आदी का ध्यान रखती है। नगरपालिका के आय का स्त्रोत घरों कर, संपत्ति कर, मनोरंजन कर आदि से होता है।

18.13.3 नगर निगम

नगरपालिका के सदस्य पार्षद (काउँसिलर) कहलाते हैं। ये सदस्य प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा चुने जाते हैं। ये सदस्य कार्पोरेटर कहलाते हैं। कोर्पोरेटर मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव करते हैं। मेयर बैठकों की अध्यक्षता करता है। सरकार कमीशनर को कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है। 'नगरपालिका का प्रथम व्यक्ति मेयर होता है।

18.14 जिले के विकास में कलेक्टर की भूमिका

जिला कलेक्टर जिले के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कलेक्टर एक IAS (भारतीय प्रशासनिक सेवा) होता है। वह जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है। वह जिले में विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। वह सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन का आदेश देता है। चुनाव के समय जिले में यह मुख्य चुनाव अधिकारी होता है।

जिला कलेक्टर केंद्र व राज्य सरकारों के ओर से जिले में जनसंख्या गणना के आयोजन का उत्तरदायित्व निभाता है। वह सरकार और जनता के मध्य समन्वयक के रूप में कार्य करता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. स्थानीय सरकार से आप क्या समझते हैं?
2. शहरी और ग्रामीण सरकारों के बारे में लिखिए।

18.15 सारांश (मुख्य बिंदु)

- देश में केंद्र, राज्य तथा स्थानीय सरकारों द्वारा प्रशासन संभाला जाता है। केंद्र सरकार में कार्यपालिका, विधनसभा तथा न्यायपालिका, तीन विभाग कार्य करते हैं।
- राष्ट्रपति के पास विधायी शक्तियाँ, कार्यकारी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ तथा साथ ही आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं।

- ❖ राष्ट्र के विकास में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- ❖ संसद में लोकसभा और राज्य सभा होती है। यह कानून बनाती है। राज्य में राज्य सरकारों होती हैं। राज्यपाल, मुख्यमंत्री विधानसभा के द्वारा बनाए गए कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं।
- ❖ हमारे देश में स्थानीय विकास के लिए ग्रामीण प्रशासन तथा शहरी प्रशासन प्रचलन में हैं।

18.16 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है?
2. महाभियोग क्या है?
3. राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की व्याख्या कीजिए।
4. राष्ट्रपति की दो आपतकालीन शक्तियाँ लिखिए?
5. केंद्र मंत्रीपरिषद् में मंत्रियों के तीन प्रकार कौनसे हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. राज्य मुख्य मंत्री की शक्तियाँ क्या हैं?
2. राज्य विधानसभा और विधानपरिषद् में अंतर बताइए।
3. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की क्या योग्यताएँ हैं?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. क्या आप के गाँव या शहर में यहाँ बताए गए अनुसा स्थानीय निकाय कार्यरत हैं? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए।
2. भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के बारे में लिखिए।
3. स्थानीय निकायों को मज़बूत बनाने के लिएकुछ सुझाव बताइए।

18.17 संदर्भ पुस्तकें

- नगरिक शास्त्र – इंटरमीडियट, द्वितीय वर्ष, तेलुगु अकादमी, प्रकाशन-2011.
- सामाजिक अध्ययन – 9 वीं कक्षा, पाठ्यपुस्तक - आं.प्र. सरकार, प्रकाशन -2011
- डेमोक्रेटिक प्रैक्टीसस -II, टेक्स्टबुक फॉर क्लास X (NCERT).

19 भारत में प्रजातंत्र - चुनौतियाँ

19.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- प्रजातंत्र का अर्थ तथा उसकी उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं।
- विभिन्न प्रकार के प्रजातंत्रों का वर्गीकरण करते हैं।
- प्रजातंत्र की विशेषताओं तथा सिद्धांतों की व्याख्या करते हैं।
- प्रजातंत्र में चुनाव के महत्व को समझते हैं।
- प्रजातंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का वर्णन करते हैं।
- प्रजातंत्र के समक्ष आने वालु चुनौतियों का वर्णन करते हैं तथा काबू पाने के लिए उचित सुझावों का वर्णन करते हैं।

19.1 परिचय

भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ब्रिटिशों से केवल राजनैतिक स्वतंत्रता के लिए ही संघर्ष नहीं किया था। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक पुनःप्राप्ति, नागरिक अधिकारों की सुरक्षा, धार्मिक सामंजस्यता, तथा सभी के लिए न्याय का सपना देखा था। संघर्षों के परिणामस्वरूप भारत ने संवतंत्रता प्राप्त की तथा विश्व के बड़े लोकतंत्रों में से एक बना। हमने इन सभी आशाओं व अभिव्यक्तियों को सूत्रबद्ध कर संविधान में समाविष्ट किया, जिसे 26 जनवरी 1950 के दिन अपनाया गया। पिछले 70 वर्षों से हम सफलतापूर्वक चुनाव का आयोजन कर रहे हैं तथा केंद्र व राज्य सरकारों में शांतिपूर्ण परिवर्तन कर रहे हैं तथा यह भी देख रहे है कि लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता है और वे स्वतंत्रता पूर्वक अभिव्यक्ति कर रहे हैं। अच्छा प्रशासन व जवाबदेही, विकास व सच्चा लोकतंत्र प्राप्त करने के आवश्यक सिद्धांत हैं। किंतु आज कई चुनौतियाँ लोकतंत्र में बाधक बन रहीं है। इस पाठ में हम प्रजातंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों व उससे बचने के उपायों की चर्चा करेंगे।

9.2 प्रजातंत्र – अर्थ, परिभाषा तथा उत्पत्ति

प्रजातंत्र की अवधारणा का 5 वीं शताब्दी BCE में, ग्रीक के एथेंस नगर में पता चला। ग्रीक में 'Demo' का अर्थ है लोग, 'kratos' का अर्थ है 'शासन' या 'सत्ता' या 'अधिकार'। लोकतंत्र का अर्थ है 'जनता का शासन' या 'जनता द्वारा शासन'। आप समझ गए होंगे कि समग्र रूप में जनता द्वारा चयनित प्रतिनिधियों की सरकार का प्रकार या सरकार की प्रणाली है।

19.2 लोकतंत्र के प्रकार

सरकार के गठन की दृष्टि से, लोकतंत्र दो प्रकार का है।

1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र
2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र

1. **प्रत्यक्ष लोकतंत्र:** प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, जनता अपनी सरकार के चुनाव अपनी प्रगति और विकास के लिए नीतियाँ व कानून बनाने में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की प्रणाली केवल छोटे व कम जनसंख्या वाले देशों के लिए ही उपयुक्त है।

2. **अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र :** इस प्रकार के लोकतंत्र में, नागरिक राजनैतिक निर्णय लेने, कानून बनाने तथा जनकल्याण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए अपने प्रतिनिधियों का चयन करते हैं। इस प्रकार का लोकतंत्र सीमित और अप्रत्यक्ष है। इसमें चयनित प्रतिनिधियों के लिए नियमित अंतराल में मतदान संलग्न है। इस प्रकार की सरकार में जनता की सहभागिता बहुत कम होती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. लोकतंत्र क्या है?
2. प्रजातंत्र का वर्गीकरण कीजिए?

19.3 प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताएँ

लोकतंत्र शासन का उत्तम प्रकार है। यह मूल्यों, मनोभावों, प्राथाओं तथा रीति-रिवाज़ों को समझने वाले विभिन्न संस्कृतियों तथा विभिन्न प्रकार के जन समूहों पर निर्भर रहती है। प्रजातंत्र नागरिकों की गरिमा को बढ़ाता है। क्योंकि यह राजनैतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। एक व्यक्ति या समूह इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता है कि वह प्रजातंत्र को बचा सके। यह नागरिकों के मत देने के अधिकार के द्वारा चयनित अधिकारियों को समय सीमा में बाँधकर करवाया जाता है। आइए प्रजातंत्र की मुख्य विशेषताओं की चर्चा करें।

19.3.1 चुनाव

चुनाव, प्रजातांत्रिक राजनैतिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण भाग है। प्रत्येक राजनैतिक प्रणाली लोकतांत्रिक चिह्न के रूप में चुनाव का उपयोग करती है। चुनाव लोगों को अपनी राय व्यक्त करने तथा अपने पसंदीदा व्यक्ति का चयन करने के अवसर देता है। हमारे देश में स्वतंत्रता के पश्चात सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया। इसके अनुसार, 18 वर्ष का उससे अधिक आयु प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक रूप से मतदान का अधिकार है।

प्रजातंत्र में चुनाव की आवश्यकताThe need for elections in a democracy

1. **नेतृत्व का चयन :** चुनाव भारतीय नागरिकों को अपने पसंद की पार्ट या उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करके अपने नेता का चयन करने का मार्ग उपलब्ध करवाता है।

2. **नेतृत्व में परिवर्तन :** भारत में चुनाव लोगों के लिए एक शासीत पार्टी के विरुद्ध अपने आक्रोश को व्यक्त करने का एक साधन है। दूसरी पार्टी को मतदान देकर तथा अलग सरकार का चयन कर नागरिक यह सिद्ध करते हैं कि उनके पास अंतिम शक्ति है।

3. **राजनैतिक सहभागिता :** एक भारतीय नागरिक को किसी पार्टी की कार्यसूची की परवाह किए बगैर, एक नई पार्टी बनाकर या स्वतंत्ररूप से चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता है।

4. **स्व-सुधार के अवसर:** चूँकि भारत में प्रति पाँच वर्ष में चुनाव होते हैं, इसी लिए यह सुव सुधार की एक प्रणाली के रुप में कार्य करता है जहाँ राजनैतिक दल अपने प्रदर्शन की समीक्षा करते है तथा मतदाताओं को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं।

19.3.2 बहुमत का शासन

जब चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो सरकार उन प्रतिनिधियों के द्वारा गठित की जाती है जिन्हें लोगों के आथे से अधिक मतों का बहुमत प्राप्त होता है। लोकतंत्र में बहुमत के द्वारा राजनैतिक निर्णय लिए जाते हैं। सभी के अधिकारों की रक्षा, सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक मानदंड तथा धार्मिक प्रथाएँ आदि लोकतंत्र का उत्तरदायित्व है।

19.3.3 व्यक्तिगत अधिकार

देश के सभी नागरिकों को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, उनके मत द्वारा प्रतिनिधि चयन का अधिकार है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सम्मान व संरक्षण किया जाता है। लोकतंत्रों का प्राथमिक कार्य भाषण व धर्म की स्वतंत्रता जैसे बुनियादी मानव अधिकारों की रक्षा करना है। समाज के राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक जीवन को बनाए रखने या भाग लेने के लिए कानून के अंतर्गत, लोकतंत्र समान सुरक्षा के अधिकार को समक्ष बनाती है।

19.3.4 सहयोग / स्वीकृति या कूटनीति

प्रत्येक समाज में सभी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न पर विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोग होते हैं। लोकतंत्र में यह सहिष्णुता विकास, भाईचारे, तथा व्यक्तियों के बीच विभिन्न दृष्टिकोणों की अनुमती देता है। यह देश के लिए फायदे लाभदायक होगा। जब लोग एक दूसरे की भलाई चाहते हैं तो सहयोग व कूटनीति के गुणों का विकास होगा।

19.3.5 कानून का नियम

कोई भी व्यक्ति (राष्ट्रपति या नागरिक) कानून से ऊपर नहीं है। अर्थात कानून के समक्ष भी समान है। लोकतांत्रिक सरकारों कानून द्वारा शक्ति का उपयोग करती है तथा कानून की परिथि

में कार्य करती है। कानून के नियम में सर्वोच्च शक्तियों और संसाधनों के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। कानून सभी लोगों की शांति, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा करता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र में सार्वजनिक सहमति महत्वपूर्ण होती है?
2. यदि आप राजतंत्र में होंगे तो क्या आपको सरकार की आलोचना करने का अधिकार होगा? सोचिए?

19.4 प्रजातंत्र – चुनौतियाँ

लोकतंत्र विश्व में विद्यमान वर्तमान तथा सभी सरकारी प्रणालियों में सबसे अथिक है। महत्वपूर्ण है। ऐसा कोई सरकारी प्रणाली नहीं है जो इस पर खरी – उत्तरी दी। क्या लोकतंत्र सफलतापूर्वक जीवित रहेंगे। उस पर नज़र डालने से यह स्पष्ट होता है कि सभी सामाजिक समूहों में देश भर में विस्तार के लिए उन्हें कई चुनौतियाँ का सामना करना पड़ा था।

19.4.1 निरक्षरता

लोकतंत्र को समझने और बढ़ावा देने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार है। शिक्षा लोगों की गरिमा का निर्धारण करने में यह एक महत्वपूर्ण कारक है। यह देश की माँग और हित तथा विभिन्न मुद्दों को सूचित करता है। स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम चुनाव के समय हमारी साक्षरता दर केवल 18.33 थी। 9.9 के साथ महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम था।

यद्यपि शिक्षा प्रत्यक्ष रूप से स्वयं देश की आर्थिक, राजनैतिक या सामाजिक संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकती, शिक्षा दो प्रकार से लोकतंत्र तथा लोकतांत्रिक नागरिकता में सहयोग दे सकती है। प्रथम है विभिन्न सामाजिक – आर्थिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को समान अवसर उपलब्ध करवाना।

दूसरा प्रकार है जानने, समझने और चयन करने के विषयों द्वारा उनकी लोकतांत्रिक नागरिक बनने की आवश्यकता के लिए विशिष्ट ज्ञान, कौशलों व मूल्यों या अभिवृत्तियों को सिखा कर शिक्षा लोकतंत्र में सहयोग देती है।

साक्षरता दर			
वर्ष	साक्षरता दर (%)	पुरुष (%)	महिलाएँ (%)
2011	74.04%	82.14%	65.46%

निरक्षरता लोकतंत्र की सफलता में रुकावट है। निरक्षर लोगों के राजनेताओं के प्रलोभनों व अधूर वादों का शिकार होने का खतरा है। वे सरकारों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे चयनित लोक प्रतिनिधियों से प्रश्न नहीं कर सकते हैं। तथा नीतियों के निर्णयों में भागीदार नहीं बन सकते हैं।

19.4.2 सामाजिक तथा आर्थिक असमानता

भारत कई विविधताओं का घर हैं। ये कई चुनौतियाँ उत्पन्न कर कभी सकारात्मकता तथा कभी नकारात्मकता में बदल सकती है। हमारे देश में सभी लोग मौलिक सिद्धांतों का सम्मान करते हुए सद्भावना से रह रहे हैं, जो धर्म निरपेक्षता है। किंतु कभी-कभी धार्मिक तथा आर्थिक असमानताएँ लोकतंत्र के लिए चुनौतियाँ खड़ी करती रहती हैं। आइए उनमें से कुछ देखें।

गरीबी

लोकतंत्र की सफलता में गरीबी एक बहुत बड़ी रुकावट है। गरीबी प्रत्यक्ष रुप से अधिकारों व असमानताओं से वंचित करने से संबंधित है। तत्कालिन रिपोर्ट के अनुसार गरीबी का मुख्य कारण बेरोज़गारी है। ग्रामीण भारत कुल जनसंख्या का 25% गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है, जबकि शहरी क्षेत्रों में कुछ बेहतर है, यहाँ 13% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे का जीवन व्यतीत कर रही है।

क्या आप जनते हैं?

गरीबी रेखा : गरीबी रेखा बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए आवश्यक न्यूनतम लागत (या आय) है।

RBI के पूर्व गवर्नर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 4 रूपये प्रतिदिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 32 रुपये प्रतिदिन गरीबी रेखा निर्धारित की गई है। जो लोग इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते वे गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग माने जाते हैं।

गरीबी दो प्रकार से लोकतंत्र के लिए खतरा है। यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांत को नष्ट करती है कि सभी समान है, तथा दूसरा, यह गरीब को सामूहिक निर्णय-निर्माण में बाग ले से रोकती है। गरीबी लोग चुनावों में खड़े रहने वे मत देने के अपने अइधकारों का सदुपयोग करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

1. जातिवाद तथा सांप्रदायिकता

भारत में जाति जन्म के विरासत में मिला सामाजिक कारक है। हम जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन काल से ही कई जातियाँ तथा धर्म शांतिपूर्वक जीवन बिता रहे हैं। किंतु अब भारतीय लोकतंत्र जातिवाद तथा धार्मिक के कारण बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। राजनीति, जाति और धर्म से अविभाज्य बन गई है। चुनावों के समय राजनैतिक पार्टियाँ जाति व धर्म के आधार पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती है। मतदाताओं को जाति व धर्म के आधार पर प्रभावित व एकत्रित किया जा रहाहै। जाति व धर्म के आधार पर चयनित प्रतिनिधि अपनी जाति या धर्म के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जातिवाद व धार्मिकता ने भारत में कभी-कभी राजनैतिक अस्थिरता में योगदान दिया है।

2. क्षेत्रवाद : 1967 के चुनावों के पश्चात, देश के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय भावनाओं में प्रबलता के कारण क्षेत्रवाद में वृद्धि हुई इस धारणा से आंदोलनों का आरंभ हुआ कि प्रति व्यक्ति आय में अंतर, रोज़गार अवसरों में अंतर, सिंचाई सुविधाओं में अंतर के द्वारा उनका भेदभाव व शोषण किया जा रहा है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के अभ्यास के नाम पर कई क्षेत्रीय पार्टियाँ उभरीं है तथा लोकतांत्रिक सरकारों के गठन में महत्वपूर्ण होती जा रही हैं क्षेत्रीय आंदोलनों से शांति व सुरक्षा भंग होती है। कभी-कभी क्षेत्रवासीयों की विचारधारा अलगाववाद में बदल जाती है तथा लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. क्षेत्रीय राजनैतिक पार्टियों के कुछ उदाहरण दीजिए।
2. जाति व धर्म के क्या खतरे हैं?

3. लैंगिक असमानता: लैंगिक असमानता लोकतांत्रिक समाजों की मुख्य विशेषता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा समान मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने वाली सेवाएँ अवश्य उपलब्ध करवायी जानी चाहिए। जब पुरुष और महिलाएँ मिलकर निर्णय लेते हैं तो वे उसके उनके संपूर्ण समुदाय को लाभ पुहँचता है। भारतीय विधान सभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण नहीं है। राजनैतिक पार्टियाँ उन्हें चुनाव में बहुत कम सीटे प्रदान करती हैं। 2019 के साधारण चुनाव में खड़े रहने वाले उम्मीदवारों में केवल 10% महिलाएँ थी। महिला राजनैतिक उम्मीदवारों की कमी सरकार में उनके प्रतिनिधित्व के बीच एक बड़ी रुकावट है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली पार्टियाँ संसद में महिलाओं के आरक्षण बिल प्रारूपण में सहयोग नहीं दे रही है। केवल शब्द ही रह जाते हैं कि यहाँ पुरुषों के समान अवसर है। जब विधायिका में महिलाओं की भागीदारी अधिक होगी तब ही महिला सशक्तिकरण संभव है।

19.4.3 भ्रष्टाचार

लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण चुनाव के दौरान यह आम बात है कि उम्मीदवार पैसों से मतदाताओं को प्रभावित करते है और मतदाता उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बजाय सबसे अधिक पैसा या उपहार देने वाले को वोट देता है। यह भ्रष्टाचार लोकतंत्र का मज़ाक उड़ा रहा है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमज़ोर कर रहा है। आसानी से पैसा कमाने व विलासपूर्ण जीवन जीने के लिए गैरकानूनी कार्य करना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार राजनैतिक अस्थिरता, संस्थागत पतन और देश की अखंडता के लिए एक गंभीर चुनौती है।

19.4.4 राजनीति में अपराध और हिंसा की प्रकृति

अपराध और हिंसा भारतीय राजनीति को जकड़े हुए हैं तथा कई अपराधी शारीरिक बल या पैसों की ताकत से लोक प्रतिनिधि के रूप में चयनित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग के पास चुनाव संबंधी कानून बनाने की सीमित शक्तियाँ हैं। यह सुशासन प्रदान करने में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की क्षमता को प्रभावित करता है।

लोकतंत्र पर अपराथ और हिंसा के प्रभाव

- संवैधानिक न्याय का उल्लंघन करता है।
- इससे अपराध और भ्रष्टाचार और बढ़ेगा।
- इससे सामाजिक मूल्यों में गिरावट आती है, जो अंततः सामाजिक विघटन की ओर अग्रसर होती है।
- यह स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांत के विपरीत है।
- यह भ्रष्टाचार व पक्षपात के सिद्धांतों के आधार पर अन्यायपूर्ण शासन को बढ़ावा देता है।

19.4.5 मीडिया

विश्व के सबसे बड़े प्रजातंत्र, भारत पर मीडिया का अत्यधिक प्रभाव पड़ है। चुनाव के दौराण राजनीतिज्ञ अपनी पार्टी और पार्टी के घोषणा पत्र को सूचित करने के लिए सामाजिक मीडिया का उपयोग करते है तथा मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयत्न करता है। मीडिया लोकतंत्र तथा शासन के कार्यात्मक क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। साक्षरों की अपेक्षा निरक्षर मीडिया से आसानी प्रभावित होते हैं। जो सामाजिक मीडिया उचित जाँच के बिना तथा वास्तविकता की पुष्टि के बिना समाचार या सामाजिक राय प्रसारित करते हैं वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं।

19.4.6 दल-बदली

दल-बदली भारतीय लोकतंत्र राजनैतिक प्रणाली के समक्ष आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक है। जहाँ एक राजनैतिक पार्टि की ओर से चयनित सदस्य अक्सर सत्ता का अपने स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नैतिक मूल्यों के आधार पर अवसरवाद के साथ पार्टियों का विघटन राजनैतिक अस्थिरता उत्पन्न करता है तथा जनता की राय का अवमूल्यन करता है वे लोकतंत्र की गरिमा का उल्लंघन करते हैं। ऐसी समस्या बार-बार उत्पन्न न हो इसके लिए कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है।

केंद्र व राज्य स्तर पर दल-बदली को रोकने के कई प्रयास किए गए हैं। पश्चिमी बंगाल ने 1979 में पहली बार दल-बदल विरोधी कानून बनाया। 1985 में संविधान के 52 वें संशोधन के द्वारा दल-बदल को नियंत्रित करने के लिए पहला कानून बनाया।

दल-बदल विरोधी कानून के अनुसार निम्नलिखित परिस्थितियों में राज्य के विधायक अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं।

1. जब एक पार्टी से टिकट प्राप्त कर निर्वाचित होने वाला विधायक, उस पार्टी से स्वेच्छापूर्वक इस्तीफा दे दे।
2. सदस्य अपनी सदस्यता खो देते हैं, यदि वे पार्टी के द्वारा जारी प्रस्ताव के विरुद्ध अनुपस्थित होते हैं या पार्टी प्रस्ताव के विरुद्ध वोट देते हैं।
3. यदि एक चयनित स्वतंत्र उम्मीदवार किसी पार्टी में शामिल हो जाता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी।
4. यदि संसद/राज्य विधानसभा में मनोनीत सदस्य किसी राजनैतिक दल में शामिल होते हैं तो उनकी नामांकित सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यदि वे नामांकन के छह महीने के भीतर किसी भी राजनैतिक दल में शामिल होते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जाएगी।

19.7 समाधान

उपरोक्त चर्चा से, हम यह समझते हैं कि भारतीय लोकतंत्र कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। यदि इन चुनौतियों को ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो लोकतंत्र के अस्तित्व पर प्रश्न उठेगा। कुछ वर्षों में लोकतंत्र के अदृश्य होने तथा तानाशाही के वापस लौटने या विदेशी शासन के अंतर्गत जाने का खतरा भी है। इसीलिए हमें इन चुनौतियाँ से उबर कर एक शक्तिशाली लोकतंत्र के रूप में बने रहना है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ समाधान ढूँढ़ने की आवश्यकता है। इसके लिए सरकारी एजेंसियों, राजनीतिक दलों और नागरिक समाज में आपसी सहयोग आवश्यक है। आइए कुछ ऐसे तरीकों पर नज़र डालते हैं जिनके द्वारा लोकतंत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं को दूर किया जा सकता है।

19.5.1 सार्वभौमिक शिक्षा

विकास को प्रभावित करने वाली राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संस्थाओं में भाग लेने के लिए लोगों का साक्षर होना आवश्यक है। हमारे देश में साक्षरता दर बहुत कम है। हमारा संविधान 6-14 वर्ष बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसके क्रियान्यन के लिए केंद्र व राज्य कार्य कर रही हैं।

सर्वशिक्षा अभियान जैसी योजनाओं व विभिन्न कार्यक्रमों के आरंभ के साथ साक्षरता धीरे-धीरे बढ़ रही है। साक्षरता का कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक बनना तथा एक सक्रिय नागरिक बनना है। सभी को शिक्षा उपलब्ध करवान के उद्देश्य से भारतीय सरकार ने 2009 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्य रूपरेखा (NCF-2005), के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में प्रतिष्ठापित

किया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, मध्याह्न भोजन तथा आवासीय पाठशालाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा सरकारे निरक्षरता के उन्मूलन के लिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा योजना 2020 को लागू करने का निश्चय किया है।

19.5.2 गरीबी उन्मूलन

गरीबी उन्मूलन न केवल एक आर्थिक अनिवार्यता है बल्कि एक राजनीतिक अनिवार्यता है। सभी लोगों को आधारभूत उपलब्ध करवाने तथा गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार विभिन्न योजनाएँ व कार्यक्रम चला रही है। गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर लाने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के द्वारा स्व-रोज़गार की सुविधा प्रदान की गयी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सब्सिडी के तहत ॠण देना, रोज़गार की गारंटी दी गई है। वर्तमान में NGOs व अन्य कार्यकर्ता स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के द्वारा रोज़गार कार्यक्रमों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अकुशल व काम के लिए तैयार ग्रामीण युवकों के लिए कम से कम 100 दिनों का कार्य प्रदान करने के उद्देश्य से 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी एक्ट (MNREGA), की स्थापना की गयी। जिससे कुछ हद तक गरीबी कम की जा सकती है। प्राकृतिक आपदाओं व अकाल के समय, कार्यदिवस 150 तक बढ़ सकते हैं। यदि शक्तियों के विकेंद्रीकरण के साथ-साथ विभिन्न गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के एकीकरण का क्रियान्वयन हो जाय तो कुछ हद तक गरीबी कम की जा सकती है।

19.5.3 लैंगिक भेदभाव को खत्म करना

स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे व न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के कारण प्रजातंत्र को व्यापक रूप से स्वीकारा गया है। किंतु वैश्विक व राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत निर्णयों में महिलाओं व लड़कियों को प्रमुखता न देना सभी के लिए लोकतंत्र के सिद्धांत की अवहेलना है। संविधान की अनुच्छेद 14 के अनुसार सामाजिक-आर्थिक मामलों में महिलाओं को भी पुरुषों के साथ समान अधिकार प्राप्त है। इसीलिए राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ-साथ महिलाओं को भी समान अवसर दिए जाने चाहिए। जब महिलाएँ सभी क्षेत्रों में भाग लेंगी तभी लैंगिक समानता प्राप्त की जा सकती है। लैंगिक असमानता के मुख्य कारणों में से एक है प्रत्येक देश की यह धारणा होना कि महिलाएँ कम सक्षम हैं। संस्थागत सुधारों का आरंभ कर भारतीय सरकार महिला सशक्तिकरण, लैंगिक समानता तथा महिलाओं की उन्नति के लिए कार्य कर रही है। आइए उनमें से कुछ को देखें।

11-18 वर्ष की किशोर बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने 'सबला' नाम का योजना आरंभ की है। घटते लिंग दर को बढ़ाने के लिए तथा लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता वाले लोगों को समर्थन व सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारतीय महिला और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा 'बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ' योजना आरंभ की गई है। प्रसव के समय माँ और शिशु की सुरक्षा तथा शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए जननी सुरक्षा योजना आरंभ की गयी।.

NCF-2005 के द्वारा विद्यालयीन शिक्षा में व्यापक परिवर्तन किए गए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों व विशेष आश्रम पाठशालाओं की स्थापना के द्वारा शैक्षिक रूप से पिछड़े समुदायों की लड़कियों को शिक्षा व आवास उपलब्ध करवाना आदि कुछ योजनाएँ हैं जो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है। महिलाओं व बालिकाओं के लिए कुछ अन्य योजनाएँ हैं:

''राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति 2001"

इस नीति का मुख्य उद्देश्य वांछित प्रगति, विकास तथा महिला सशक्तिकरण है।

- "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" महिलाओं की शिक्षा में महिलाओं के उत्थान के लिए है।
- 'सुकन्या समृद्धि खाता' परिवारों को अपनी बेटियों के लिए बचत करने में मदद करता है।
- 'वन स्टॉप सेंटर योजना' घरेलू हिंसा का हिंसा की पीड़ित महिलाओं के लिए सुगम पहुँच व सहायता उपलब्ध कराती है।
- "प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' गरीबी रेखा से नीचे वर्ग की महिलाओं को निःशुल्क LPG कनेक्शन देना।
- 'महिला हाथ' महिला उद्यमियों व स्वयं सहायता समूहों को समर्थन करता है।
- कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए 'राजीव गांधी नेशनल क्रेच' योजना अर्थात कामकाजी महिलाओं को वहनीय डेकेयर सेवाएँ उपलब्ध करवाना।
- 'मातृत्व लाभ योजना' गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए है।

19.5.4 क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करना;

स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सरकार ने क्षेत्रवाद की समस्या से उबरने के लिए कई रणनीतियों को अपनाया। संतुलित क्षेत्रीय विकास को सुनिश्चित करने के लिए योजना आयोग की स्थापना, 5वीं व 6वीं अनुसूचियों में स्वायत्तता प्रदान करना, राज्यों का पुनर्गठन त्रिभाषी सिद्धांत, पिछड़े राज्यों को विशेष अनुदान, तथा झगड़ों के निपोर के लिए अंतर-राज्य परिषद् का विनियमन आदि।

केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी अपनी-अपनी क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का विशेष प्रयास कर रही हैं। क्षेत्रीय सरकार आदिवासी व पहाड़ी विकास कार्यक्रमों, सीमा विकास कार्यक्रमों, पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रमों, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रमों तथा मरुस्थलिय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के माध्यम से क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने का प्रयास कर रही है। देश के सबसे अधिक पिछड़े भागों के लिए परिवहन व संचार प्रणाली की स्थापना उसे देश के अन्य भागों से जोड़ने तथा विकास करने में सक्षम बनायेंगे। शिक्षा के द्वारा राष्ट्रवादी परिप्रेक्ष्य के निर्माण जैसे दीर्घकालिक उपाय किए जाने चाहिए। इसका उद्देश्य भावी पीढ़ियों में 'सभी भारतीय' नीति आयोग जैसी नवीन संस्थागत संरचनाओं के सुझाव व सहायता ली जानी चाहिए।

दो राज्यों के मध्य आपसी सहयोग को बढ़ाया जाना चाहिए तथा सभी क्षेत्रों का समान विकास किया जाना चाहिए ताकि कोई भी क्षेत्र पीछे न छूटे तथा अकेला न छूट जाय। प्राकृतिक संसाधनों के आबंटन में स्थानीय निकायों की भागेदारी भी उचित प्रकार से ली जानी चाहिए। क्षेत्रीय आकांक्षाओं के नाम से विकसित होने के लिए क्षेत्रीय, पार्टियाँ क्षेत्रवाद व उप-क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती हैं। लोगों को ऐसी पार्टियों के प्रति जागरुक रहना चाहिए। इन उपायों द्वारा क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने का प्रयास किया जा सकता है।

19.5.5 अपराध और हिंसा

सितंबर 2018, में एक पाँच-न्यायाधीस संवैधानिक न्यायाधिकरण ने सर्वसम्मति से कहा कि – चुनाव लड़ने से पूर्व उम्मीदवारों को चुनाव आयोग के समक्ष अपना अपराधिक इतिहास घोषित करना होगा। ट्रिब्यूनल में प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से उम्मीदवारों के अपराधिक पृष्ठभूमि को मतदाताओं को सूचित करने के लिए व्यापक प्रचार का आह्वान किया।

कोई भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में लड़ने के लिए अपराधियों को अनुमति नहीं देंगी। चुनाव आयोग ऐसे व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराना चाहिए। यदि वे चुनाव के बाद अपराध या हिंसा के दोषी पाये गये तो उनका चुनाव रद्द कर दिया जाना चाहिए। शीर्ष अदालत (apex court) को भी यह निर्देश दिया जाय कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के अपराधिक इतिहास को संबंधित पार्टियाँ के वेबसाइट पर पोस्ट करें। मतदाताओं को भी उम्मीदवारों के व्यक्तित्व के आधार पर उसका चुनाव करना चाहिए। प्रजातंत्र हिंसा के किसी भी रूप को बर्दाश्त नहीं करता। जाति और धार्मिक मतभेदों के आधार पर भी हिंसा के भड़कने की संभावना है। गरीब, महिलाएँ व वंचित समुदाय सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। इसीलिए जो हिंसा या अपराध को बढ़ावा देते हैं या जो लोग इसे करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी होगी तथा उनसे सावधान रहना होगा।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1 क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये?

2. क्षेत्रीय विषमताओं को कम करने के लिए कुछ सुझाव दीजिए।

19.6 प्रजातंत्र में नागरिकों की भूमिका

भारत, आधुनिक लोकतांत्रिक विशेषताओं, प्राचीन संस्कृति व परंपराओं का पालन करके एक बन गया है। जैसे कि आप जानते हैं, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार हमारे चयनित प्रतिनिधियों के द्वारा शासित है। इस दृष्टि से सरकार किस प्रकार कार्य करती है इसके लिए राष्ट्रीय, राज्य व स्थानीय स्तर पर प्रत्येक नागरिक उत्तरदायी है। इसीलिए शासन में प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या हम यह भारतीय नागरिकों के रूप में कर रहे हैं? आइए देखें।

नागरिकों की भूमिका के लिए मुख्य अवसर निम्नानुसार हो सकते हैं। यदि लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ नहीं है। क्या आप जानते हैं कि प्रजातंत्र में सभी वयस्क मतदान करते हैं और प्रतिनिधियाँ का चुनाव करते हैं? इसका अर्थ यह है कि

सार्वजनिक भागेदारी से सरकारें बनती हैं। अच्छे नेता के चुनाव में लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रजातांत्रिक राजनीति में भाग लेने का अर्थ केवल मतदान देना ही नहीं है, बल्कि अधिकारों और कर्त्तव्यों के प्रति जागरुक होना राजनीति दलों में सदस्यता के साथ-साथ गैर राजनीतिक संगठनों (NGOs) अर्थात नागरिक समाज में सक्रिय रूप से भाग लेना भी है। नागरिक समूहों में सहभागिता विभिन्न लोगों के साथ कार्य करने तथा सहिष्णुता व सद्भाव जैसे मूल्यों को सीखने के अवसर प्रदान करती है। प्रजातंत्र में प्रत्येक नागरिक को देश को समग्र रूप से प्रभावित करने वाली सभी कारकों के प्रति जागरुक रहना चाहिए।

19.7 जवाबदेही प्रणाली

प्रजातंत्र का अर्थ है लोगों की सरकार व लोगों के प्रति जवाबदेही होना। अच्छी लोकतांत्रिक सरकार तभी संभव है जब जनता अपने अधिकारों व कर्त्तव्यों के प्रति जगरूक हो।

> जैसे कि डॉ. बी.आर.अंबेड्कर ने कहा है कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए ''जो अधिकार हमने खो दिए उसे हम प्रार्थना या याचिका द्वारा वापन प्राप्त नहीं कर किंतु यह केवल निरंतर संघर्ष के द्वारा ही संभव है। लोग भगवान की पूजा के लिए बकरे अर्पण करते हैं शेर नहीं''।

लोकतंत्र में अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के कई उत्तरदायित्व भी होते हैं। उन्हें हमेशा यह पता होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है। सरकारें व संस्थाएँ हमेशा पारदर्शी व जवाबदेह होनी चाहिए। कानून की आज्ञा का पालन करना नागरिक का उत्तरदायित्व है। जब लोगों को यह अहसास होता है कि पार्टियों/सरकारों द्वारा चुनाव के समय किए गए वादे पूरे नहीं किए जा रहे हैं तो उन्हें मीडिया के द्वारा बेनकाव करना चाहिए, या नेताओं तथा अधिकारियों की जानकारी में लाना और उन्हें जवाबदेह ठहराना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिक विरोध अहिंसक तरीके से किए जाने चाहिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एक ऐसा हथियार है जिसका उद्देश्य नागरिकों द्वारा सरकारों को जवाबदेह ठहराना है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे उपाय है जो जवाबदेह बने रहने के लिए सरकारों द्वारा उठाये जाने चाहिए।

शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक फोरम की स्थापना : सरकारों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या अन्य औपचारिक संचार विधियाँ स्थापित करनी चाहिए जिनका उपयोग नागरिक शिकायत दर्ज करने तथा सरकारी सूचना का अनुरोध करने के लिए कर सकें। अधिकारियों को प्राप्त की गई शिकायतों व अनुरोधों का जवाब देना चाहिए।

1. **प्रभावी विवाद समाधान :** नागरिकों व सरकार, सरकार व सरकारी निष्पक्ष रूप से हल करने तथा न्यायिक प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, अदालतों को निष्पक्ष होना चाहिए।
2. **पर्यवेक्षण :** नागरिकों का अधिकारियों के प्रति जवाबदेह बनाए रखने के लिए, सरकार को कार्यालयों के उत्तरदायित्वों व शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। अस्पष्टता और संदेहों को हल करने से कर्त्तव्यों का प्रदर्शन के आकलन के लिए अधिकारियों की सतत् पर्यवेक्षण प्रणाली की स्थापना से उनकी जवाबदेही बढ़ेगी।

17.8 सारांश (मुख्य बिंदु)

- लोकतंत्र लोगों द्वारा चुने गए लोक प्रतिनिधियों के द्वारा शासित सरकार की प्रणाली है।
- लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। 1. प्रत्यक्ष लोकतंत्र 2. अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। हमारा देश अधिक जनसंख्या के कारण अप्रत्यक्ष प्रणाली का अनुसरण करता है।
- लोकतंत्र में चुनाव एक प्राथमिकता है तथा लोगों को बुनियादी अधिकार दिए गए हैं। भारतीय लोकतंत्र के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौतियाँ है। गरीबी, अधिक जनसंख्या, निरक्षरता।
- लैंगिक असमानता, जातिवाद, धार्मिकता, क्षेत्रवाद, दल-बदली आदि लोकतंत्र को मज़बूत बनाने में नागरिकों की सहभागिता के लिए महत्वपूर्ण हैं। सरकारों को भी जवाबदेही ठहराया जाना चाहिए।

19.9 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. लोकतंत्रों को कितने प्रकारों में बाँटा जा सकता है?
2. भारत द्वारा प्रतिनिधि लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के क्या कारण हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. क्या आप लोकतांत्रिक सरकार का समर्थन करते हैं? क्यों?
2. कानून का शासन क्या है ?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. लोकतंत्र के समक्ष आने वाली चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। किन्हीं दो की व्याख्या कीजिए।
2. "लोकतंत्र के संरक्षण में लोगों की सहभागिता बहुत महत्वपूर्ण है।." कैसे?
3. क्या आपके विचार में मीडिया अपना कार्य ठीक से कर रहा है?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. लोकतंत्र इस सिद्धांत पर आधारित है- ( )

   A) समाजवाद b) राजनीतिक समानता C) विभाजन D) आर्थिक समानता

2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है-( )

   A) 100 दिन रोज़गार का सृजन B) 200 दिन रोज़गार का सृजन

   C) वर्ष भर रोज़गार सृजन D) बेरोज़गार को मुआवज़ा

20 भारत में समकालीन मुद्दों से संबंधित कानून

20.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- वर्तमान में भारत जिन समस्याओं का सामना कर रहा है, उनका उल्लेख करते हैं।
- महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाली हिंसा को रोकने के लिए उचित सुझाव व निर्देश देते हैं।
- अनुच्छेद 370 क्यों रद्द किया जाना चाहिए, इसका कारण बताते हैं।

20.1 परिचय

आरंभिक पाठों में हमने देखा है कि उपनिवेश काल में भारतीयों ने कई समस्याओं का सामना किया था। हालांकि स्वतंत्रता से अब तक जितनी भी सरकारों सत्ता में आयीं सभी ने यही कहा कि गरीबी व बेरोज़गारी का उन्मूलन किया जायेगा किंतु अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। महिलाओं व पीड़ित लोगों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। भ्रष्टाचार तेजी से फैल रहा है। इस अध्याय में हम भारत के कुछ सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक मुद्दों तथा उनको रोकने के लिए केंद्रि व राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानूनों का विश्लेषण कर उस पर एक नज़र डालेंगे।

20.2 सामाजिक आर्थिक मुद्दे

समाज का अर्थ है संगठित रूप से मिलजुल कर रहना। प्रत्येक समाज में विभिन्न, विशेष संस्कृति, भाषा, धार्मिक मान्यताएँ, परंपराएँ, सांप्रदायिकता होती है। समाज में अराजकता के कारण सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। शनैः शनैः ये बढ़ती जाती है तथा सामान्य सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। जब सामाजिक समस्या विकसित होकर अपनी जड़ें जमा लेती है तो सहिष्णुता से परे आक्रोश उत्पन्न होता है। तब समस्या के समाधान व सामाजिक सद्भाव की माँग बढ़ जाएगी।

ये सामाजिक समस्या अधिकतर समाज के कमज़ोर वर्ग को प्रभावित करती हैं। ऐसे सामाजि मुद्दों में समकालीन मुद्दों को समझने के लिए सरकार द्वारा लगाए गए कुछ कानूनों के बारे में जानेंगे।

20.2.1 जातिवाद

भारत में जाति प्रथा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यह जाति प्रथा एक विशेष जाति के व्यक्ति से संबंधित व्यवसाय को दर्शाती है।

पूर्व काल में समाज में सभी जातियाँ एक दूसरे के साथ सहयोग व समान आदर का व्यवहार करती थीं। किंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया निम्न जातियों उच्च जातियों से शोषित होने लगी। उनके अधिकारों को नकारा गया। समुदाय में उनका शोषण भी किया गया। धीरे-धीरे वे निर्धन बल गए तथा उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ा।

प्रजातंत्र मानव समानता को बढ़ावा देता है। जाति प्रथा प्रजातांत्रिक भावना की विरोधी है। कई बार जब राष्ट्रीय हित से अधिक जातीय हित पर बल दिया जाता है तब राष्ट्रीय एकता की अवधारणा का महत्व कम हो जाता है। समाज जातियों के कृत्रिम समूह में विभाजित है। कभी-कभी जातीय आधारित भेदभाव हिंसा को जन्म देता है। किसी भी रूप में किया गया जातीय भेदभाव एक अपराध है। जाति, मानव अधिकारों के हनन की मुख्य जड़ है। जातीय भेदभाव के समाधान के लिए सरकार द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं:

a. संविधान की धारा 46 इसके अनुसार सरकार को जातीय भेदभाव से सबसे अधिक प्रभावित SCs तथा STs के शिक्षा के उपलब्ध कराने के लिए तथा आर्थिक रूप से विकसित होने के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विशेष ध्यान देना चाहिए।

b. 1955 का नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम : अनुच्छेद 17 रूपों में अस्पृश्यता के सभी प्रकार पर प्रतिबंध लगाता है।

c. SC / ST (उत्पीड़न की रोकधाम) अधिनियम, 1989: SC / ST के विरुद्ध अत्याचारों को IPC अपराध के अंतर्गत रखा गया है। विशेष न्यायालयों, त्वरित मुकद्मों के द्वारा सजा दी जाती है।

d. संवैधानिक अधिनियम, 1990 का 65 वाँ संशोधन, SCs तथा STs के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 12, मार्च 1992 को हुई।

20.2.2 महिलाओं के मुद्दें

हमारे देश में वैदिक काल से महिलाओं को देवी के रूप में पूजा जाता है। समाज के निर्माण में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। महिलाओं को (जो जनसंख्या का आधा हिस्सा है), पुरुषों के समान हीं समान अधिकार है। ऐसे समाज जो महिलाओं के अधिकारों का आदर करते हैं तथा शैक्षिक अवसर उपलब्ध करवाते हैं, वे विकास की प्रक्षेपपथ में सबसे आगे हैं।

अपने समुदाय में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के बावजूद भी विश्व की कई महिलाएँ घरेलू हिंसा का शिकार बन जाती हैं। महिलाएँ अपने घरों, सार्वजनिक स्थानों या कार्यालयों में सुरक्षित नहीं है। हम निरंतर ऐसी महिलाओं के बारे में सुनते रहते हैं जो मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। जैसे :- मौखिक उत्पीड़न, नजरबंद, अपमानित करना, उपहास उड़ाना, लैंगिक उत्पीड़न तथा दहेज प्रताड़न। कई लड़कियों व महिलाओं की बलपूर्वक तस्करी कर वेश्वावृत्ति करवायी जाती है। महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन भी नहीं मिलता है।

ये सब महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन तथा पक्षपात है। महिलाओं व लड़कियों को इससे संरक्षित करने के लिए उन्हें महिलाओं के अधिकारों व कानून के प्रति जागरुक करना पड़ेगा। तभी वे घरेलू हिंसा व उत्पीड़न से संरक्षित हो सकती हैं।

क्या आप जनते हैं?

बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून

- **दहेज प्रतिषोध अधिनियम 1961:** दहेज देना व लेना भी अपराध है। उल्लंघन करने वालों को 5 वर्ष का कारावास तथा 15,000 रूपये का जुर्माने का दण्ड भोगना होगा।
- **घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005:** इसके अंतर्गत मौखिक, शाब्दिक उत्पीड़न, यौन शोषण जैसे सभी प्रकार की घरेलू हिंसा (जो प्रताड़ित के द्वारा रिपोर्ट की गई है) से भारतीय पैनल कोड 489A के तहस प्रताड़ित को संरक्षित किया जाता है।
- **निर्भया अधिनियम :** "2013 में बालिकाओं व महिलाओं की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा पास किया गया एक अधिनियम"।
- **कार्यस्थल पर महिलाओं की यौन उत्पीड़न से रोकथाम, अधिनियम 2013:** महिलाएँ अपने कार्यस्थल पर प्रताड़न या यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अपने वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत कर सकती हैं तथा सुरक्षा प्राप्त कर सकती हैं।
- **मुस्लिम महिलाएँ (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019:** यह अधिनियम को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया है। यह कानून तीन-तलाक़ अर्थात तलाक़-ए-बिद्दत या अन्य इसी प्रकार के तलाक़ को गैर क़ानूनी घोषित करता है। अपनी पत्नी को इस प्रकार का तलाक़ देने वाले कोई भी मुसलमान पति को तीन वर्ष के कारावास व जुर्माने की सज़ा का दण्ड दिए जाने का प्रावधान है।

20.2.3 बच्चों से संबंधित विषय – क़ानून

बिना किसी लिंग भेद के 18 वर्ष से कम आयु वाले सभी बच्चे, बच्चे माने जाते हैं। आज के बच्चे कल के नागरिक हैं। सरकार को बाल अधिकारों की रक्षा करना चाहिए। भारतीय संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार बच्चों की सुरक्षा समाज का उत्तरदात्वि है। ''बच्चों को स्वतंत्र व मर्यादापूर्ण परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए अवसर व सुविधाएँ उपलब्ध करवायी जाय तथा बचपन व युवाओं का नैतिक व शारीरिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण किया जाय''।

बच्चों से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करने से पहले, आइए हम बाल अधिकारों के बारे में जानें।

बाल अधिकार

1. जीवन का अधिकार
2. माता-पिता के साथ समय बिताने का अधिकार
3. मीडिया के द्‌वारा ज्ञान प्राप्त करना तथा विश्व के बारे में जागरुकता प्राप्त करने का अधिकार
4. हिंसा तथा हानिकारक घटनाओं से सुरक्षा का अधिकार
5. बाधित बच्चों को जीवन व विकसित होने के लिए विशेष देखभाल पाने का अधिकार है
6. अच्छे स्वस्थ्य व चिकित्सकीय देखभाल पाने का अधिकार
7. अपनी मातृभाषा का उपयोग करने, अपनी परंपराओं तथा धर्म का अनुसरण करने का अधिकार।
8. खेलने का अधिकार
9. हानिकारक दवाइयों (निर्माण व खरीद भी) से सुरक्षा का अधिकार
10. उपेक्षित व पीड़ित होने पर सहायता प्राप्त करने का अधिकार।

क्या आप जनते हैं?

ऑपरेशन मुस्कान या ऑपरेशन स्माइल

माता-पिता को खोने या घर से भागने के कारण बच्चे अनाथों का जीवन जीते हैं। ऑपरेशन मुसकान राज्य भर में सार्वजनिक स्थानों पर ऐसे लोगों की पहचान के लिए पुलिस दल व बाल के द्‌वारा चलाया गया एक कार्यक्रम है।

इन अधिकारों के बावजूद कई बच्चे शिक्षा से वंचित रहते है तथा बाल श्रमिकों के रूप में उद्‌योगों, खानों या खेती के काम में भेजे जाते हैं या घर पर अपने छोटे भाई-बहन कुछ बच्चों की तस्करी भी की जाती है। इसके कारण बच्चे अपने बचपन खो देते हैं। यह उनके शारीरिक व मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है। गरीबी, अच्छे विद्‌यालों की कमी तथा शिक्षा के महत्व के प्रति जागरुकता में कमी बाल श्रम के मुख्य कारण माने जाते हैं। कई लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है तथा अंधकार में ढकेल दिया जाता है। जब हमें बाल सुरक्षा के कानून पता होंगे तभी हम उनकी सुरक्षा कर सकेंगे।

1. **बाल विवाह प्रतिषोध अधिनियम 2006:** विवाह के समय लड़की की आयु 18 वर्ष तथा लड़के की 21 वर्ष होनी चाहिए। यदि दोनों में से किसी एक की आयु निर्धारित आयु से कम हो तो उस विवाह को संपन्न करवाने वाले वयस्क तथा दोनों के वयस्कों को भी दंड मिलेगा।

2. **फैक्टरी अधिनियम 1948:** 14 वर्ष से कम आयु वाले बालकों के लिए कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध है।

3. **खान अधिनियम 1952:** खतरनाक खानों या उसके परिसर में आने की किसी भी बालक को अनुमति नहीं है।

4. **बाल श्रम अधिनियम 1986:** बच्चे कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे चाहे वह खतरनाक हो या न हो।

5. **लैंगिक शोषण से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012:** लैंगिक उत्पीड़न तथा अश्लीलता के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए मज़बूत कानूनी रूपरेखा उपलब्ध करवाने के लिए।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. बाल श्रम प्रणाली के कोई दो कारण लिखिए।

20.2.4 प्रवास

2011 जनगणना के अनुसार भारत में 30.7 करोड़ लोगों ने भारत को पलायन किया। जनसंख्या का चौथा अप्रवासी था। एक व्यक्ति को प्रवासी तब माना जाता है जब उसने अपने जन्मस्थान के बदले अन्य क्षेत्र में छह मास या उससे अधिक निवास किया हो। सामाजिक, राजनैतिक प्रवास के अन्य कारण हैं। प्रवास तीन प्रकारका होता है : 1. अंतर्राष्ट्रीय प्रवास – एक देश से दूसरे देश को जाना।, 2. राष्ट्रीय प्रवास – एक देश के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। 3. मौसमी प्रवास – एक काल या मौसम में जाकर वापस आना। रोज़गार के अधिक अवसर, अधिक रोज़गार, अधिक वेतन आदि अप्रवास को आकर्षित करते हैं। अधिक जनसंख्या, निम्न रोज़गार, कम वेतन लोगों को अप्रवासी बनाते हैं। अप्रवास के कारण लोग आर्थिक रूप से मज़बूत बनते हैं। उनकी क्रम क्षमता में बढ़ोतरी होती है तथा कौशलों का विकास होता है। अप्रवासन के कारण कुछ समस्याएँ भी उत्पन्न हुई हैं। प्रवासीयों पर अवास का भारी प्रभाव पड़ता है। भिन्न वातावरण में रहने के कारण तनाव, आहार में परिवर्तन तथा सामाजिक वातावरण के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

आइए, प्रवासी मज़दूरों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रदान की गई कुछ सुविधाओं तथा कानूनों पर एक नज़र डालें।

- मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की धारा 22 के अनुसार समाज के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा का अधिकार है।
- **अंतरराज्यीय प्रवासी कामगार अधिनियम 1979:** यह (रोजगार विनियमन तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम प्रवासी (migrants) कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा को अधिनियमित करता है। यह कानून अंतरराज्यीय अप्रवासियों (immigrants) के रोज़गार तथा उनकी सेवा की शर्तो को नियमित करता है।

- **ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम 1970:** इसका आरंभ अनुबंध कामगारों के शोषण को रोकने तथा काम की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।
- कामगारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए श्रम आयोग स्थापित किया गया।
- उत्प्रवास अधिनियम 1983 : यह अधिनियम विदेशों में रहने वाले भारतीयों के रोज़गार व प्रवास को नियंत्रित करने वाला भारतीय कानून है। यह काम के लिए गये हुए लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए कुछ शर्तें लागू करता है।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. प्रवास के क्षेत्र में अप्रवासी कामगारों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वर्णन कीजिए।

20.2.5 भ्रष्टाचार व घूसखोरी

अन्यायपूर्वक, आसानी से व कम समय में गैर कानूनी तरीके से संपत्ति बनाना भ्रष्टाचार या घूसखोरी कहलाता है। भ्रष्टाचार कई प्रकार का होता है। किसी व्यक्ति को उसके कर्त्तव्यों से वंचित करना या उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करना भी भ्रष्टाचार कहलाता है। नैतिक मूल्यों का अनुसरण न करना, चोरी तथा सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करना।

इनमें से कुछ है - बेईमानी, शोषण, दुर्वचन तथा घोटाले। भ्रष्टाचार था घूसखोरी के कारण कई गरीब लोग कई समस्याओं का सामना करते हैं। वे अपनी समस्या का समाधान करने में असमर्थ है। अपने अधिकारों का आनंद उठाने में असमर्थ हैं। तथा शीघ्र न्याय पाने में असमर्थ है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

इस अधिनियम का क्रियान्वयन 2005 में हुआ। इस अधिनियम के अनुसार सरकारी कर्मचारी नागरिक के द्वारा अपेक्षित सूचना को उचित रूप से उपलब्ध करवाएँ अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा।

लोकसेवा अधिकार अधिनियम

सरकार निर्धारित समय सीमे के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएँ प्रदान करने की गारंटी देती है तथा अधिनियम के अनुसार सेवाएँ उपलब्ध करवाने में विफल सरकारी कर्मचारी को दण्ड देने का तंत्र प्रदान करता है।

भारत में भ्रष्टाचार - विरोधी कानून

भारत में सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचार के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है-

1. भारतीय दंड संहिता, 1860.
2. आयकर का अभियोजना पक्ष अधिनियम, 1961.
3. भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम, 1988.
4. बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 बेनामी लेनदेन का निषेध, करने के लिए।

5. अर्थशोधन निवारण अधिनियम, 2002; भारत 2005 की भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र की संधि की पुष्टि करता है तथा किए गए उपायों का समर्थन करता है। (2011 में अनुमोदित) तथा कुछ निवारक उपायों का भी प्रस्ताव करता है।
6. लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम, 2013.
7. सूचना प्रदाता (व्हिसल ब्लोअर) संरक्षण अधिनियम, 2011.

यद्यपि सरकार ने कई कानून बनाये हैं, किंतु जब तक लोगों व प्राधिकारियों में बदलाव नहीं आएगा तब तक यह वाइरस समाज से समाप्त नहीं हो सकता।

20.2.6 ड्रग

शराब/मादक पेय, तंबाकू, बीड़ी/सिगरेट, हेरोइन, कोकीन, मारिजुआना, मॉर्फिन जैसे हानिकारक द्रव्यपदार्थों पर निर्भर रहना या लत पड़ना, दर्वा का दुरुपयोग या लत कहलाता है। वयस्कों के साथ-साथ किशोर भी ड्रग की लत के जाल में फंस जाते हैं। इसके मुख्य कारक साथियों का प्रभाव ताथा प्रतिकूल पारिवारिक वातावरण व तनाव हैं। यह आदत जो आनंद के लिए शुरु होती है लत में बदल जाती है। ड्रग कई अपराधों को प्रेरित करता है। पीड़ित चोरी या अपराध करने से नहीं हिचकिचाता है। शिक्षा में पिछड़ जाता है, कोई भी काम नहीं कर सकता। मित्रों व परिवारजनों संबंधियों को भूल जाता है तथा अकेलापन महसूस करता है। चिकित्सकीय विशेषज्ञों का कहना है कि ड्रग्स के न मिलने या उपयोग न करने पर स्वयं को कष्ट पहुँचाकर अंत में आत्महत्या की ओर ले जाता है।

हमारे देश में इस ड्रग्स की दूसरे देशों से तस्करी की जाती है तथा तस्करी के विभिन्न तरीके अपनाकर करोड़ों रूपये कमाये जाते है। इसका उपयोग देश के युवाओं को गलत रास्ते पर ठकेलने तथा उनके कमज़ोर बनाने के साधन के रूप में गिया जाता है।

ड्रग रिपोर्ट राष्ट्रीय संस्थान 2010 ड्रग के दुरुपयोग को रोकने तथा युावाओं को इससे बचाने के लिए परिवार की भूमिका तथा समुदाय सुरक्षा कार्यक्रमों पर बल देता है। बहुआयामी परिवार थेरेपी, कोगनीटिव बिहेवियर थेरेपी (CBT) आदि ड्रग की लत वालों के लिए परिवार थेरेपी के कुछ प्रकार है।

ड्रग से संबंधित कानून

राष्ट्रीय स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम ड्रग विरोधी तथा मनःप्रभावी ड्रग तस्करी अधिनियम 1988 स्वपाकों को नियमित करने के लिए भीरतीय संसद के द्वारा पारित किया गया था। भारत में ड३ग तस्करी तथा दुरुपयोग के लिए नार्कोटिक कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मुख्य बैध तथा intelligence एजंसी है। यह ड्रग तस्करी (ट्राफिकिंग) व दुरूपयोग को रोकती है। जो कोई भी (NDPS) अधिनियम का उल्लंघन करता है उसे निषिद्ध द्रव्य की मात्रा के आधार पर दण्ड भोगना पड़ता है।

20.3 राजनैतिक अवधारणा

जैसे कि हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी, संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था तथा प्रजातांत्रिक सरकार की प्रणाली स्थापित की गई थी। प्रजातंत्र में लोगों के हित और आकांक्षाओं को महत्व दिया जाता है। स्वतंत्रता और विभाजन साथ-साथ हुए। तभी से कुछ राज्यों में शांति और सुरक्षा से संबंधी मुद्दे तथा आतंकवाद ज़ारी है। इनमें से एक हैजम्मू और काश्मीर का राज्य।

आइए इनमें से जम्मू और काश्मीर राज्य का संक्षिप्त अध्ययन करें।

20.3.1 अधिनियम 370

स्वतंत्रता के समय हमारे देश ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत विभिन्न स्तरों पर लगभग550 देशी रियासतें थीं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को उन्हें भारत में सम्मिलित करने का कार्य सौंपा गया। उन्होंने राजाशाही परिवारों से बातचीत की तथा देशी रियासतों को विलय करने की प्रक्रिया पूर्ण की। 15 अगस्त 1947 तक कश्मीर, हैदराबाद तथा जूनागढ़ को छोड़कर शेष सभी देशी रियासतें भारत में सम्मिलित हो गई।

भारत और पाकिस्तान के 1947 में अलग होने के बावजूद जम्मू व कश्मीर किसी भी देश से नहीं जुड़ा। अक्तूबर 20 के वर्ष में पाकिस्तान में आदिवासी जनजातियों ने देश की सेना की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण किया। इसके लिए कश्मीर के महाराज हरिसिंह ने भारत को सैन्य सहयोग प्रदान करने के लिए कहा। उन्होंने भारतीय सरकार की शर्तों को स्वीकार कर लिया तथा काश्मीर भारत के कब्ज़े में आ गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेने को खदेड़ दिया। पाकस्तिान ने पहले ही काश्मीर के 1/3 भाग पर कब्ज़ा कर लिया था। उसे ही हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) कहते हैं। हरीसिंह ने भारत सरकार के साथ 26, 1947 को कश्मीर को भारत के कब्ज़े में करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अक्तूबर 26, 1947 को कश्मीर भारत के संघ में मिला लिया गया। यह आरंभ में विलयन केवल तीन क्षेत्रों :- सैन्य, विदेश नीति तथा संचार तक ही सीमित था। जुलाई 1949 में कश्मीर राजनैतिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रमुख ने भारत की सरकार से बातचीत के परिणामस्वरूप कश्मीर को विशेष स्वायत्ता प्रदान करने की माँग की। तब भारत की सरकार ने अनुच्छेद 370 के आधार पर भारत की सरकार ने जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तशासी का दर्जा प्रदान किया।

1947 में उपमहाद्वीप से विभाजन से अब तक पाकिस्तान भारत के विरुद्ध तीन युद्ध किये। कश्मीर के युवाओं को आंतकवाद के लिए प्रोत्साहित करके पाकिस्तान ने अलगाववादी आंदोलन का समर्थन किया। भारत व पाकिस्तान के द्वारा शासित प्रदेश नियंत्रण रेखा (LOC) के द्वारा विभाजित है। इस विभाजित रेखा पर भारत व पाकिस्तानी सेनाओं के मध्य लगातार गोलीबारी होती रहती है।

केंद्रीय सरकार कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने का निश्चय किया। क्योंकि उनका विचार था कि कश्मीर में शांति स्थापित करने तथा अशांति को दूर करने के लिए

केंद्रीय सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है। केंद्रीय मंत्रीमंडल के अनुमोदन व राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात 5 अगस्त 2019 के दिन सात दशकों से लागू जम्मू तथा कश्मीर स्वायत्तता तथा पुनर्निमाण बिल 2019 को निरस्त कर दिया गया। साथ ही जम्मू और कश्मीर को दो क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। जम्मू और कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया जबकि लद्दाख को विधानसभा के बिना केंद्र शासित प्रदेश।

अपनी प्रगति की जाँच करें

1. आतंकवाद के कारण उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए।

20.4 सारांश (मुख्य बिंदु)

- सरकार कानून को कठोरता से लागू करें तथा निम्न जाति के विरुद्ध अत्याचारों को रोंके।
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव, गृह हिंसा, यौन उत्पीड़न तथा महिलाओं के कानूनों के संबंध में जागरूकता लाएँ।
- यदि हम बाल श्रम, बाल उत्पीड़न तथा बाल तस्करी का उन्मूलन कर देंगे तथा सार्वभौमिक निःशुल्क शिक्षा का क्रियान्वयन करेंगे तो हम बालक का सर्वांगीण विकास कर सकेंगे।
- ड्रग से संबंधित कानूनों की व्याख्या कर हम युवाओं को ड्रग की लत से बचा सकते हैं तथा उन्हें, सही रास्ते पर ला सकते हैं। तभी हमारे देश का भविष्य संवर सकता है।
- प्रवासी श्रमिक को प्रवासी श्रमिक कानूनों की जानकारी होनी चाहिए तथा वे प्रबंधन से चर्चा कर सकते हैं।
- अनुच्छेद 370 निरस्त कर दिया गया तथा जम्मु तथा कश्मीर विधान सभा समेत केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया तथा लद्दाख को बगैर विधानसभा केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया।

20.5 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. जातिवाद की कोई दो समस्याएँ लिखिए।
2. प्रवासन के क्या लाभ हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. किन्हीं दो महिला सुरक्षा कानूनों की व्याख्या कीजिए।
2. भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपाय समझाइए।

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. बाल अधिकार तथा बाल सुरक्षा अधिनियम लिखिए।
2. ड्रग व्यसन से उत्पन्न समस्याओं की व्याख्या कीजिए।

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने वाला महत्वपूर्ण अधिनियम ( )

   A) निर्भया अधिनियम B) सूचना अधिनियम

   C) कर अधिनियम D) अनुच्छेद 370

2. अनुच्छेद 370 के निरस्त के द्वारा गठित केंद्रीय शासित प्रदेश ( )

   A) जम्मू तथा काश्मीर व लद्दाख B) जम्मू तथा लद्दाख

   C) लद्दाख ौर द्य्यू दामन D) दिल्ली तथा लद्दाख

.

21 सामाजिक एवं आर्थिक विकास - वंचित समूहों का सशक्तिकरण

21.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- सामाजिक आर्थिक और सतत विकास की अवधारणा को स्पष्ट करता है।
- मानव संसाधन विकास रिपोर्ट 2019 के आधार पर देश में सामाजिक और आर्थिक विकास के अंतराल का विश्लेषण।
- समाज में कुछ स्थितियों पिछड़ेपन का कारण बताता है।
- सामाजिक व्यय पर टिप्पणी।
- वांचितों के विकास के लिए सरकार द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा करें।

21.1 परिचय

हमारे समाज में एक प्रणाली के विकास का विभिन्न रूपों में मूल्यांकन किया जाता है। विकास तक पहुँचने से पहले, विकास क्या है - समझें? आइए हम विकास की संकल्पना के विभिन्न (सेक्टरों) को जानें।

21.1.1 विकास क्या है?

समाज अपने प्रगति के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए लगातार प्रयास करता है। समाज में क्रवबद्ध तरीके से जो गुणात्मक बदलाव होते है उसी को विकास कहते हैं। प्राकृतिक रूप से समाज के विकास को आर्थिक तत्व प्रभावित करते है। इसी को आर्थिक विकास कहा जाता है।

सकल घरेलू उत्पादन (GDP), रष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास की मीट्रिक प्रणाली है।

21.1.2 सकल घरेलू उत्पाद (G.D.P.)

सकल घरेलू उत्पाद (GDP) (देशी उत्पाद) वार्षिक रूप से देश के उत्पाद या सेवाएँ ही देशी उत्पाद का मूल्य है।

21.1.3 राष्ट्रीय आय

समस्त देश के नागरिकों के वार्षिक आय को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है।

21.1.4 प्रति व्यक्ति आय

देश की राष्ट्रीय आय को संपूर्ण जनसंख्या के द्वारा विभाजित करने से जो औसत प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते है।

गतिविधि

1. भारत का देशी उत्पाद(GDP), राष्ट्रीय आय एवम् प्रति व्यक्ति आय का पता लगाइए।

21.2 सामाजिक विकास

आर्थिक विकास एक पूरे देश के विकास के स्तर की, या आर्थिक विकास के संदर्भ के प्रणाली की गणना करता है। यह उस देश में लोगों के विकास का सही आकलन नहीं कर सकता है। सार्वजनिक, रोज़गार, सामाजिक न्याय, लिंग समानता, संसाधन वितरण आदि सार्वजनिक विकास के संदर्भ में सामाजिक विकास एक प्रणाली में विकास का आकलन हैं। देश के आर्थिक विकास को जब समान रूप से प्रजा में वितरित करने से ही सामाजिक विकास अपना स्थान बना सकता है। हालांकि आर्थिक विकास एवं सामाजिक विकास के दो अलग-अलग संस्थाएँ है। वे स्वभाविक रूप से परस्पर संबंधित हैं।

ये संकेतक हालांकि, यह निर्धारित नहीं करते हैं कि विकास के फल समाज के सभी वर्गों तक पहुँचे है या नहीं। इसलिए मानव के समग्र विकास का आकलन करने के लिए 'मानव विकास' सामने आया है।

गतिविधि

1. अपने क्षेत्र के परिस्थितियों के आधार पर आकलन करें कि क्या भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास एक ही दिन में होता है?

21.3 मानव विकास

मानव विकास जो व्यापक स्तर पर एक प्रणाली में लोगों के विकास की व्यापक जाँच और मूल्यांकन करता है, न केवल आय पर ध्यान केंद्रित करता है बल्कि इसके समान गुणवत्ता पर भी ध्यान देता है।

पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉ. महबू-उल-हक एवं नोबल पुरस्कार से पुरस्कृत प्रोफेसर अमरत्य सेन भारतीय अर्थशास्त्री ने संयुक्त रूप से मिलकर मानव विकास की अवधारणा को विकसित किया था। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष विभिन्न दशों के मानव विकास का आकलन कर रहा है और सन् 1990 से वार्षिक रिपोर्ट भी जारी कर रहे हैं।

मानव विकास रिपोर्ट 2019 के द्वारा 189 देशों में से भारत 129वें पायदान पर है। 1990 की मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा भारत निचले पाथदान पर था।

भारत सरकार एक राज्यवार मानव विकास सूचकांक भी तैयार करती है जिसके माध्यम से विभिन्न राज्यों का स्तर नक्शा-21.1 के द्वारा देखा जा सकता है।

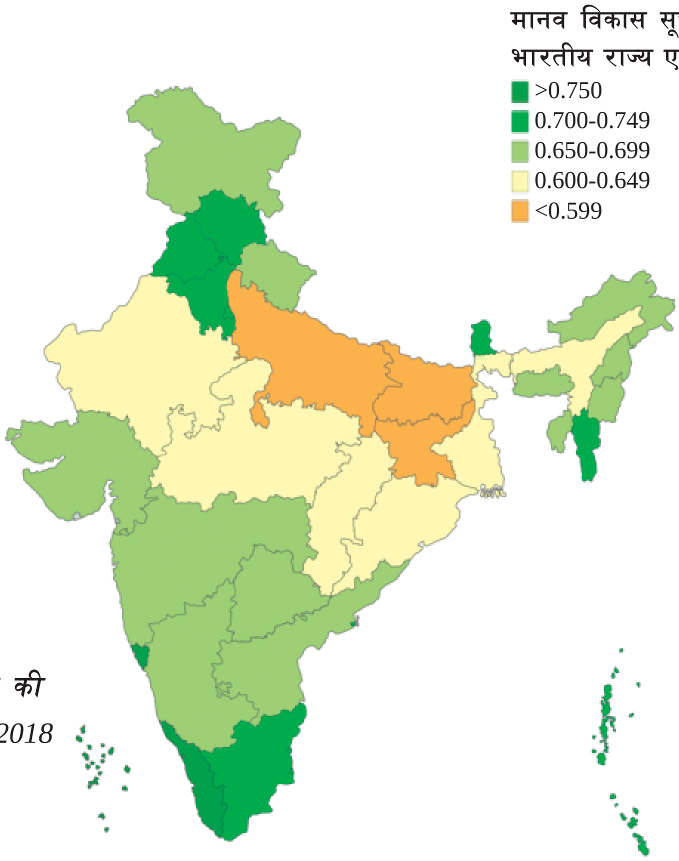

मानचित्र 21.1: भारत की मानव विकास सूची , 2018

गतिविधि

1. मानव विकास रिपोर्ट द्वारा हमारे राज्य की स्थिति क्या है? कोई दो कारण बताएँ।

21.4 सतत विकास

विकास के नाम पर हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुध उपयोग कर रहें है। यदि यह जारी रहा, तो कुछ दशकों में कोयला पेट्रोल गैस जैसे खनिज संसाधन गायब हो जाएँगे। हम वायु, जल, स्त्रोतों को प्रदूषित कर रहे हैं। हम अपने लिए संसाधनों का ऐसा उपयोग कर रहे, कि भावी पीढ़ियों को बिना संसाधनों के उपयोग, के लिए जीने को छोड़ रहे हैं। क्या यही सच्चे विकास का अर्थ है? सोचिए।

सतत विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वर्तमान पीढ़ी विकास के लिए उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करती है और उन्हें आने वाली भावी पीढ़ियों को उपलब्ध कराती है।

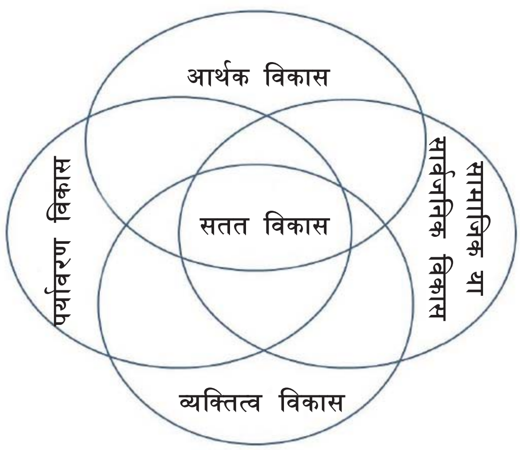

Map 21.2: Sustainable development

अगर आर्थिक सामाजिक और मानव विकास के साथ-साथ पर्यावरण विकास होता है तो इसे व्यापक विकास माना जाना चाहिए।

संसाधनों को समय से इस्तेमान किया जाना चाहिए, दुर्लभ संसाधनों के स्थान पर विकल्प संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए।

गतिविधि

यदि मानव विकास संकेतक विभिन्न राज्यों की स्थिति पर ध्यान देते हैं, तो राज्यों के विकास में असमानता के क्या कारण हैं? सोचिए।

21.5 देश में विकास - असमानताएँ

देश के सभी हिस्सों के लोगों के विकास का व्यापक विकास। यदि किसी विकास का फल सभी लोगों द्वारा समान रूप से उपयोग किया जाता है तो सभी क्षेत्रों में समान रूप से विभिन्न क्षेत्रों के बीच असमानताओं को समाप्त करके समान रूप से विकसित किया जाना चाहिए। हमारे देश में क्षेत्रीय असमानताएँ विभिन्न कारणों से बढ़ीं।

21.5.1 असमानताओं के कारण

भौगोलिक कारकों, प्राकृतिक संसाधनों, ब्रिटिश शासन, बुनियादी ढाँचे की कमी, सरकारी नीतियों, जनसंख्या वृद्धि प्रणालीगत कारकों ने भी क्षेत्रीय असमानताओं में योगदान दिया है।

21.5.2 संकेतक जो असमानताओं को मापते हैं

प्रति व्यक्ति आय, गरीबी स्तर, कृषि विकास औद्योगिक विकास, साक्षरता, परिवहन, सूचना सुविधाओं के आधार पर असमानताओं की गणना की जाती है। विभिन्न राज्य की मानव विकास सूचकांक तालिका देखें।

तालिका 21.1: देश में विभिन्न राज्यों असमानत मानव विकास सूचकांक : HDI रिपोर्ट -2018

क्र.सं.	राज्य	मानव विकास सूचकांक (HDI)		
		2004-05	2011-12	2017-18
1	केरल	1	1	1
2	तेलंगाणा	13	10	22
3	बिहार	20	21	36
4	छत्तीसगढ़	18	19	31
5	मध्य प्रदेश	19	19	31
6	पंजाब	2	4	9
7	हिमाचल प्रदेश	3	3	8
8	तमिलनाडु	4	2	11
9	हरियाणा	6	6	11
10	उड़ीसा	21	18	32

गतिविधि

1. हमारे राज्य के विकास एवम् पिछडेपन के कोई दो कारण बताएँ।

21.6 प्रतिकूल श्रेणियाँ

जिस तरह देश के विभिन्न हिस्सों के बीच विकास में असमानताएँ हैं, उसी तरह उसी तरह लोगों के विकास में भी असमानताएँ हैं। हमारे देश में कुछ समूह सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव वाले हैं। इन समूहों को वंचित समूह या कमज़ोर वर्ग कहा जाता है. अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक, शामिल है।

भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जाति का गठन 17%, अनुसूचित जनजाति का 8.6%, अल्पसंख्यकों का 20% है। मंडल कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पिछड़ा वर्ग 52% हैं।

21.6.1 वंचित समूह – पिछड़ापन

हालांकि व्यक्तियों के बीच संघर्ष स्वाभाविक हैं विशेष रूप से कुछ समूहों, आर्थिक राजनीतिक एवम् शारीरिक कारण हैं।

1. सामाजिक कल्याण : प्राचीन काल से ही भारत सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से र्विध समुदाय और समूह रहा है। उनमें से कुछ को सामाजिक रूप से हीन माना जाता है। उन्हें अन्य समुदायों के समान स्तर, सम्मान और अवसर नहीं दिए गए।

2. आर्थिक कारणों से : हालांकि निम्न वर्ग उत्पादन में भागीदार हैं, लेकिन वे परिणाम में साझा नहीं करतेहैं। उत्पादन के प्रमुख कारक भूमि, उद्योग औरउपकरण हैं, जिनके स्वामित्व की कमी ने उन्हें आर्थिक रूप से बेहतर नहीं बनाया।

3. राजनितिक कारण: प्राचीन काल से संबंधित समुदायों ने शक्ति और प्रशासन साझा नहीं किया है। समग्र रूप से सामाजिक नियंत्रण उच्च वर्गों के हाथों में था।

4. भौतिक कारण: कुछ समुदाय भौतिक रूप से प्रतिकूल क्षेत्रों में रहते हैं, इसीलिए वे समाज के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध में नहीं है। जंगलों तथा पहाड़ियों में रहने वाले आदिवासी अपने भौतिक नुकसान के कारण अन्य समूहों के साथ एकीकरण करने में सक्षम नहीं हैं।

5. अन्य कारण : इनके अलावा, राजशाही तथा ब्रिटिश शासकों के बाद शासकों ने संबंधित वंचित समूहों के विकास पर ध्यान केंद्रित नहीं किया। रोजगार, शिक्षा तथा बेहतर रहने की स्थिति के कमी के कारण उनका पिछड़ापन जारी रहा। दूसरी ओर, उनका असमानताओं के अधीन समाजिक शोसन किया गया।

गतिविधि

1. हमारे राज्य में वंचित समूहों का साक्षरता स्तर कैसा है?
2. क्यों खानाबदोश विशिष्ट विकास में पिछड़ गए? क्या कारण हो सकते हैं?

21.7 सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय प्रणाली में सभी को आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक रूप से समान अधिकार और अवसर देने के बारे में है। पहले से ही पिछड़े समुदायों को द्व्न्य समुदायों के साथ समान रूप में विकसित होने का अवसर दिया जाना चाहिए।

21.7.1 सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए मुख्यबिंदु

1. संसाधनों की उपलब्धता
2. अवसरों की समानता
3. विविधता
4. बँटवारा
5. मानव अधिकार

21.7.2 सामाजिक न्याय

भारत का संविधान वंचितों को सामाजिक न्याय प्रदान करता है और उन्हें शोषण से मुक्त करता है। सरकारों ने उनकी सुरक्षा के लिए कानून बनाए हैं।

गतिविधि

1. सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? सुझाव दें।

21.8 सरकार द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम और योजनाएँ

21.8.1 सभी के लिए शिक्षा

सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए सार्वभौमिक निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, व्यापक प्रशिक्षण, मध्याह्न भोजन योजना, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन आदि जैसी योजनाएँ लागू करना।

21.8.2 सभी के लिए स्वास्थ्य

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, जननी सुरक्षा योजना, बालिका समृद्धि योजना, आदि सभी को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए लागू की जा रही है।

21.8.3 अनुसूचित जनजातियों के लिएकार्यान्वित कुछ कार्यक्रम

1. प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
2. एकलव्य आवासीय विद्यालय
3. वनबंधु कल्याण योजना

21.8.4 अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ों के लिए कार्यान्वित कुछ कार्यक्रम

1. प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति
2. लड़कों और लड़िकियों के लिए विशेष छात्रावास
3. प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना
4. राष्ट्रीय वायोश्री योजना

सरकारों ने शिक्षा, चिकित्सा अर्थशास्त्र, राजनीति और समाज में वंचित समूहों के विकास पर विशेष जो दिया है। उनके विकासके लिए आवश्यक कानूनों को डिजाइन करने और लागू करने के प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ सुधार हुए हैं। वर्तमान में वंचित समूह पूर्व स्वतंत्रता स्थिति की तुलना में आंशिक रूप से विकसित हैं।

गतिविधि

1. आपके क्षेत्र के अनुसूचित जाति एवम् जनजातियों का साक्षरता दर क्या है?

21.9 वंचित समूहों - बाधाओं का सशक्तिकरण

वंचित समूहों के सशक्तिकरण में कुछ बाधाएँ हैं। अतीत की समस्याओं में से कुछ को जारी रखा गया है। समस्याओं की जटिलताओं वंचित समूहों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की उपलब्धि के लिए बाधाएँ हैं।

1. शिक्षा में पिछड़ापन
2. आर्थिक पिछड़पन - गरीबी
3. न्यूनतम भागीदारी - बाज़ार अर्थव्यवस्था में कम रोज़गार
4. सामाजिक उत्पीड़न - बुराइयाँ
5. पृथक्करण (विभाजन), शोषण
6. वंचित समूहों के खिलाफ (विरुद्ध) अपराध और बलात्कार
7. उन्नत कौशल प्रौद्योगिकी की कमी

उपरोक्त कारणों से स्वतंत्रता के बाद विशेष कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के बावजूद अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। पिछड़ेपन और सामाजिक भविष्य वाणियों को जारी रखा जा रहा है।

गतिविधि

1. वंचित समूहों के सशक्तिकरण के लिए दो बाधाओं का उल्लेख करें।
2. वंचित समूहों को सशक्त बनाने के लिए और क्या किया जा सकता है, इस पर विचार करें।

21.10 वांचित समूह के सशक्तिकरण के लिए किए जाने वाले उपाय

समग्र दृष्टिकोण के साथ गतिविधियों के माध्यम से ही व्यापक विकास संभव है।

1. विकास कार्यक्रमों को लागू करने में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बीच सहयोग और समन्वय में सुधार किया जाना चाहिए।
2. असमानता, उत्पीडन और शोषण के बिना सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
3. शिक्षा और आर्थिक विकास कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
4. वंचितों को विकास अनुसंधान के फल सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।
5. पोषण, पीने योग्य पानी, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास और स्वच्छता के निर्माण पर जोर दिया जाना चाहिए।
6. वांचित समूहों पर ध्यान केंद्रित करके विकास योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए।
7. कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में वंचित समूहों की भागीदारी को बढ़ाना।
8. स्थानीय संस्था की प्राथमिकता में वृद्धि करके केवल क्षेत्र स्तर पर वंचित समूहों के लिए विशेष कार्यक्रमों को लागू करना संभव होगा।
9. प्रभावी संचालन, निगरानी नियंत्रण होना चाहिए।
10. बजट में संबंधित श्रेणियों को पर्याप्त धनराशि आवंटित की जानी चाहए।
11. वंचित समूह की सुरक्षा के लिए सौंपे गए कानूनों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए।
12. विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के बारे में संबंधित वर्गों के बीच व्यापक प्रचार-प्रास करके जागरूकता पैदा की जानी चाहिए।

वंचित समूहों का सशक्तिकरण, अखंडता और ईमानदार कार्रवाई से ही संभव है।

21.11 सारांश (मुख्य बिंदु)

- किसी भी प्रणाली में लोगों के विकास का आकलन केवल आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारकों के माध्यम से किया जा सकता है।
- सतत विकास ही वास्तविक विकास हैं।
- भारत में विकास का फल कुछ वर्गों द्वारा पहुँचाया जा रहा है। कुछ वर्गों में सदियों से भेदभाव किया गया था।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को एक साथ वंचित समूह कहा जाता है।
- वंचित समूहों के पिछड़ेपन के लिए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारण हैं।

- सरकार वंचित समूहों के लिए सामाजिक न्याय लागू करने और विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए कानून बनाती है।
- वंचित समुदायों के विकास के लिए स्वतंत्र भारत द्वारा किए गए 70 वर्षो के प्रचारों के केवल आंशिक परिणाम मिले हैं।
- वैश्वीकरण के बाद बनी, बाज़ार की अर्थ व्यवस्था में वंचित समूहों के विकास के अवसर अभी भी कम हो रहे हैं।
- वंचित समुदायों के विकास के लिए मौजूदा बाधाओं पर काबू पाने के लिए समग्र दृष्टिकोण वाले कार्यक्रमों को लागू किया जाना चाहिए।
- सरकार और गैर सरकारी संगठन को वंचित समूहों के विकास के लिए पहल करनी चाहि, लोगों को व्यापक स्तर पर जागरूक करने और उन्हें विकास में भागीदार बनाने की आवश्यकता है।

21.12 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. सतत विकास क्या हैं?
2. कौन-सा संगठन मानव विकास सूचकांक तैयार करता हैं?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. वांचित समूहों के सशक्तिकरण के लिए कौन से कदम उठाये जाने चाहिए?
2. सामाजिक न्याय प्रदान करने को क्या क्या आकर्षण है या मुख्य बिंदु है?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. वांचित वर्गों के लिए सरकार द्वारा कौन से कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. मानव विकास सूचकांक में कौनसा राज्य पहले स्थान पर है? ( )
   A) तमिलनाडू B) तेलंगाणा C) केरल D) हिमाचल प्रदेश
2. स्कूली बुनियादी ढाँचे की स्थापना के लिए लागू किया जा रहा कार्यक्रम है-( )
   A) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन B) व्यापक सजा
   C) सर्व शिक्षा अभियान D) शिक्षा का अधिकार

21.13 संदर्भ पुस्तकें

1. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट - (www.undp.org)
2. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय - भारत सरकार की रिपोर्ट (https://socialjustice.nic.in)
3. वित्त और सांख्यिकी निदेशालय तेलंगाणा, मानु विकास सूचकांक रिपोर्ट, 2017 (https://ecostat.telangana.in)

22 अंतराष्ट्रीय संगठन

22.0 सीखने की संप्राप्तियाँ

- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के गठन के संभवतः कारण समझाइए।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। समझाइए।
- राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना एवम् उद्देश्य के बारे में समझाइए।
- राष्ट्रीय संगठनों के असफलता के कारण बताइए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्य क्या है। समझाइए।
- 'वीटो शक्ति' क्या है, समझाइए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोगियों की सूची बनाकर पट्टिा तैयार कीजिए।
- संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों का वर्णन दीजिए।

22.1 परिचय

वर्तमान में विश्व में लगभग 200 देश है। हर देश के विभागीय संगठन के विभिन्न आधार पर भिन्न-भिन्न रूप होते हैं अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए हर देश की अपनी सेना होती है। हर देश की विभिन्न भौगोलिक, प्राकृतिक एवं आर्थिक स्थितियाँ होती है। कुछ देश धनी, निर्धन सैनिकी ढंग से मज़बूत एवम् कुछ कमज़ोर होते है। राष्ट्रों के अन्य राष्ट्रों के साथ उत्तरजीविता हेतु संबंध होते है।

इस तरह, हर देश, विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, कभी-कभी कुछ देशों के बीच टकराव आ सकते हैं। इन मतभेदों का प्रभाव दुनिया के देशों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष होगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एक मात्र ऐसे संगठन हैं जिनका उपयोग ऐसे विवादों को हल करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि की सुरक्षा के लिए कुछ संगठनों की बहुत आवश्यकता है। इस पाठ में हम कुछ ऐसी ही अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में जानेंगे।

22.2 राष्ट्र संघ (लीग ऑफ नेशन्स) का गठन

ट्रीटी ऑफ वरसाइल्स के कारण प्रथम विश्व युद्ध(1914-18) के पश्चात् विश्व में शांति स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघटन लीग ऑफ नेशन्स (राष्ट्र संघ) की 11 जनवरी 1920 में स्थापना हुई।

22.2.1 उद्देश्य

1) बातचीत के द्वारा समस्याओं का समाधान।

2) युद्धों को रोकना (युद्धों की रोकथाम)

3) हथियारों के निर्माण को कम करना।

- प्रथम विश्व युद्ध 1914-18
- राष्ट्र संघ की स्थापना 1920
- दूसरा विश्व युद्ध 1939-45
- संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) का गठन 1945

प्रदर्शन : राष्ट्रों के सदस्यों के मध्य लीग ने कई लघु विवादों को मिटाया।

- बाल्टिक सागर के ऑलैण्ड द्विपसमूह के स्वेडन एवम् फिनलैण्ड विवाद को मिटाया।
- जर्मनी एवं पोलैंड का (सीलोस्थि सीमा) विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से समझौता करवाया।
- ग्रीस एवम् बलगरिया के सीमा विवाद का समाधान निकाला।
- लीग ने मानवता, समाज कल्याण एवम् सेवा के क्षेत्रों में बहुत काम किया।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के माध्यम से मज़दूरों एवम् श्रमिकों के सम्मान को बढ़ाया।

राष्ट्र संघ की असफलता: राजनीतिक विवादों में जब बड़े राष्ट्रों के स्वार्थ परस्पर टकराने लगे, तब उन्हें रोकने में राष्ट्र संघ असफल रहा।

- निरस्त्रीकरण प्राप्त करने में असफल
- युद्ध एवं आक्रमण रोकने की ढीली व्यवस्था
- लीक के कुछ असफलताएँ
  - जापान (1931) का मन्चूरिया पर आक्रमण रोकने में असफल
  - इटली (मुसोलिनी) का अभिसिनिया (1935) पर आक्रमण को रोकने में असफल
  - जर्मनी पर हिटलर के आक्रमण रोकने में असफल

22.3 संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता एवं आविर्भाव

जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ था, 50 सदस्य देश थे, अब 193 (2020 में) सदस्य देश हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के एक परिणाम से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का आविर्भाव हुआ। इस युद्ध से भारी मात्रा में हानि हुई। यूरोपियन राष्ट्र, विशेषतः रूस, पोलैंड, युगोस्लेविया ने 20% जनसंख्या गँवायी, एवं उनके शहर, गाँव, कारखाने एवं खदान भी भारी मात्रा में बर्बाद हुए।

अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व शांति, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार के उद्देश्य से द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता 50 देशों ने मिलकर 24 अक्तूबर, 1945 को अमेरिका के सेन फ्रैंसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्रीय संविधा पर हस्ताक्षर किया। 24 अक्तूबर, 1945 को विश्व शांति का स्वप्न साकार हुआ।

22.3.1 संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्‌देश्य

1. युद्‌ध रोकना एवं विश्व शांति को बनाए रखना।
2. मानव अधिकारों एवं लोकतंत्र की रक्षा करना।
3. भूख और गरीबी का उन्मूलन।

22.3.2 संयुक्त राष्ट्र संघ के छः प्रमुख अंग

संयुक्त राष्ट्र संघ अपने विभिन्न अंगों द्‌वारा कार्य करता है।

1. महासभा (General Assembly): यह संयुक्त राष्ट्र संघ का एक मात्र अंग है, जिसमें संघ के सभी सदस्य देशों को सदस्यता प्राप्त है एवं उन्हें समान मताधिकार दिया गया है। इसका अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार अवश्य बुलाया जाता है।

2. सुरक्षा परिषद् (Security Council): सुरक्षा परिषद् के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 15 होती है। जिनमें से पाँच स्थायी सदस्य एवं 10 अस्थायी सदस्य होते है। अस्थायी सदस्यों को महासभा द्‌वारा दो वर्षों के लिए चुना जाता है। स्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार (‘Veto’) का अधिकार कहा जाता है।

3. आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् (Economic and Social Council): आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का रिपोर्ट तैयार कर संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संस्थाओं को भेजता है।

4. न्यास परिषद् (Trusteeship Council): इस परिषद् के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र का उन राष्ट्रों के प्रशासन एवं सुरक्षा से संबंधित दायित्व स्पष्ट होता है। अविकासित देशों की सहायता करना ही इस परिषद् का उद्‌देश्य है। अविकासित राष्ट्रों को स्वतंत्र करने हेतु भूमिका बनाना ही इस परिषद् का काम है। प्रस्तुत इस परिषद् से जुड़े सभी राज्य स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके है। क्योंकि वर्तमान में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जो पराधीन है।

5. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice (ICJ)): अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 को हेग, नेदरलैंड में की गई। यहीं पर इसका मुख्यालय है। अंतर्राष्ट्रीय विधि के लिए यह न्यायालय बनाया गया। इस न्यायालय का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्‌दों पर सुलह एवं न्याय संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना है।

6. सचिवालय (Secretariat): यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रशासनिक अंग है। सचिवालय का सबसे बड़ा अधिकारी महासचिव होता है।

22.3.4 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सहयोगी संगठन

संयुक्त राष्ट्र संघ की लक्ष्य की प्रापित के लिए कुछ प्रमुख सहयोगी संगठनों का योगदान है।

संयुक्त राष्ट्रसंघ बालकोष (UNICEF)

1946 में द्‌वितीय विश्वयुद्‌ध में तबाह हुए देशों और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्‌वारा संयुक्त बालकोष को बनाया गया।

संयुक्त राष्ट्रसंघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (UNESCO)

संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का मुख्य लक्ष्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व संचार के माध्यम से देशों के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देकर, शांति और सुरक्षा में योगदान देना।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वस्थ्य का स्तर ऊँचा करना है। चेंचक का उन्मूलन विश्व स्वास्थ्य संगठन का अभूतपूर्व योगदा है। सन्1996 में एच. आई. वी. एड्स पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक संयुक्त कार्यक्रम का प्रतेक्षपण किया। विश्व स्वस्थ्य संगठन ने 10 प्रकार की भयंकर बीमारियों का पता लगाया जैसे ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, अतिसार, (डायारिया) मलेरिया, कैंसर, हैजा (कॉलरा) और कोरोना (कोविड-19).

संयुक्त राष्ट्र के महा सीचव

1. ट्रीगवी ली	: 1946-53
2. डैग हैगरस्वजोंल्ड	: 1953-61
3. यू थांट	: 1961-71
4. कुर्त वॉल्डहाइम	: 1972-82
5. ज़ोवियर पेरिज डी कुईयार	: 1982-92
6. बुतरस घाली	: 1992-97
7. कोफ़ी अन्नान	: 1997-2007
8. बान की मून	: 2007-2017
9. एंटोनियो गुटेरेस	: 2017-

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)

अंतर्राष्ट्रीय आधारों पर मज़दूरों तथा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए अंतराष्ट्रीय श्रम संघ नियम बनाता है। यह बाल मज़दूरी एवं बधवा मज़दूरी के उन्मूलन के लिए भी कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम विधि के आधार पर यह कार्य करता है।

22.3 संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी उपलब्धियाँ

विश्व शांति स्थापित करने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के विजेताओं ने संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किया। संघ ने युद्दों को रोचने में प्रमुख भूमिका निभायी। विश्व के सभी देशों में होने वाले युद्ध की संभावनाओं को रोकने का प्रयास किया।

- संयुक्त राष्ट्र संघ, डच (Dutch) से इंडोनेशिया से आज़ादी प्राप्त करने में सफल हुआ।
- अरब और यहूदियों के फिलित्सीन टकराव को सुलझाने में सक्रिय रहा।
- सैन्य कार्यवाही द्वारा दक्षिण कोरिया पर उत्तर कोरियाई आक्रमण को रोका।
- स्वेज संकट पर इंग्लैंड एवं मिस्त्र का युद्ध होने से रोकने में सफल हुआ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियाँ

संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व के सभी के उच्च जीवन स्तर पूर्ण रोज़गार तथा आर्थिक व सामाजिक उन्नति और विकास का कार्य करता है।

- 1949 से संयुक्त राष्ट्र संघ वैश्विक आर्थिक स्थिरियों पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित कर रहा है।
- अंतर्राष्ट्रीय बैंकों को उधार देता है।
- 1957 में विकसित राष्ट्रों के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन को बनाया।
- आर्थिक सुविधाओं की उपलब्धि के लिए 1968 में संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास निधि (UNCDF) को बनाया। यह गरीबों के लिए सार्वजनिक और निजी वित्त पोषण कार्य करता है।
- अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ द्वारा बंधवा मज़दूरी के उन्मूलन का प्रयास करता है।
- संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व स्वास्थ्य संगठन कई राष्ट्रों को भयावह बीमारियों से लड़ने एवं उसके रोकथाम में सहायता की है। जैसेः- मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, चेचक, इनफ़्लुएंज़ा (influenza), कुष्ठरोग (leprosy) ट्रेकोमा।
- संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन की सहायता से निरक्षरता को मिटाने का कार्य करता है एवं बुनियादी शिक्षा और वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रेरित करता है।

22.4 संयुक्त राष्ट्र संघ के विहन एवं असफलताः-

संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने लक्ष्य की ओर पहुँचने के लिए जीत भी दर्ज करवाई अपितु उसे कुछ असफलताओं और विघ्नों का भी सामना करना पड़ा। सैन्य कार्यवाही एवं वित्त पोषण के लिए सदस्य राष्ट्रों पर निर्भर रहने, पूर्ण अधिकारिता प्राप्त न होने के कारण संयुक्त राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से सफल न हो सका। आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ असफलताओं के बारे में जानते हैं।

- 1948 से इज़राइल - फिलिस्तीन संघर्ष को रोकने में नाकामायाब.
- अनसुलझा कश्मीर विवाद.
- कंबोडिया की हिंसा.

22.5 संयुक्त राष्ट्र संघ - बदलाव की आवश्यकता

संयुक्त राष्ट्र संघ के दोषों की संरचना को जाँचा जाए। 1945 की स्थितियाँ, वर्तमान स्थितियों से भिन्न है। उस समय की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस प्रकार हुई कि प्रभावी राष्ट्रों का प्रभाव ही देखने को मिलता है।

वर्तमान में कुछ राष्ट्र समृद्ध है और कुछ पिछड़े। बदलते हुए परिवेश में संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना में भी बदलाव की आवश्यकता है। विभिन्न राष्ट्रों के विभिन्न अंगों पर कार्यरत विशेष प्राथमिक सदस्यों में भी बदलाव की आवश्यकता है। जब हर राष्ट्र को समान प्राथमिकता दी जाएगी तब ही वैश्विक विकास होने की संभावना है।

22.6 सारांश (मुख्य बिंदु)

- ❖ अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करता है।
- ❖ विश्व के सभी राष्ट्रों के मध्य, सीमा से जुड़ी राजनैतिक, एवं सांस्कृतिक समस्याओं का समाधान करता है।
- ❖ प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत राष्ट्र संघ की स्थापना हुई।
- ❖ द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ सामने अभर कर आया।
- ❖ संयुक्त राष्ट्र संघ 6 मुख्य अंगों द्वारा कार्य करता है।
- ❖ समस्याओं की विस्तृत श्रृंखलाओं का समाधान संयुक्त राष्ट्र संघ अपने सहयोगियों की सहायता से करता है।
- ❖ वैश्विक शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, फिर भी आज कई अनसुलझ मुद्दे शेष हैं।

22.7 नमूना परीक्षा प्रश्न

I. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 1 या 2 वाक्यों में लिखिए।

1. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की कोई दो लक्ष्य लिखिए।
3. किन राष्ट्रों के पास वीटो शक्ति है?
4. राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई?
5. संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान प्रधान सचिव कौन है?

II. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखिए।

1. राष्ट्र संघ की स्थापना एवं उसके लक्ष्य बताइए।
2. संयुक्त राष्ट्र संघ की वैज्ञानिक उपलब्धियाँ क्या है?
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की स्वास्थ्य संबंधी उपलब्धियाँ क्या है?

III. निम्नलिखत प्रश्नों के उत्तर लगभग 8 या 10 वाक्यों में लिखिए।

1. दो विश्व युद्धों के पश्चात् अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना के संभावित कारण क्या-क्या है?
2. संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंगों के बारे में लिखिए।
3. संयुक्त राष्ट्र संघ की उपलब्धियों के बारे में लिखिए।

4. वर्तमान परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र संघ के लक्ष्यों में किन बदलावों की आवश्यकता है।

5. 2030 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत् विकास लक्ष्य क्या है?

IV. बहुविकल्पीय प्रश्न

1. वर्साय की संधि के पश्चात किस संगठन की स्थापना हुई। ( )

   A) संयुक्त राष्ट्र संघ B) राष्ट्र संघ

   C) विश्व स्वस्थ्य संगठन D) विश्व व्यापार संगठन

2. अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस शहर में स्थित है ( )

   A) जेनेवा B) न्यूयार्क C) लंदन D) हेग

3. निम्न राष्ट्रों में से किस के पास विटो शक्ति नहीं हैं। ( )

   A) अमेरिका B) इंग्लैण्ड C) भारत D) चीन

4. संयुक्त राष्ट्र संघ का यह उद्देश्य नही है। ( )

   A) राष्ट्र की आंतरिक समस्याओं का समाधान

   B) विश्व शांति को बनाए रखना

   C) देशों के बीच मैत्रीय संबंधों का पोषण करना

   D) मानवीय स्वभाव से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करना

5. संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान प्रधान सचिव है- ( )

   A) बान की मून B) जॉन की मून

   C) कोफ़ी अन्नान D) एंटोनियो गुटेरेस

22.8 संदर्भ पुस्तकें

- SCERT, तेलंगाणा सामाजक अध्ययन पुस्तक

World Outline Map

India - Outline map

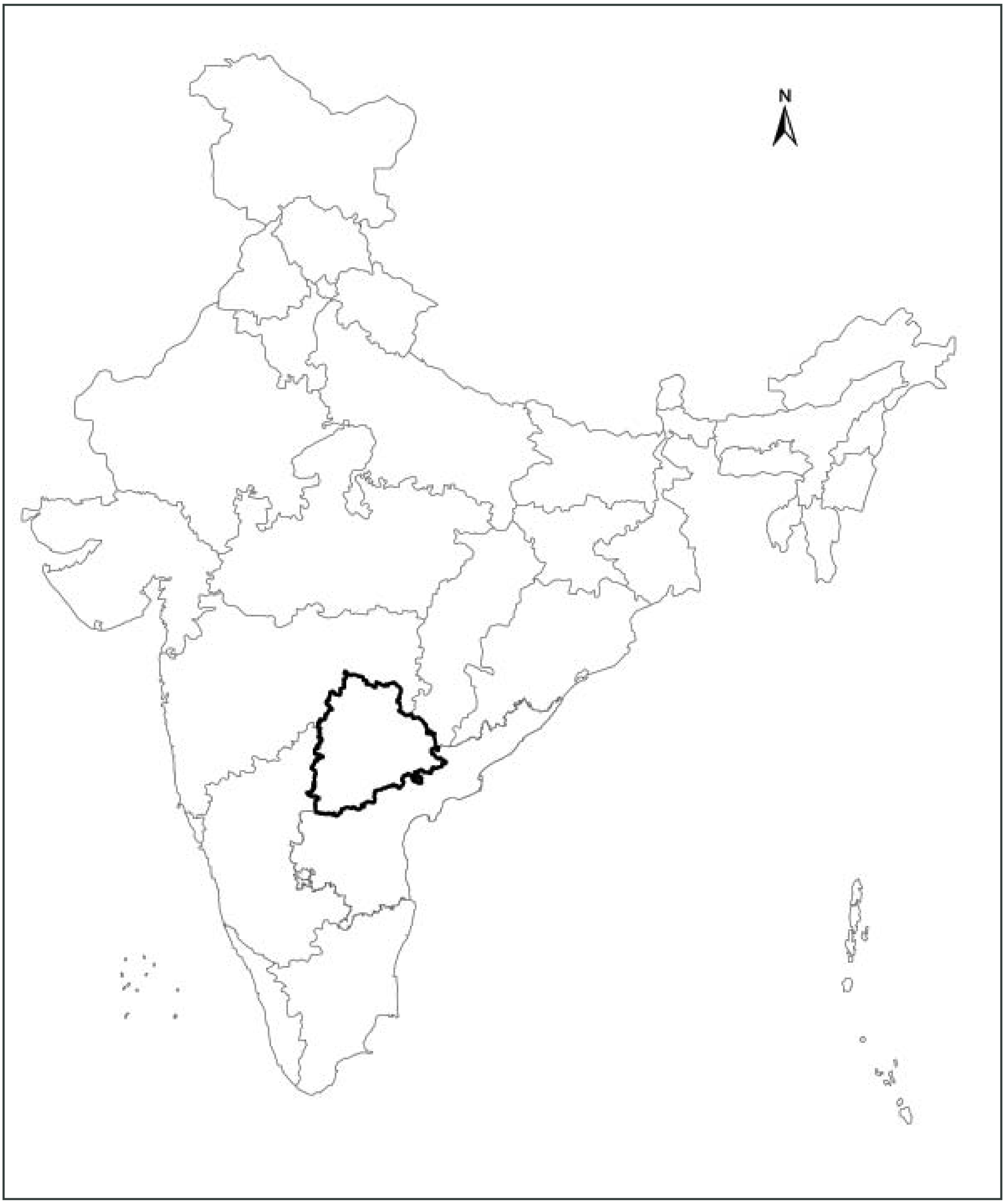

Telangana - Outline map

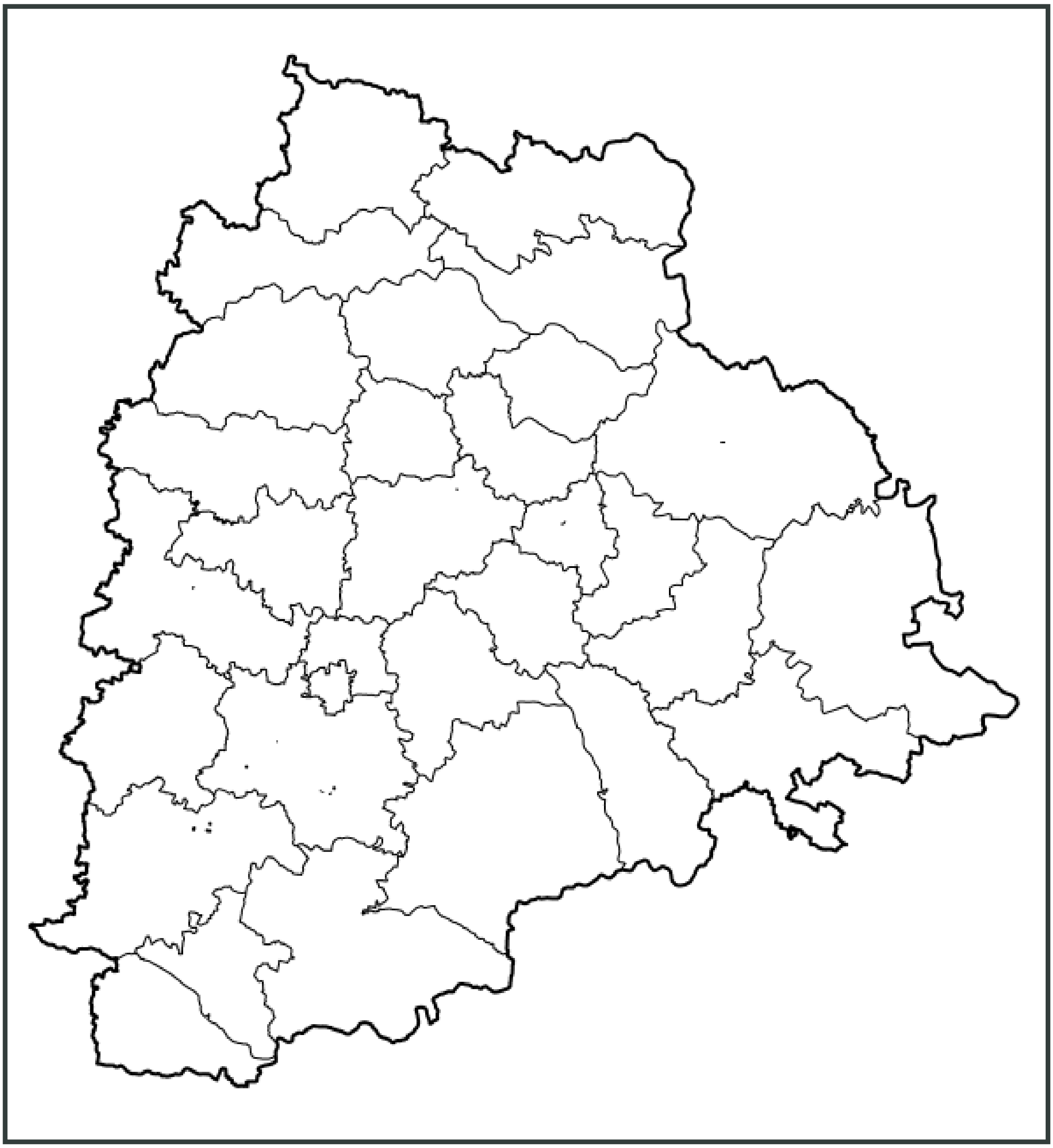

India - Physical Map